पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-2023

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-2023

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 में निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप के अनुरूप है ।

नोट – हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों में संदेह, विसंगति या विवाद की स्थिति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
Note: - In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA

प्रेषण पत्र

फाइल सं. पीएफआरडीए –09/02/0001/2023–वार्षिक रिपोर्ट विभाग

31 अगस्त, 2023

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
संसद मार्ग, जीवनदीप भवन
नई दिल्ली – 110001

विषय : वित्त–वर्ष 2022–23 हेतु पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट

महोदय

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 46 (2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण में हुए कामकाज पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों को प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

भवदीय,

दीपक मोहन्ती
(डा. दीपक महान्ती)

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517095, 45063672, फैक्स : 011–26517507, ई–मेलः chairman@pfrda.org.in, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517095, 45063672, Fax : 011-26517507, E-mail: chairman@pfrda.org.in,Website : www.pfrda.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav
आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषय सूची

विषयवस्तु तालिका

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य		12
उद्देश्य		12
परिकल्पना		12
अध्यक्ष महोदय का सन्देश		13
बोर्ड के सदस्य		14
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण		15
संक्षिप्तियाँ		16
भाग – I		
नीतियां और कार्यक्रम		19
1.1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	19
1.1.1	वैश्विक मुद्रास्फीति	20
1.1.2	वैश्विक वस्तु मूल्य	20
1.1.3	वैश्विक आर्थिक परिवेश	20
1.1.4	बांड और इक्विटी बाजार	21
1.2	घरेलू अर्थव्यवस्था	21
1.2.1	भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था का विकास	22
1.2.2	घरेलू मुद्रास्फीति	22
1.2.3	मौद्रिक प्रबन्धन	23
1.3	भारतीय वित्त बाजार	24
1.3.1	जी–सेक बाजार	24
1.3.2	कार्पोरेट बांड बाजार	25
1.3.3	इक्विटी बाजार	26
1.4	अर्थव्यवस्था–जुलाई अद्यतन	27
1.5	वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा	29
1.5.1	ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां	31
1.5.2	निवेश रुझान	32
1.6	भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	34
1.7	भारतीय पेंशन परिदृश्य	34

1.8	पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा	38
1.9	एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाइयां	39
1.9.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित मध्यस्थ और अन्य इकाइयां तथा अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाएं	39
1.9.2	खाते के प्रकार	41
1.9.3	लोकसंपर्क	41
भाग –II		
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश		42
2.1	पेंशन निधियां	42
2.1.1	पेंशन निधियों के कार्य	42
2.1.2	सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस स्वावलंबन तथा एपीवाई हेतु पेंशन निधियों की सूची	43
2.1.3	निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों की सूची	43
2.2	योजनाएं	44
2.3	पेंशन निधियों से जुड़े विनियम, अधिसूचनाएं, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र और दिशानिर्देश	51
2.4	निरीक्षण	51
भाग – III		
प्राधिकरण के कार्य		52
3.1	मध्यस्थों का पंजीकरण और स्थगन, निरसन इत्यादि	52
3.2	योजनाओं, उनके नियमों और शर्तों का अनुमोदन	57
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	58
3.3.1	पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम तथा उसमें हुए संशोधन	58
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण	61
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गयी गतिविधियाँ	66
3.5	अभिदाताओं हेतु शिकायत निवारण तंत्र तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु की गयी गतिविधियाँ	67
3.5.1	वित्त वर्ष 2022–23 हेतु लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या	71

3.5.2	वित्त वर्ष 2022–23 हेतु लोकपाल कार्यालय में राज्यवार प्राप्त शिकायतें	72
3.5.3	लोक शिकायत निस्तारण	72
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	76
3.7	प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसन्धान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है	76
3.8	अभिदाताओं और सामान्य जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यस्थ इकाइयों के प्रशिक्षण का विवरण	76
3.8.1	पेंशन से सम्बन्धित वित्तीय साक्षरता	76
3.8.2	सेवानिवृत्ति योजनाकार	77
3.8.3	वित्तीय तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु कार्यक्रम	77
3.8.4	मीडिया, संचार तथा एनपीएस/एपीवाई जागरूकता पर पीएफआरडीए के प्रयास	78
3.8.5	सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए	80
3.8.6	जनसंपर्क अभिकरण	81
3.8.7	प्रशिक्षण	81
3.8.8	एनपीएस तथा एपीवाई सूचना सहायता पटल	81
3.9	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित सम्मेलन / बैठकें और अन्य पहल	82
3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	82
3.9.2	सरकारी/निजी क्षेत्र में एनपीएस के सुलभ कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	88
3.9.3	गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस	92
3.9.4	कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन	94
3.9.5	अटल पेंशन योजना	94
3.10	पेंशन निधियों का प्रदर्शन	101
3.11	विनियमित आस्तियां	109
3.12	वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित शुल्क और अन्य प्रभार	110
3.13	मध्यस्थ इकाइयों, दूसरी इकाइयों तथा पेंशन निधि से जुड़े संगठनों की लेखापरीक्षा के दौरान माँगी गयी सूचना, किए गए निरीक्षण, जांच, अन्वेषण	113
3.13.1	जांच और अन्वेषण	113
3.13.2	निरीक्षण और लेखापरीक्षा	113
3.13.3	अधिनिर्णयन	114

3.13.4	आंतरिक लेखापरीक्षा	114
3.14	अन्य	114
3.14.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)	114
3.14.2	उपस्थिति अस्तित्व	117
3.14.3	प्रबंधन के तहत आस्तियां (योजनावार)	119
3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	119
3.14.5	पेंशन निधियां	124
3.14.6	न्यासी बैंक	125
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	129
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	131
3.14.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	132
3.14.10	प्राधिकरण द्वारा की गयी अन्य गतिविधियाँ	133
भाग - IV		
4.1	पेंशन सलाहकार समिति	134
4.2	नवनिर्मित और संशोधित विनियम	134
4.3	अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोग पर समिति का गठन	134
भाग - V		
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे		136
5.1	पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	136
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	137
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	137
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा ओबीसी प्रकोष्ठ के क्रियाकलाप	137
5.5	कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के रोकथाम हेतु समिति	138
5.6	कर्मचारी कल्याण समिति	138
5.7	कर्मचारियों के हित में की गई पहल	138
5.8	पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	138
5.9	राजभाषा का प्रचार–प्रसार	139
5.10	सूचना का अधिकार	140

5.11	संसदीय प्रश्न	141
5.12	पीएफआरडीए के बहीखाते	141
भाग - VI **अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र**		142
6	अभिदाताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र	142
6.1	सक्रिय विनियम का अभाव, सरकारी नोडल अधिकारियों हेतु बाधा	142
6.2	एपीवाई से जुड़ने के लिए 40 साल तक की आयु सीमा	142
6.3	वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया – न्यूनतम आश्वासित रिटर्न्स योजना (मार्स)	142
6.4	वेतन के 10% से ऊपर नियोक्ता के अंशदान पर कराधान	143
6.5	कर योग्य परिलब्धियों की गणना के लिए नियोक्ता अंशदान पर सीमा	143
6.6	धारा 80C के कर लाभ के साथ टियर– II कर बचत योजना, केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए	143
6.7	टियर– II निवेश के लाभों पर कराधान	143
भाग – VII **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य उपाय**		144
7.1	अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की गयी पहल	144
अनुलग्नक की सूची		150
अनुलग्नक I		151
पेंशन सलाहकार समिति का गठन		151
अनुलग्नक II		152
सक्रिय पीओपी–एसपी की राज्यवार कुल संख्या		152
अनुलग्नक III		153
वार्षिक लेखा और अनुसूचियां		153

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम 9(2)(ग)के तहत

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में निम्नानुसार दिए गए हैं :

"ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना, जो कि वृद्धावस्था आय को बढ़ावा दे, पेंशन निधियों की स्थापना करे और उनको विकसित और विनियमित करे, जिससे पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं तथा उनसे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की रक्षा की जा सके।"

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना

अध्यक्ष महोदय का सन्देश

वैश्विक महामारी के बाद, भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है और, अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचने की आकांक्षा को लेकर ''अमृत काल'' में प्रवेश कर रहा है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वृद्धि की गति लगातार मजबूत बनी हुई है, मुद्रास्फीति में नरमी आई है और वित्तीय क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। इसके साथ ही, हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें जनसांख्यिकीय लाभांश अधिक है। इस परिवेश में जनसमूह को अपने जीवन–यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वृद्धावस्था आय की जरूरत होगी। इस संदर्भ में, पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बन जाता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती, सभी के लिए पर्याप्त पेंशन कवरेज प्रदान करना है। एक वित्तीय उत्पाद के रूप में पेंशन के दोतरफा उद्देश्य हैं : पहला, इसे बुजुर्गों के लिए एक सहारा देने की प्रणाली के रूप में कार्य करना चाहिए । और दूसरा, यह इतना पर्याप्त होना चाहिए कि लोगों की बढ़ती उम्र के साथ–साथ उनके जीवन स्तर को भी बनाए रखा जा सके। यह सर्वविदित है कि पेंशन एक दीर्घकालिक वित्तीय उपकरण है, इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा उसके धनार्जन की अवधि के दौरान ही एक सुसंगत स्तर पर अंशदान करना जरूरी है, ताकि कंपाउंडिंग की ताकत का उपयोग करके एक कॉर्पस बनाने की शुरुआत की जा सके।

पीएफआरडीए द्वारा अपनी दो प्रमुख योजनाओं – अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से पेंशन कवरेज को बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरूआत की गयी। एपीवाई में वर्ष 2022–23 के दौरान 119 लाख अभिदाता जुड़े, फलस्वरूप मार्च 2023 के अंत तक अभिदाताओं की कुल संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। एनपीएस (गैर–सरकारी क्षेत्र) में भी 10 लाख नए अभिदाताओं के शामिल होने से एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई । मार्च 2023 के अंत में प्रबंधनाधीन कुल पेंशन परिसंपत्ति लगभग 9 लाख करोड़ रुपये थी। निधियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन द्वारा शुरुआत से ही प्रतिस्पर्धी रिटर्न सुनिश्चित किया गया है, जो कि डेब्ट और इक्विटी योजनाओं के बीच 8.8 से 12.7 प्रतिशत की श्रेणी में रहा है ।

अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए वर्ष के दौरान शुरू की गयी प्रमुख पहलों में डिजीलॉकर के साथ एकीकरण प्रान–पैन–वीपीए(यूपीआई) लिंक के माध्यम से उचित जांच को बढ़ावा, अभिदाताओं को उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर का शुभारंभ, सीकेवाईसी के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग की अनुमति, निकास के समय अभिदाताओं को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं तक निर्बाध रूप से स्थानान्तरण या परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना, यूपीआई के माध्यम से डी–रेमिट सुविधा की शुरुआत, एपीवाई में डिजिटल ऑनबोर्ड करने वाले अभिदाताओं के लिए ई–एपीवाई की शुरुआत, शामिल है।

केंद्रीय बजट 2023–24 में घोषणा के अनुपालन के तहत, पीएफआरडीए द्वारा, विशेषज्ञों की सलाह और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से, विनियमों की समीक्षा करने और उनके अनुपालन को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण की सभी प्रमुख गतिविधियों और पहलों को शामिल किया गया है। मैं, पीएफआरडीए की उस प्रतिबद्धता का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जिसके तहत, प्राधिकरण, सभी के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के साथ, भारत को एक पेंशनयुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

दीपक महान्ती

(अध्यक्ष)

बोर्ड के सदस्य

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
अध्यक्ष
21.02.2020 से 16.01.2023 तक

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष
20.03.2023 से अब तक

श्री प्रमोद कुमार सिंह
पूर्णकालिक सदस्य (विधि)
03-03-2020 से 04-05-2022 तक

डॉ. मनोज आनंद
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)
01-10-2020 से अब तक

श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू
(आईए–एएस 1988)
अतिरिक्त सचिव (व्यक्तिगत),
व्यय विभाग
12-12-2014 से अब तक

श्रीमती वंदिता कौल
(आईपीओएस 1989)
अतिरिक्त सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय,
22-12-2021 से 27-05-2022 तक

श्री राहुल सिंह
(आईएएस 1996)
संयुक्त सचिव (एस एंड वी)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
15-07-2022 से अब तक

श्री पंकज शर्मा
(आईसीएएस 2000)
संयुक्त सचिव,
वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय
27-05-2022 से अब तक

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण
(मार्च 31, 2023 तक)

कार्यकारी निदेशक
श्री अनंत गोपाल दास
श्रीमती ममता रोहित
श्री अशोक कुमार सोनी
श्री वेंकटेश्वरलू पेरी
श्रीमती सुमीत कौर कपूर
श्री राहुल रविन्द्रन

मुख्य महाप्रबंधक
श्री आशीष कुमार
श्री के. मोहन गांधी
श्री मोनो मोहोन गोगोई फुकोन
श्री अखिलेश कुमार
श्री प्रवेश कुमार
श्री विकास कुमार सिंह
श्री सुमित कुमार
श्री पी. अरुमुगारंगाराजन

महाप्रबंधक
श्री सचिन जोनेजा
श्री आशीष कुमार भारती
श्रीमती गुरमिंदर कौर
डा. पूर्णिमा शर्मा
श्रीमती मंजू भल्ला
डा. अल्पना वत्स
श्री के. आर. दौलत अली खान

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री सुशील कुमार

लोकपाल
श्री अर्नब रॉय

वार्षिक रिपोर्ट दल
श्री वेंकटेश्वरलू पेरी (कार्यकारी निदेशक)
श्रीमती मंजू भल्ला (महाप्रबंधक)
श्री सिद्धांत मोहापात्रा (सहायक प्रबन्धक)
सुश्री आकांक्षा चौहान (कनिष्ठ अर्थशास्त्री)

संक्षिप्तियां

एई	विकसित अर्थव्यवस्थाएं
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एपीवाई–एसपी	एपीवाई–सेवाप्रदाता
एसोचौम	एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीबीओ	कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
डीबी	परिभाषित लाभ
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला कोष कार्यालय
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईआरएम	त्रुटि आशोधन मोड्यूल

एफएक्यू	अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
फिन–टेक	वित्तीय तकनीक
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जी सेक	सरकारी प्रतिभूति
एच वन	वर्ष की पहली छमाही
एच टू	वर्ष की दूसरी छमाही
आईएमएफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओएस	आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटीफिकेशन संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नंबर
आईआरडीएआइ	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप	मोबाइल एपलिकेशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एनएवी	कुल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनआईएसएम	राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
एनएलएओ	एनपीएस लाइट खाता कार्यालय
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओपीजीएम	ऑनलाइन प्रान जेनरेशन माड्यूल
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड

पीएसी	पेंशन सलाहकार समिति
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधक
पीएचडीसीसीआइ	वाणिज्य और उद्योग का पीएचडी चैम्बर
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी–एसई	उपस्थिति अस्तित्व उप इकाई
पीओपी–एसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
प्रान	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
क्यूआर कोड	क्विक रिस्पांस कोड
आरए	सेवानिवृत्ति सलाहकार
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
एसटीएस	सर्वर से सर्वर
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I
नीतियां और कार्यक्रम

भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान प्रणाली की ओर एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित करती है। एनपीएस की रचना एक सुसंगत और वित्तीय रूप से स्थायी पेंशन प्रणाली के निर्माण और क्रियान्वयन के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखने के इरादे से की गई है।

पेंशन क्षेत्र, वैश्विक और घरेलू विकासों द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही, पेंशन आस्तियां पूंजी बाजार और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को दिशा देकर विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। वैश्विक और घरेलू विकास, आर्थिक संवृद्धि, मुद्रास्फीति, वस्तु की कीमतों के साथ–साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीति प्रतिक्रियाओं में भी परिलक्षित होते हैं और, यह वित्तीय बाजार के सभी क्षेत्रों, फिर चाहे वह इक्विटी बाजार हों, सरकारी प्रतिभूति बाजार हों या बांड बाजार हों, को प्रभावित करते हैं । रिपोर्ट के इस भाग में, वैश्विक और घरेलू पेंशन बाजारों के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से पहले वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त समीक्षा की गई है।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2023 की शुरुआत में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग के संकेत, लगातार उच्च होती मुद्रास्फीति और वित्तीय क्षेत्र की उथल–पुथल के कारण कम हो गए हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों और खाद्य तथा ऊर्जा की कीमतों में आई गिरावट ने मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की है, लेकिन अनेक अर्थव्यवस्थाओं में तंग श्रम बाजारों के कारण अंतर्निहित मूल्य दबाव अभी बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2023 के अनुसार, नीतिगत दरों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं, जिनमें बैंकिंग क्षेत्र की असुरक्षा और व्यापक वित्तीय क्षेत्र में संक्रमण की चिंता भी शामिल हैं।

वर्ष 2022 से जारी उच्च ऋण स्तर ने राजकोषीय नीति निर्माताओं की नई चुनौतियों से निपटने की क्षमता को सीमित कर दिया है। रूस–यूक्रेन संघर्ष के बाद वस्तुओं की तेजी से बढ़ी कीमतें स्थिर हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध और भू–राजनीतिक तनाव बना हुआ है। संक्रामक कोविड–19 स्ट्रेन के प्रकोप के कारण चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं, जो भारी रूप में प्रभावित हुईं, वे अब संभल रही हैं और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को कम कर रही हैं। यद्यपि, वित्तीय क्षेत्र की उथल–पुथल के कारण अनिश्चितता बढ़ी है और कुछ नकारात्मक संकट सामने आए हैं।

बेसलाइन पूर्वानुमान, वित्तीय क्षेत्र के तनाव में कमी आने की सम्भावना के साथ, वैश्विक विकास के 2022 की 3.4 प्रतिशत दर से घटकर 2023 में 2.8 प्रतिशत रहने की आशा करता है, जिसमें पांच वर्षों में 3.0 प्रतिशत की धीमी वृद्धि होगी। यह पिछले दशकों में सबसे कम मध्यम अवधि का पूर्वानुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा, वर्ष 2022 में, 2.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.3 प्रतिशत तक, स्पष्ट रूप से मंदी का अनुभव करने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर, वित्तीय क्षेत्र के दबाव के कारण 2023 में वैश्विक विकास लगभग 2.5 प्रतिशत तक गिर सकता है । वर्ष 2001 की वैश्विक मंदी के बाद से यह सबसे कमजोर स्थिति होगी।

आउटलुक से जुड़े संकट नीचे की ओर झुके हुए हैं, जिससे हार्ड लैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। वित्तीय क्षेत्र का तनाव, संक्रमण, संप्रभु ऋण संकट, यूक्रेन में तेज होता संघर्ष, और लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति इस स्थिति को और अधिक खराब कर सकती है। भू–आर्थिक स्थिति के क्षेत्रीय विखंडन से उत्पादन में बड़ा नुकसान हो सकता है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रभावित कर सकता है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) – वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अप्रैल 2023 के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ईएमडीई में आर्थिक संभावनाएं बेहतर हैं, हालांकि इन संभावनाओं में

[1]स्रोतः – वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2023

क्षेत्रीय अंतर अधिक हैं। वर्ष 2023 और 2024 में औसत वृद्धि दर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2023 के लिए किया गया प्रक्षेपण, जनवरी 2022 में हुए 4.7 प्रतिशत पूर्वानुमान से बहुत कम है और जनवरी 2023 डब्ल्यूईओ अपडेट की तुलना में थोड़ा सा न्यून (0.1 प्रतिशत अंक) है।

कम आय वाले विकासशील देशों में, वर्ष 2023 और 2024 के बीच जीडीपी में औसतन 5.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, लेकिन अनुमानित प्रति व्यक्ति आय वृद्धि केवल 2.8 प्रतिशत की औसत से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। यह मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं (3.2 प्रतिशत) के लिए औसत से काफी कम है और इसलिए मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लोगों के जीवन स्तर की बराबरी करने हेतु आवश्यक प्रक्षेपवक्र से कम है ।

1.1.1 मुद्रास्फीति

वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के मध्य से घट रही है, जो मुख्य रूप से ईंधन और ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से प्रेरित है। डब्ल्यूईओ अप्रैल 2023 के अनुसार दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मांग को रोकने और अंतर्निहित (कोर) मुद्रास्फीति को कम करने के लिए वर्ष 2021 से ब्याज दरों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। इस सख्त मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप कई देशों में गृह निर्माण में मंदी आई है। जबकि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई है, हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति दर, दोनों, वर्ष 2021 से पहले के स्तरों की तुलना में काफी अधिक हैं और अधिकांश मुद्रास्फीति–लक्षित देशों के लिए उनके लक्ष्य से ऊपर हैं।

वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति की स्थिरता का अनुमान लगाया गया था । पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने पूर्व–महामारी के स्तर के समान अनुमानित मुद्रास्फीति दरों को बनाए रखा है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख की आवश्यकता पर जोर दिया है और यह भी संकेत दिया है कि दृढ़ मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए ब्याज दरें विस्तारित अवधि के लिए उच्च बनी रहेंगी। हालांकि, 2023 की शुरुआत में, वित्तीय बाजारों ने केंद्रीय बैंकों के संकेत की तुलना में कम नीतिगत सख्ती की उम्मीद की थी, फलस्वरूप महत्वपूर्ण बाजार पुनर्मूल्यांकन के संभावित संकट पैदा हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का उल्लेखनीय विचलन हुआ है। वित्तीय क्षेत्र की उथल–पुथल और ऋण की सख्त स्थितियों ने बाजार–निहित नीतिगत दर पथ को प्रभावित किया है, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता भी शुरू हुई है।

1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य

विश्व बैंक का कमोडिटी प्राइस इंडेक्स जून 2022 के अपने शिखर से 32 प्रतिशत गिर गया, यह कोविड–19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे तेज गिरावट को दर्शाता है। इस गिरावट के पीछे कई कारकों का हाथ है, जिनमें वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी, शीतकाल की अनुकूल स्थिति और रूस तथा यूक्रेन से प्रमुख वस्तु निर्यात के लिए व्यापार का पुनर्निर्देशन शामिल है। गिरावट के बावजूद, प्रमुख वस्तु समूहों और अधिकांश व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतें वर्ष 2015 से 2019 तक प्रदर्शित औसत स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। वस्तु की कीमतों में वर्ष 2022 में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, 2023 में 21 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, और साथ ही 2024 में इसमें स्थिरता आने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2023 के लिए कीमतों में आई यह गिरावट महामारी के बाद से सबसे महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाती है।

1.1.3 वैश्विक वित्तीय वातावरण

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अप्रैल 2023 के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का परीक्षण किया गया है, जिससे वित्तीय स्थिरता के संकटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाजार प्रतिभागियों ने खुद को तरलता, अवधि और क्रेडिट संकट से अवगत कराया है। इसमें रिटर्न को बढ़ावा देने के लिए वे अक्सर वित्तीय उत्तोलन का उपयोग करते हैं। विनियामक परिवर्तनों ने वित्तीय प्रणाली को और अधिक लचीला बना दिया है। लेकिन साथ ही साथ छिपी हुई कमजोरियों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

---

[2] स्रोतः – विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2023

[3] स्रोतः – कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, अप्रैल 2023

विशेष रूप से मुद्रास्फीति के दबाव की दृढ़ता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि, वित्तीय बाजारों में आए तनाव की चुनौतियों ने केंद्रीय बैंकों के कार्य को जटिल बना दिया है । केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट का सामान्यीकरण संप्रभु ऋण बाजारों के लिए चुनौतियां पैदा करता है, क्योंकि इससे तरलता आम तौर पर खराब होती है और ऋण का स्तर अधिक हो जाता है। अतः संप्रभु ऋण की अतिरिक्त आपूर्ति को निजी निवेशकों द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए।

बड़े उभरते बाजारों ने अब तक मौद्रिक नीति को अपेक्षाकृत सुचारू रूप से प्रबंधित किया है, लेकिन यदि वित्तीय बाजारों में मौजूदा तनाव जारी रहता है तो उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संप्रभु ऋण स्थिरता मैट्रिक्स में वैश्विक स्तर पर खराबी आई है, विशेष रूप से सीमांत और कम आय वाले देशों में, क्योंकि वे पहले से ही कई गंभीर तनावों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि महामारी के दौरान परिवारों/गृहस्वामियों ने महत्वपूर्ण बचत जमा की थी, लेकिन अब उन्हें भारी ऋण–सेवा बोझ का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप, वे डिफॉल्ट के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

अतः यह निश्चित है कि, वैश्विक व्यापक–वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण संकटों को देखते हुए, भू–राजनीतिक तनाव को राजनयिक रूप से हल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक और वित्तीय विखंडन को रोकने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को भी मजबूत किया जाना चाहिए।

1.1.4 बॉन्ड और इक्विटी बाजार

जीएफएसआर अप्रैल 2023 के अनुसार, महामारी के दौरान, यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों की होल्डिंग में काफी बढ़ोतरी की है। हालांकि, उन्होंने अब अपनी बैलेंस शीट को कम करना शुरू कर दिया है और यह संप्रभु ऋण बाजारों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों को जारी करने में 2023 और 2024 में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट मात्रात्मक सख्ती के माध्यम से सिकुड़ रही है। तदनुसार, निजी क्षेत्र को अधिक अल्पकालिक और मध्यम अवधि की प्रतिभूतियों को अवशोषित करने की जरूरत होगी। यूनाइटेड किंगडम और यूरो क्षेत्र में भी यही स्थिति देखी गई । यहां निजी क्षेत्र को उच्च वित्त पोषण आवश्यकताओं के बीच अधिक सरकारी प्रतिभूतियों को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी।

कम बाजार तरलता ने शायद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार–चढ़ाव को और अधिक स्पष्ट बना दिया है। यह समस्या संप्रभु बांड के बाजारों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है। यह संभवतः दो बातों, अर्थात उच्च स्तर की अनिश्चितता और यूरो क्षेत्र, यानी अमेरिका और ब्रिटेन में मात्रात्मक सख्ती के प्रभाव, को दर्शाती है। बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के कारण पहले से ही मंद हुए बाजार की गहराई और भी मंद हो गई है।

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत सुधार हुआ है। इसी क्रम में इसने कई अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है और वित्तीय वर्ष 2023 में खुद को महामारी से पहले की वृद्धि दर पर स्वयं को लौटाने के लिए तैयार है। हालांकि, भारत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना कर रहा है, जो यूरोपीय मुद्दों की वजह से बढ़ गई है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ उपायों को लागू किया था, और वैश्विक वस्तु कीमतों में ढील से खुदरा मुद्रास्फीति को नवंबर 2022 में आरबीआई के ऊपरी सहनशील लक्ष्य से नीचे लाने में मदद की गयी थी। वैश्विक वस्तुओं की ऊंची कीमतों और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि गति के कारण चालू खाते का घाटा (सीएडी) लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंद होने या संभावित रूप से मंदी में प्रवेश करने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2022 को भारत के इतिहास में एक विशेष उपलब्धि माना गया क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष था और इसी वर्ष भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ।

[4]स्रोतः – कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, अप्रैल 2023
[5]स्रोतः – वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अप्रैल 2023

1.2.1 भारत में समष्टि–अर्थव्यवस्था का विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में कहा गया है कि भारत पर महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी में उल्लेखनीय संकुचन हुआ। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू हो गई थी। भारत वित्त वर्ष 2023 में महामारी से पहले की वृद्धि दर पर जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि, यूरोप में संघर्ष से वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के लिए अनुमानों में बदलाव भी किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और स्थानीय मौसम की स्थिति ने मुद्रास्फीति में योगदान दिया, जबकि सरकार ने इसे नियंत्रित करने के उपायों को लागू करने में तेजी दिखाई। आरबीआई ने अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह रेपो दरों में बढ़ोतरी करके तरलता को कम किया।

सख्त मौद्रिक नीतियों, रुपये सहित विभिन्न मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के फलस्वरूप, घरेलू मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा और चालू खाते का घाटा (सीएडी) बढ़ गया। हालांकि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी आई, लेकिन वे पूर्व–संघर्ष स्तरों की तुलना में अधिक बने रहे, जिससे इसकी विकास गति के कारण भारत का सीएडी और बढ़ गया। हालांकि, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण और वित्त वर्ष 2023 में रुपये के उतार–चढ़ाव का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।

वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात बढ़ा, जिससे वैश्विक व्यापारिक निर्यात बाजार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ गयी। हालांकि, सिंक्रनाइज मौद्रिक सख्ती के कारण वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो गया है, जिससे 2022 की दूसरी छमाही में वैश्विक व्यापार में नकारात्मक वृद्धि हुई है। भू–राजनीतिक घर्षण, मुद्रास्फीति के दबाव और कमजोर मांग से 2023 में वैश्विक व्यापार में ज्यादा कमी आने की उम्मीद है। यह संभावित रूप से भारत के निर्यात को प्रभावित करेगा और चालू वर्ष में पहले की अपेक्षाओं की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में मंद निर्यात वृद्धि का कारण बन सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है क्योंकि इसका अमृत काल शुरू हो गया है, जो एक आधुनिक, स्वतंत्र देश के रूप में इसकी शताब्दी तक की अगले 25 सालों की यात्रा है।

1.2.2 मुद्रास्फीति

वित्त वर्ष 2023 में, भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ने तीन चरणों का अनुभव किया। यह अप्रैल 2022 तक बढ़कर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गया, फिर अगस्त 2022 तक लगभग 7.0 प्रतिशत रहा, और अंत में दिसंबर 2022 तक लगभग 5.7 प्रतिशत तक गिर गया। प्रारंभिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से रूस–यूक्रेन युद्ध के प्रभाव तथा अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों की उपज में कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और इसे आरबीआई की सहनशील सीमा के भीतर लाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू किया है। इसके विपरीत, महामारी के दौरान प्रोत्साहन प्रदान करने वाले प्रमुख पश्चिमी देश उच्च मुद्रास्फीति दरों से जूझते रहे।

मई, 2022 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के बीच अंतर बढ़ गया। सूचकांकों के सापेक्ष भारांक में अंतर और खुदरा कीमतों पर आयातित इनपुट लागत का कम प्रभाव ही इसकी मुख्य वजहें बनीं। हालांकि, दोनों उपायों के बीच का अंतर तब से कम हो गया है, जो अभिसरण की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। कोर मुद्रास्फीति लगातार बनी हुई है, जो मांग–कर्षक मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण उपाय है । भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच खुदरा मुद्रास्फीति की दर काफी भिन्न है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मई, 2022 से मार्च, 2023 के बीच नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जो 6.25 प्रतिशत पर पहुंच गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने, गेहूं उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने, चावल पर निर्यात शुल्क लगाने, दालों पर आयात शुल्क और उपकर कम करने, टैरिफ युक्तिकरण, खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू

[6]स्रोतः – वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अप्रैल 2023

करने, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने और विनिर्माण उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने जैसे राजकोषीय उपायों को लागू किया।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, और लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर से ऊपर मुद्रास्फीति का ओवरशूट अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम था।[7]

चार्ट 1.1: मुद्रास्फीति – सीपीआई और डब्लूपीआई

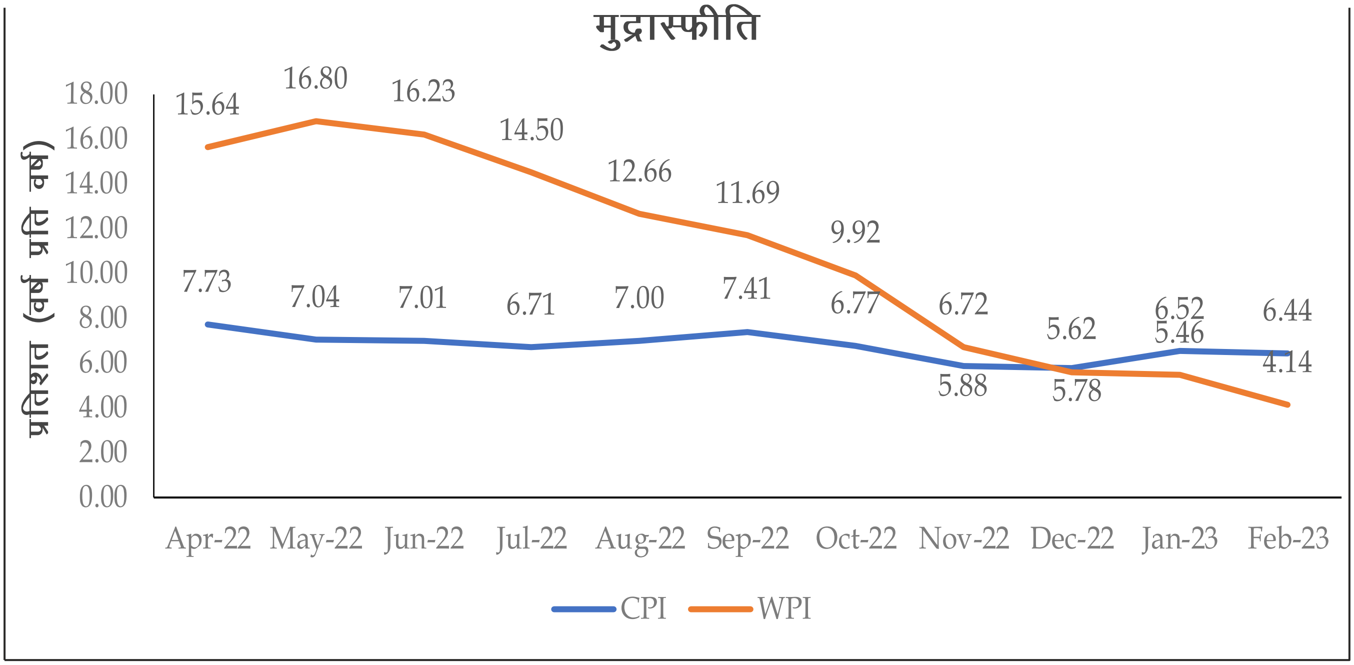

डेटा स्रोतः कोजेन्सिस

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

वित्त वर्ष 2022–23 के आगमन पर, वित्त वर्ष 2022–23 में एमपीसी की बैठकों के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर समिति द्वारा विचार किया गया था। सहनशील बैंड से लगातार ऊपर चल रही सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ, एमपीसी ने लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया क्योंकि यह मूल्य दबाव के सामान्यीकरण पर लगाम लगाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को कम करने के लिए आवश्यक है। एमपीसी ने कहा कि मई 2022 से नीतिगत दर में संचयी 250 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। अगस्त में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.0 प्रतिशत थी। एमपीसी ने अनुमान लगाया कि मुद्रास्फीति 2022–23 की पहली तीन तिमाहियों में 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशील स्तर से ऊपर रहेगी। मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने, कीमतों के दबाव को घटाने और दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए, एमपीसी ने सितंबर में नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत करने का फैसला किया। दिसंबर में, एमपीसी ने नोट किया कि अक्टूबर में सीपीआई मुद्रास्फीति सहनशील बैंड से ऊपर बनी रही, और वास्तविक जीडीपी वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत बढ़ी। 2023–24 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीदों के बावजूद, इसके अभी भी लक्ष्य से ऊपर रहने का अंदाजा लगाया गया था। इसके जवाब में एमपीसी ने निभाव की वापसी को जारी रखने के लिए नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। फरवरी तक, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई थी, जो मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में

[7]आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23

अपस्फीति से प्रेरित थी। हालांकि, अन्य खाद्य पदार्थों और मुख्य श्रेणी में मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा। इस परिदृश्य में एमपीसी ने मुद्रास्फीति को एक महत्वपूर्ण संकट के रूप में चिह्नित किया और नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। एमपीसी ने निभाव की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि संवृद्धि का समर्थन करते समय भी मुद्रास्फीति का लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।[8]

चार्ट 1.2: वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान रेपो रेट में उतार–चढ़ाव निम्नानुसार है :

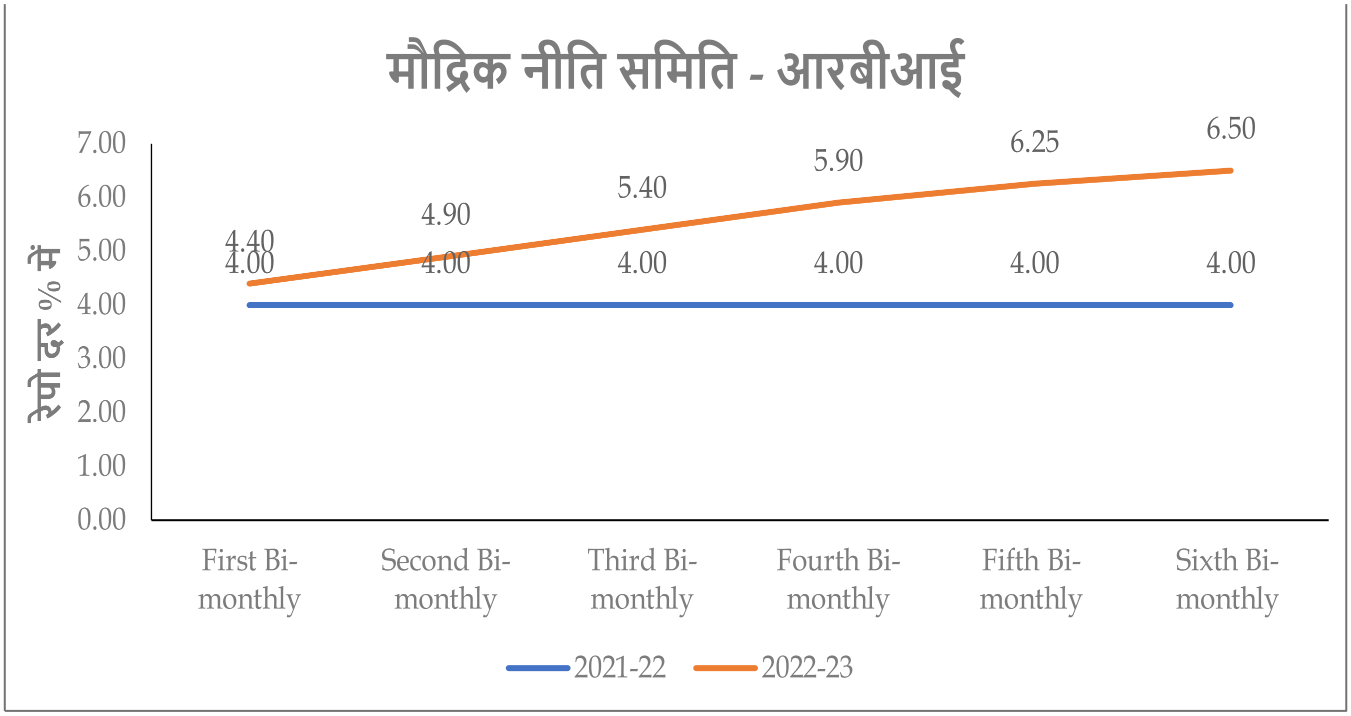

डेटा स्रोतः कोजेन्सिस

1.3 भारतीय वित्तीय बाजार

आरबीआई अप्रैल, 2023 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए । वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, जबकि बॉन्ड प्रतिफल काफी हद तक सीमित दायरे में रहा। दूसरी छमाही में इक्विटी बाजारों में अग्रवर्ती–पश्चवर्ती कार्रवाई देखने को मिली। इसी दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) का मूल्य घट गया। मौद्रिक नीति में बदलाव की प्रतिक्रिया में बैंक ऋण और जमा दरों में वृद्धि हुई। भले ही दिसंबर 2022 में मंदी शुरू होने के संकेत थे, लेकिन 2022 से 2023 तक बैंक क्रेडिट ग्रोथ दोहरे अंकों में बनी रही।

1.3.1 जी.सेक. बाजार

वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही में सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) पर प्रतिफल सीमित दायरे में रहा। अक्टूबर 2022 में सितंबर के लिए घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक होने के कारण प्रतिफल में वृद्धि हुई। हालांकि, नवंबर 2022 में इसमें नरमी आई। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2023 के अनुसार, 2022–23 की तीसरी

आरबीआई एमपीसी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022–23

तिमाही में 10 साल की बेंचमार्क यील्ड में 7 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आई और यह 7.33 प्रतिशत पर बंद हुआ। 2022–23 की चौथी तिमाही में, केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधारी कार्यक्रम के कारण फरवरी की शुरुआत में प्रतिफल में नरमी आई। कुल मिलाकर, मार्च 2023 के अंत में 10 साल की बेंचमार्क यील्ड 3 बीपीएस घटकर 7.31 प्रतिशत रह गई। नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष तरलता में कमी के अनुरूप इस अवधि में ट्रेजरी बिल (टी–बिल) पर प्रतिफल बढ़ गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम के संदर्भ में, जी–सेक ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022–23 की दूसरी छमाही में वृद्धि देखी, जबकि टी–बिल्स में गिरावट का अनुभव किया गया। जी–सेक और टी–बिल के लिए कारोबार परिपक्वता पर भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 की दूसरी छमाही में क्रमशः 107 बीपीएस और 293 बीपीएस बढ़ी। प्रतिफल का स्तर औसतन 11 बीपीएस तक नरम हो गया, जबकि ढलान 70 बीपीएस तक समतल हो गई। वक्रता में 66 बीपीएस की कमी आई, जो छोटे और लंबे खंडों की तुलना में प्रतिफल वक्र के मध्य–खंड की कम सख्ती से प्रेरित थी।

2022–23 के केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रिजर्व बैंक ने दो किस्तों में कुल 16,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एस.जी.आर.बी.) जारी किए। बांड से प्राप्त आय को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की ओर से ऋण समेकन की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक द्वारा ₹49,387 करोड़ की स्विच नीलामी आयोजित की गई थी। जी–सेक के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) 11.94 वर्षों पर समान रही, जबकि भारित औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) मार्च 2023 के अंत तक बढ़कर 7.26 प्रतिशत हो गया।

तुलनीय परिपक्वता अवधि की जी–सेक प्रतिफल पर राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एस.जी.एस.) पर कट–ऑफ प्रतिफल का औसत प्रसार 2022–23 की दूसरी छमाही में 30 बीपीएस था। 2022–23 की दूसरी छमाही में 10 साल की अवधि वाली प्रतिभूतियों (नए निर्गम) पर अंतर–राज्यीय प्रसार औसतन 4 बीपीएस था।

चार्ट 1.3: 10–वर्षीय जी–सेक बॉन्ड प्रतिफल (प्रतिशत)

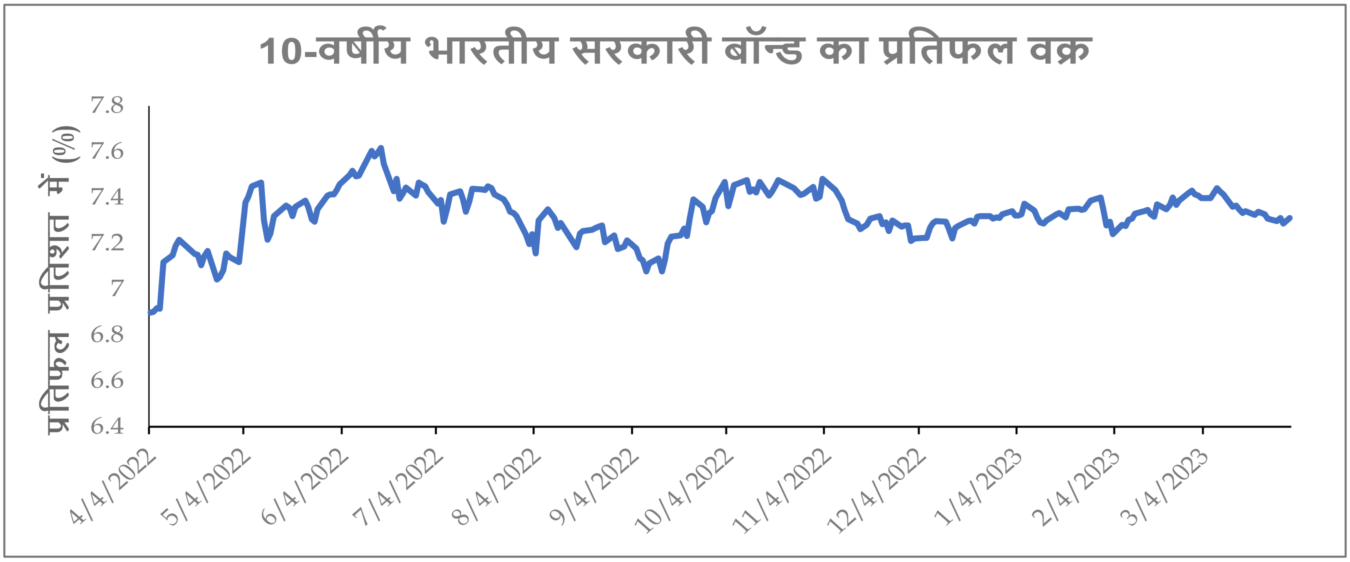

डेटा स्रोतः कोजेन्सिस

1.3.2 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार

वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) प्रतिफल के उतार–चढ़ाव का अनुसरण करते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड में भी वृद्धि हुई। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट अप्रैल, 2023 के अनुसार, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी एएए–रेटेड 3–वर्षीय बॉन्ड पर औसत

प्रतिफल मार्च 2023 में क्रमशः 57 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 8.12ः और 49 बीपीएस बढ़कर 8.07 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों द्वारा जारी किए गए निर्गम पर औसत प्रतिफल 46 आधार अंक बढ़कर 7.75 प्रतिशत हो गया। 3 साल के जी–सेक प्रतिफल में वृद्धि से मापा जाने वाला जोखिम प्रीमियम भी बढ़ गया। दूसरी छमाही के दौरान एनबीएफसी का जोखिम प्रीमियम 42 आधार अंक से बढ़कर 73 आधार अंक, कंपनियों का जोखिम प्रीमियम 45 आधार अंक से बढ़कर 68 आधार अंक और पीएसयू, वित्तीय संस्थान और बैंकों का जोखिम प्रीमियम 15 आधार अंक से बढ़कर 36 आधार अंक हो गया। जोखिम प्रीमियम में वृद्धि विभिन्न अवधि और रेटिंग में देखी गई थी।

बैंकों ने क्रेडिट मांग में वृद्धि के कारण अपनी बढ़ती बैलेंस शीट हेतु पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड बाजार का उपयोग किया। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में संसाधन जुटाने का अधिकांश हिस्सा (98.7 प्रतिशत) निजी प्लेसमेंट के माध्यम से हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने कॉरपोरेट बॉन्ड में अपने बकाया निवेश को सितंबर 2022 के अंत में 1.14 लाख करोड़ रुपये से घटाकर मार्च 2023 के अंत में 1.04 लाख करोड़ रुपये कर दिया, जिससे अनुमोदित सीमाओं का उपयोग 17.9 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी छमाही (फरवरी 2023 तक) के दौरान दैनिक औसत द्वितीयक बाजार व्यापार मात्रा 5,332 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक थी।

1.3.3 इक्विटी बाजार

वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही के दौरान, भारत में घरेलू इक्विटी बाजारों ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मजबूत खरीद और मजबूत कॉर्पोरेट आय के साथ सकारात्मक शुरुआत की। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2023 के अनुसार, बेंचमार्क सूचकांक बीएसई संसेक्स 1 दिसंबर, 2022 को 63,284 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के टर्मिनल दर अनुमानों में वृद्धि और श्रम बाजार की तंग स्थितियों के कारण चौथी तिमाही की शुरुआत में बाजार की धारणा प्रभावित हुई। मार्च 2023 में, भारतीय शेयरों को अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग उथल–पुथल के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बीएसई बैंकिंग इंडेक्स (बैंकेक्स) मार्च 2023 में 0.9 फीसदी की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग बेंचमार्क में गिरावट आई थी।

कुल मिलाकर, बीएसई संसेक्स दूसरी छमाही में 2.7 प्रतिशत बढ़ा और 31 मार्च, 2023 को 58,992 पर बंद हुआ। इक्विटी बाजार में अस्थिरता नीचे की ओर बढ़ी, जैसा कि इंडिया वीआईएक्स (जो निफ्टी 50 की अल्पकालिक अपेक्षित अस्थिरता को मापता है) में कमी से परिलक्षित होता है, जो सितंबर 2022 के अंत में 20 से घटकर मार्च 2023 के अंत में 12.9 तक पहुंच गया। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में, भारतीय इक्विटी बाजार वर्ष के दौरान लचीला रहा। ईएमई में एफपीआई प्रवाह दूसरी छमाही में वापस आया, और अक्टूबर–नवंबर 2022 में विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी बाजार में शुद्ध खरीदार थे। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक सख्ती की उम्मीद और एक बड़े भारतीय कारोबारी समूह के शेयरों में बिकवाली की उम्मीद के कारण वे दिसंबर–फरवरी में शुद्ध विक्रेता बन गए। विदेशी निवेशक मार्च 2023 में फिर से शुद्ध खरीदार बन गए।

दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार थे। व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से खुदरा भागीदारी में स्थिरता रही, और इसने बाजार के लचीलेपन में योगदान दिया। दूसरी छमाही में एफपीआई और डीआईआई क्रमशः 25,027 करोड़ रुपये और 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ शुद्ध खरीदार थे। हालांकि, दूसरी छमाही में घरेलू प्राथमिक बाजार में गतिविधियां सुस्त रहीं क्योंकि जारीकर्ताओं ने बाजार की अस्थिर स्थितियों के कारण आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पर पुनर्विचार किया।[10]

[10]वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आरबीआई एमपीसी रिपोर्ट

चार्ट 1.4 इक्विटी सूचकांक गतिविधि

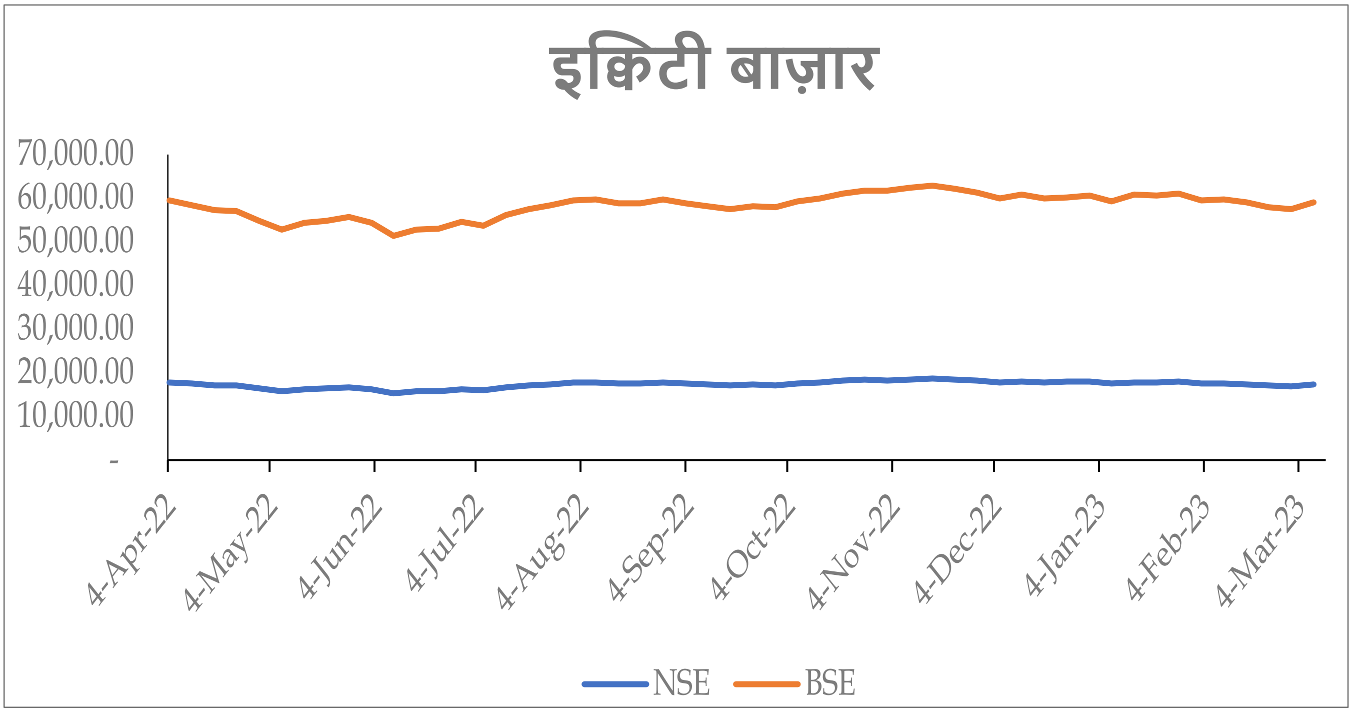

डेटा स्रोतः कोजेन्सिस

1.4 अर्थव्यवस्था– जुलाई अद्यतन

आरबीआई के जुलाई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमोत्तर भारत में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आई। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वभर में जून में रिकार्ड स्तर पर गर्मी पड़ी और सतही हवा का तापमान पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गया था। जलवायु वैज्ञानिकों ने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और प्रशांत महासागर में शक्तिशाली अल नीनो पैटर्न को इसका कारण माना है। ऐसा माना जा रहा है कि अल नीनो 2024 तक बना रहेगा, जिससे अभूतपूर्व गर्मी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने की प्रतिज्ञा शायद तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य से चूक गई है।

इस गर्म लहर के बीच वैश्विक विकास की गति, खासकर विनिर्माण और निवेश, रुकने के संकेत दिख रहे हैं । औद्योगिक और व्यापार नीतियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला री–इंजीनियरिंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है। श्रम बाजार में सुधार के संकेतों के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी जा रही है, जबकि यूरोपीय विनिर्माण अर्थव्यवस्थाएं संकुचन का अनुभव कर रही हैं। चीन के खुलने से भी अपेक्षित वैश्विक विकास की ओर बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन लैटिन अमेरिका और एशिया में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं ठोस रूप से आगे बढ़ रही हैं। वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर स्थिर हो रही है, लेकिन सेवा कीमतों में आई मजबूती के कारण मुख्य मुद्रास्फीति दृढ़ बनी हुई है। केंद्रीय बैंक श्रम बाजार में मुद्रास्फीति के संकटों के प्रति सतर्क हैं तथा ब्याज दरें और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वित्तीय सख्ती और घरेलू एवं सरकारी ऋण के उच्च स्तर के कारण संभावित गहरी मंदी या प्रणालीगत वित्तीय संकट के बारे में चिंताएं की जा रही हैं।

विश्व बैंक ने 2023 के लिए अपने वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 2.1 प्रतिशत कर दिया, जबकि भारत का वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। ओईसीडी ने 2023 के लिए अपना वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान बढ़ाकर 2.7 प्रतिशत कर दिया और वित्त वर्ष

2023–24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया है। हालाँकि, आरबीआई ने इसी अवधि के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। डीईए की वार्षिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत का अनंतिम जीडीपी अनुमान आम सहमति के अनुमान से अधिक है तथा अंतिम तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के कारण विकास दर 7.2 प्रतिशत हो गई है, जो फरवरी में 7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। विकास की यह गति वर्तमान वर्ष में भी जारी है। विभिन्न पूर्वानुमान एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2014 के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित किया है। भारत की आर्थिक सफलता का मुख्य चालक इसकी घरेलू मांग की ताकत रही है, जो वित्त वर्ष 2011 में महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद से काफी बढ़ गई है। रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई, जिससे समावेशिता में बढ़ोतरी हुई और घरेलू मांग में मजबूती आई।

वित्त वर्ष 2013 में मुद्रास्फीति ने एक बड़ी चुनौती पेश की, लेकिन भारत अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसे कुछ हद तक कम करने में कामयाब रहा। रेपो दर में वृद्धि के प्रबंधन और राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों ने घरेलू मांग को नकारे बिना मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की। इसके अतिरिक्त, वैश्विक वस्तु मूल्यों में गिरावट से आयात लागत कम हो गई, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिला।

जून 2023 तक, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर 74.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई, विश्व और भारत के लिए एमएससीआई सूचकांक में क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन उभरते बाजारों के लिए एमएससीआई सूचकांक में मामूली गिरावट देखी गई। जून 2023 में 1–वर्षीय, 5– वर्षीय और 10–वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल क्रमशः 6.9 प्रतिशत, 7.0 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

भारत में, मानसून आरंभ होने से विकास और हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रभावित होती है । साथ ही, कृषि क्षेत्र में विकास से देश एक प्रमुख खाद्य निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। विनिर्माण और सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन ऊंचे मूल्य दबाव के कारण उपभोग व्यय सीमित है। सकारात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो प्रवाह के साथ, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीले बने रहने की उम्मीद की जा रही है। हालाँकि, भारत अन्य ईएमई और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एई की तुलना में कुछ हद तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को पार करने में कामयाब रहा। संभवतः आपूर्ति में अधिक सहजता के कारण, देश की औसत मुद्रास्फीति कम थी । आरबीआई को अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह नीतिगत दरें उतनी नहीं बढ़ानी पड़ीं।

सरकार ने राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों के साथ–साथ भारत की रेपो दरों में वृद्धि ने घरेलू मांग को दबाए बिना मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की। वित्त वर्ष 2013 में ऋण वृद्धि बढ़ी, जिससे बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2013 की पहली तिमाही तक बाहरी मांग ने अर्थव्यवस्था को पोषित किया तथा सेवाओं के निर्यात में वृद्धि जारी रही। वैश्विक वस्तु कीमतों में गिरावट से आयात लागत कम हुई, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिला। केंद्र सरकार के अनुशासित राजकोषीय रुख ने भी आर्थिक विकास में योगदान दिया।

वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के लिए महामारी–पूर्व स्तरों को पार कर गई। उसी तिमाही में जीवीए वृद्धि 6.5 प्रतिशत थी, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ और 4.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

पीएमआई ने विनिर्माण गतिविधि के लिए विस्तारवादी संवेग को प्रदर्शित किया, जबकि सेवाओं के लिए पीएमआई में थोड़ी कमी देखी गई लेकिन फिर भी विस्तार परिलक्षित हुआ। समग्र पीएमआई अपरिवर्तित रहा। अप्रैल 2023 में आईआईपी की वृद्धि दर बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई और आठ प्रमुख उद्योगों (आईआईपी कोर) के संयुक्त सूचकांक में वृद्धि उसी महीने 3.5 प्रतिशत पर स्थिर रही।

जून 2023 में अपनी बैठक में, एमपीसी ने लगातार दूसरे महीने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भारत की वास्तविक

जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा और इसी अवधि के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मई 2023 के लिए सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, और मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 5.0 प्रतिशत हो गई। उसी महीने में डब्लूपीआई मुद्रास्फीति घटकर (–) 3.5 प्रतिशत हो गई।

बाहरी क्षेत्र का प्रदर्शन मिश्रित रहा, मौद्रिक सख्ती के कारण व्यापारिक निर्यात प्रभावित हुआ, जबकि आईटी और पेशेवर सेवाओं सहित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि जारी रही। चालू खाते का घाटा कम हो गया और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया, फलस्वरूप मुद्रा को स्थिरता मिली।

केंद्र सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय रुख के प्रयास ने राजकोषीय घाटे को कम करने और पूंजीगत व्यय पर समझौता किए बिना कल्याणकारी खर्च को बढ़ाने में योगदान दिया। अर्थव्यवस्था ने चालू वित्तीय वर्ष में अपनी गति बरकरार रखी, उच्च आवृत्ति संकेतक अर्थव्यवस्था की स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं। हालाँकि, भू–राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता और कमजोर वैश्विक मांग जैसे संभावित कारक वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं।

अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत के व्यापक आर्थिक प्रबंधन ने अन्य देशों की तुलना में स्थिरता को बढ़ाया है और तेजी से सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। आपूर्ति पक्ष के बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्रगति में निवेश की वजह से भारत सतत आर्थिक विकास की स्थिति में रहता है। फिर भी, निरंतर प्रगति के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

1.5 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा

वैश्विक स्तर पर, वित्त पोषित और निजी पेंशन योजनाओं ने भविष्य के पेंशन लाभों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति एकत्र की है। 2021 के अंत में, ओईसीडी में पेंशन आस्तियां 58.9 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गईं, और जब इसमें गैर–ओईसीडी रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों को शामिल किया गया, तो वह कुल बढ़कर 60.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गई। यह वर्ष 2020 के अंत की तुलना में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है जबकि ओईसीडी में पेंशन आस्तियां 54.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर और व्यापक ओईसीडी क्षेत्र में 56.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर थीं।

इनमें से अधिकांश आस्तियों में पेंशन निधियों की हिस्सेदारी थी, जो ओईसीडी में 37.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर या संपत्ति का 64 प्रतिशत और ओईसीडी में 38.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर थी । यह स्थिति 2021 के अंत तक बनी हुई थी। विभिन्न देश सेवानिवृत्ति बचत के लिए विभिन्न वाहकों को नियोजित करते हैं, जिसमें नियोक्ताओं की बहियों, पेंशन बीमा अनुबंधों या बैंकों और निवेश कंपनियों द्वारा पेश किए गए उत्पादों के प्रावधान शामिल हैं।[11]

[11]स्रोतः– पेंशन मार्केट्स इन फोकस, 2022

चार्ट 1.5 वर्ष 2001, 2011 और 2021 (या निकटतम उपलब्ध वर्ष) में वित्त पोषित और निजी पेंशन योजनाओं में कुल संपत्ति

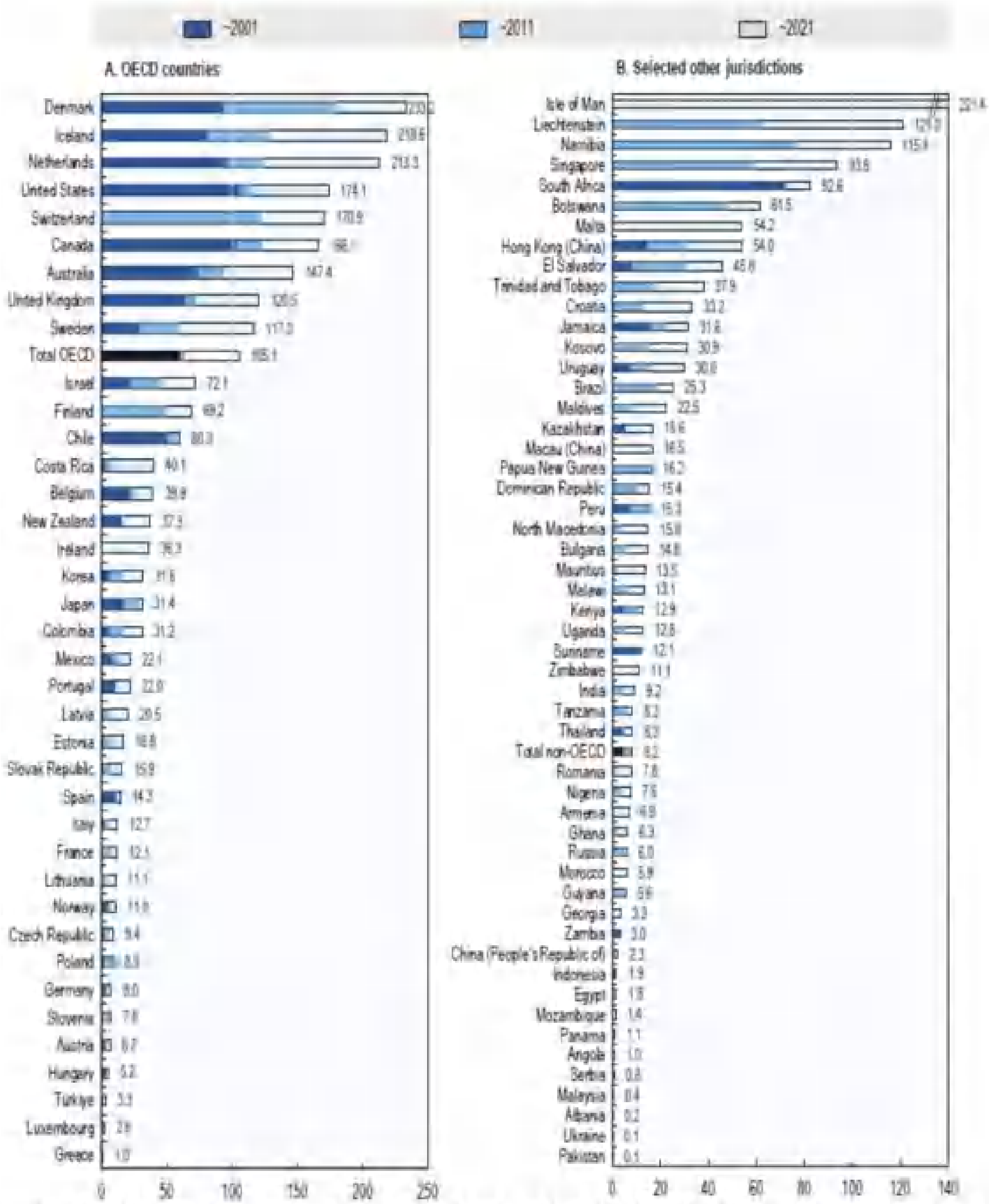

1.5.1 ओईसीडी में पेंशन निधि आस्तियां

पिछले दो दशकों में, पेंशन आस्तियों ने जीडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जो दुनिया भर में सेवानिवृत्ति बचत के बढ़ते हुए महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2001 के अंत में, कुल ओईसीडी पेंशन आस्तियों का कुल ओईसीडी जीडीपी में अनुपात 59 प्रतिशत से बढ़कर 2011 के अंत में 64 प्रतिशत और 2021 के अंत में 105 प्रतिशत हो गया। वास्तव में, ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन आस्तियों का मूल्य 2021 के अंत तक सभी ओईसीडी देशों के संयुक्त जीडीपी से आगे निकल गया। नौ ओईसीडी देशों में 2021 के अंत में उनके सकल घरेलू उत्पाद से अधिक पेंशन आस्तियां थीं, जबकि 2011 में छह और 2001 में दो थीं। डेनमार्क वर्तमान में जीडीपी (2021 के अंत में 233 प्रतिशत) के सापेक्ष पेंशन आस्तियों के मामले में शीर्ष स्थान रखता है, इसके बाद आइसलैंड (219 प्रतिशत) और नीदरलैंड (213 प्रतिशत) है। इसके अलावा, लीश्टेनस्टाईन (121 प्रतिशत) और नामीबिया (116 प्रतिशत) जैसे गैर–ओईसीडी न्यायक्षेत्रों ने भी पेंशन आस्तियों में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है, जो उनके संबंधित जीडीपी को पार कर गया है।[12]

चार्ट 1.6 : 2019, 2020 और 2021 में वित्त पोषित और निजी पेंशन योजनाओं के रिटर्न की नाममात्र और वास्तविक निवेश दरें

A. Selected OECD countries

	Nominal			Real		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Australia	7.6	0.3	15.1	5.9	0.6	10.8
Austria	11.0	2.5	7.4	9.2	1.4	3.0
Belgium	14.3	4.1	7.7	13.4	3.7	1.9
Canada	9.1	6.3	10.1	6.7	5.6	5.0
Chile	15.2	5.7	3.7	11.9	2.7	[illegible]
Colombia	15.2	9.0	9.2	11.0	7.2	3.4
Costa Rica	13.5	9.1	16.0	11.8	8.1	12.3
Czech Republic	1.7	1.1	0.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Denmark	10.9	9.2	6.3	10.1	8.7	3.1
Estonia	8.4	4.0	11.9	6.6	4.6	[illegible]
Finland	11.5	4.7	14.7	10.5	4.5	10.5
Germany	4.7	2.9	4.1	3.1	3.2	[illegible]
Greece	10.3	2.1	5.5	9.5	4.5	0.7
Hungary	9.4	3.9	2.4	5.2	1.1	[illegible]
Iceland	13.9	12.6	15.0	11.6	8.7	9.4
Ireland	20.0	5.0	17.9	18.5	6.0	11.7
Israel	11.4	5.0	14.7	10.8	5.8	11.6
Italy	6.0	2.8	4.3	5.5	3.0	0.4
Japan	1.6	[illegible]	12.3	1.1	[illegible]	12.7
Korea		3.0	3.0		2.4	[illegible]
Latvia	9.8	2.3	7.7	7.4	2.8	[illegible]
Lithuania	10.0	5.4	18.1	7.1	5.2	6.8
Luxembourg	7.7	2.8	6.2	6.0	2.3	2.0
Mexico	13.3	12.7	7.1	10.2	9.3	[illegible]
Netherlands	15.9	7.7	7.9	12.8	6.6	2.1
Norway	9.6	7.5	8.1	8.1	6.0	2.7
Poland	0.9	[illegible]	25.5	[illegible]	[illegible]	15.5
Portugal	7.9	3.5	4.3	7.4	4.1	1.5
Slovak Republic	6.4	2.7	6.3	3.3	1.1	0.4
Slovenia	5.8	2.1	3.7	3.9	3.2	[illegible]
Spain	8.5	1.3	7.9	7.7	1.6	1.2
Sweden	11.3	5.5		9.4	5.4	
Switzerland	10.2	4.2	7.8	10.0	5.1	6.2
Türkiye	20.2	19.6	22.9	7.4	1.3	[illegible]
United States	12.3	9.3	10.3	9.8	7.6	3.0

B. Selected other jurisdictions

	Nominal			Real		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Albania	3.9	3.5	3.4	2.6	2.4	[illegible]
Angola	5.5	6.0	5.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Armenia	13.3	11.2	2.8	12.5	7.3	[illegible]
Botswana	6.0	0.8		5.7	[illegible]	
Bulgaria	6.7	2.5	5.1	2.8	2.3	[illegible]
Croatia	6.4	0.9	6.4	7.0	1.6	0.9
Dominican Republic	10.2	9.6	17.5	6.3	4.0	8.3
Egypt	13.3	14.3	12.0	5.8	8.4	5.8
El Salvador	6.2	4.2	5.5	6.2	4.3	[illegible]
Georgia	7.3	10.3	10.2	0.3	7.7	[illegible]
Ghana			1.6			[illegible]
Guyana	1.8	0.9	0.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hong Kong (China)	12.2	11.7	[illegible]	9.1	12.7	[illegible]
India	7.6	13.4	7.1	0.3	9.4	1.4
Indonesia	8.2	8.7	5.8	5.3	7.0	4.0
Kazakhstan	6.3	10.3	10.3	0.9	2.7	1.7
Kenya		6.2	8.8		0.6	2.9
Kosovo	6.4	3.3	10.1	7.1	3.2	3.2
Liechtenstein	10.0	3.2	6.8	9.8	4.0	5.2
Macau (China)	6.1	6.0	0.5	3.4	6.9	[illegible]
Malawi	13.0	13.1	19.0	1.3	5.1	
Maldives	5.1	5.1	5.0	3.7	6.5	5.0
Malta		3.0	8.5		2.8	5.8
Morocco			5.0			1.7
Mozambique	16.8			12.9		
Namibia		6.6	16.9		4.3	11.9
Nigeria	11.4	18.3	6.2	[illegible]	2.2	[illegible]
North Macedonia	10.6	3.8	5.6	10.1	1.6	4.6
Pakistan	10.3	10.5	5.0	[illegible]	2.4	[illegible]
Panama	6.4	5.3	3.4	5.5	7.0	0.7
Peru	12.1	8.6	4.5	10.1	6.5	[illegible]
Romania	11.4	7.0	9.2	7.1	4.9	[illegible]
Russia	8.1	5.1		4.9	0.2	
Serbia	6.1	2.1	2.4	4.1	0.8	[illegible]
Singapore	3.9	3.9	3.9	3.1	3.9	[illegible]
South Africa	5.2	0.1		1.2	[illegible]	
Suriname	11.2	18.5	20.6	6.7	[illegible]	[illegible]
Thailand	3.1	[illegible]	4.2	2.2	[illegible]	2.0
Trinidad and Tobago	6.5	3.3		5.1	2.5	
Uganda	8.9	13.0	14.3	5.2	9.1	11.1
Ukraine	12.6	9.3		6.2	4.1	
Uruguay	12.9	10.0	12.1	3.8	0.5	3.8
Zambia	10.0	13.4	16.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Zimbabwe			29.8			[illegible]

स्रोत:– पेंशन मार्केट्स इन फोकस, 2022

नीले रंग में चिह्नित सभी आंकड़े नकारात्मक रिटर्न हैं।

[12] स्रोत:– पेंशन मार्केट्स इन फोकस,, 2022

पिछले दो दशकों में, (जैसे कि महामारी की शुरुआत में 2020 की पहली तिमाही में) पेंशन योजनाओं ने 2021 में बढ़ती मुद्रास्फीति और वित्तीय बाजारों में झटके के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में वास्तविक रूप से शुद्ध निवेश लाभ प्राप्त किया। पेंशन योजनाओं का वार्षिक निवेश प्रदर्शन वास्तविक रूप से औसतन सकारात्मक रहा।

2021 में, प्रमुख शेयर बाजारों ने वर्ष की शुरुआत की तुलना में उच्च समापन स्तर के साथ लाभ का अनुभव किया। निक्केई 225 में 6 प्रतिशत, एफटीएसई 100 में 14 प्रतिशत, डीएएक्स में 16 प्रतिशत और एस एंड पी 500 में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्र ने एस एंड पी 500 में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, 2021 के अंत तक पेंशन योजनाओं के लिए कुछ बॉन्ड होल्डिंग्स के मूल्य में गिरावट आई है, क्योंकि कुछ बॉन्ड सूचकांकों ने वर्ष के दौरान कमी दिखाई है।

पेंशन योजनाओं ने अधिकांश रिपोर्टिंग क्षेत्रों में नाममात्र के संदर्भ में निवेश लाभ हासिल किया। ये लाभ 28 क्षेत्रों में बढ़ती मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए अपर्याप्त थे। दिसंबर 2021 तक ओईसीडी क्षेत्र में मुद्रास्फीति 30 साल के उच्च स्तर 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। सूरीनाम, जिम्बाब्वे, अंगोला और घाना जैसे कुछ देशों ने उच्च मुद्रास्फीति दरों के साथ वापसी की नकारात्मक वास्तविक शुद्ध निवेश दरों का अनुभव किया। ओईसीडी क्षेत्र में वापसी की सबसे कम वास्तविक निवेश दर तुर्की की(–9.7 प्रतिशत) थी, साथ ही यहाँ 36.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर भी थी।

फिर भी, पेंशन योजनाओं के दीर्घकालिक निवेश प्रदर्शन पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के लिए बचत एक दीर्घकालिक प्रेरणा है। वित्तीय बाजारों में झटके के बावजूद, पेंशन योजनाओं ने पिछले दो दशकों में अधिकांश क्षेत्रों में वास्तविक रूप से शुद्ध निवेश लाभ हासिल किया है। औसतन, पेंशन योजनाओं का वार्षिक निवेश प्रदर्शन पिछले 10 वर्षों में 44 रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में से 41 में और पिछले 20 वर्षों में 18 रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में से 16 में वास्तविक रूप से सकारात्मक रहा।

1.5.2 निवेश रुझान

पेंशन आस्तियों को सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बॉन्ड और इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। 2021 में देशों में इक्विटी और बॉन्ड का सापेक्ष महत्व काफी भिन्न था। हालांकि आम तौर पर बॉन्ड के लिए अधिक प्राथमिकता थी, लेकिन 14 ओईसीडी देशों और 13 अन्य क्षेत्रों में सचाई इसके उलट थी। वहां इक्विटी, बॉन्ड से आगे निकल गई थी। कॉर्पोरेट बॉन्ड के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड, कई क्षेत्रों में संयुक्त प्रत्यक्ष बॉन्ड होल्डिंग्स के (यानी, सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से निवेश को छोड़कर) एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।[13]

कुछ देशों में सरकारी बॉन्ड में निवेश के उच्च अनुपात के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक घरेलू स्तर पर अन्य निवेश अवसरों की कमी होना भी है। एक अन्य कारण के तौर पर निश्चित और गारंटीकृत आय स्ट्रीम की जरूरत भी हो सकती है। सरकारी बॉन्ड को दूसरों की तुलना में सुरक्षित संपत्ति के रूप में माना जा सकता है, फलस्वरूप इसमें कम अनिश्चितता होती है। कुछ देशों में निवेश नियमों में पेंशन प्रदाताओं को कुछ उपकरणों में अपनी संपत्ति का एक निश्चित अनुपात निवेश करने की आवश्यकता होती है। कुछ न्यायक्षेत्रों में पेंशन आस्तियों में नकदी और जमा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऋण, अचल संपत्ति (भूमि और भवन), अनावंटित बीमा अनुबंध, निजी निवेश निधि और अन्य वैकल्पिक निवेशों (अन्य के रूप में दिखाया गया) में निवेश की गई पेंशन आस्तियों का अनुपात अधिकार क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न होता है। कई क्षेत्र, रियल एस्टेट जैसे कम पारंपरिक आस्ति वर्गों में पेंशन आस्तियों के निवेश पर सीमाएं निर्धारित करते हैं।

[13] स्रोतः– पेंशन मार्केट्स इन फोकस, 2022

चार्ट 1. 7 चयनित आस्ति वर्गों और निवेश वाहकों में वित्त पोषित और निजी पेंशन योजनाओं में आस्तियों का आवंटन, 2021 या नवीनतम वर्ष उपलब्ध

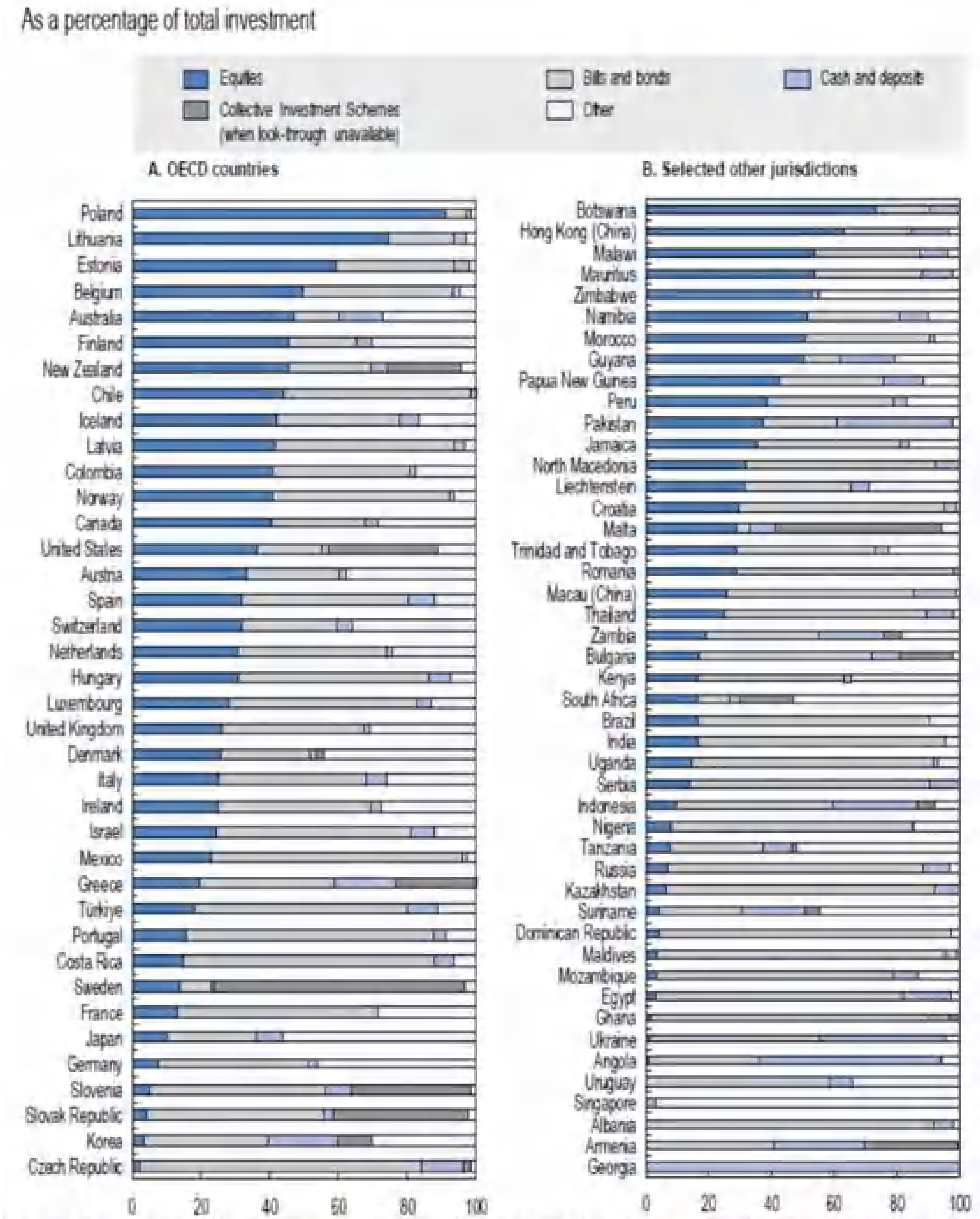

वर्ष 2021 के अंत में, रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों के बीच पेंशन आस्तियों के आवंटन में थोड़ा बदलाव देखा गया था। इक्विटी में निवेश की गई पेंशन आस्तियों के अनुपात में 2 प्रतिशत अंकों की मामूली वृद्धि हुई, जबकि बॉन्ड के लिए आवंटित अनुपात में इसी हद तक कमी आई। यह बदलाव पोर्टफोलियो में इक्विटी के बढ़ते मूल्य या शेयर बाजारों में सुधार का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक पुनर्आवंटन से प्रेरित हो सकता है।

पिछले 10 और 20 वर्षों में, बॉन्ड में निवेश को कम करने की अधिक ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति रही है। औसतन, रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों के बीच, बॉन्ड में निवेश का अनुपात पिछले दशक में 8 प्रतिशत अंक और पिछले दो दशकों में 17 प्रतिशत अंक तक घट गया। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉन्ड निवेश में कमी की हमेशा इक्विटी निवेश में समान वृद्धि से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, पेंशन निधियों ने 2011 और 2021 के बीच अपने बॉन्ड निवेश को 10 प्रतिशत अंक कम कर दिया, जबकि इक्विटी को केवल 6 प्रतिशत अंक आवंटित किए। कुछ पुनर्स्थापित निधियों को अन्य प्रकार के निवेशों की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा

बढ़ती और अस्थिर पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन विचार–विमर्श के बाद, सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में स्थानांतरित करने के लिए जागरूकता से भरा कदम उठाया। नई पेंशन योजना, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है, को सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003–ईसीबी और पीआर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, और इसे केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य कर दिया गया था जो 1 जनवरी, 2004 से सेवा में शामिल हुए थे।

एनपीएस, जिसे शुरू में केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए पेश किया गया था, अब सभी राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर) और अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक रूप से निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए भी विस्तारित किया गया है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अपने अंशदान को 1 अप्रैल, 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, ''मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल वेतन प्लस डीए का 10 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन प्लस डीए का 14 प्रतिशत होगा। एनपीएस अंशदान की गैर/विलंबित जमा के मुआवजे के साथ–साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा पेंशन निधि के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता और निवेश के पैटर्न को भी अधिसूचित किया गया है।

1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली के परिदृश्य में सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर–अंशदायी सामाजिक पेंशन योजनाएं शामिल हैं जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), 2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) जैसे पे–एज–यू–गो आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना। अन्य सांविधिक भविष्य निधि जैसे कोयला खान, सीमेन और असम चाय बागान योजनाएं।

1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अनिवार्य आधार पर, उन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए जो स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस में शामिल हुए हैं, स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारियों और स्व–नियोजित दोनों को कवर करते हैं, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, सार्वजनिक भविष्य निधि, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों द्वारा पेश की जाने वाली सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता योजनाएं शामिल हैं।

परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का राजकोषीय तनाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत का प्रमुख कारक

था। ईपीएफ (विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए) जैसी अनिवार्य योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र तक कवरेज का विस्तार करने की वित्तीय और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, भारत में पेंशन प्रावधान के कवरेज का विस्तार करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में देखा जाता है। पेंशन प्रणाली के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उच्च कवरेज को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय एनपीएस का विस्तार है। यह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, कम लागत और कुशल प्रणाली से युक्त है।

असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार ने सितंबर 2010 में सह–अंशदान योजना – एनपीएस लाइट /स्वावलंबन योजना शुरू की थी (एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना के तहत नया नामांकन 01/04/2015 से बंद कर दिया गया है)। इसके बाद, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था, और यह योजना असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 1 जून, 2015 से लागू की जा रही है। एपीवाई के तहत अभिदाताओं को उनके द्वारा चुने गए अंशदान स्तर के आधार पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की सरकारी गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधन के तहत अभिदाताओं और आस्तियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या

(31 मार्च, 2023 तक)

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2023 तक	वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्ष प्रति वर्ष)	शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	22.84	23.97	4.95	3.79
राज्य सरकार	55.77	60.96	9.31	9.64
कॉर्पोरेट	14.05	16.82	19.72	2.66
सर्व नागरिक	22.92	29.57	29.02	4.67
एनपीएस लाइट'	41.87	41.76	-	6.60
एपीवाई	362.77	459.47	26.66	72.64
महायोग	**520.21**	**632.55**	**21.60**	**100.00**

स्रोत :– एनपीएस न्यास

*दिनांक 01/04/2015 से नए पंजीकरण रोक दिए गए हैं

31 मार्च, 2023 तक, एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल 632.55 लाख अभिदाता नामांकित किए गए हैं और 21.60 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। एपीवाई, जो एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, उसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 459.47 लाख अभिदाता थे और उनकी संख्या में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि 26.66 प्रतिशत थी।

मार्च 2023 के अंत तक, 418 बैंक एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

तालिका 1.2: एनपीएस/एपीवाई के अंतर्गत प्रबंधन के तहत आस्तियां

(31 मार्च, 2023 तक)

क्षेत्र	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2022 तक)	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 तक)	एयूएम वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्ष प्रति वर्ष)	एयूएम शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,18,577	2,57,638	17.87	28.68
राज्य सरकार	3,69,427	4,49,186	21.59	50.00
कॉर्पोरेट	90,634	1,17,281	29.40	13.06
सर्व नागरिक	32,346	42,623	31.77	4.74
एनपीएस लाइट*	4,687	4,915	4.86	0.55
एपीवाई	20,923	26,700	27.61	2.97
महायोग	**7,36,594**	**8,98,343**	**21.96**	**100.00**

स्रोत :– एनपीएस न्यास

*01/04/2015 से नए पंजीकरण रोक दिए गए हैं

31 मार्च, 2023 को एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल एयूएम 8,98,343 करोड़ रुपये था और इसमें 21.96 प्रतिशत की साल–दर–साल वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 1.3: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/ अटल पेंशन योजना की प्रदर्शन हाईलाईट

(संख्या में)

मानक	वित्त वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर	वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति पर	वृद्धि (प्रतिशत में)
सरकारी अभिदाता	78,60,657	84,93,114	8.05
सभी नागरिक कॉर्पोरेट अभिदाता	36,96,583	46,39,314	25.50
एपीवाई अभिदाता	3,62,76,704	4,59,47,302	26.67
पीओपी–एसपी की संख्या*	2,49,756	2,13,271*	-
एपीवाई–एसपी की संख्या	410	418	1.95
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय की संख्या	651	663	1.84
राज्य स्वायत्त निकाय की संख्या	1,578	1,705	8.05
कॉर्पोरेट की संख्या	10,370	12,795	23.38
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (वित्तीय वर्ष वार)	40,826	41,019	0.47

आंकड़ों को एनएसडीएल, के–फिनटेक सीआरए और सीएएमएस सीआरए के पीओपी–एसपी की राज्यवार सबसे अधिक संख्या माना जाता है।
*ये सक्रिय पीओपी–एसपी की संख्या हैं
अन्य प्रदर्शित किए गए आंकड़े सीआरए के साथ पंजीकृत हैं।

- पिछले वर्ष के दौरान एपीवाई के लिए सेवा प्रदाताओं की संख्या 418 थी।
- एनपीएस को अपनाने वाले राज्य स्वायत्त निकाय के साथ–साथ केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। इस वर्ष एनपीएस के अंतर्गत 12 नए केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और 127 राज्य स्वायत्त निकाय लाए गए हैं, जिससे केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की कुल संख्या क्रमशः 663 और 1705 हो गई है ।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस प्रदान करता है। सीआरए रिपोर्टों के अनुसार, मार्च 2023 के अंत में, एनपीएस के तहत कुल 12,795 कॉर्पोरेट पंजीकृत हैं, जबकि मार्च 2022 के अंत में 10,370 कॉर्पोरेट पंजीकृत थे । अतः इसमें 23.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एपीवाई के लिए कर लाभ और गारंटी के रूप में इन योजनाओं को मिल रही सरकारी सहायता से इन योजनाओं की अपील बढ़ जाती है। हालांकि, देश में कवर की गई विशाल आबादी को देखते हुए, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस का विस्तार करने में जो प्रमुख चुनौती है वह संभावित अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके अलावा, एनपीएस जागरूकता का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी को नियुक्त करके बड़े स्तर अनेक संवर्धनात्मक और विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं।

संभावित अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एनपीएस तक पहुंच में आसानी के लिए, पीएफआरडीए द्वारा मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह ई–एनपीएस, मोबाइल ऐप या ई–केवाईसी जैसी तकनीकियाँ हो। ये चैनल दक्षता बढ़ा रहे हैं। ई–एनपीएस के माध्यम से, एक व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण और अंशदान कर सकता है। मौजूदा अभिदाताओं के लिए एनपीएस के तहत एक ऑनलाइन अंशदान सुविधा भी उपलब्ध है। ई–एनपीएस, एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टियर 1 के साथ–साथ टियर 2 / टैक्स सेवर खाते में प्रारंभिक और बाद में अंशदान ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा अभिदाताओं को प्रमाणीकरण के बाद अपने पेंशन निधि, आस्ति वर्ग, आवंटन अनुपात और योजना विकल्पों को बदलने में भी सक्षम बनाती है। एनपीएस अभिदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके टियर 2 / टियर 1 खातों से निकासी / आंशिक निकासी के लिए अनुरोध शुरू कर सकते हैं।

एनपीएस अभिदाताओं के ऑनबोर्डिंग के लिए हितधारकों को ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) की पेशकश की जाती है ताकि न्यूनतम दस्तावेज के साथ तत्काल प्रान सृजन किया जा सके। तथापि, ऐसे खातों को तब तक अनियमित माना जाता है जब तक कि पूर्ण प्रलेखन का सत्यापन नहीं हो जाता और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) के साथ उन्हें दर्ज नहीं कर लिया जाता। पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थों को एनपीएस से संबंधित ऑनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध के लिए वीडियो–आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।

एनपीएस अभिदाताओं को संबद्ध नोडल कार्यालयों, पीओपी, ई–एनपीएस या एनपीएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के लिए विभिन्न सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। अंशदान का एक अतिरिक्त विकल्प/तरीके के तौर पर प्रत्यक्ष विप्रेषण (डी–रेमिट) को भी शुरू किया गया है जिसमें सरकार/सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने प्रान से जुड़ी वर्चुअल आईडी बनाकर और निवेश पर उसी दिन एनएवी का प्रावधान करके अपने स्वैच्छिक अंशदान जमा कर सकते हैं । डी रेमिट के माध्यम से, न केवल एक बार का अंशदान किया जा सकता है, बल्कि आवधिक एनपीएस अंशदान को किसी भी परिभाषित राशि और अभिदाता बैंक खाते से किसी भी परिभाषित तिथि के लिए स्वचालित किया जा सकता है। डी रेमिट के माध्यम से एनपीएस में अंशदान का विकल्प एनआरआई–एनपीएस अभिदाताओं के लिए भी आरम्भ किया गया है। वे अपने एनआरआ/एनआरई खातों में संचित धन से अपने एनपीएस खातों में अंशदान कर सकते हैं।

निकासी/प्रत्याहरण के समय एनपीएस की आय एनआरआई अंशदाताओं के एनआरओ/एनआरई खाते में जमा की जाएगी तथा उसका प्रत्यावर्तन लागू फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

1.8. वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की समीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, प्राधिकरण के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। इसमें पेंशन निधियों की योजनाओं और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन और विकास तथा उनसे जुड़े अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है ।

पीएफआरडीए, वृद्धावस्था आय सुरक्षा के प्रावधान और अभिदाता के हितों की सुरक्षा के समग्र उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एनपीएस (इसके सभी प्रकार) और अटल पेंशन योजना के प्रचार और विकास, विनियमन और एनपीएस के तहत सभी मध्यस्थों के पर्यवेक्षण में सक्रिय रूप से संलग्न है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, इन गतिविधियों में संलग्न होने के दौरान, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों / परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है :

- आवृति क्षेत्र का विस्तार
- सुरक्षा
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- स्थिरता

आवृति क्षेत्र का विस्तार

संपूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जहाँ, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में एनपीएस का विनियमन निहित है, वहीं आबादी के विभिन्न भागों को शामिल करने के लिए एनपीएस के विभिन्न घटकों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट, सर्व नागरिक, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना (भारत सरकार की योजना जो पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है) की शुरूआत की गई है। प्राधिकरण, प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुए, बैंक, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नोडल कार्यालयों आदि के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतोत्पादन हेतु प्रशिक्षण अभिकरण की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति सलाहकारों आदि की नियुक्ति, ई–एनपीएस आदि के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए कवरेज बढ़ाने में संलग्न है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने पेंशन आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत नियमों का एक व्यापक ढांचा तैयार किया है ताकि सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए संचित किए गए पेंशन निधियों के जोखिम को कम किया जा सके। इन विनियमों में आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि सहित सभी मध्यस्थों के चयन हेतु कठोर पात्रता मानक, विस्तृत कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फिट और उचित मानदंड, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और दंड संरचनाएं शामिल की गई हैं। इन विनियमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और इन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है। आईटी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसी क्रम में भविष्य में कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली को प्रभावी बनाना है। यह रिटर्न्स को अनुकूल बनाने के लिए समय–समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए किया जाता है।

दक्षता, श्रमिक और पूंजी बाजारों की दक्षता से भी संबंधित है, क्योंकि ये दोनों अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंशदान द्वारा पेंशन प्रणाली के लिए ही कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष अंशदान में अधिक कार्यरत जीवन तथा अंशदान, पूंजी की न्यून कीमतें या अधिक वित्तीय समावेशन, जबकि अप्रत्यक्ष अंशदान में नौकरी और निवेश भी शामिल हैं। पीएफआरडीए विशेष रूप से एपीवाई अभिदाताओं और सामान्य रूप से एनपीएस अभिदाताओं के लिए जागरूकता निर्माण द्वारा वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से संलग्न है।

पूंजी बाजारों के लिए दक्षता, गैर–बैंकिंग वित्तीय पूंजी से निधि उत्पादक निवेश पूंजी में विकास के द्वारा बाजारों की सघनता और व्यापक पूंजी बाजार सुधारों से संबंधित है। इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेक विनियामक संगठनों और समितियों के साथ पीएफआरडीए की भी भागीदारी रही है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों मे से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन संपत्ति उपलब्ध हो अर्थात् सेवानिवृत्ति लाभ हकदारी की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हो। जबकि एनपीएस, बिना किसी लाभ की गारंटी के एक परिभाषित अंशदान योजना है, फिर भी, अच्छे अभ्यास के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्याप्त सेवानिवृत्ति योजना के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है, जिसमें कर रियायतों आदि के लिए सरकार के साथ जुड़कर रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा और उनका योगदान बढ़ाना भी शामिल है।

स्थिरता

स्थिरता किसी भी अंशदायी पेंशन प्रणाली के मुख्य बिंदुओं में से एक है। एनपीएस के माध्यम से, देश में समाज के एक अलग वर्ग को पेंशन उत्पादों की पेशकश करने का प्रयास किया गया है, जो एक सुरक्षित वृद्धावस्था आय प्रदान करने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। एनपीएस एक संस्थागत ढांचे और उत्पाद डिजाइन के साथ एक परिभाषित अंशदान योजना है, और यह लंबे समय तक खुद को स्थिर बनाए रखने के लिए स्वयं को सशक्त बनाती है। सतत पेंशन प्रणाली के प्रयास को प्राप्त करने में निरंतर बचत की आदत और निवेश अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति बचत/पेंशन के जागरूकता स्तर को बढ़ाने और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

1.9. एनपीएस के तहत मध्यस्थ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक असमूहीकृत संरचना के तहत काम करती है, जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र में विशेष संस्थाओं को सौंपा गया है ।

1.9.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यस्थ और अन्य संस्थाएं

एनपीएस संरचना में उपस्थित अस्तित्व (पीओपी), सरकारी विभाग नोडल कार्यालय, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी /अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधि (पीएफ), एनपीएस न्यास, कस्टोडियन/अभिरक्षक, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर/वार्षिकी सेवा प्रदाता और रिटायरमेंट एडवाइजर्स/सेवानिवृत्ति सलाहकार शामिल हैं।

1.9.1.1 उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

एनपीएस में अभिदाताओं के पंजीकरण और सेवाओं के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि उपस्थिति अस्तित्व कहलाती हैं। पीओपी, अभिदाता और एनपीएस के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। पंजीकृत पीओपी में पीओपी–सेवा प्रदाता (पीओपी–एसपी) नामक शाखाएं जमा केन्द्रों के रूप में कार्य करने और अभिदाताओं को सेवाओं का विस्तार करने के लिए अधिकृत हैं। पीओपी के कार्यों में अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदान को संसाधित करना, व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन, निवेश योजना/निधि प्रबन्धक में परिवर्तन, अभिदाता को एक मॉडल से दूसरे मॉडल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, मुद्रित खाता विवरण जारी करना और सेवानिवृत्ति पर प्रत्याहरण/निकासी अनुरोध की प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

1.9.1.2 सरकारी नोडल कार्यालय

(i) केंद्र सरकार के नोडल कार्यालय

- **पीआरएओ, पीएओ, और डीडीओ**

केंद्र सरकार के अधीन प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), और आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के तहत अनुरूप कार्यालय मध्यस्थ हैं जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करते हैं।

(ii) राज्य सरकार के नोडल कार्यालय

- **डीटीए, डीटीओ और डीडीओ**

राज्य सरकारों के अधीन कोषागार एवं लेखा निदेशालय (डीटीए), जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ), और आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अनुरूप कार्यालय मध्यस्थ हैं जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संवाद करते हैं।

नोडल कार्यालय एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली के तहत पंजीकृत सरकारी एजेंसियों के चिह्नित किए गए कार्यालय हैं। इन कार्यालयों को एक विशिष्ट संख्या, यानी पीआरएओ पीआरएओ/पीएओ/डीडीओ पंजीकरण संख्या द्वारा

चिह्नित किया जाता है। यह सफल पंजीकरण पर सीआरए द्वारा उन्हें आवंटित किया जाता है। इन कार्यालयों की प्रमुख भूमिकाएं निम्नानुसार हैं :

- अभिदाता पंजीकरण के लिए प्रपत्रों का संधारण
- अभिदाताओं को प्रान किट का वितरण
- अभिदाता के अंशदान को समय पर अपलोड करना
- अभिदाताओं के अंशदान के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना
- आवश्यक कार्रवाई के लिए अभिदाताओं के अनुरोध को अग्रेषित करना
- अभिदाताओं की शिकायतों का समाधान करना
- अभिदाताओं के अनुमोदित निकासी अनुरोधों को अग्रेषित करना

1.9.1.3 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)

प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के–फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को एनपीएस के लिए सीआरए के तौर पर नामित किया गया है। उनके मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं

- अभिदाता रिकॉर्ड, प्रशासन और अभिदाता सेवा कार्यों को बनाए रखना ।
- प्रत्येक अभिदाता के लिए एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी करना, सभी प्रान के डेटाबेस को बनाए रखना और प्रत्येक प्रान से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करना।
- एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंशदान की निगरानी करना और पेंशन निधियों को इसके द्वारा प्रदत्त निर्देश और संचार शामिल हैं। समय–समय पर, वे प्रत्येक सदस्य को एक प्रान विवरणी भी भेजते हैं।
- एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना।
- निधि प्रबंधकों को समय पर निधि अन्तरण से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- वार्षिकी योजना के लिए अभिदाताओं के खाते और वार्षिकी सेवा प्रदाता को निकासी निधि भेजने के लिए न्यासी बैंक के साथ समन्वय।

1.9.1.4 न्यासी बैंक

न्यासी बैंक एनपीएस के तहत विभिन्न मध्यस्थों के बीच धन के प्रवाह को संभालता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड न्यासी बैंक के तौर पर नामित बैंक है। यह सीआरए से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों/पीओपी/एग्रीगेटर्स से निधियां प्राप्त करता है और उनका अभिदाता अंशदान फाइल के साथ मिलान करता है। न्यासी बैंक, एनपीएस न्यास के नाम पर धन को धारित करता है, तथा अभिदाता के पास उसका लाभकारी स्वामित्व होता है।

1.9.1.5 पेंशन निधि (पीएफ)

ये व्यावसायिक पेंशन निधि प्रबंधक हैं। इन्हें पेंशन कोष को प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेंशन निधि प्रबन्धक के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड शामिल हैं। उनके कार्य निम्नानुसार हैं :

- निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना ।
- सीआरए द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार योजनाओं में अंशदान का निवेश करना ।
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण करना ।
- बहीखातों और अभिलेखों का रखरखाव, प्राधिकरण को रिपोर्ट करना और प्रकटीकरण करना ।

1.9.1.6 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कॉर्पस (कोष) से खरीदी गई प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक (कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज) द्वारा धारित किया जाता है। यह प्रतिभूतियों की डिलीवरी करके और उन्हें स्वीकार करके उनके लेनदेन की सुविधा भी प्रदान करता है। पीएफआरडीए ने हाल ही में Deutsche Bank (ड्यूश बैंक)

को अपनी प्रतिभूतियों के नए अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

- एनपीएस कोष से खरीदी गई एनपीएस न्यास के नाम धारित प्रतिभूतियों का संरक्षण करना।
- धारित प्रतिभूतियों का विवरण रखना।
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि जैसे लाभ एकत्र करना।
- धारित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के उन कार्यों के बारे में सूचित करना जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

1.9.1.7 एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक न्यास है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की संपत्ति धारित करता है। इसके पास निधियों की देखभाल करने और अभिदाता के हितों की रक्षा करने की वैश्वासिक जिम्मेदारी है। एनपीएस न्यास, पेंशन निधियों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), न्यासी बैंक, कस्टोडियन और अन्य संस्थाओं जैसे अन्य मध्यस्थों के साथ सम्पर्क करता है।

1.9.1.8 वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी), आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं । ये पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध की गयी हैं । ये कम्पनियाँ एनपीएस अभिदाताओं को उनके द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी के समूह में से वार्षिकी प्रदान करती हैं। मार्च 2023 के अंत तक पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध एएसपी की संख्या 15 है।

1.9.1.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार का अर्थ है कि कोई भी एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, निकाय कॉर्पोरेट, या कोई पंजीकृत ट्रस्ट या सोसायटी है और जो पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं पर संभावितों/अभिदाताओं या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होना चाहता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियमों के तहत पंजीकृत है। व्यक्तिगत और उनसे भिन्न सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.9.2. खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं :

टियर –1 खाता : टियर –1 खाते के तहत, अभिदाता इस आंशिक रूप से निकाले जाने योग्य खाते में सेवानिवृत्ति/पेंशन के लिए अपनी बचत का अंशदान देता है। कुछ शर्तों के अधीन समय से पहले निकासी की अनुमति है।

टियर –2 खाता : यह एक स्वैच्छिक निवेश खाता है जहां अभिदाता जब चाहे इस खाते में बचत जमा करने और इससे निकालने के लिए स्वतंत्र है।

टियर 2 के तहत, टियर 2 टैक्स सेविंग स्कीम (टीटीएस) एक खाता है जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किए गए खाते का एक और संस्करण है ताकि उन्हें अतिरिक्त कर लाभ मिल सके । इसमें तीन साल की लॉक–इन अवधि होगी।

पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अलावा अटल पेंशन योजना का भी संचालन और विनियमन किया जाता है।

1.9.3. आउटरीच

सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति नियोजन के लिए बचत की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करने के पीएफआरडीए के अधिदेश को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है, जिसमें पीएफआरडीए द्वारा चयनित प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। ये प्रशिक्षण एजेंसियां केन्द्र और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ), आहरण एवं कार्यालयों (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्वों/बैंकों/डाकघरों/कॉरपोरेट्स को एनपीएस/एपीवाई की प्रमुख विशेषताओं, शामिल होने की प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, व्यापक वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के एक भाग के रूप में सभी क्षेत्रों में अभिदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं/शिविरों का आयोजन किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीएस/एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया गया था, और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने 41,019 प्रतिभागियों के लिए कुल 216 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इसके अलावा, 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं सीधे पीएफआरडीए द्वारा आयोजित की गई थीं।

भाग II
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विभिन्न निवेश श्रेणियों, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां तथा ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के परिशिष्ट II के अनुसार इक्विटी पर एक्सपोजर की सीमा पर चर्चा करता है।

2.1 पेंशन निधियां

पेंशन निधि से तात्पर्य है, एक मध्यस्थ इकाई, जिसे प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उपधारा (3) के तहत अंशदान प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति से अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां, जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं। पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड के उपयोग और निधि आवंटन के संबंध में निर्देशों द्वारा निधियों के आवंटन की पुष्टि करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षक को नियमित आधार पर भेजती हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और पेंशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं हैं :

a- पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के उद्देश्यों, अधिनियम के प्रावधानों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर किया जाएगा।

b- पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

c- पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सदैव उच्चतर सेवा मानकों, उपयुक्त सावधानी, विवेकशीलता, व्यावसायिक कौशल, तत्परता, शीघ्रता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। सभी पेंशन निधियाँ सट्टा–निवेश या लेनदेन करने से बचेंगी।

d- पेंशन निधि उच्च–शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि, उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्तियों, जिससे सेवाएं प्राप्त की गयी हैं, के कृताकृत्य के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसे कृताकृत्य का उत्तरदायित्व उसका होगा । यह उत्तरदायित्व तब तक रहेगा जब तक पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन का अधिक्रमण नहीं हो जाता है।

e- पेंशन निधि, अन्य मध्यस्थों और अन्य इकाइयों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी ।

f- पेंशन निधि, पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित खाता–बहियों, अभिलेखों, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रबंधित करेगी, ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके तथा लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

g- पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर माँगी गयी आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी।

h- पेंशन निधि, अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति और रीति से करेगी ।

i- पेंशन निधि, निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन, इसकी संरचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X में

निर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगी ।

j- पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितसंघर्ष से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी ।

k- पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथकता सुनिश्चित करेगी।

l- पेंशन निधि, अभिदाताओं तथा पेंशन निधियों से जुड़ी सूचना और सम्बन्धित कार्यकलापों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अन्य कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त इसके नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

m- पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगी ।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात, केंद्र सरकार (सी.जी.) और राज्य सरकारों (एस.जी.), जिनमें स्वायत्त निकाय शामिल हैं, और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए समग्र योजनाओं का प्रबंधन करने वाली पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची।

i- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

ii- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

iii- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

i- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ii- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

iv- आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

v- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

vi- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

vii- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

viii- टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

ix- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

x- एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के प्रबंधन के लिए तीन नए पेंशन निधियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान अपना परिचालन शुरू कर दिया है। टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और एक्सिस पेंशन फंड लिमिटेड ने क्रमशः दिनांक 22 अगस्त 2022, 12 सितंबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 को अपना परिचालन शुरू किया।

पीएफ द्वारा प्रबंधित एयूएम के निम्नलिखित स्लैब संरचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से निवेश प्रबंधन शुल्क को संशोधित किया गया है :

तालिका 2.1 – निवेश प्रबंधन शुल्क

स्लैब	% प्रति वर्ष
रु. 10,000 करोड़ तक	0.09
>10,000 करोड़ रुपये – 50,000 करोड़ रुपये	0.06
>50,000 करोड़ रुपये – 1,50,000 करोड़ रुपये	0.05
1,50,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक	0.03

*इस स्लैब के तहत यूटीआई आरएसएल 0.07% शुल्क लेगा।

2.2 योजनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं :

i- सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार – स्वायत्त निकायों सहित)

ii- एनपीएस लाइट/स्वावलंबन

iii- अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

iv- सर्व नागरिक क्षेत्र

v- कॉर्पोरेट क्षेत्र

उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए एनपीएस के तहत निवेश, प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित हैं और इक्विटी एक्सपोजर सभी योजनाओं/खंडों के लिए प्रारंभ से ही निर्दिष्ट है। एनपीएस के तहत निवेश के विकल्प एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार ६ राज्य सरकार, जिनमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय सहित सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.2 – सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित आस्तियां, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

सरकारी क्षेत्र के तहत, 03 सार्वजनिक पेंशन निधियां यानी एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में अंशदान को प्रबंधित और निवेशित करेंगी ।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2016–पीआर दिनांक 31 जनवरी, 2019 और प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 8 मई, 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं :

पेंशन निधि का विकल्प :

जैसा कि निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के मामले में है, उसी प्रकार सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र की पेंशन निधि सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन का विकल्प होगा । वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों के संयोजन का वर्तमान प्रावधान, मौजूदा की साथ–साथ नए, सरकारी अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा ।

निवेश प्रारूप का विकल्प : सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित निवेश विकल्प प्रदान किए जाएंगे :

i- मौजूदा योजना, जिसमें पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निधि प्रबंधकों के बीच धन आवंटित किया गया हो, को मौजूदा और नए अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप में जारी रखा जाएगा।

ii- सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम के साथ एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में धन का 100% निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा।

iii- उच्चतर रिटर्न चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित दो जीवन–चक्र आधारित योजनाओं के विकल्प दिए जाएंगे :

a- इक्विटी में अधिकतम 25% की निवेश सीमा के साथ कंजर्वेटिव जीवन चक्र निधि– एलसी–25

b- इक्विटी में अधिकतम 50% की निवेश सीमा के साथ मोडरेट जीवन चक्र निधि – एलसी 50

केंद्र सरकार के अभिदाता, एनपीएस के तहत एक वित्तीय वर्ष उपरोक्त निवेश प्रारूप को दो बार चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया पीएफआरडीए के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2019/12/आरईजी_पीएफ/1 दिनांक 08 मई, 2019 का संदर्भ लें।

कुछ राज्य सरकारों ने भी उपर्युक्त निवेश विकल्पों की शुरुआत की है।

2.2.2 एनपीएस–लाइट

यह अवगत कराया जाता है कि एनपीएस–लाइट के तहत नए नामांकन 01.04.2015 से बंद हो गए हैं । हालांकि, मौजूदा एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के लिए, पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस–लाइट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गई है –

तालिका 2. 3 – एनपीएस लाइट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

एनपीएस–लाइट के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 03 पेंशन निधियां अर्थात, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात (3 पेंशन निधियों में से) में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं। इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र की पेंशन निधि यानी, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान के प्रबंधन के लिए एग्रीगेटर के रूप में चुना गया है।

एनपीएस लाइट योजना के तहत अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवन्टन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है।

2.2.3 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत 1,000 रुपये या 2,000/– रुपये या 3,000/– रुपये या 4,000 या 5,000/– रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दी जाएगी जो अभिदाताओं के अंशदानों पर निर्भर होगी ।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है क्योंकि यह एक गारंटीकृत सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान ही आस्ति आवंटन रखा जाता है :

तालिका 2.4 – अटल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

अटल पेंशन योजना के तहत, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियां यानी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात (3 पेंशन निधियों में से) में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं।

2.2.4 सर्व नागरिक क्षेत्र

सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश प्रारूप यानी **"एक्टिव चॉइस" या "ऑटो चॉइस" का विकल्प चुन सकते हैं।**

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.5 – सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक आस्तियां	5 तक
अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पकालिक म्यूचुअल फंड, और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त, एक वित्तीय वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार तथा निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.5 कॉर्पोरेट क्षेत्र

कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए, जहां नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया गया है, निवेश विकल्प और चयन को लचीला बनाया गया है ।

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं :

कॉर्पोरेट केंद्र सरकार योजना: यह योजना समाप्त हो चुकी है और यह कॉर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है लेकिन वे कॉर्पोरेट जो पहले से ही इस योजना के तहत शामिल हैं और जिन्होंने इस योजना को नहीं बदला है, वे अभी भी इस योजना में बने हुए हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.6 – कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

इस कॉर्पोरेट केंद्र सरकार योजना के तहत, 2 पेंशन निधियां यानी एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड या एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किए गए ।

अन्य योजना : (वर्तमान में कॉर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध) :

इस योजना के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है या नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेंशन निधि और/या जीवन चक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित ये पहलू नियोक्ता–कर्मचारी प्रबन्धन का भाग बनते हैं। निवेश विकल्प के अनुसार, नियोक्ता या अभिदाता को एक पंजीकृत पेंशन निधि में से किसी एक को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों के बीच आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- **आस्ति वर्ग ई**– इक्विटी और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग सी** –कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग जी** – सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग ए** – सीएमबीएस, एमबीएस, रिट्स, एआईएफ, इन्विट्स आदि सहित वैकल्पिक निवेश निधियां

इस क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश प्रारूप यानी **"एक्टिव चॉइस"** या **"ऑटो चॉइस"** का विकल्प चुन सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.7 कॉर्पोरेट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक आस्तियां	5 तक
अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पकालिक म्यूचुअल फंड, और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त, अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.6 टियर II कर बचत योजना (टीटीएस)

यह योजना केवल केंद्र सरकार से संबंधित एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों द्वारा अंशदान उपयोजित करने की तिथि से 3 साल की लॉक–इन अवधि है। लॉक–इन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, अभिदाता की मृत्यु के मामले में, नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा कोष को प्रत्याहरित किया जा सकता है। एनपीएस से निकासी के समय टियर–1 खाता बंद होने की स्थिति में, एनपीएस–टीटीएस में अंशदान की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि लॉक–इन अवधि पूरी नहीं हो जाती।

टीटीएस के संबंध में पेंशन निधियों के लिए निम्नलिखित निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.8. टीटीएस में आस्ति वर्ग सीमाएं

आस्ति वर्ग	सीमाएं (प्रतिशत में)
इक्विटी	10 – 25
ऋण	90 तक
नकद/मुद्रा बाजार/लिक्विड म्यूचुअल फंड	20 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इस योजना के तहत अभिदाताओं के पास निवेश चुनाव का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हालांकि, टीटीएस अभिदाताओं को पृथक रूप से अधिकतम 3 पेंशन निधियां रखने का विकल्प है। हालांकि, पेंशन निधि में बदलाव की अनुमति लॉक–इन अवधि पूरी होने के बाद ही दी जाएगी।

2.2.7 पेंशन निधियों का विवरण

प्रबंधन के तहत आस्तियों का योजना वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

तालिका 2.9 – प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण

योजना	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	पूर्ण वृद्धि	वृद्धि (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,16,883.09	2,50,631.18		
राज्य सरकार	3,69,743.33	4,47,114.39		
योग	**5,86,626.42**	**6,97,745.57**	**1,11,119.15**	**18.94**
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	47,343.05	58,766.72		
ई–I	30,303.85	43,261.38		

तालिका 2.9 – प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण

योजना	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	पूर्ण वृद्धि	वृद्धि (प्रतिशत में)
सी–I	15,509.97	22,329.81		
जी–I	27,630.39	40,375.85		
ए–I	162.65	271.69		
ए–II	1,424.50	1,681.16		
सी–II	762.55	864.87		
जी–II	1,214.08	1,419.11		
समस्त टियर II – टीटीएस	6.75	12.53		
एनपीएस लाइट	4,686.74	4,914.52		
एपीवाई	20,922.60	26,700.12		
एपीवाई निधि योजना	-	522.71		
योग	**1,49,967.13**	**2,01,120.47**	**51,153.33**	**34.11**
महायोग	**7,36,593.55**	**8,98,866.04**	**1,62,272.48**	**22.03**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) के लिए प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 18.94 प्रतिशत की वृद्धि तथा इनके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 34.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्ण वृद्धि के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में 1,11,119.15 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा इसके अलावा अन्य योजनाओं में कुल मिलाकर 51,153.33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि, अलग–अलग पेंशन योजनाएं अलग–अलग पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, इससे संबंधित पेंशन निधियों के तहत विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण निम्नलिखित है : –

तालिका 2.10 – 31 मार्च 2023 तक के अनुसार पेंशन निधि वार और योजना–वार (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनपीएस लाइट, एपीवाई, एपीवाई निधि योजना और कॉर्पोरेट केंद्र सरकार) प्रबंधन के तहत आस्तियां

(राशि – करोड़ रुपये में)

पेंशन निधि/ योजनाओं का नाम	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	एनपीएस लाइट	एपीवाई	एपीवाई निधि योजना	कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	87,438.96	1,53,441.33	1,993.03	9,076.54	177.70	55,830.59	3,07,958.15
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	81,514.17	1,48,680.29	1,439.19	8,917.03	182.97	2,936.13	2,43,669.78
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	81,678.05	1,44,992.77	1,405.35	8,706.56	162.04		2,36,944.77
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			76.95				76.95
कुल	**2,50,631.18**	**4,47,114.39**	**4,914.52**	**26,700.12**	**522.71**	**58,766.72**	**7,88,649.66**

तालिका 2.11 – 31 मार्च 2023 तक के अनुसार योजना–वार (ई–1, सी–1, जी–1, ए–1, ई–2, सी–2 और जी–2, टीटीएस–2) की तुलना में पेंशन निधिवार प्रबंधन के तहत आस्ति

(राशि – करोड़ रुपये में)

पेंशन निधि/ योजनाओं का नाम	योजना– ई–I	योजना – सी–I	योजना – जी–1	योजना – ई–II	योजना– सी–II	योजना– जी–II	योजना– ए–I	टीटीएस	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	10,849.19	6,220.59	12,949.83	374.67	204.96	390.79	54.10	3.73	31,047.85
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	3,297.20	2,103.46	3,835.15	109.98	66.34	152.81	12.70	1.43	9,579.07
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	1,483.07	751.03	1,361.98	69.61	31.67	57.56	8.07	0.84	3,763.83
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6,406.70	3,475.34	5,915.92	259.05	153.71	222.93	31.39	1.14	16,466.18
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	1,136.975	44.87	916.58	78.02	35.27	58.35	8.27	0.53	2,778.86
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	19,623.07	8,999.46	14,981.97	762.11	358.17	515.01	153.58	3.99	45,397.36
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	308.17	146.67	231.72	21.95	12.74	19.46	2.81	0.56	744.07
टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	42.02	20.27	36.45	3.29	1.21	1.39	0.42	0.22	105.27
मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	42.89	33.38	65.64	0.34	0.10	0.14	0.06	0.02	142.56
एक्सिस पेंशन फंड लिमिटेड	72.10	34.74	80.61	2.13	0.71	0.67	0.29	0.08	191.33
कुल	43,261.38	22,329.81	40,375.85	1,681.16	864.87	1,419.11	271.69	12.53	1,10,216.39

2.2.8 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं का विभिन्न श्रेणियों के निवेशों के लिए एक्सपोजर

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार तथा एनपीएस लाइट और एपीवाई योजना के तहत पोर्टफोलियो के संबंध में अधिकतम निर्धारित एक्सपोजर निम्नलिखित है :

तालिका 2.12 – एक्सपोजर सीमाएं

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

सरकारी क्षेत्र की योजनाओं (केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस लाइट, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार और एपीवाई के अलावा अन्य योजनाओं का चयन करने वाले अभिदाता, निम्नलिखित तालिका के अनुसार आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट ऋण), आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां) और आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक संपत्ति) में अपनी आस्ति का आवंटन निर्धारित कर सकते हैं :

तालिका 2.13 – आस्ति वर्ग/उपकरण

वर्ग	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोजर (प्रतिशत में)
i	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश (राज्य विकास ऋण सहित)	100
ii	ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100
iii-	इक्विटी और संबंधित निवेश	75
iv	वैकल्पिक आस्तियां	5
v	अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पकालिक म्यूचुअल फंड, और सावधि जमा)	10

टियर– II खातों के मामले में, आस्ति वर्ग ए में किसी भी निवेश की अनुमति नहीं है और अन्य सीमाएं समान हैं।

मार्च, 2022 की तुलना में मार्च, 2023 के अनुसार प्रबंधन के तहत आस्तियों का आस्ति वर्गवार द्विविभाजन निम्नलिखित है –

तालिका 2.14 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन

	31–मार्च–22		31–मार्च–23	
आस्ति वर्ग	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत
जी.सेक.	3,73,451.90	50.70%	4,64,297.98	51.65%
कॉर्पोरेट बॉन्ड	2,03,071.95	27.57%	2,45,896.66	27.36%
इक्विटी	1,21,423.93	16.48%	1,48,844.45	16.56%
रिट्स/इनविट्स	1,052.55	0.14%	1,079.92	0.12%
मुद्रा बाजार	25,734.55	3.49%	23,362.95	2.60%
नकद और शुद्ध वर्तमान आस्ति	11,858.68	1.61%	15,384.08	1.71%
कुल	**7,36,593.56**	**100.00%**	**8,98,866.04**	**100.00%**

चार्ट संख्या 2.1 – 31 मार्च, 2023 को एयूएम का आस्ति वर्गवार विभाजन

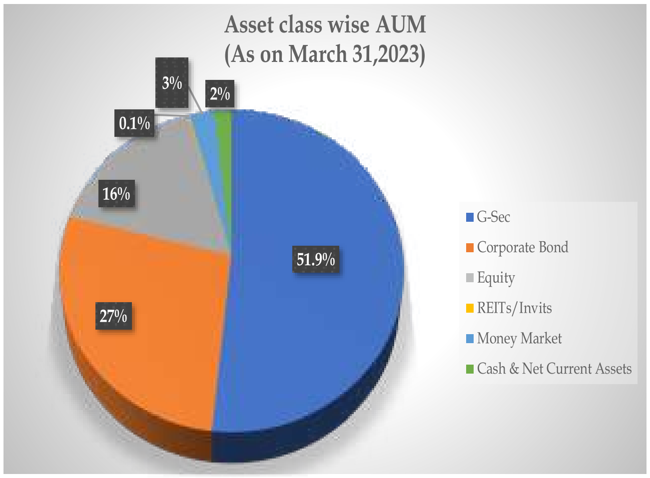

चार्ट संख्या 2.2 – 31 मार्च, 2022 को एयूएम का आस्ति वर्गवार विभाजन

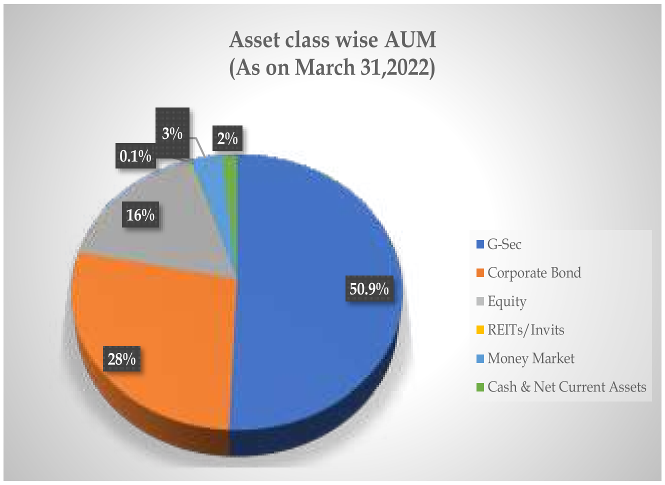

2.3 पेंशन निधियों हेतु अधिसूचना, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र/दिशा–निर्देश

- **सरकारी क्षेत्र की योजनाओं/निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए निवेश दिशा–निर्देश–2021 में बदलाव पर परिपत्र**

  सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं और निजी क्षेत्र के अभिदाताओं, दोनों के लिए एनपीएस के लिए निवेश दिशानिर्देशों के तहत अल्पावधि निवेश के लिए त्रिपक्षीय रेपो की शुरूआत।

- एनपीएस के तहत पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं के जोखिम प्रोफाइलिंग के प्रकटीकरण पर पेंशन निधि और एनपीएस न्यास को जारी परिपत्र

  पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग का प्रकटीकरण शुरू किया।

- एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत 51 वर्ष की आयु से टेपरिंग की किसी भी शर्त के बिना, सक्रिय चयन के तहत टियर –1 में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में, अभिदाता के अंशदान का 75 प्रतिशत आवंटित करने के विकल्प की अनुमति देने और 51 वर्ष की आयु से टेपरिंग की किसी भी शर्त के बिना टियर –2 (वैकल्पिक खाते) में, आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में, अभिदाता के अंशदान का 100 प्रतिशत आवंटित करने के विकल्प की अनुमति देने पर परिपत्र

  एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत 51 वर्ष की आयु से टेपरिंग की किसी भी शर्त के बिना, सक्रिय चयन के तहत टियर –1 में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में, अभिदाता के अंशदान का 75 प्रतिशत आवंटित करने के विकल्प की अनुमति दी गई और 51 वर्ष की आयु से टेपरिंग की किसी भी शर्त के बिना टियर –2 (वैकल्पिक खाते) में, आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में, अभिदाता के अंशदान का 100 प्रतिशत आवंटित करने का विकल्प दिया गया।

- **सरकारी क्षेत्र की योजनाओं/निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए निवेश दिशा–निर्देश–2021 में बदलाव**

  जी–सेक के लिए निवेश सीमा 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई।

- **एनपीएस टियर 2 के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में बदलाव– टैक्स सेवर योजना, 2020 (एनपीएस – टीटीएस)**

  टियर –2 योजना और टीटीएस (टियर 2 कर बचत योजना) के लिए अल्पकालिक निवेश सीमा में 20 प्रतिशत तक निवेश सीमा की अनुमति दी गई

2.4 निरीक्षण

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, निम्नलिखित 7 पेंशन निधियों का निरीक्षण किया गया :

i- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

ii- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

iii- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

iv- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

v- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

vi- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

vii- आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

भाग III
प्राधिकरण के कार्य

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के संवर्धन और क्रमिक विकास तथा इस प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्ति और कार्यों पर चर्चा करता है ।

3.1 मध्यस्थो इकाइयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरणों का निलम्बन, निरसन, आदि; और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यस्थों के क्रियाकलापों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने, विनियमित करने, बढ़ावा देने और और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कोई अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जाती हैं, इनके संचालन में बड़ी संख्या में कई संस्थाएं शामिल होती हैं। जैसे केंद्र और राज्य सरकार में **वेतन और लेखा कार्यालय / ट्रेजरी कार्यालय जो** एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, **उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)** जो बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि हैं। ये कॉर्पोरेट, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड में सहायता करते हैं, **एग्रीगेटर्स (अब पीओपी)** जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक अंतिम–मील तक पहुंचने में मदद करते हैं, **केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए),** जो अभिदाताओं के प्रान यानी व्यक्तिगत पेंशन खातों के रिकॉर्डकीपिंग के लिए जिम्मेदार है और एनपीएस के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। फंड और बैंकिंग सुविधाओं के दिन–प्रतिदिन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी न्यासी बैंक, **पेंशन निधियां (पीएफ),** जिसे पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस में शामिल अभिदाताओं की पेंशन आस्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए सशक्त किया गया है तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी), को अभिदाता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

I) सरकारी क्षेत्र – केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय

स्वायत्त निकायों का पंजीकरण: केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों के साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करके उन्हें पंजीकृत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण के लिए दिशा–निर्देशों और अधिसूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता भी की है।

पीएफआरडीए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के सहमति पत्र ("एलओसी") की प्रक्रिया पूर्ण करता है और पूर्व–पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस पर आधारित संशयों के लिए भी उत्तरदायी है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए सहमति पत्र का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय-12 (ii) राज्य स्वायत्त निकाय – 158

31 मार्च, 2023 तक, पीआरएओ / डीटीए, पीएओ / डीटीओ और डीडीओ की संख्या निम्नानुसार है: –

तालिका संख्या 3.1: पीआरएओ / डीटीए की संख्या, पीएओ / डीटीओ की संख्या और डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	पीआरएओ / डीटीए की संख्या	पीएओ / डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
केंद्र सरकार	145	3057	16,543
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	663	2040	4,156
कुल	**808**	**5097**	**20,699**

तालिका संख्या 3.2: डीटीए/डीटीओ/डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या	डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
राज्य सरकार	74	2,066	2,37,401
राज्य स्वायत्त निकाय	659	5,800	16,212
कुल	**733**	**7,866**	**2,53,613**

तालिका संख्या 3.3: वित्तीय वर्ष 2022–23 तक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय का पंजीकरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति	कुल पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	कुल पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के कुल नामांकित अभिदाता	राज्य स्वायत्त निकाय के कुल नामांकित अभिदाता
	662	1,705	2,51,005	9,65,832

तालिका संख्या 3.4: वित्तीय वर्षवार नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय

वित्त वर्ष के अनुसार प्रदर्शन	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	18	25	25	24	27	22	12
नए पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	179	272	107	133	141	120	158

स्रोतः पर्यवेक्षण (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय) और प्रचार और विकास (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय)

31 मार्च, 2023 तक एनपीएस के तहत 1,705 राज्य स्वायत्त निकाय और 662 केंद्रीय स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 तक 331 उपस्थिति अस्तित्व (सीआरए के साथ पंजीकृत), तीन केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यासी बैंक, दस पेंशन निधियां और पंद्रह वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की एनपीएस सम्बन्धी गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

- एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की निम्नलिखित श्रेणियों के साथ सहभागिता :
  - केंद्र सरकार/राज्य सरकार अधिसूचना के अनुसार, सभी पात्र केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय का पंजीकरण, जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं किया है
  - गैर–पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की लंबित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना
  - एनपीएस के तहत पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के पात्र कर्मचारियों का नामांकन
  - पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के नामांकित कर्मचारियों के लिए नियमित और विरासत/बकाया एनपीएस अंशदान का हस्तांतरण
- संभावित केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय

एसएचजी और राज्य स्वायत्त निकाय के लिए एनपीएस अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत

ii) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

पीओपी का पंजीकरणः यद्यपि, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, लेकिन एपीवाई सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए कोई नियम नहीं थे। एपीवाई को पीएफआरडीए के दायरे में लाने के लिए पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया था और एपीवाई को भी पीओपी की एक अलग श्रेणी के लिए इसके तहत शामिल किया गया था।

वर्तमान विनियमों के तहत पीओपी की श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – भौतिक और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – केवल ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना

(iii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – वितरण और सेवा प्रदान करना– केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए भौतिक या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से। बशर्ते कि केवल ऐसी संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या माल और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपने कर्मचारियों को शामिल किया है और उक्त अधिनियमों के तहत आवेदन की तिथि से कम से कम दो साल की अवधि के लिए प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हैं।

(iv) एनपीएस लाइट योजना

(v) अटल पेंशन योजना

(vi) प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित कोई अन्य योजना

पीओपी विनियम, 2018 के तहत, पीएफआरडीए ने पीओपी और पीओपी–एसई को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) जारी किया है। 31 मार्च, 2023 तक जारी किए गए सीओआर की संख्या निम्नलिखित है :

(i) पीओपी – 331 (ii) पीओपी–एसई – 53

(iii) पेंशन निधि

- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को दिनांक 23.04.2022 को तथा एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को 01.07.2022 को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया। पेंशन निधियों के प्रबंधन के लिए प्रायोजक के रूप में डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को 19.07.2022 को एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया
- टाटा पीएफ को 28.07.2022 को, मैक्स लाइफ पीएफ को 23.08.2022 को, तथा एक्सिस पीएफ को 20.09.2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र – जारी किया गया।

तालिका संख्या 3.5: निवेश प्रबंधन शुल्क (1 अप्रैल, 2021 से लागू)

एयूएम के स्लैब	अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क (प्रतिशत में)
10,000 करोड़ रुपये तक।	0.09*
10,001 – 50,000 करोड़ रुपये।	0.06
50,001 – 1,50,000 करोड़ रुपये।	0.05
1,50,000 करोड़ रुपये से ऊपर।	0.03

* इस स्लैब के तहत यूटीआई आरएसएल 0.07% शुल्क लेगा।

स्लैब संरचना पर पेंशन निधि द्वारा प्रभारित आईएमएफ, पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत पेंशन निधि के कुल एयूएम पर होगा और इसकी गणना चार दशमलव अंकों तक की जाएगी और इसे छोटा कर दिया जाएगा। आईएमएफ की इन दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि में की जाएगी।

निवेश प्रबंधन शुल्क की उपर्युक्त दरें ब्रोकरेज, अभिरक्षक शुल्क और उन पर लागू करों को छोड़कर पेंशन निधियों द्वारा केवल इक्विटी लेनदेन पर 003% (ब्रोकरेज पर लागू करों सहित) की दर से योजना के लिए अधिकतम ब्रोकरेज

प्रभारित करने योग्य हैं। अन्य सभी लागतों को पेंशन निधि द्वारा वहन किया जाएगा और पेंशन निधि द्वारा योजना के लिए प्रतिपूर्ति या शुल्क नहीं लिया जाएगा।

iv) सेवानिवृत्ति सलाहकार

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके पश्चात् संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानकों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 14 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अलावा 3 अन्य एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ऑनलाइन मंच उपलब्ध है जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

v) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी)

विनियमों में संशोधन, अधिसूचना, और उन संशोधनों का प्रसार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण **(केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण)** (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 सीआरए की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए और सभी अभिदाताओं हेतु केंद्रीकृत रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और अभिदाता सेवा कार्य को प्रदान करने के लिए जारी किया गया है।

केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में मेसर्स एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अब प्रोटियन) के पंजीकरण की अवधि को 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया गया है, या पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 में पहले संशोधन के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथि और उसके तहत संशोधन, जो भी पहले हो।

वित्त वर्ष 2020–21 में, एक अन्य इकाई, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तीसरे सीआरए ने 17 मार्च 2022 से अपने ईएनपीएस प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू कर दिया है।

(vi) न्यासी बैंक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, न्यासी बैंक का चयन प्राधिकरण द्वारा जारी चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, तत्पश्चात उसे पंजीकृत किया जाता है।

न्यासी बैंक खातों का रखरखाव एनपीएस अभिदाताओं की ओर से किया जाता है और उसे एनपीएस निधियों के पंजीकृत स्वामी, एनपीएस न्यास के नाम पर रखा जाता है, हालांकि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभ प्राप्तकर्ता बने रहते हैं।

न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं जैसे नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, एग्रीगेटर्स, पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और अभिदाताओं आदि में एक प्रौद्योगिकी–आधारित मंच के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करने के लिए धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियमों 2015, और उसके संशोधन के प्रावधानों तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी पंजीकरण के नियम और शर्तें, परिपत्र और दिशानिर्देश, आदि के तहत निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करता है।

एक्सिस बैंक लिमिटेड को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के विनियमन 9 और उसके संशोधन के अनुसार न्यासी बैंक 2020 के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से न्यासी बैंक के रूप में चुना गया था। एक्सिस बैंक लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा 08.01.2021 को पंजीकरण संख्या टीबी001 के माध्यम से न्यासी बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है और जो पंजीकरण प्रमाण पत्र और उस पर दिए गए विस्तार की तिथि से पांच साल के लिए वैध है, जब तक कि विनियमन 13 के अनुसार उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

संपर्क विवरण

व्यापक पहुंच और अभिदाताओं सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर न्यासी बैंक के संपर्क विवरण प्रदर्शित किए गए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :

नाम	एक्सिस बैंक लिमिटेड
पंजीकरण सं.	TB001
वैधता	08 जनवरी 2021 – 07 जनवरी 2026
वेबसाइट	www.axisbank.com
पंजीकृत पता	''त्रिशूल'' तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद – 380 006
संपर्क व्यक्ति	मुख्य अधिकारी /अनुपालन अधिकारी
ई–मेल	npstrust@axisbank.com
दूरभाष	022-71315884, 022-71315906
पत्राचार का पता	एक्सिस बैंक लिमिटेड, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन एंड पेमेंट हब, 5 वीं मंजिल, गीगाप्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1, प्लॉट नंबर आईटी 5, एमआईडीसीआई ऐरोली नॉलेज पार्क, ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708

विनियम और संशोधन

न्यासी बैंक को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित विनियामक ढांचे और प्राधिकरण द्वारा उसमें संशोधन और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों आदि के तहत व्यापक रूप से परिभाषित गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, मौजूदा नियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं देखी गई।

(vii) एनपीएस ट्रस्ट (एनपीएस न्यास)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के एक न्यासी के शासन में संशोधन के लिए जारी किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक एनपीएस न्यास बोर्ड के न्यासियों का विवरण

1.	श्री सूरजभान	अध्यक्ष और न्यासी
2.	श्री वाई. वेंकट राव	न्यासी
3.	सुश्री चित्रा जयसिम्हा	न्यासी
4.	डॉ पी.सी. जाफर	न्यासी
5.	श्री जे. के. शर्मा	न्यासी
6.	श्री. रुचिर मित्तल	न्यासी
7.	श्री. मासिल जेया मोहन	न्यासी
8.	श्री. प्रसेनजीत मुखर्जी	न्यासी
9.	श्री. संतोष कुमार मोहंती	न्यासी
10.	श्री. देबाशीष मलिक	न्यासी

(viii) निकास और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) :

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उसके संशोधन में एनपीएस के तहत निकासी के विभिन्न प्रावधानों का विवरण और रूपरेखा प्रदान की गई है। इसके अलावा, इसमें एएसपी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया और उसकी विस्तृत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा पंजीकृत और विनियमित बीमा कंपनियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलते समय अभिदाताओं को विभिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं। एएसपी का पैनल, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उसके संशोधन के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

वर्तमान में, निम्नलिखित पंद्रह संस्थाओं को वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है :

I- आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

II- बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

III- केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

IV- एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

V- एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

VI- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

VII- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

VIII- कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

IX- भारतीय जीवन बीमा निगम

X- मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

XI- पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

XII- एसबीआई लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

XIII- श्रीराम लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

XIV- स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

XV- टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अभिदाताओं सहित सभी हितधारकों की व्यापक पहुंच और उनके लाभ के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर एएसपी के संपर्क विवरण प्रदर्शित किए गए हैं।

विनियम और संशोधन : एएसपी द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित विनियामक ढांचे और प्राधिकरण द्वारा उनमें संशोधन और समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों के तहत व्यापक रूप से परिभाषित अपनी गतिविधियों को करने के लिए विनियमों और संशोधनों की आवश्यकता होती है। एनपीएस के तहत एएसपी के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2022–23 से शुरू होने वाले विस्तृत विनियामक अनुपालन को पेश किया गया है। इस तरह के अनुपालन से एएसपी के कामकाज को सुधारने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए के अन्य विभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के तहत तथ्यों/सिफारिशों के आलोक में, अभिदाताओं के हित में विनियमों की जांच की गई और तदनुसार संशोधन किया गया।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, निकास विनियमन में एक बार संशोधन किया गया था और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 को 23.03.2023 को अधिसूचित किया गया था, ताकि स्वामित्व और नियंत्रण के तहत किसी निकाय कॉर्पोरेट या अन्य इकाई, या तो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी कंपनी के ऐसे कर्मचारियों को निकास की सुविधा मिल सके जो उन पर लागू सेवा नियमों के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस में शामिल होते हों।

3.2 योजनाओं का अनुमोदन, (इसमें उनके नियम और शर्तों सहित पेंशन निधियों के कोष के प्रबंधन के लिए मानकों और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश शामिल हैं)

प्राधिकरण द्वारा प्रशासित योजनाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II में देखा जा सकता है।

डीएफएस द्वारा जारी अधिसूचना एफ.1/3/2016–पीआर के अनुसार और राज्य सरकार की योजना/डिफॉल्ट योजना के अनुसार एनपीएस के तहत एक डिफॉल्ट योजना के रूप में मौजूदा केंद्र सरकार की योजना के तहत मौजूदा और नए अभिदाताओं की वृद्धिशील सदस्यता के लिए धन आवंटन को पेंशन निधियों के बीच वितरित किया गया था।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के तहत, प्रबंधनाधीन आस्तियां एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 33:32:35 के अनुपात में आवंटित की गई हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू इस योजना के लिए, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रबंधनाधीन आस्तियां एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 33:32:35 के अनुपात में आवंटित की गई हैं।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

(I) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास।

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और उसमें संशोधन के तहत, निम्नलिखित निकासी श्रेणियों स्वीकृत हैं :

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार, निम्नलिखित निकासी श्रेणियां अनुज्ञप्त हैं :

तालिका संख्या 3.6: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्रम संख्या	निकासी श्रेणियाँ	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर–सरकारी क्षेत्र में शर्तें
1.	**सामान्य सेवानिवृत्ति पर**	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त के रूप में भुगतान की जानी चाहिए। यदि प्रान में संचित पेंशन धन 2 लाख के बराबर या उससे कम है, तो अभिदाता के पास वार्षिकी खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, 14 जून, 2021 द्वारा अधिसूचित निकास दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें, अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन को पांच लाख रुपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, के रूप में संशोधित किया गया है, सरकारी क्षेत्र के समान। सामान्य सेवानिवृत्ति पर अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त के रूप में भुगतान की जानी चाहिए। यदि प्रान में संचित पेंशन धन 2 लाख के बराबर या उससे कम है, तो अभिदाता के पास वार्षिकी खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, 14 जून, 2021 द्वारा अधिसूचित निकास दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें, अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन को पांच लाख रुपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, के रूप में संशोधित किया गया है ।	सरकारी क्षेत्र के समान

2.	**मृत्यु होने पर**	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त राशि के रूप में किया जाना चाहिए। यदि अभिदाता की मृत्यु के समय प्रान में संचित पेंशन धन 2 लाख के बराबर या उससे कम है, तो नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों के पास वार्षिकी खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, 14 जून, 2021 द्वारा अधिसूचित निकास दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें, अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन पांच लाख रुपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, के रूप में संशोधित किया गया है ।	यदि अभिदाता की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन संपत्ति का भुगतान नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के पास यह विकल्प होगा कि यदि वे चाहें तो बाहर निकलने पर दी जा रही किसी भी वार्षिकी को खरीद सकते हैं।
3.	**समयपूर्व निकास**	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान की जाती है। यदि प्रान में संचित पेंशन धन 1 लाख के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास बिना किसी वार्षिकी को खरीदे पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, 14 जून, 2021 को अधिसूचित निकास दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें , अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन दो लाख पचास हजार रुपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के रूप में संशोधित किया गया है ।	इस प्रकार प्रयोग किए गए विकल्प की अनुमति केवल ऐसे अभिदाता को दी जाएगी जिसने कम से कम दस वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो। अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान की जाती है। यदि प्रान में संचित पेंशन धन 1 लाख के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास बिना किसी वार्षिकी को खरीदे पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, 14 जून, 2021 को अधिसूचित निकास दिशानिर्देशों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें, अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन दो लाख पचास हजार रुपये की राशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा है।

इसके अलावा अभिदाता एनपीएस (75 साल तक) में निवेशित रहने का फैसला कर सकते हैं या एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं :

- एनपीएस खाते को जारी रखना : अभिदाता सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) के बाद एनपीएस खाते में अंशदान जारी रख सकता है और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- निकासी की अवधि स्थगित : अभिदाता अपनी निकासी को टाल सकता है और एनपीएस में 75 वर्ष की आयु तक निवेश कर सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी को स्थगित कर सकता है, केवल वार्षिकी को स्थगित कर सकता है, या एकमुश्त और साथ ही वार्षिकी दोनों को स्थगित कर सकता है।
- अपनी पेंशन शुरू करें : यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी रखना / स्थगित नहीं करना चाहता है, तो वह एनपीएस से बाहर निकल सकता है। वह ऑनलाइन निकास अनुरोध शुरू कर सकता है और एनपीएस निकास दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

https://bit.ly/2ZLzTkB पर समर्पित यूट्यूब चैनल ''एनएसडीएल – एनपीएस की पाठशाला'' पर उपलब्ध निरंतरता और स्थगन प्रक्रिया पर वीडियो देख सकतें हैं। https://bit.ly/2vyuhfK

एनपीएस से निकासी के उद्देश्य से, अभिदाताओं को वर्गीकृत और परिभाषित किया गया है :

(I) सरकारी क्षेत्र, (ii) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सभी नागरिक और (iii) एनपीएस लाइट अभिदाता। निर्दिष्ट निकास विनियम तदनुसार उस श्रेणी पर लागू होंगे जिससे अभिदाता संबंधित हैं।

तालिका संख्या 3.7: 1 अप्रैल, 2022 और 31 मार्च, 2023 के दौरान रिपोर्ट की गई, स्वीकार की गई और निपटाई गई निकासी की संख्या

		ऑनलाइन निकासी			भौतिक निकासी		
क्रम सं	क्षेत्र	रिपोर्ट*	स्वीकृत +	निपटान	रिपोर्ट #	स्वीकृत***	निपटान
1	केंद्र सरकार	9,097	8,946	8,978	60	60	60
2	राज्य सरकार	28,102	27,572	27,605	101	101	101
3	सर्व नागरिक / असंगठित	14,039	14,007	13,872	4	4	4
4	कॉर्पोरेट	10,013	10,021	9,938	4	4	4
5	एनपीएस लाइट	33,974	33,818	33,744	3,714	3,714	3,714
	कुल	95225	94,364	94,137	3,883	3,883	3,883

(डेटा का स्रोत: एनएसडीएल – सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए)

नोट:

* **ऑनलाइन निकासी:** रिपोर्ट किए गए मामलों का अर्थ नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकरण के लिए लंबित मामले हैं।

+ **ऑनलाइन निकासी:** स्वीकार किए गए मामलों का अर्थ उन मामलों से है जहां नोडल कार्यालय ने सीआरए प्रणाली में वापसी अनुरोध को अधिकृत किया है।

भौतिक निकासी: रिपोर्ट किए गए मामलों का अर्थ उन मामलों से है जहां सीआरए को 30 अप्रैल, 2016 तक नोडल कार्यालय/अभिदाता से भौतिक निकासी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

भौतिक निकासी: स्वीकृत उन मामलों को दर्शाता है जो सीआरए में रुके हुए थे और जिनके लिए नोडल कार्यालय/अभिदाता से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज थे।

तालिका संख्या 3.8: 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 को लंबित निकासी दावे।

क्रम संख्या	क्षेत्र	ऑनलाइन निकासी लंबित	
		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
1	केंद्र सरकार	520	524
2	राज्य सरकार	3097	2,852
3	असंगठित क्षेत्र / आल–सिटीजन	286	219
4	कॉर्पोरेट	244	111
5	एनपीएस लाइट	381	516
	कुल	**4,528**	**4,222**

(**डेटा का स्रोत**: एनएसडीएल – सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीज –सीआरए) नोट :

भौतिक निकासी: वर्ष के अंत में बकाया निकासी दावे ऐसे मामले हैं जहां अभिदाता/नोडल कार्यालय ने अभी तक सीआरए को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।

ऑनलाइन निकासी: वर्ष के अंत में बकाया निकासी दावे ऐसे मामले हैं जहां नोडल कार्यालय ने अभी तक सीआरए प्रणाली में निकासी अनुरोध को अधिकृत नहीं किया है।

यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए लापता/अपर्याप्त दस्तावेजों के कारण वापसी आवेदन प्रक्रिया के लिए लंबित हैं।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक निकासी

एनपीएस अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने से पहले किसी भी समय आंशिक निकासी कर सकते हैं, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, यह निकासी नीचे निर्दिष्ट नियमों और शर्तों, उद्देश्य, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने से पहले नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान के अतिरिक्त होगी :

(क) **उद्देश्य** : आहरण प्रपत्र जमा करने की तिथि को अभिदाता को ऐसे अभिदाता द्वारा अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में किए गए अंशदान का पच्चीस प्रतिशत से अधिक केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वापस लेने की अनुमति दी जाएगी :–

(i) कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।

(ii) कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित अपने बच्चों की शादी के लिए।

(iii) अपने नाम पर या अपने कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त नाम से एक आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए। यदि अभिदाता पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा किसी अन्य आवासीय घर या फ्लैट का मालिक है, तो इन नियमों के तहत कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए : यदि अभिदाता, उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे या आश्रित माता–पिता सहित किसी भी निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें निम्नलिखित बीमारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती और उपचार शामिल होंगे:

I- कैंसर

ii- गुर्दे की विफलता (अंतिम चरण गुर्दे की विफलता);

iii- प्राथमिक फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप;

iv- मल्टिपल स्कलेरोसिस;

v- प्रमुख अंग प्रत्यारोपण;

vi- कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट;

vii- महाधमनी ग्राफ्ट सर्जरी;

viii. हार्ट वाल्व सर्जरी;

ix. आघात;

x मायोकार्डियल रोधगलन

xi- कोमा;

xii- पूर्ण अंधापन;

xiii- पक्षाघात;

xiv- गंभीर/जानलेवा प्रकृति की दुर्घटना।

xv- समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं में निर्धारित जीवन–घातक प्रकृति की कोई अन्य गंभीर बीमारी। कोविड–19 भी इस श्रेणी में शामिल है।

xvi- अभिदाता द्वारा झेली गई विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों को पूरा करना।

xvii- अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या किसी अन्य स्व–विकास कार्यकलापों के लिए किए जाने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित दिशा–निर्देश जारी करके अनुमति दी जा सकती है।

xviii-अभिदाता द्वारा अपने उद्यम या किसी स्टार्ट–अप की स्थापना के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करके अनुमति दी जा सकती है, उस संबंध में।

(ख) **सीमाएं** : अनुमत निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड और सीमा का अभिदाताओं द्वारा अनुपालन किया जाता है :–

(क) अभिदाता अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा होगा;

(ख) अभिदाता को आहरण के लिए आवेदन की तिथि के अनुसार, उसके द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक संचय को वापस लेने और अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अपने क्रेडिट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी;

(ग) **आवृत्तिः** अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सदस्यता की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी की अनुमति होगी। निकासी के लिए अनुरोध अभिदाता द्वारा संबंधित दस्तावेजों के साथ केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, ताकि उनके नोडल कार्यालय के माध्यम से ऐसे निकासी दावे पर कार्रवाई की जा सके। बशर्ते कि जहां कोई अभिदाता उप–खंड (डी) में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है, ऐसे अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से निकासी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।

तालिका संख्या 3.9: वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए आंशिक निकासी मामलों की संख्या

क्रम सं	क्षेत्र	रिपोर्ट*	निपटान**
1	केंद्र सरकार	70,128	64,866
2	राज्य सरकार	4,38,037	3,99,771
3	असंगठित क्षेत्र/आल सिटीजन	6,057	5,539
4	कॉर्पोरेट	18,754	17,309
5	एनपीएस लाइट	14	14
	कुल #	**5,32,990**	**4,87,499**

(**डेटा का स्रोतः** एनएसडीएल – सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीज –सीआरए)

नोट :

* रिपोर्ट किए गए मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकरण के लिए लंबित मामले शामिल हैं।

** निपटाए गए मामले वे हैं, जहां धन अभिदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अभिदाता द्वारा शुरू किए गए मामलों को नोडल कार्यालय द्वारा शुरू में भी जोड़ा जाता है।

तालिका संख्या 3.10: 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए आंशिक निकासी मामलों का कारणवार विवरण

निकासी का कारण	रिपोर्ट किए गए	निपटाए गए
अपने बच्चे, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, की उच्चतर शिक्षा के लिए	65,555	58,439
अपने बच्चे, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, के विवाह के लिए	19,105	17,159
एक आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए	3,53,898	3,25,939
निर्दिष्ट बीमारी के उपचार के लिए	36,211	33,551
विकलांगता/निशक्तता के कारण होने वाले चिकित्सकीय और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए	43,912	39,538
कौशल विकास/पुनः कौशल या किसी अन्य स्व–विकास गतिविधियों के खर्चों के लिए	13,627	12,276
अपने उद्यम या किसी स्टार्ट–अप की शुरुआत के लिए	682	597
कुल	**5,32,990**	**4,87,499**

i) अभिदाताओं द्वारा चुनी गई वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण

एकमुश्त राशि जमा करने वार्षिकी के रूप में मासिक पेंशन प्राप्त होती है। अभिदाता को पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से एनपीएस के निकास नियमों में निर्दिष्ट वार्षिकी को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा।

वार्षिकी सेवा प्रदाता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो भारत में वार्षिकी व्यवसाय का लेनदेन करती हैं और एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध की जाती हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित 15 एएसपी एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध हैं :

i) भारतीय जीवन बीमा निगम

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iv) एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

v) स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

vi) कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

vii) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

viii) एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ix) बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

x) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड

xi) टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

xii) मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

xiii) आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

xiv) पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

xv) श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी और एएसपी के प्रकार को चुनने का विकल्प होता है। अभिदाता संबंधित एएसपी द्वारा दी जाने वाली उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका संख्या 3.11: 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान संसाधित किए गए ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्रम सं	वार्षिकी सेवा प्रदाता/योजना	मामलों की संख्या	अंतरित की गई राशि (रु करोड़ में)
1	जीवन भर के लिए वार्षिकी	352	19.9
2	मृत्यु होने पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी	14481	836.68
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति या पत्नी को देय 100 प्रतिशत वार्षिकी के साथ जीवनभर के लिए देय वार्षिकी	643	52.73
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति या पत्नी को देय 100 प्रतिशत वार्षिकी के साथ जीवनभर के लिए देय वार्षिकी और वार्षिकी की खरीद पर वापसी	3536	690.74
5	भागों में प्रीमियम/खरीद मूल्य की भागों में वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी	8	0.58
6	गंभीर बीमारी के निदान पर प्रीमियम/खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	277	16.32
7	एनपीएस – कुटुंब आय विकल्प	1875	141.12
	कुल	**21172**	**1758.07**

(डेटा का स्रोतः एनएसडीएल – सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीज –सीआरए)

ii) पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल जिसका उपयोग अभिदाता मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं

a ई–वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी)

सेवानिवृत्त एनपीएस अभिदाताओं के बीच वार्षिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। यह कार्यक्रम वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और सीआरए के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 5 अलग–अलग राज्यों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए एएलपी भौतिक मोड में आयोजित किए गए थे, जबकि 2 राज्यों में 2 एसईईपी आयोजित किए गए थे।

तालिका संख्या 3.12: वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित एएलपी

क्रम सं	ऑनलाइन और ऑफलाइन	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	एएलपी	हैदराबाद	23 अप्रैल 2022	250
2	एएलपी	चेन्नई	4 जून 2022	230
3	एएलपी	देहरादून	25 जुलाई 2022	270
4	एएलपी	कोलकाता	09 सितंबर 2022	320
5	एसईईपी	वडोदरा	14 अक्टूबर 2022	120
6	एएलपी	भुवनेश्वर	21 अक्टूबर 2022	350
7	एसईईपी	त्रिपुरा	6 दिसंबर 2022	500
	कुल			**2,040**

b. **ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर**

पेंशन कैलकुलेटर नियमित मासिक अंशदान के आधार पर परिपक्वता या 60 वर्ष की आयु पर अस्थायी पेंशन और एकमुश्त राशि, वार्षिकी खरीदने के लिए पुनर्निवेशित कॉर्पस का प्रतिशत और निवेश तथा वार्षिकी पर रिटर्न के संबंध में अनुमानित दर को दर्शाता है। यह एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पेंशन कैलकुलेटर के लिए लिंकः

https://www.camsnps.com/nps_calculator

http://www.npstrust.org.in/content/pension-calculator

https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html

https://nps.kfintech.com/npc/

c. कोविड –19 के दौरान विशेष उपाय

i. ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया

एनपीएस के निकासी अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यमों के जरिए निकास दस्तावेजों की स्कैन की गई/स्व–प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए नोडल कार्यालयों/पीओपी को छूट दी गई थी। अभिदाताओं को फिजिकल मोड के बजाय डिजिटल तरीके से दस्तावेज जमा करने की छूट दी गयी थी ।

ii. कोविड–19 से संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी की अनुमति

कोविड से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए आंशिक वापसी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

d. ऑनलाइन निकासी/प्रत्याहरण

i. एकल केवाईसी से एनपीएस अभिदाताओं के लिए वार्षिकी जारी करने में सुविधा

वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा वार्षिकी जारी करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज पर्याप्त हैं। इस प्रक्रिया को आईआरडीएआई और एएसपी के समन्वय से पीएफआरडीए द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

ii. तत्काल ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन

अतिरिक्त जांच पड़ताल के तौर पर, पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन शुरू किया गया ताकि धन की वापसी से बचा जा सके और वास्तविक समय में लाभार्थी विवरण की जांच की जा सके। यह प्रक्रिया, निकास को सहज बनाती है और देरी से बचाती है।

iii- ई–एनपीएस अभिदाताओं की निकासी

बैंकों के समन्वय से ऑनलाइन ई–एनपीएस निकासी की कार्यप्रणाली बनाई गई है। ये कार्यप्रणाली 30 नवंबर, 2020 को शुरू हुई।

iv. निकास प्राधिकरण कोड (ईए कोड)।

अभिदाताओं को निकासी के समय मोबाइल नंबर सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करने और संपर्क क्षमता में सुधार करने हेतु । यह एएसपी द्वारा वार्षिकी प्रसंस्करण में सरलता सुनिश्चित करती है।

तालिका संख्या 3.13: 2022 –23 में पीएफआरडीए द्वारा जारी कार्यप्रणालियों का समग्र सारांश

कार्यप्रणाली का नाम	वित्त वर्ष 2022–2023 में संसाधित अनुरोधों की संख्या
स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया*	17,254
कोविड–19 से संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी मामलों (कुल राशि के साथ) की अनुमति**	7,793 (58.46 करोड़ रुपये)
ऑनलाइन ई–एनपीएस निकास	2,393
आंशिक वापसी (समग्र)***	4,87,485
पीओपी (कॉर्पोरेट) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	232
पीओपी (असंगठित क्षेत्र) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	293

(डेटा का स्रोतः एनएसडीएल सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

नोटः प्रदान की गई संख्या वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी की गई प्रासंगिक कार्यप्रणालियों के लिए हैं।
बिंदु संख्या 1* के लिए, सरकारी कागजरहित संसाधित मामलों पर विचार किया गया था।
बिंदु संख्या 2** के लिए, ऑनलाइन ईएनपीएस में स्व–प्राधिकरण और बैंक पीओपी प्राधिकरण मामले शामिल हैं।
बिंदु संख्या 4*** के लिए, अभिदाता द्वारा शुरू किए गए आंशिक निकासी अनुरोध और स्वअधिकृत अनुरोध पर विचार किया गया है।

iii) डिजिटल पहल – पीएफआरडीए में कार्य प्रगति पर है और इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है

a- रिमोट ऑनबोर्डिंग और निकास के लिए वीडियो आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी)

पीएफआरडीए ने अपने पंजीकृत मध्यस्थों को एनपीएस से संबंधित ऑनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध पर वीडियो–आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह दूरस्थ उपस्थिति, सीमित गतिशीलता, संपर्क रहित सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग मानकों आदि की चुनौतियों को दूर करेगा। और खाता खोलने, निकास और अन्य सेवा अनुरोध के निष्पादन के नियतकालिक समय को भी अनुकूलित करेगा। यह एनपीएस की पहुंच बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि खाता खोलने की प्रक्रिया कागजरहित, तात्कालिक, सुविधाजनक और लागत प्रभावी है।

b. ऑफलाइन आधार आधारित ऑनलाइन निकास

ऑफलाइन आधार का उपयोग करके बाहर निकलने की प्रक्रिया में तेजी लाना। इससे निकास की प्रक्रिया निर्बाध, कागज रहित और समयबद्ध हो जाएगी।

c. ऑनलाइन आंशिक निकासी

आंशिक निकासी प्रक्रिया को स्व–घोषणा के आधार पर आसान बनाना और पेनी ड्रॉप के साथ प्रक्रिया को ऑनलाइन करना। यह आंशिक निकासी प्रसंस्करण के लिए नियतकालिक समय को कम करता है।

d. ऑनलाइन स्मार्ट निकास गाइड

यह अभिदाताओं को खरीद मूल्य की वापसी के साथ/बिना वार्षिकी उद्धरण प्राप्त करने में मदद करता है। अभिदाता विभिन्न एएसपी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी योजनाओं का चयन करते समय अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकते हैं।

e. पीओपी से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया।

इस प्रक्रिया के तहत, अभिदाता केवाईसी के साथ निकासी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ई–साइन/ओटीपी का उपयोग करके अधिकृत कर सकते हैं। निकास की यह कागजरहित प्रक्रिया दावों के समय पर प्रसंस्करण और वार्षिकी जारी करने में मदद करती है। निकासी की प्रक्रिया के लिए, अभिदाता के पीओपी को अपने कॉर्पस की न्यूनतम राशि के साथ 0.0125 प्रतिशत और अधिकतम 500 रुपये तक का भुगतान करना होगा।

3.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए शुरू की गई गतिविधियां

1. सीएएस में एनपीएस विवरण : समेकित खाता विवरण के साथ एनपीएस खाता विवरण का एकीकरण प्रक्रिया में है।

2. सीआरए को ''मेरी निकासी/माई विड्राल'' उपयोगिता विकसित करने की सलाह दी गई है, जिसमें अभिदाता अपने निकासी अनुरोधों की स्थिति की जांच कर सकते हैं और ऐसे मामलों में, जहां निकासी के बाद राशि न्यासी बैंक के पास पड़ी हुई है, सही बैंक खाते का विवरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं । इससे न्यासी बैंक के पास पड़े निकासी खाते के तहत शेष राशि को कम करने में मदद मिलेगी।

3. उसी प्रान में निकासी के बाद वापस और असफल लेनदेन राशि का पुनर्निवेश और राशि को पुनः प्राप्त करना : अभिदाताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि असफल लेनदेन की राशि को अभिदाता को उचित सूचना के बाद उसी निवेश विकल्प में प्रान में वापस निवेश किया जाए। अभिदाता सीआरए द्वारा विकसित किए जा रहे 'माई विदड्रॉल मॉड्यूल' के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करके राशि प्रत्याहरण का दावा कर सकता है।

4. पीएफआरडीए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से एनपीएस अंशदान की अनुमति देने के लिए एनपीसीआई के साथ काम कर रहा है। यह एनपीएस अंशदान को और भी आसान बनाने में मदद करेगा जिससे यह बस एक क्लिक दूर होगा।

5. पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत डिजिटल/ऑनलाइन अंशदान के एक अतिरिक्त मोड के रूप में ई–एनएसीएच जनादेश शुरू करने का निर्णय लिया है। ई–जनादेश, व्यक्तिगत तौर पर, नोडल अधिकारियों/पीओपी/कॉर्पोरेट के लिए एनएसीएच अधिदेश के समान है जिसे पहले ही सक्षम किया जा चुका है। ई–एनपीएस पर ऑटो डेबिट के लिए 'वन–टाइम मैंडेट रजिस्ट्रेशन' का उपयोग करके अंशदान किया जा सकता है।

6. कई एएसपी से कई वार्षिकी का लाभ उठाना : निकास के दौरान, अभिदाताओं द्वारा एक ही/एक से अधिक एएसपी से एक से अधिक वार्षिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ, अभिदाता के पास आवश्यकताओं के अनुसार कई एएसपी में से कई वार्षिकी चुनने का विकल्प होगा।

7. व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) – उभरते डिजिटल भुगतान विकल्पों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ, टियर 1 और टियर 2 के लिए एसएलडब्ल्यू सुविधा की परिकल्पना की गई है। सत्यापित बैंक खाते में इकाईवार मोचन प्रक्रिया और पूर्व–निर्धारित अंतरालों पर निधियों के अंतरण के लिए अभिदाताओं से एकबारगी अधिदेश एकत्र किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों के इनपुट के लिए एक एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रसारित किया जाता है।

3.5 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए की गयी गतिविधियाँ

1. परिचय :

पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक मध्यस्थ इकाई को विनियमों के तहत निर्धारित शिकायत निवारण नीति का अनुपालन करना होगा। विनियमन 2 (जी) के तहत ''शिकायत'' शब्द को परिभाषित किया गया है : शिकायत में वे सभी संचार शामिल होते हैं, जो इस विनियम के प्रावधानों या किसी संस्था या व्यक्ति के आचरण या कोई कार्य करने या न करने या सेवा में त्रुटि के बारे में हों। लेकिन निम्नलिखित इसमें शामिल नहीं है;

i. शिकायतें जो अपूर्ण हैं या स्पष्ट नहीं हैं;

ii- सुझाव देने की प्रकृति वाले प्रपत्र;

iii- ऐसे पत्र जिसमें मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण माँगा गया हो।

iv. ऐसी शिकायतें जो पीएफआरडीए की शक्तियों और कार्यों से परे हैं या पीएफआरडीए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों से परे हों;

v. मध्यस्थों के बीच कोई विवाद;

vi. ऐसी शिकायतें जो न्यायालय में या अर्धन्यायिक संस्था में विचाराधीन हों, (अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर के मामलों को छोड़कर)।

2. शिकायतों से निपटने से संबंधित प्रक्रिया

(i) अभिदाता की शिकायत का निवारण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार होता है। शिकायतों के सुचारू और समयबद्ध निपटान के लिए, अभिदाताओं को निम्नलिखित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए :

स्तर 1: पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, अभिदाता केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों को संबंधित मध्यस्थ/कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा ताकि अभिदाता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई समाधान टिप्पणियों को अभिदाता को ईमेल पर सूचित किया जाएगा और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए, अभिदाता संबंधित सीआरए पर क्लिक कर सकते हैं जिसके तहत उनका प्रान जारी किया गया है। शिकायतों को दर्ज करने और समाधान की स्थिति देखने के लिए विवरण और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं :

प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट लिमिटेड
(पहले एनएसडीईएल ई–गवर्नेंस के रूप में विख्यात) 1. शिकायत/असंतोष दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस : इंटरनेट व्यक्तिगत पहचान संख्या (IPIN) का उपयोग करके केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में शिकायत दर्ज करके। (https://cra-nsdl.com/CRA/)। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को शिकायत टैब के तहत लॉग शिकायत अनुरोध पर क्लिक करना होगा। आई–पिन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन में लॉगिन करना होगा। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को पूछताछ/शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा। बी) अभिदाता कॉर्पोरेट वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकता है (लॉग योर ग्रिवेंस/पूछताछ विकल्प के तहत https://npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php) **2. शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके :** **इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर):** टोल–फ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल करके और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) के साथ खुद को प्रमाणित करते हुए। **भौतिक प्रपत्र:** लिखित रूप में शिकायत दर्ज करके – निर्दिष्ट प्रारूप (फॉर्म जी 1) या एक पत्र में और निम्नलिखित पते पर भेजा गया हो :	**1. शिकायत/असंतोष दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस :** अभिदाता अपनी वेबसाइट https://enps.kfintech.com/login/login/ पर जाकर आई–पिन के उपयोग के साथ केफिनटेक सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब–आधारित इंटरफेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इकाई को वेब–आधारित प्रारूप में आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा। सफल पंजीकरण पर, संदर्भ के उद्देश्य से स्क्रीन पर एक टोकन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। अभिदाता सीआरए सिस्टम में लॉगिन किए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकता है, (इस लिंक पर प्रासंगिक विवरण प्रदान करके) https://enps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/ **2. शिकायत/असंतोष दर्ज करने के अन्य तरीके :** **इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर) :** अभिदाता हमारे कॉल सेंटर में हमारे टोल–फ्री नंबर 1800 208 1516 पर पहुंच सकते हैं। अभिदाता टी–पिन का उपयोग करके प्रमाणीकरण के बाद शिकायत उठा सकते हैं। शिकायत कॉल सेंटर कार्यकारी द्वारा पंजीकृत की जाएगी और संदर्भ के लिए इकाई को एक टोकन नंबर दिया जाएगा। **भौतिक फॉर्म :** कोई अभिदाता सीआरए में केंद्रीय शिकायत प्रबंधन सेल को भौतिक रूप में विवरण जमा करके शिकायत लॉग कर सकता है। अभिदाता को शिकायत फॉर्म (फॉर्म जी 1) सीआरए में जमा करना होगा। ऐसी शिकायत	**1. शिकायत/असंतोष दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस :** अभिदाता सीएएमएस सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब–आधारित इंटरफेस के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते https://www.camsnps.com/subscribers/queries/ अभिदाता अपने ईएनपीएस खाते में जाएं और शीर्ष मेनू में 'शिकायत' टैब पर नेविगेट करें। 'नई शिकायत' के तहत 'प्रश्न' चुनें उपयुक्त 'शिकायत श्रेणी' का चयन करें और बाद के चरणों को पूरा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए पोर्टल द्वारा उत्पन्न 'टिकट नंबर' रिकॉर्ड करें। जवाब ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा **2. शिकायत/असंतोष दर्ज करने के अन्य तरीके :** **a. इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर):** टोल–फ्री नंबर 1800 57 2 6557 पर कॉल करक और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) के साथ खुद को प्रमाणित करके। यदि कोई शिकायत का (धारा 2 में परिभाषा के अनुसार) तुरंत निवारण नहीं किया जाता है, तो इसे अभिदाता सेवा अधिकारी द्वारा सीजीएमएस में दर्ज किया जाता है, और अभिदाता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक अद्वितीय शिकायत नंबर प्रदान किया जाता है। **भौतिक प्रपत्र:** लिखित रूप में

प्रोटियन ई–गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पहले एनएसडीएल ई–गवर्नेंस के नाम से विख्यात) पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 **3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?** अभिदाता सीआरए वेबसाइट (ट्रैक योर ग्रिवेंसी/पूछताछ विकल्प के तहत https://npscra.nsdl.co.in/Log & your & grievance.php) या टोकन नंबर का उल्लेख करके कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।	प्राप्त होने पर, सीआरए उपयोगकर्ता इसे डिजिटाइज करेगा और अभिदाता को एसएमएस/ईमेल सूचना के साथ सीआरए सिस्टम में अनुरोध दर्ज करेगा। इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है: **केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 **3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?** अभिदाता सीआरए वेबसाइट https://enps.kfintech.com/login/login/) पर या कॉल सेंटर के माध्यम से टोकन नंबर का उल्लेख करके शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।	शिकायत दर्ज करके – निर्दिष्ट प्रारूप (फॉर्म जी 1) या एक पत्र में और निम्नलिखित पते पर भेजा गया: शिकायत निवारण अधिकारी केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड नंबर 158, रायला टावर्स, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002 **3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?** अभिदाता 'शिकायत' टैब के तहत 'शिकायत स्थिति' पृष्ठ के माध्यम से या टोकन नंबर का उल्लेख करके कॉल सेंटर के माध्यम से आपकी क्वेरी की स्थिति को जांच सकते हैं।

स्तर 2: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या यदि शिकायत दर्ज करने के तीस दिनों के अंत तक मध्यस्थ इकाई द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है, तो वह निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से शिकायत को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास) तक बढ़ा सकता है –

1. **वेबसाइट:** www.npstrust.org.in https://www.npstrust.org.in/content/contact & us/
2. **पत्र :** अभिदाता एनपीएस न्यास को निम्नलिखित पते पर लिखकर भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

14 वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर

61, नेहरू प्लेस

नई दिल्ली – 110 019

संपर्क: 91 11 47207700

तालिका संख्या 3.14: सीआरए के विरुद्ध प्रश्न / शिकायत (रेफरल)

	वित्तीय वर्ष 2022 –23 के लिए रेफरल की स्थिति			
दर्ज रेफरल	मार्च 2022 के अंत में लंबित	वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान प्राप्त	वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान बंद/हल किया गया	मार्च 2023 के अंत तक लंबित
सीआरए	673	1,13,810	1,13,962	521

(डेटा का स्रोत: प्रोटियॉन सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

तालिका संख्या 3.15: सीआरए के खिलाफ श्रेणीवार क्वेरी/शिकायत (रेफरल) की स्थिति

शिकायत श्रेणी	मार्च, 2022 के अंत में लंबित मामले	वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान सुलझाए गए मामले	मार्च, 2023 के अंत में सुलझाने के लिए लंबित मामले
सामान्य क्वेरी	301	52,241	52,297	245
प्रान कार्ड से संबंधित	116	17,915	17,929	102
एसओटी से संबंधित	60	7,387	7,408	39
टियर II से संबंधित	27	3897	3908	16
अभिदाता विवरण का गलत संसाधन	19	5,110	5,108	21
आई–पिन, टी–पिन से संबंधित	23	2,954	2,959	18
निकासी से संबंधित	30	7,293	7,305	18
ईमेल/एसएमएस अलर्ट प्राप्त नहीं हुए	21	2,591	2,604	8
निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/अधिकृत नहीं हुई/ राशि प्राप्त नहीं हुई	11	2,144	2,142	13
आंशिक निकासी शुरू नहीं की गई है/ अधिकृत नहीं है/राशि प्राप्त नहीं हुई है	20	4,682	4,696	6
अन्य शिकायतें	30	2,984	3,001	13
मृत्यु पर निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/अधिकृत नहीं/ राशि प्राप्त नहीं हुई	1	189	188	2
अभिदाता परिवर्तन अनुरोध संसाधित नहीं/संसाधित करने में देरी	4	990	992	2
प्रान कार्ड जारी करने में देरी	3	1,107	1,108	2
समयपूर्व निकासी शुरू नहीं की गई है/अधिकृत नहीं / राशि प्राप्त नहीं हुई है	7	1,330	1,328	9
अंशदान राशि खाते में परिलक्षित नहीं हो रही है	0	998	991	7
कुल	**673**	**1,13,810**	**1,13,962**	**521**

(डेटा का स्रोतः प्रोटियन सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

तालिका संख्या 3.16: 31 मार्च, 2023 को समाप्त महीने के लिए लंबित रेफरल का समय

क्षेत्र	< 7 दिन	8–14 दिन	15–30 दिन	31–60 दिन	> 60 दिन	कुल
केंद्र सरकार	36	8	2	3	1	50
राज्य सरकार	38	1	0	1	0	40
कॉर्पोरेट	66	7	7	1	1	82
असंगठित क्षेत्र	309	4	2	5	1	321
एनपीएस लाइट	8	0	0	0	0	8
एपीवाई	19	1	0	0	0	20
कुल	**476**	**21**	**11**	**10**	**3**	**521**

(डेटा का स्रोतः प्रोटियन सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

स्तर 3: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या स्तर 2 पर 30 दिनों के भीतर भी कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त लोकपाल से निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण प्रस्तुत करके अभिदाता द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार : विनियमों के तहत लोकपाल के पास अपील दायर की जा सकती है और उसमें निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा –

(क) ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा जिसकी शिकायत एनपीएस न्यास को शिकायत भेजने से तीस दिनों के भीतर हल नहीं की गई है।

(ख) ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा, जहां एनपीएस न्यास और किसी अन्य मध्यस्थ के खिलाफ सीधे शिकायत की गई है और यह तीस दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं सुलझाई गयी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर लोकपाल से अपील की जानी चाहिए।

अपील लिखित रूप में होनी चाहिए, शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जो कानूनी व्यवसायी न हों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म में होनी चाहिए, जैसा कि विनियम में निर्दिष्ट किया गया है ।

वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा केवल एक लोकपाल नियुक्त किया गया है।

श्री अर्णब रॉय
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
बी –14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय,
नई दिल्ली–110016
ईमेल आईडी: ombudsman@pfrda.org.in
लैंडलाइन नंबर : 011 – 26517507 विस्तार : 188

स्तर 4: यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो अभिदाता निम्नलिखित पते पर पीएफआरडीए के नामित सदस्य को आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है :

लोकपाल विभाग,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
बी –14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय
नई दिल्ली–110 016

स्तर 5: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण।

इसके अलावा, पीएफआरडीए के नामित सदस्य से संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में शिकायतकर्ता के पास प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में संपर्क करने का अधिकार है।

3.5.1 लोकपाल के कार्यालय में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्त, हल की गई और लंबित शिकायतों की संख्या ।

तालिका संख्या 3.17: वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त, हल की गई और लंबित शिकायतों की संख्या

क्रम	क्षेत्र				
	केंद्र सरकार/ केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	केंद्र सरकार/ केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	राज्य सरकार/ राज्य स्वायत्त निकाय	असंगठित क्षेत्र एनपीएस लाइट	कुल
प्राप्त शिकायतों की संख्या	2	39	4	–	45
सुलझाई गयी गई शिकायतों की संख्या	2	39	4	1	46
लंबित शिकायतों की संख्या	–	–	–	–	–

नोटः ' अन्य क्षेत्रों जैसे स्वावलम्बन और एपीवाई हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोई अपील प्राप्त नहीं हुई थी।

3.5.2 लोकपाल के कार्यालय में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्त राज्यवार शिकायतें

तालिका संख्या 3.18: वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्त राज्यवार शिकायतें

क्रम सं	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार संख्या
1.	हरियाणा	2
2.	कर्नाटक	1
3.	केरल	1
4.	मध्य प्रदेश	2
5.	महाराष्ट्र	1
6.	राजस्थान	1
7.	तमिलनाडु	1
8.	तेलंगाना	1
9.	उत्तर प्रदेश	1
10.	पश्चिम बंगाल	1
11.	चंडीगढ़	1
12.	दिल्ली	32

विनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो अभिदाता पीएफआरडीए के नामित सदस्य को निम्नलिखित पते पर शिकायत भेजकर आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है:

लोकपाल विभाग,
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
बी –14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय
नई दिल्ली–110 016

इसके अलावा, पीएफआरडीए के नामित सदस्य से संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में शिकायतकर्ता के पास प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.5.3 लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) के तहत शिकायत समाधान का विवरण (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए)

शिकायत समाधान की प्रक्रिया :

लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएम) के तहत पीएफआरडीए को सौंपी गई शिकायतों के समाधान के लिए पर्यवेक्षण विभाग–पीजीपी (सीपीजीआरएएम) द्वारा निगरानी की जाती है। अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों (जैसे डीईए, पीएमओ, डीओपी एंड पीडब्ल्यू, डीएआरपीजी आदि) से प्राप्त शिकायतों को केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के तहत समाधान के लिए संबंधित मध्यस्थों को भेजने के लिए सीआरए को भेज दिया जाता है।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ,सीजीएमएस, पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के समन्वय से, विकसित एक मंच है (अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए नियमों के तहत एक तंत्र

स्थापित करने के संबंध में धारा 14 की उप–धारा (2) (f) का संदर्भ लिया जा सकता है)

इसके अलावा, समाधान के बाद, शिकायतों को समाधान के रूप में चिह्नित किया जाता है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्रदान किया गया समाधान प्रशासनिक निकाय (डीएफएस) को संतोषजनक नहीं प्रतीत होता है तो शिकायतकर्ता शिकायत को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसे मामलों में, पीएफआरडीए द्वारा दिए गए समाधान के आधार पर डीएफएस के पास शिकायतों को बंद कर दिया जाता है।

सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दर्ज शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है–

तालिका संख्या 3.19: डीएफएस में पेंशन सुधार अनुभाग के माध्यम से की गई शिकायत

शिकायत स्रोत वार

शिकायत स्रोत	आगे लाया गया	अवधि के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्ति	अवधि के दौरान निपटाया गया मामला	क्लोजिंग बैलेंस	आकलन करना शेष है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थ कार्यालय में
डीएआरपीजी	0	8	8	8	0	0	0	0
स्थानीय/इंटरनेट	3	336	339	327	12	12	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	1	1	1	0	0	0	0
पेंशन	0	56	56	52	4	4	0	0
पीएमओ	3	108	111	108	3	3	0	0
कुल	**6**	**509**	**515**	**496**	**19**	**19**	**0**	**0**

श्रेणीवार निगरानी

निगरानी श्रेणी	आगे लाया गया	दौरान प्राप्त हुआ	कुल प्राप्तियां	कुल निपटाया गया	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोप	0	3	3	3	0
कोविड –19 से संबंधित मुद्दे	0	7	7	7	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी से संबंधित	1	151	152	147	5
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	16	16	13	3
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	0	204	204	194	10
श्रम संबंधी मुद्दे	0	7	7	7	0
केंद्र सरकार से संबंधित अन्य	5	102	107	105	2
पुलिस	0	0	0	0	0
सेवा की गुणवत्ता/नागरिक सुविधाएं	0	1	1	1	0
राज्य सरकार से संबंधित	0	3	3	3	0
सुझाव	0	15	15	15	0
कुल	**6**	**509**	**515**	**495**	**20**

सक्षमसंख्या 3.20: डीएफएस के बैंकिंग ऑपरेशन डिवीजन –III के माध्यम से की गई शिकायतें

शिकायत स्रोत वार

शिकायत स्रोत	आगे लाया गया	अवधि के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्ति	अवधि के दौरान निपटाया गया मामला	क्लोजिंग बैलेंस	आकलन करना शेष है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थ कार्यालय में
डीपीजी	0	2	2	2	0	0	0	0
डीएआरपीजी	0	5	5	5	0	0	0	0
स्थानीय/इंटरनेट	1	45	46	44	2	2	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	0	0	0	0	0	0	0
पेंशन	1	6	7	7	0	0	0	0
पीएमओ	0	24	24	23	1	1	0	0
कुल	2	82	84	81	3	3	0	0

श्रेणीवार निगरानी

निगरानी श्रेणी	आगे लाया गया	दौरान प्राप्त हुआ	कुल प्राप्तियां	कुल निपटाया गया	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोप	0	4	4	3	1
कोविड –19 से संबंधित मुद्दे	0	1	1	1	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी से संबंधित	0	7	7	7	0
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	39	39	38	1
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	0	0	0	0	0
श्रम के मुद्दे	0	0	0	0	0
भूमि संबंधी समस्याएं	0	0	0	0	0
केंद्र सरकार से संबंधित अन्य	2	26	28	27	1
पुलिस	0	1	1	1	0
सेवा की गुणवत्ता/नागरिक सुविधाएं	0	0	0	0	0
रेलवे	0	0	0	0	0
राज्य सरकार से संबंधित	0	3	3	3	0
सुझाव	0	1	1	1	0
कुल	**2**	**82**	**84**	**81**	**3**

सुलझाए गए मामलों की कुल संख्या– 576 (495+81)

31 मार्च, 2023 तक सीजीएमएस में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका संख्या 3.21: 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और बंद की गई शिकायतें।

क्रम सं	क्षेत्र	31 मार्च, 2022 तक लंबित	31 मार्च, 2023 तक प्राप्त हुआ	31 मार्च, 2023 तक हल किया गया	31 मार्च, 2032 तक लंबित प्रतिशत
1	एनपीएस नियमित #	2,811	1,73,384	1,73,685	1.42%
2	एनपीएस लाइट	109	1,911	1,957	3.12%
3	एपीवाई	877	45,458	45,841	1.07%
	कुल	**3,824**	**2,20,753**	**2,21,483**	**1.38%**

स्रोतः सीआरए के अनुसार
नोटः # एनपीएस रेगुलर में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/राज्य स्वायत्त निकाय/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/कॉर्पोरेट और सभी नागरिक क्षेत्र शामिल हैं

31 मार्च, 2023 तक सीजीएमएस में वर्ष के दौरान विभिन्न मध्यस्थों को प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

तालिका संख्या 3.22: दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान सीजीएमएस में विभिन्न क्षेत्रों में लंबित, प्राप्त और बंद की गई शिकायतें।

क्रम सं.	दर्ज रेफरल (के विरुद्ध)	31 मार्च, 2022 तक लंबित	31 मार्च, 2023 तक प्राप्त हुआ	31 मार्च, 2023 तक समाधान किया गया	31 मार्च, 2023 तक लंबित
1	केंद्र सरकार	339	6,119	6,156	302
2	राज्य सरकार	750	9,209	9,041	918
3	पीओपी	796	33,682	33,950	528
4	कॉर्पोरेट	3	145	146	2
5	न्यासी बैंक	84	12	56	40
6	एनपीएस लाइट	98	679	726	51
7	एपीवाई (एपीवाई–एसपी)	818	34,590	34,949	459
8	ई–एनपीएस	170	24,091	24,016	245
9	सीआरए	677	1,11,166	1,11,335	508
10	एनपीएस न्यास	89	1,060	1,108	41
	कुल	**3,824**	**2,20,753**	**2,21,483**	**3,094**

स्रोतः सीआरए

प्राप्त प्रमुख शिकायतें लेन–देन विवरण, अंशदान राशि को खाते में प्रदर्शित न किए जाने, प्रान कार्ड, अभिदाता विवरणों की गलत प्रक्रिया, अंशदान राशि अपलोड करने में विलंब आदि से संबंधित हैं। शिकायतें अभिदाता द्वारा सीजीएमएस में दर्ज की जाती हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यस्थों को भेजी जाती हैं। इस प्रकार, यह संबंधित मध्यस्थो इकाइयों पर निर्भर करता है कि वे सीजीएमएस में उनके खिलाफ उठाई गई शिकायतों को सुलझाएं और बंद करें। सीजीएमएस में शिकायतों को हल करने और बंद करने के लिए संबंधित मध्यस्थ को आवधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

3.6 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 14 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अलावा 3 अन्य एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ऑनलाइन मंच उपलब्ध है जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकित, उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का त्रैमासिक सारांश निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.23: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

एनआईएसएम श्रृंखला–XVII : सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

तिमाही	नामांकित	प्रस्तुत	पारित
अप्रैल–जून 2022	98	84	62
जुलाई – सितंबर 2022	95	77	52
अक्टूबर – दिसंबर 2022	132	102	73
जनवरी – मार्च 2023	118	111	72
कुल	**443**	**374**	**259**

3.7 प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसन्धान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है।

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश, अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जारी किए गए विभिन्न वित्तीय उत्पादों/योजनाओं, उन पर उत्पन्न रिटर्न, अभिदाताओं को प्रदान किए गए प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि पर आधारित एक व्यापक डेटा का संग्रह और संकलन पर आधारित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पीएफआरडीए में गतिविधियां प्रचलित हो रही हैं। इस उद्देश्य के लिए, पीएफआरडीए विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत शामिल लोगों और विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में जानकारी संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए फिलहाल देश के अन्य पेंशन प्रदाताओं से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में है।

3.8 पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यस्थों के प्रशिक्षण के विवरण

3.8.1 पेंशन के संबंध में वित्तीय साक्षरता :

पीएफआरडीए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), इसकी उप–समिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर–नियामक मंचों जैसे अंतर नियामक तकनीकी समूह (आईआर–टीजी), वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल), इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कांग्लुअल ग्रुप (आईआरएफ–एफसी), वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान व्यवस्था पर कार्य समूह इत्यादि के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से इन समितियों/समूहों/मंचों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देता है।

पीएफआरडीए की www.pensionsanchay.org.in के नाम से वित्तीय साक्षरता के लिए एक समर्पित वेबसाइट है जो धन, वित्तीय योजना, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश मूल्यांकन और वार्षिकी से संबंधित मौलिक तत्वों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए विकसित की गयी है। वेबसाइट में सेवानिवृत्ति योजना, धन और वित्त के मूल सिद्धांतों, सेवानिवृत्ति योजना, बचत और निवेश और पेंशन के व्यवहार संबंधी पहलुओं पर चर्चा और

जानकारी साझा करने के लिए एक ब्लॉग अनुभाग है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पेंशन संचय वेबसाइट पर कुल 6 ब्लॉग होस्ट किए गए थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पेंशन संचय वेबसाइट पर कुल आगंतुकों की संख्या 3,99,602 थी।

3.8.2 सेवानिवृत्ति योजनाकार

हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और बुजुर्गों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इनमें से कई लोगों के पास अपने पश्चातवर्ती जीवन में उनकी देखभाल करने के लिए धन का कोई स्थायी और निरंतर स्रोत नहीं है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत की संस्कृति के बारे में कार्यात्मक जागरूकता की आबादी में निराशाजनक रूप से कमी है।

इसी क्रम में, पीएफआरडीए ने भारत के नागरिकों के बीच पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत की संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैकल्पिक चैनल के रूप में सेवानिवृत्ति योजनाकार योजना शुरू की है ।

सेवानिवृत्ति योजनाकार : सेवानिवृत्ति योजनाकार, प्राधिकरण द्वारा चुने गए और सूचीबद्ध किए गए ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवानिवृत्ति पर जागरूकता पैदा करने और शिक्षा प्रदान करने हेतु ध्यान केंद्रित करने वाली कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए पात्र माने जाते हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष (2022–23) के दौरान पीएफआरडीए ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सेवानिवृत्ति योजना और एनपीएस/एपीवाई पर कार्यशालाएं आयोजित करने की गतिविधियों को लेने के लिए 88 सेवानिवृत्ति योजनाकारों को सूचीबद्ध किया। ये सेवानिवृत्ति योजनाकार पेशेवर विशेषज्ञ/प्रशिक्षक हैं जिनके पास वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, वे देश भर में स्थित हैं ताकि अधिकांश आबादी (ग्रामीण स्थानों को भी कवर कर सकें)। पीएफआरडीए के एक पैनल में शामिल सेवानिवृत्ति योजनाकार होने के अलावा, वे सेबी, एनसीएफई आदि जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भी सूचीबद्ध हैं।

तालिका संख्या 3.24: पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022–23) के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है :

सूचीबद्ध आरपी की संख्या	आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	कार्यशालाओं की अवधि	कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या
88	1,600	16.08.2022 से 31.03.2023	52,555

इसके अलावा, पीएफआरडीए ने इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए आरईपी (सेवानिवृत्ति शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम) पुस्तिका नाम से एक पठन सामग्री भी तैयार की है। इन सामग्रियों की सॉफ्टकॉपी पीएफआरडीए पर भी उपलब्ध है जिसे आरपी द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार प्रतिभागियों में वितरित किया जा सकता है।

इस पुस्तिका को 13 स्थानीय भाषाओं में डिजाइन किया गया है, जिनमें से अंग्रेजी और हिंदी संस्करण पूरा हो गया है और यह पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.8.3 वित्तीय एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम

पीएफआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ मिलकर राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), धारा 8 (गैर – लाभकारी) कंपनी को बढ़ावा दे रहा है। पीएफआरडीए ने 100 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी में से 10 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है जबकि अन्य आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई ने 30–30 करोड़ रुपये का अंशदान दिया

है। एनसीएफई का मिशन उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचकर वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू करना है।

एनसीएफई का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए पूरे भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, चर्चा मंचों के माध्यम से देश भर में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण पैदा करना है। संगठन और वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करना और इलेक्ट्रॉनिक या गैर–इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों, कार्यपुस्तिकाओं, कार्यपत्रकों, साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिकाओं, फ्लायर, तकनीकी सहायता में वित्तीय शिक्षा सामग्री बनाना और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित दर्शकों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता में सुधार हो सके।

एपीवाई को एनसीएफई मॉड्यूल में न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने वाली सरकारी योजनाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, एनपीएस को सेवानिवृत्ति की जरूरतों के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी शामिल किया गया है।

भारत के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई : 2020–25) भारतीयों के वित्तीय कल्याण के लिए एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है। एनएसएफई 2020–25 की कार्य योजना के तहत रणनीतिक लक्ष्य के अनुसार, सभी क्षेत्र विनियामकों के समन्वय से ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा की सामग्री का मसौदा तैयार किया गया है।

इसके अलावा, पीएफआरडीए ने एनसीएफई और अन्य नियामकों के साथ अंशदान और समन्वय किया और 13 फरवरी से 17 फरवरी, 2023 तक **वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू 2023)** को सफलतापूर्वक मनाया। 16 फरवरी 2023 को, पीएफआरडीए के अधिकारियों द्वारा ''स्मार्ट सेवानिवृत्ति के लिए अच्छा वित्तीय व्यवहार'' पर एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार को संबोधित किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, पीएफआरडीए ने **ग्लोबल मनी वीक (जीएमडब्ल्यू)** के 11वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो ओईसीडी /आईएनएफई द्वारा आयोजित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के महत्व पर एक वार्षिक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है कि युवा लोग, कम उम्र से, वित्तीय रूप से जागरूक हों, और धीरे–धीरे ठोस वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय कल्याण और वित्तीय लचीलापन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जीएमडब्ल्यू 2023 के लिए राष्ट्रीय समन्वयक था। **जीएमडब्ल्यू का आयोजन 20 मार्च 2023 से 26 मार्च 2023** तक किया गया था। पीएफआरडीए के एक अधिकारी ने 21 मार्च, 2023 को जीएमडब्ल्यू के दौरान अतिथि वक्ता के रूप में 'अपने पैसे की योजना बनाएं, अपना भविष्य संजोएँ' (Plan your money, plant your future) विषय पर राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार को भी संबोधित किया।

3.8.4 मीडिया, संचार और एनपीएस/एपीवाई जागरूकता पर पीएफआरडीए के प्रयास

पीएफआरडीए ने 'भारत को एक पेंशनयुक्त समाज' बनाने की दृष्टि से पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखा है । इस पृष्ठभूमि में, सोशल मीडिया, डिजिटल डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (ऑडियो और विजुअल) और प्रिंट मीडिया जैसे संचार के विभिन्न चौनलों और माध्यमों को पेंशन साक्षरता को शिक्षित करने और बढ़ाने के लिए अपनाया गया था और बड़े पैमाने पर जनता को एनपीएस/एपीवाई की विशेषताओं और लाभों को समझाने के लिए विशेष रूप से एनपीएस के लिए 18–70 वर्ष और एपीवाई के लिए 18–40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले नागरिकों को समझाया गया था।

प्रिंट अभियान : – वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अटल पेंशन योजना के संबंध में ऑनलाइन सूचना तक आसान पहुंच के लिए क्यूआर कोड के साथ अंकित **प्रिंट अभियान** चलाए गए ताकि जनता को एपीवाई के लाभों, शामिल होने के लिए पात्रता शर्तों और वर्षों में हुए संचयी नामांकन की संख्या के बारे में सूचित किया जा सके। उक्त प्रिंट अभियान बीओसी–डीएवीपी के कार्यालयों के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 200 से अधिक समाचार पत्रों में देशव्यापी कवरेज के साथ चलाया गया था।

टेलीविजन अभियान–टीवी वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट फिल्म निर्माण

- डीडी न्यूज और दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एपीवाई के लिए **टीवीसी और टीवी स्क्रॉल अभियान** चलाए गए थे, जिसमें डीडी न्यूज पर केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर डीडी कॉन्क्लेव के विशेष प्रायोजन के हिस्से के रूप में एपीवाई के तिगुने लाभों पर जोर दिया गया था।
- **सेवानिवृत्ति कोष** के निर्माण में जल्दी शुरुआत, योजना, बचत, निवेश और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डालने वाले ''एनपीएस जरूरी है'' के विषय के साथ 30 सेकेंड के एक वाणिज्यिक वीडियो की अवधारणा और निर्माण हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया था। यह वीडियो प्रसार भारती, दूरदर्शन नेटवर्क (डीडी नेशनल और क्षेत्रीय केंद्रों) के माध्यम से 'स्वराज– भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा' कार्यक्रम के दौरान प्रसारित किया गया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है।

एनपीएस अभिदाताओं, एनपीएस और एनपीएस डिस्ट्रीब्यूशन चौनल (यानी, पीओपी) के तहत पंजीकृत कॉर्पोरेट/नियोक्ता को प्रदर्शित करने वाले ''एनपीएस जरूरी है'' के मूल विषय पर 03 मिनट की 03 फिल्मों का निर्माण किया गया था। इनके शीर्षक क्रमशः ''नागरिकों को सशक्त बनाना, उनके भविष्य को आकार देना'', एक बेहतर कल का निर्माण'' और ''एक बेहतर भविष्य की नींव'' थे। उक्त फिल्मों ने एनपीएस अभिदाताओं, वितरण चौनलों के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और एनपीएस के तहत पंजीकृत कॉर्पोरेट/नियोक्ता के वरिष्ठ प्रबंधन के फुटेज को कैप्चर किया, जो एनपीएस लाभों और जनता के बीच इसकी लोकप्रियता के कारणों को बढ़ावा देते थे।

ग. एनपीएस दिवस के संबंध में मीडिया गतिविधियां 01 अक्टूबर 2022 में की गईं

- एनपीएस दिवस 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया । एनपीएस दिवस 2022 मनाने का मूल विषय ''एनपीएस जरूरी है'' और **''एनपीएस के साथ वित्तीय स्वतंत्रता''** था, जिसका उपयोग विभिन्न मीडिया और प्रचार अभियानों में किया गया था। **एनपीएस दिवस 2022** के दौरान निम्नलिखित मीडिया गतिविधियां की गईं ।
- टीवीसी डीडी न्यूज, जी बिजनेस और टाइम्स नेटवर्क चौनलों (टाइम्स नाउ, मिरर नाउ, टाइम्स नाउ नवभारत, ईटी नाउ, ईटीएन स्वदेश) पर एल–बैंड के माध्यम से स्क्रॉल करता है।
- डीडी नेशनल और इसके क्षेत्रीय केंद्रों पर ''एनपीएस जरूरी है'' 30 सेकंड टीवीसी का शुभारंभ 01 अक्टूबर 2022 को एनपीएस दिवस 2022 के साथ हुआ था।
- नेटवर्क 18 चौनलों पर तीन 3 मिनट की पीएफआरडीए कॉर्पोरेट फिल्मों का प्रसारण (न्यूज 18 इंडिया, सीएनएन, न्यूज 18, सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी बाजार)।
- श्री अनिल सिंघवी के साथ विशेष साक्षात्कार 01 और 2 अक्टूबर को जी बिजनेस पर और श्री अजय मिश्रा, डीडी न्यूज 01 अक्टूबर 2022 को दिखाए गए।
- अनुइया यादव के साथ **'एनपीएस के साथ रिटायर'** विषय पर ऑनलाइन चर्चा, ईटी नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई।
- **''एनपीएस–फाउंडेशन ऑफ ए बेटर फ्यूचर/–एनपीएस–एक बेहतर भविष्य की नीव''** विषय पर पैनल चर्चा 'ईटी नाउ' (अंग्रेजी) और 'ईटी नाउ स्वदेश' (हिंदी) पर दिखाई गई। चर्चा में अन्य पैनलिस्ट थे– श्री के. के. सिंह, निदेशक–कार्मिक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, श्री धीरेंद्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च, श्रीआरआई संतोष नवलानी, सीओओ, ईटी मनी

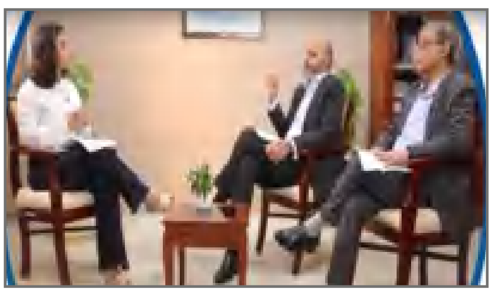

3.8.5. पीएफआरडीए सोशल मीडिया पर

- पारंपरिक मीडिया में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आम तौर पर बड़े पैमाने पर जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दर्शकों से प्रतिक्रिया के साथ लक्षित दर्शकों को संचार और संदेश के वितरण का एक बहु–आयामी चौनल प्रदान करते हैं।
- सोशल मीडिया जनता के साथ आउटरीच और जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएफआरडीए अभिदाताओं के साथ जुड़ने और उन्हें जोड़ने के अपने प्रयास में एनपीएस और एपीवाई के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एपीवाई और इंस्टाग्राम के साथ अपने खाते को सक्रिय रूप से बनाए रखता है।

- पीएफआरडीए के सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स हैं : एपीवाई फेसबुक पेज – 71000, एनपीएस फेसबुक – 42000, ट्विटर– 8500। संबंधित लक्षित समूह के साथ बातचीत करने और योजना से संबंधित जानकारी और अपडेट का प्रसार करने के लिए, एपीवाई इंस्टाग्राम (एपीवाई–आईजी) को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भी सक्रिय किया गया था।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 950 फेसबुक पोस्ट, 492–ट्वीट्स, लिंक्डइन पर 490 पोस्ट और एपीवाई–आईजी पर 180 पोस्ट किए गए, जिनके माध्यम से नीतिगत परिवर्तनों का प्रसार करने और लक्षित सेगमेंट ६ दर्शकों को शामिल करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट साझा किए गए।

3.8.6 जनसंपर्क और संचार

पीएफआरडीए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अभिदाता हितों की रक्षा के लिए अपनी नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों ६ संचार करता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए के वरिष्ठ प्रबंधन/प्रवक्ता ने 6 प्रेस मीट/मीडिया गोलमेज, 26– मीडिया साक्षात्कार/इंटरैक्शन आयोजित किए और 14 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं, जिसमें प्रिंट, ऑडियो, ऑनलाइन और विजुअल मीडिया चौनलों में प्रकाशन के लिए नीतिगत परिवर्तनों और विकास को सूचित किया गया। उक्त मीडिया गतिविधियों ने 547 में समग्र कवरेज की गिनती प्राप्त की, जिसमें प्रिंट/समाचार पत्रों में 261 कवरेज और ऑनलाइन समाचार मंचों पर 286 शामिल थे। सेवानिवृत्ति नियोजन, पेंशन और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं के समाधान 5 फीचड/लिखित लेखों के माध्यम से प्रसारित किए गए, जिन्होंने प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में 31 का समग्र कवरेज प्राप्त किया।

3.8.7 प्रशिक्षण

एनपीएस/एपीवाई की प्रमुख विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, निधि प्रबंधक के चयन के लिए उपलब्ध विकल्प, आस्ति आवंटन, वार्षिकी योजनाएं, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, पीएफआरडीए ने अपनी सूचीबद्ध प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से कई वेबिनार आयोजित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का क्षेत्र–वार ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

तालिका संख्या 3.25: एनपीएस के तहत प्रशिक्षण सत्रों और उनमें भाग लेने वालों की संख्या का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	आयोजित वेबिनार की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
एनपीएस – केंद्र सरकार	23	09.06.2022 से 31.03.2023	3048
एनपीएस – राज्य सरकार	25	10.06.2022 से 31.03.2023	3108
एनपीएस – सर्व नागरिक	27	11.06.2022 से 31.03.2023	4935
एनपीएस – कॉर्पोरेट	45	20.09.2022 से 31.03.2023	11956
एपीवाई	96	19.10.2022 से 31.03.2023	17972
कुल	**216**		**41019**

3.8.8 एनपीएस और एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क

देश भर से एनपीएस और एपीवाई पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए मौजूदा और संभावित अभिदाताओं के लिए एक मानव इंटरैक्टिव प्रणाली की सुविधा हेतु, पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क का संचालन कर रहा है, जिसमें एनपीएस/एपीवाई पर प्रश्नों का पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से उत्तर दिया जाएगा। कॉल सेंटर का उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार अभिदाताओं को आउटबाउंड कॉल करने के लिए भी किया जाता है (जैसे एपीवाई अंशदान की निरंतरता,

पीएफआरडीए आदि द्वारा आयोजित सत्रों/जागरूकता कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण) और एनपीएस संरचना के भीतर सेवाओं की प्रक्रियाओं और वितरण में सुधार के लिए सर्वेक्षण (जैसे योजना की विशेषताओं के बारे में जागरूकता का आकलन करना, प्रशिक्षण सत्र की गुणवत्ता आदि) और एपीवाई से स्वैच्छिक निकास पर सर्वेक्षण करना। एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क को वित्तीय वर्ष के दौरान कॉल सेंटर के माध्यम से कुल 0.85 लाख आवक कॉल प्राप्त हुए और 5.74 लाख आउटबाउंड कॉल किए गए।

वर्तमान में, सूचना हेल्पडेस्क के दो टोल–फ्री नंबर अर्थात एनपीएस के लिए 1800110708 और एपीवाई के लिए 1800110069 चालू हैं और हेल्पडेस्क से कॉल बैक सेवाओं के लिए एसएमएस 'एनपीएस टू 56677' के माध्यम से एक एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) दिन में 8 घंटे (सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे) के लिए चालू है।

3.9 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए सम्मेलन, बैठकें और अन्य पहल

3.9.1 केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र के तहत सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, जिसमें अधिकांश एनपीएस अभिदाता शामिल हैं, पीएफआरडीए सरकारी नोडल कार्यालयों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विभिन्न मुद्दों/मामलों पर संवेदनशील बनाता है। इस संबंध में, पीएफआरडीए विभिन्न उपाय करता है और केंद्र/राज्य सरकार के क्षेत्र में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करता है।

पीएफआरडीए द्वारा वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका संख्या 3.26: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित समीक्षा बैठकों/सम्मेलनों की सूची

क्षेत्र	समीक्षा बैठकें
केंद्र सरकार	66
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	65
योग (केंद्र सरकार, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय)	131
राज्य सरकार	67
राज्य स्वायत्त निकाय	112
योग (राज्य सरकार, राज्य स्वायत्त निकाय)	179
महायोग	**310**

a) केंद्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकाय

i) केंद्र सरकार

लेखा निर्माण/मंत्रालय/कार्यालय का नाम (आयोजित बैठकों की संख्या)	
नागरिक	
जल संसाधन मंत्रालय	पीआरएओ, गृह मंत्रालय
कृषि मंत्रालय	पीआरएओ, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
पीआरएओ, लोकसभा सचिवालय	पीआरएओ, सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
विदेश मंत्रालय	पीआरएओ, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (2)
कृषि मंत्रालय	पीआरएओ, परमाणु ऊर्जा विभाग
श्रम और रोजगार मंत्रालय	पीआरएओ, अंतरिक्ष विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
दूरसंचार विभाग	पीआरएओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लेखा निर्माण/मंत्रालय/कार्यालय का नाम (आयोजित बैठकों की संख्या)	
पीआरएओ, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर	कानपुर पीआरएओ, योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
पीआरएओ, शहरी विकास मंत्रालय	पीआरएओ, लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश
लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	
रक्षा	
पीसीडीए (आर एंड डी), नई दिल्ली	पीसीडीए (नौसेना), मुंबई
पीसीडीए (एसडब्ल्यूसी), जयपुर	सीडीए (बॉर्डर रोड्स), दिल्ली छावनी
सीडीए (आईडीएस), नई दिल्ली	पीआरएओ, रक्षा लेखा नियंत्रक नौसेना और तटरक्षक, नई दिल्ली
सीडीए, जबलपुर	पीसीडीए (दक्षिणी कमान), पुणे
पीसीए (एफवाईएस), कोलकाता	पीसीडीए (पश्चिमी कमान), चंडीगढ़
पीसीडीए (एनसी), जम्मू छावनी	एसीएएस (लेखा और एवी), नई दिल्ली
पीसीडीए (आर एंड डी), हैदराबाद	सीडीए, गुवाहाटी
सीडीए, मुंबई	सीडीए (सेना), मेरठ छावनी
सीडीए, चेन्नई	सीडीए, पटना
सीडीए, सिकंदराबाद	पीसीडीए (मध्य कमान), लखनऊ
एनसीटी, डाक	
महाप्रबंधक वित्त, डाक लेखा, दिल्ली	पीआरएओ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रालय
रेलवे	
एफए और सीएओ, डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य, पटियाला	एफए एंड सीएओ, रेल कोच फैक्ट्री (रायबरेली परियोजना), किशनगंज, दिल्ली
एफए और सीएओ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई	एफए और सीएओ, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
एफए और सीएओ, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	एफए और सीएओ, मध्य रेलवे, मुंबई
एफए और सीएओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	एफए और सीएओ, पूर्वी रेलवे, कोलकाता
एफए और सीएओ, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	एफए और सीएओ, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
एफए और सीएओ, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर	एफए और सीएओ, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
एफए और सीएओ, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	एफए और सीएओ, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
एफए और सीएओ, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव	एफए और सीएओ, पश्चिम रेलवे, मुंबई
एफए और सीएओ, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	एफए और सीएओ, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
एफए और सीएओ, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद	

(*) संबंधित कार्यालय के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या को इंगित करता है।

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	
पीआरएओ, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)	पीआरएओ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	पीआरएओ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (मुख्यालय), नई दिल्ली
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	पीआरएओ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	पीआरएओ, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	पीआरएओ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
पीआरएओ, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
पीआरएओ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	पीआरएओ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
पीआरएओ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पीआरएओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद	पीआरएओ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	पीआरएओ, दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली
पीआरएओ, असम विश्वविद्यालय, सिलचर	पीआरएओ, प्रसार भारती, नई दिल्ली
पीआरएओ, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम कच्छ	पीआरएओ, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नई दिल्ली
पीआरएओ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	पीआरएओ, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
पीआरएओ, रक्षा संपदा निदेशालय पश्चिमी कमान, चंडीगढ़	पीआरएओ, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
पीआरएओ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली	पीआरएओ, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
पीआरएओ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबा	पीआरएओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
पीआरएओ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	पीआरएओ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा	पीआरएओ, रक्षा संपदा निदेशालय मध्य कमान, लखनऊ
पीआरएओ, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक, तिरुवनंतपुरम	पीआरएओ., टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई
पीआरएओ, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जयपुर	पीआरएओ, रक्षा संपदा निदेशालय दक्षिणी कमान, पुणे
पीआरएओ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी	पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
पीआरएओ, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	पीआरएओ, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेड मेड एजुकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	
पीआरएओ, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी आरजीएनएल स्वास्थ्य और मेड साइंसेज संस्थान, शिलांग	पीआरएओ, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर	पीआरएओ, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़
पीआरएओ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली	पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
पीआरएओ, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
पीआरएओ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई	पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली	पीआरएओ, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
पीआरएओ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	पीआरएओ, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान	पीआरएओ, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर	पीआरएओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
पीआरएओ, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	पीआरएओ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
पीआरएओ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दक्षिण दिल्ली	

राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकाय

पूर्व	पूर्वोत्तर	उत्तर	दक्षिण	मध्य	पश्चिम
बिहार झारखंड ओडिशा (3)	असम (3) अरुणाचल प्रदेश (3) मणिपुर (4) मेघालय (3)	हिमाचल प्रदेश (1) जम्मू और कश्मीर (2) चंडीगढ़ (2) हरियाणा (1)	आंध्र प्रदेश (3) कर्नाटक (3) केरल (3) पुडुचेरी (3) तेलंगाना (3)	छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश (2) उत्तर प्रदेश (2)	गोवा (2) गुजरात (2) महाराष्ट्र (2) राजस्थान
	मिजोरम (3) नागालैंड (3) त्रिपुरा (3) सिक्किम (3)	उत्तराखंड (2) पंजाब (1) लद्दाख (1)			

(*) संबंधित कार्यालय के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या को इंगित करता है।

संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय जिनके साथ बैठकें आयोजित की गईं	
बिहार	
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बोधगया	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (02)
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय	भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
छत्तीसगढ़	
नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
पंचायत निदेशालय, रायपुर	
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल	
पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पटियाला, पंजाब	ए पी मॉडल स्कूल, एपी
स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर, राजस्थान	नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, कर्नाटक
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, तिरुवनंतपुरम, केरल	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार, हरियाणा
केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम, केरल	
उत्तर प्रदेश	
शिक्षा माध्यमिक निदेशालय, इलाहाबाद	वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
गुजरात	
म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड, राजकोट	अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद
म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड, सूरत	भूकंप अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर
सूरत नगर निगम, सूरत	राजकोट नगर निगम, राजकोट
गुजरात हाउसिंग बोर्ड, अहमदाबाद	वडोदरा नगर निगम, वडोदरा
शेठ वाडीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल, अहमदाबाद	गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान, गांधी नगर
गुजरात समुद्री बोर्ड, गांधीनगर	अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद
सूरत नगर निगम, सूरत	
मध्य प्रदेश	
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर लिमिटेड, इंदौर	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पंचायत राज संचालनालय, भोपाल	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश	नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल

संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय जिनके साथ बैठकें आयोजित की गई	
महाराष्ट्र	
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), अमरावती	जिला परिषद, वाशिम
जिला परिषद (शिक्षा), वाशिम	जिला परिषद, कोल्हापुर
जिला परिषद (शिक्षा), अकोला	जिला परिषद, लातूर
जिला परिषद (शिक्षा), बुलढाणा	जिला परिषद, ठाणे
जिला परिषद (शिक्षा), अमरावती	जिला परिषद, अमरावती
शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), औरंगाबाद	जिला परिषद, भंडारा
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), औरंगाबाद	जिला परिषद, पालघर
जिला परिषद (शिक्षा), जालना	जिला परिषद, अहमदनगर
शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), मुंबई	जिला परिषद, यवतमाल
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), मुंबई	जिला परिषद, नागपुर
जिला परिषद (शिक्षा), ठाणे	जिला परिषद, सोलापुर
जिला परिषद (शिक्षा), औरंगाबाद	जिला परिषद, धुले
जिला परिषद (शिक्षा), नंदुरबार	जिला परिषद, जलगांव
जिला परिषद (शिक्षा), धुले	जिला परिषद, वर्धा
जिला परिषद (शिक्षा), पालघर	जिला परिषद, जालना
जिला परिषद (शिक्षा), जलगांव	जिला परिषद, बुलढाणा
जिला परिषद (शिक्षा), रायगढ़	जिला परिषद, अकोला
महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड, मुंबई	जिला परिषद, रत्नागिरी
जिला परिषद (शिक्षा), यवतमाल	जिला परिषद, औरंगाबाद
नगर निगम औरंगाबाद, महाराष्ट्र	जिला परिषद, रायगढ़
डीटीए, उच्च शिक्षा निदेशालय पुणे, महाराष्ट्र	जिला परिषद, नंदुरबार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र	डॉ बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, रत्नागिरी
सोलापुर नगर निगम	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर, अकोला
राज्य नोडल अधिकारी	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक
जिला परिषद, वाशिम	शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), पुणे
नगर निगम औरंगाबाद, महाराष्ट्र	शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), पुणे
शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक) कोल्हापुर	जिला परिषद (शिक्षा), पुणे
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक) कोल्हापुर	जिला परिषद (शिक्षा), अहमदनगर
जिला परिषद (शिक्षा), कोल्हापुर	जिला परिषद (शिक्षा), सोलापुर

संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय जिनके साथ बैठकें आयोजित की गईं	
जिला परिषद (शिक्षा), रत्नागिरी	शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), लातूर
शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), नागपुर	शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), लातूर
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), नागपुर	जिला परिषद (शिक्षा), लातूर
जिला परिषद (शिक्षा), नागपुर	जिला परिषद (शिक्षा), वर्धा
जिला परिषद (शिक्षा), भंडारा	शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), अमरावती
जिला परिषद (शिक्षा), रत्नागिरी	शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), लातूर
शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), नागपुर	शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), लातूर
शिक्षा उप निर्देशिका (माध्यमिक), नागपुर	जिला परिषद (शिक्षा), लातूर
जिला परिषद (शिक्षा), नागपुर	जिला परिषद (शिक्षा), वर्धा
जिला परिषद (शिक्षा), भंडारा	शिक्षा उप निर्देशिका (प्राथमिक), अमरावती

(*) संबंधित कार्यालय के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या को इंगित करता है।

3.9.2 सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

3.9.2.1 एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों को सुझाए गए उपाय

a) समीक्षा बैठकों/चर्चा के दौरान केंद्र सरकार के क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई कि वे एनपीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का पालन करें, ताकि एनपीएस के तहत गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके।

b) केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे एससीएफ अपलोड करने और एनपीएस अंशदान के प्रेषण के संबंध में एनपीएस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करें।

c) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे अपने अंतर्निहित नोडल कार्यालयों के लिए नियमित बैठकें सह कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि उन्हें प्रमुख क्षेत्रों और परिचालन संबंधी मामलों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

d) केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत निरीक्षण कार्यालयों अर्थात पीआरएओ/डीटीए को उनके अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के कार्य–निष्पादन की समीक्षा सुनिश्चित करने और एनपीएस संबंधी कार्यकलाप को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सलाह दी गई थी।

e) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य में एनपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ नीतिगत स्तर के उपाय करने पर विचार करें जैसे–

- समय सीमा निर्दिष्ट करते हुए एनपीएस नियमों का निर्धारण,
- एनपीएस निरीक्षण और समीक्षा समिति का गठन,
- एनपीएस से संबंधित विभिन्न मामलों के सुचारू संचालन के लिए समर्पित एनपीएस प्रकोष्ठ की स्थापना,
- डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 31.01.2019 की राजपत्र अधिसूचना के अनुरूप, एनपीएस के तहत विभिन्न प्रावधानों को सक्षम करने पर विचार करें, जैसे नियोक्ता अंशदान में वृद्धि, कर्मचारी–अभिदाताओं के लिए निवेश प्रारूप और पेंशन निधि (पीएफ) का विकल्प सक्षम करना, एनपीएस अंशदान जमा नहीं करने या देरी से जमा करने के मामले में मुआवजे का प्रावधान,
- नियमित/आंतरिक लेखा परीक्षा के एक भाग के

रूप में एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को शामिल करना और

- एनपीएस गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए 'ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) और सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन (एसटीएस)' प्रक्रिया को अपनाना।

3.9.2.2 एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परामर्श और परिपत्र जारी

a- एनपीएस संरचना के तहत सीआरए प्रणाली का उपयोग करने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा पालन की जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह–'नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली के उपयोग, गैर–साझाकरण और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखने के संबंध में सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की सलाह देना' ।

b- लंबित शिकायतों के समाधान के लिए नोडल कार्यालयों से मासिक संचार

c- प्रदर्शन मानकों में आवश्यक सुधार हेतु पत्रों के माध्यम से सामान्य सलाह।

d- अंशदान के अपलोड/विप्रेषण में चिंताओं के लिए सामान्य सलाह।

e- पीएफआरडीए के अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए सामान्य सलाह ।

3.9.2.3 एनपीएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पीएफआरडीए द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयो/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों के साथ उठाए गए नीतिगत मामले

a- डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा अधिसूचित सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के संदर्भ में अपने संबंधित कर्मचारियों के लिए एनपीएस नियम तैयार करने से जुड़े मामले को सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव (वित्त)/अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के साथ उठाया गया था।

b- एआईएस कर्मचारियों, रेलवे सेवकों और केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधानों को लागू करने से जुड़े मामले को उनके अंतर्निहित कर्मचारियों के लिए क्रमशः डीओपीटी, रेलवे बोर्ड और एफए/सीसीए के साथ उठाया गया था।

c- नोडल कार्यालयों द्वारा निकासी मामलों की शुरुआत/प्राधिकार में पाए गए विलंब से संबंधित मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत लंबित निकासी/प्रत्याहरण मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए नोडल कार्यालयों को आवश्यक समय–सीमा और अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3.9.2.4 तकनीकी पहलों का लाभ उठाना सर्वर टू सर्वर (एसटीएस) एकीकरण और ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल)

a- पीएफआरडीए विभिन्न मंचों के माध्यम से नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम और एसटीएस एकीकरण को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि प्रान उत्पादन और एनपीएस अंशदान के प्रेषण में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

I- **ओपीजीएम** – एनपीएस के तहत अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे प्रान निर्माण के साथ–साथ अभिदाता पंजीकरण फॉर्म की अस्वीकृति में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) को अपनाएं।

ii- **एसटीएस**–सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर टू सर्वर) एकीकरण को अपनाना।

b- केंद्र सरकार/राज्य सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम और एसटीएस को अपनाने की संचयी स्थिति निम्नानुसार है

I- दिनांक 31.03.2023 तक, कुल 14 राज्य सरकारों ने एसटीएस को अपनाया है जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 3.27: राज्य सरकार नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ ओपीजीएम को अपनाए जाने की स्थिति।

विवरण	राज्य सरकार	
दिनांक 31–03–2023 तक एसटीएस को अपनाने वाले राज्य	असम,	बिहार
	छत्तीसगढ़	हिमाचल प्रदेश
	हरियाणा	झारखंड
	कर्नाटक	महाराष्ट्र
	उड़ीसा	पंजाब
	राजस्थान	त्रिपुरा
	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश

दिनांक 31.03.2023 को, कुल 51 राज्य स्वायत्त निकाय ने एसटीएस को अपनाया है जिनकी की सूची निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 3.28: राज्य स्वायत्त निकाय द्वारा एसटीएस को अपनाए जाने की स्थिति :

राज्य सरकार	एसटीएस अपनाने वाले नोडल कार्यालयों की संख्या
महाराष्ट्र	50
उत्तराखंड	1
कुल	51

दिनांक 31.03.2023 तक, कुल 31 राज्य सरकार/यूटी ने ओपीजीएम को अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.29: राज्य सरकार द्वारा ओपीजीएम को अपनाए जाने की स्थिति :

विवरण	राज्य सरकार		
राज्य सरकार, जिन्होंने 31–03–2023 को ओपीजीएम को अपनाया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु (केवल एआईएस के लिए)
	अरुणाचल	महाराष्ट्र	त्रिपुरा
	प्रदेश असम	मणिपुर	उत्तर प्रदेश
	बिहार	मेघालय	पश्चिम बंगाल (केवल एआईएस के लिए)
	यूटी चंडीगढ़	मिजोरम	छत्तीसगढ़
	गोवा	नागालैंड	उत्तराखंड
	गुजरात	उड़ीसा	झारखंड
	हरियाणा	पुदुचेरी	तेलंगाना
	जम्मू और कश्मीर	पंजाब	लद्दाख
	कर्नाटक	राजस्थान	
	केरल	सिक्किम	

दिनांक 31.03.2023 तक, कुल 1096 राज्य स्वायत्त निकाय ने ओपीजीएम को अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है।

तालिका संख्या 3.30 : राज्य स्वायत्त निकाय द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति :

राज्य सरकार	ओपीजीएम को अपनाने वाले राज्य स्वायत्त निकाय/ राज्य स्वायत्त निकाय नोडल कार्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	12
असम	14
बिहार	17
छत्तीसगढ़	18
गोवा	6
गुजरात	6
हरियाणा	94
हिमाचल प्रदेश	222
जम्मू और कश्मीर	25
झारखंड	1
कर्नाटक	95
केरल	14
लद्दाख	1
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	42
मणिपुर	3
मेघालय	3
मिजोरम	3
ओडिशा	16
पंजाब	204
राजस्थान	74
तेलंगाना	11
उत्तर प्रदेश	81
उत्तराखंड	120
महायोग	**1,096**

केंद्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकाय नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति :

तालिका संख्या 3.31: केंद्र सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति:

लेखांकन गठन	ओपीजीएम अपनाने वाले नोडल कार्यालयों की संख्या
नागरिक	417
रक्षा	182
डाक	24
रेलवे	166
दूरसंचार	31
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	227
कुल	**1,047**

3.9.3 गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस

एनपीएस गैर–सरकारी क्षेत्र की वर्ष 2009 में शुरुआत के बाद से वित्त वर्ष 2022–23 में 01 मिलियन का उच्चतम वार्षिक नामांकन हुआ। यह उपलब्धि 88 प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 20 निजी बैंक, 56 गैर–बैंक संस्थाएं शामिल थीं – (स्टॉक ब्रोकिंग फर्म / एएमसी / फिनटेक कंपनियां/पेंशन निधि, आदि) इन्हें एनपीएस वितरण सौंपा गया है और वे अभिदाता पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन और अभिदाता अनुरोधों को सेवा प्रदान करने की सुविधा देते हैं। एनपीएस वितरण के चौनलों का विस्तार करने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 03 नए पीओपी सक्रिय/परिचालित किए गए थे और एनपीएस कवरेज बढ़ाने के लिए पीओपी के रूप में पंजीकरण करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। एनपीएस के वितरण के लिए पीओपी को सहायता प्रदान की गई और आवधिक रणनीति सह समीक्षा बैठकों के माध्यम से पीओपी के प्रदर्शन की निगरानी की गई, जिसमें पीओपी की व्यावसायिक योजनाओं/रणनीतियों और प्राधिकरण से उनके द्वारा आवश्यक समर्थन पर भी चर्चा की गई। पीओपी के कर्मचारियों के प्रयासों को प्रेरित करने और पहचानने के लिए विभिन्न पुरस्कार/मान्यता कार्यक्रम शुरू किए गए और कलाकारों को स्वीकार करने के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

31 मार्च, 2023 तक एनपीएस गैर–सरकारी क्षेत्र (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत सक्रिय प्रान की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के 36.97 लाख की तुलना में 46.39 लाख थी, जो वर्ष–दर–वर्ष 25: की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल में 2,443 कॉरपोरेट/इकाइयों ने पंजीकरण कराया और 1,35,786 नए कर्मचारी एनपीएस में शामिल हुए। 31 मार्च 2023 तक एनपीएस को अपनाने वाली कंपनियों की कुल संख्या 12,794 तक पहुंच गई। अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में से एक के रूप में एनपीएस को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 03 सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीएस को अपनाया, जिससे एनपीएस के तहत सीपीएसई की संख्या 62 हो गई।

तालिका संख्या 3.32: लंबित प्रान

क्षेत्र	वित्त वर्ष में लंबित प्रान (लाख में)					वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
सर्व नागरिक	9.30	12.52	16.47	22.92	29.57	29.01
कॉर्पोरेट	8.03	9.74	11.25	14.05	16.82	19.71
कुल	**17.33**	**22.26**	**27.72**	**36.97**	**46.39**	**25.48**

चार्ट 3.1: लंबित प्रान

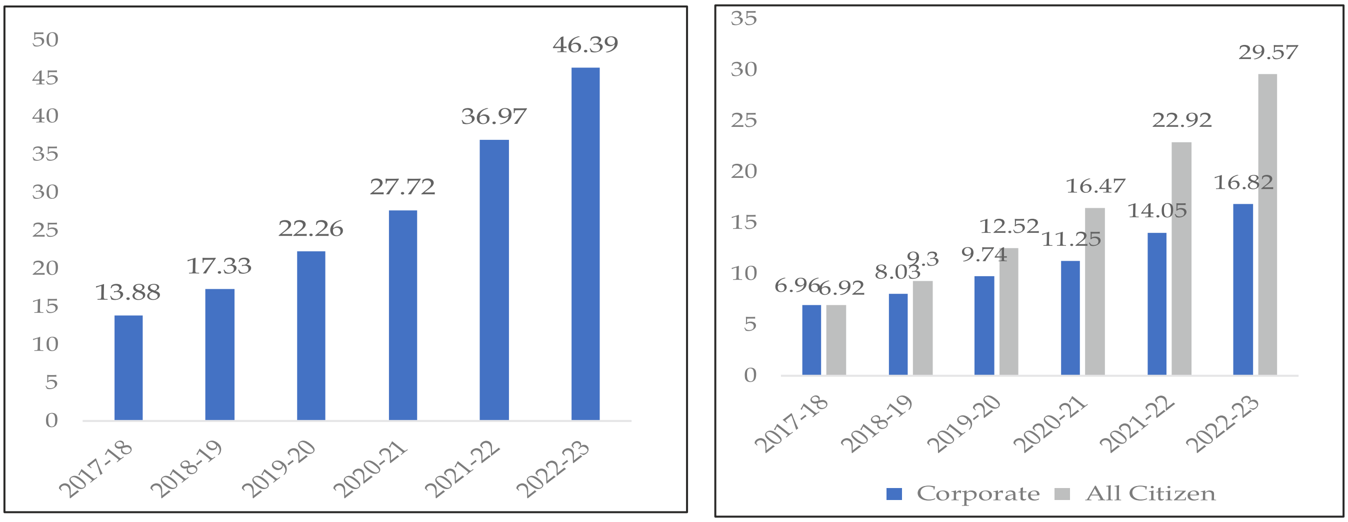

तालिका संख्या 3.33: गैर–सरकारी क्षेत्र में वृद्धि

क्षेत्र	वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि/पंजीकरण					वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
सर्व नागरिक	2,86,907	39,4,108	4,78,196	8,72,265	8,64,443	-
कॉर्पोरेट	90,773	1,46,326	1,14,803	1,04,020	1,35,786	30.54
कुल (अभिदाता)	**3,77,680**	**5,40,434**	**5,92,999**	**9,76,285**	**10,00,229**	**2.45**
कॉर्पोरेट (नियोक्ता)	1,395	1,617	1,100	1,806	2,438	35.0

चार्ट 3.2: गैर–सरकारी क्षेत्र में वृद्धि

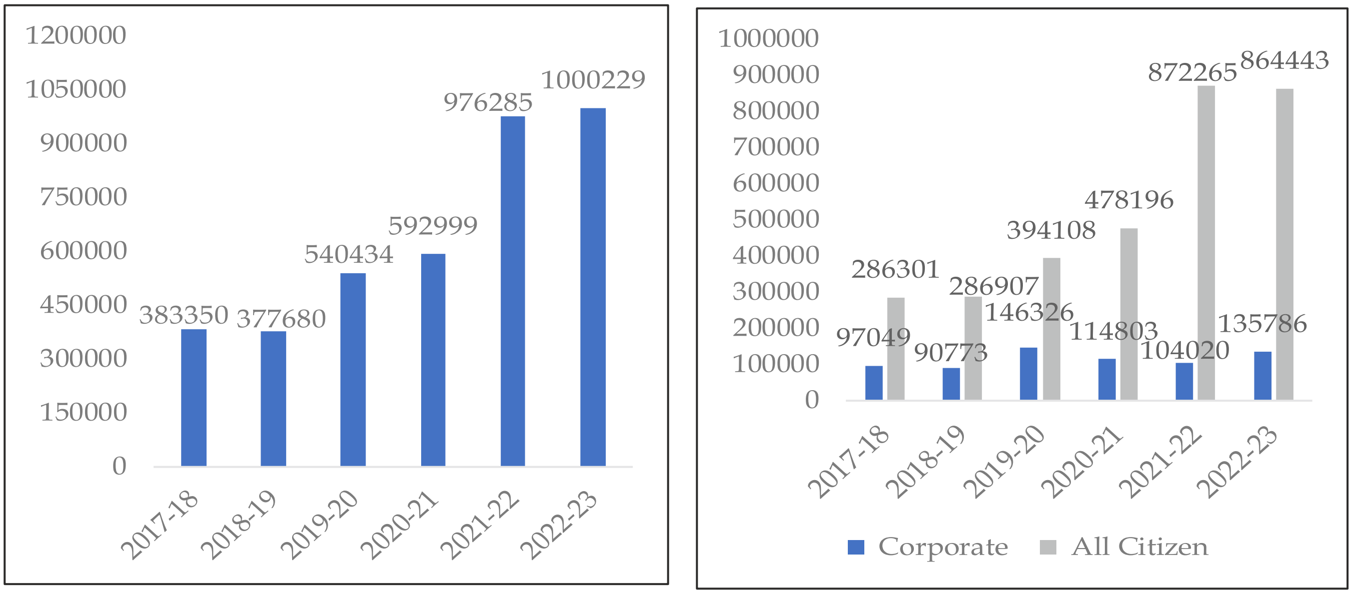

एनपीएस टियर – 2 खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2022 को 5,08,019 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 6,32,414 तक पहुंच गई, जिनमें 24% की वृद्धि दर्ज की गई थी। एनपीएस टियर–2 के तहत एयूएम भी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 3,401 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,965 करोड़ रुपये हो गया है।

तालिका संख्या 3.34: टियर–II अभिदाता और एयूएम

केंद्र सरकार	विवरण	राज्य सरकार	कॉर्पोरेट	सर्व नागरिक	कुल
खातों की संख्या	38,975	44,368	1,33,736	4,15,335	6,32,414
एयूएम (करोड़ रुपये में)	183	76	984	2720	3965

एनपीएस टियर–2 कर बचत योजना जो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, में 31 मार्च 2023 तक 12.53 करोड़ रुपये के एयूएम के साथ कुल 10,410 एक्टिवेशन हुए हैं ।

3.9.4 कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन

पेंशन के बारे में जागरूकता पैदा करने और गैर–सरकारी सेगमेंट में एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न व्यापार निकायों (फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, एसोचैम, आईसीसी) के साथ करार किया गया ताकि वे देश भर में आयोजित कार्यशालाओं / सेमिनारों के माध्यम से अपने सदस्यों को जानकारी का प्रसार कर सके। वित्तीय वर्ष के दौरान, 19 ऐसे वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिसमें 800 कॉर्पोरेट्स के 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एनपीएस को सीधे नियोक्ताओं/कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए पीओपी/संस्थानों आदि के सहयोग से कई कार्यक्रम या वेब सत्र भी आयोजित किए गए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 1,806 नए कॉरपोरेट नामांकन और 1,02,275 कर्मचारी, एनपीएस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा, 09 नए सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान इन संस्थाओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया था।

3.9.5 अटल पेंशन योजना

भारत सरकार ने सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने पर 2015–16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक पेंशन योजना शुरू की थी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), असंगठित क्षेत्र के 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत, अभिदाता द्वारा चुनी गई पेंशन राशि और उसके द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर 1,000/– रुपये या 2,000/– रुपये या 3,000/– या 4,000/– या 5,000/– रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शुरू होगी।

अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 31 मार्च 2023 तक 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इस योजना में वित्त वर्ष 2021–22 में 99 लाख की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए अभिदाता नामांकित हुए, जो 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

इस योजना ने सभी श्रेणियों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों (ग्रामीण और शहरी) और डाक विभाग में एपीवाई सेवा प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण यह जबरदस्त सफलता देखी थी।

अभिदाता पंजीकरण और इसके विश्लेषण के संदर्भ में वर्ष–दर–वर्ष प्रदर्शन के संबंध में विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है :

एपीवाई–एसपी के तहत नामांकित अभिदाताओं का श्रेणी–वार विवरण

तालिका संख्या 3.35: एपीवाई के तहत नामांकन की संख्या का बैंकवार विवरण (लाख में)

बैंकों की श्रेणी	(31 मार्च, 2016 तक)	(31 मार्च, 2017 तक)	(31 मार्च, 2018 तक)	(31 मार्च, 2019 तक)	(31 मार्च, 2020 तक)	(31 मार्च, 2021 तक)	(31 मार्च, 2022 तक)	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वृद्धि	(31 मार्च, 2023 तक)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16.581	29.859	64.443	105.35	154.183	209.195	278.487	86.607	365.095
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.763	11.152	19.871	31.711	43.301	57.107	75.280	24.267	99.548

बैंकों की श्रेणी	(31 मार्च, 2016 तक)	(31 मार्च, 2017 तक)	(31 मार्च, 2018 तक)	(31 मार्च, 2019 तक)	(31 मार्च, 2020 तक)	(31 मार्च, 2021 तक)	(31 मार्च, 2022 तक)	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वृद्धि	(31 मार्च, 2023 तक)
निजी बैंक	2.531	5.586	9.829	13.297	18.20	23.193	29.210	5.13	34.347
लघु वित्त बैंक	-	-	-	0.09	0.157	0.351	0.862	0.785	1.648
भुगतान बैंक	-	-	-	0.481	3.44	8.188	12.880	2.159	15.039
सहकारी बैंक	0.22	0.339	0.456	0.543	0.705	0.80	0.928	0.141	1.069
डाक विभाग	0.753	1.899	2.453	2.703	3.02	3.321	3.623	0.215	3.839
कुल	**24.84**	**48.83**	**97.05**	**154.18**	**223.01**	**302.15**	**401.27**	**119.31**	**520.58**

चार्ट 3.3: समग्र एपीवाई नामांकनों का ग्राफिकल प्रतिरूपण

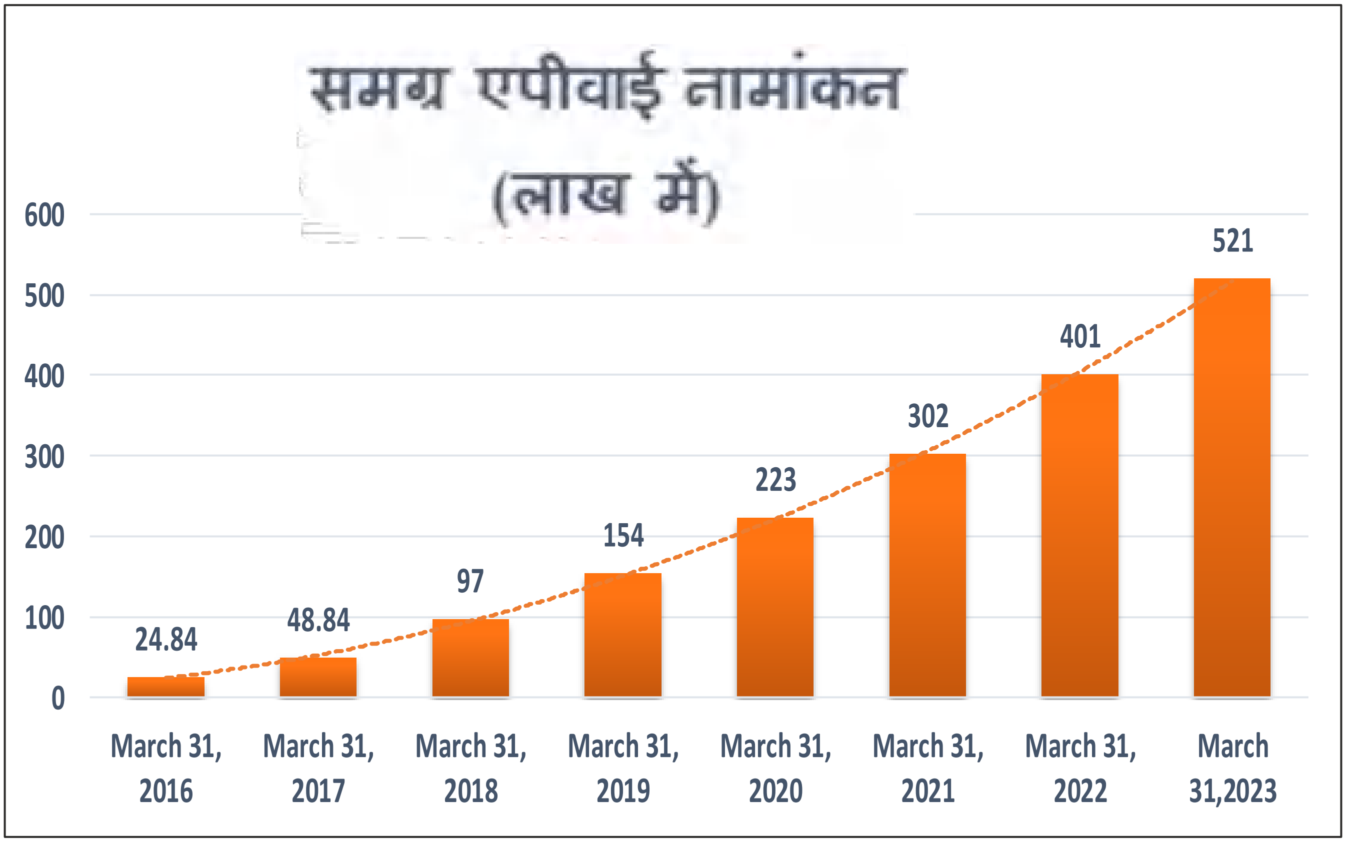

एपीवाई नामांकन में इसकी स्थापना के बाद से लगातार बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2021–22 तक एपीवाई नामांकन में 33 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2022–23 तक 30 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

तालिका संख्या 3.36: एपीवाई के तहत नामांकन की संख्या का राज्यवार विवरण

* अभिदाता के डाक पते / पिन कोड के आधार पर

क्रम सं.	राज्य का नाम	एपीवाई के तहत नामांकन की संख्या (लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	82-08
2	बिहार	50-63
3	महाराष्ट्र	40-73
4	पश्चिम बंगाल	39-77
5	तमिलनाडु	36-54
6	मध्य प्रदेश	30-01
7	आंध्र प्रदेश	28-20
8	राजस्थान	28-08
9	कर्नाटक	27-63
10	गुजरात	19-64
11	उड़ीसा	18-99
12	झारखंड	15-34
13	अन्य राज्य	102-36
	कुल नामांकन	520-58

मानचित्रः 31 मार्च 2023 तक एपीवाई का राज्यवार नामांकन

देश भर में, एपीवाई नामांकन में वृद्धि पूरे देश में देखी गई है। राज्य–वार वितरण में, समग्र एपीवाई नामांकन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उपर्युक्त 12 राज्यों में है।

तालिका संख्या 3.37: वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान माह–दर–माह एपीवाई नामांकन (लाख में)

अप्रैल, 21	मई, 21	जून, 21	जुलाई, 21	अगस्त,21	सितम्बर,21	अक्टूबर,21	नवंबर,21	दिसम्बर,21	जनवरी,22	फरवरी,22	मार्च,22	कुल
2.26	1.95	6.98	7.69	11.03	9.91	7.43	7.65	9.98	9.06	11.64	13.55	99.11
अप्रैल, 21	मई, 21	जून, 21	जुलाई, 21	अगस्त,21	सितम्बर,21	अक्टूबर,21	नवंबर,21	दिसम्बर,21	जनवरी,22	फरवरी,22	मार्च,22	कुल
4.13	8.65	11.93	9.50	11.75	12.80	7.42	13.49	11.53	9.36	9.39	9.30	119.31

चार्ट 3.4: माह–दर–माह एपीवाई नामांकन का ग्राफिकल प्रतिरूपण

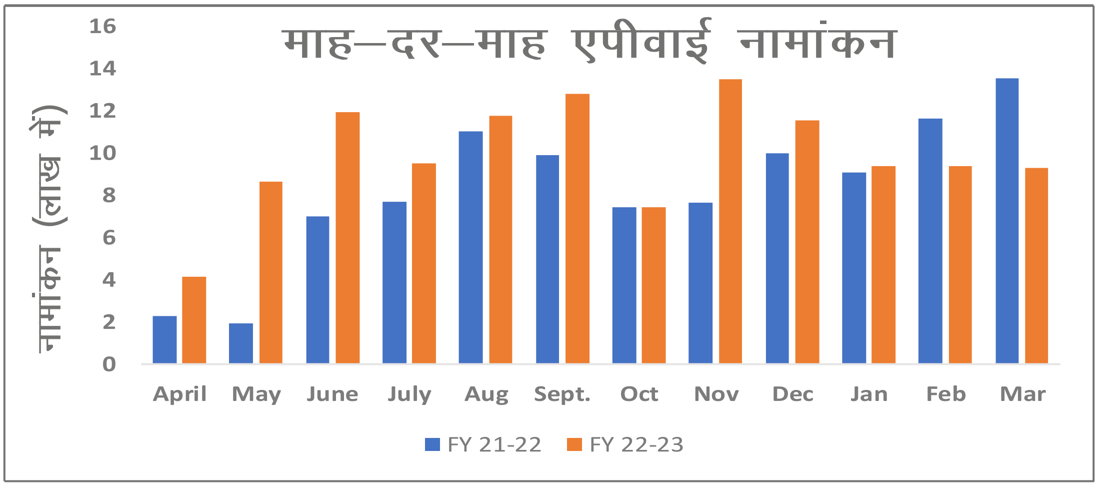

तालिका संख्या 3.38: लिंग, पेंशन राशि और आयु–समूह के आधार पर एपीवाई अभिदाताओं का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है :

लिंग के आधार पर

क्रसं.	लिंग	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	महिला	23,587,502	45.31
2	पुरुष	28,457,225	54.66
3	ट्रांसजेंडर	13,937	0.03
	कुल	**52,058,664**	**100.00**

चार्ट 3.5: लिंगवार एपीवाई नामांकन का प्रवृत्ति विश्लेषण

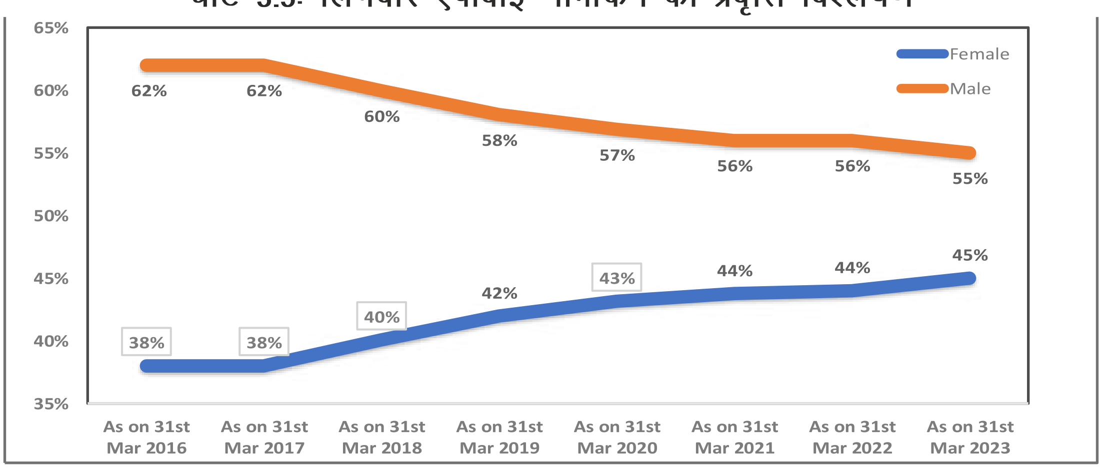

पेंशन राशि वार

क्रम सं	पेंशन राशि	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	1,000	43,004,448	82.61
2	2,000	1,999,685	3.84
3	3,000	963,024	1.85
4	4,000	368,214	0.71
5	5,000	5,723,293	10.99
	कुल	**52,058,664**	**100.00**

चार्ट 3.6: पेंशन राशि वार एपीवाई नामांकन का प्रवृत्ति विश्लेषण

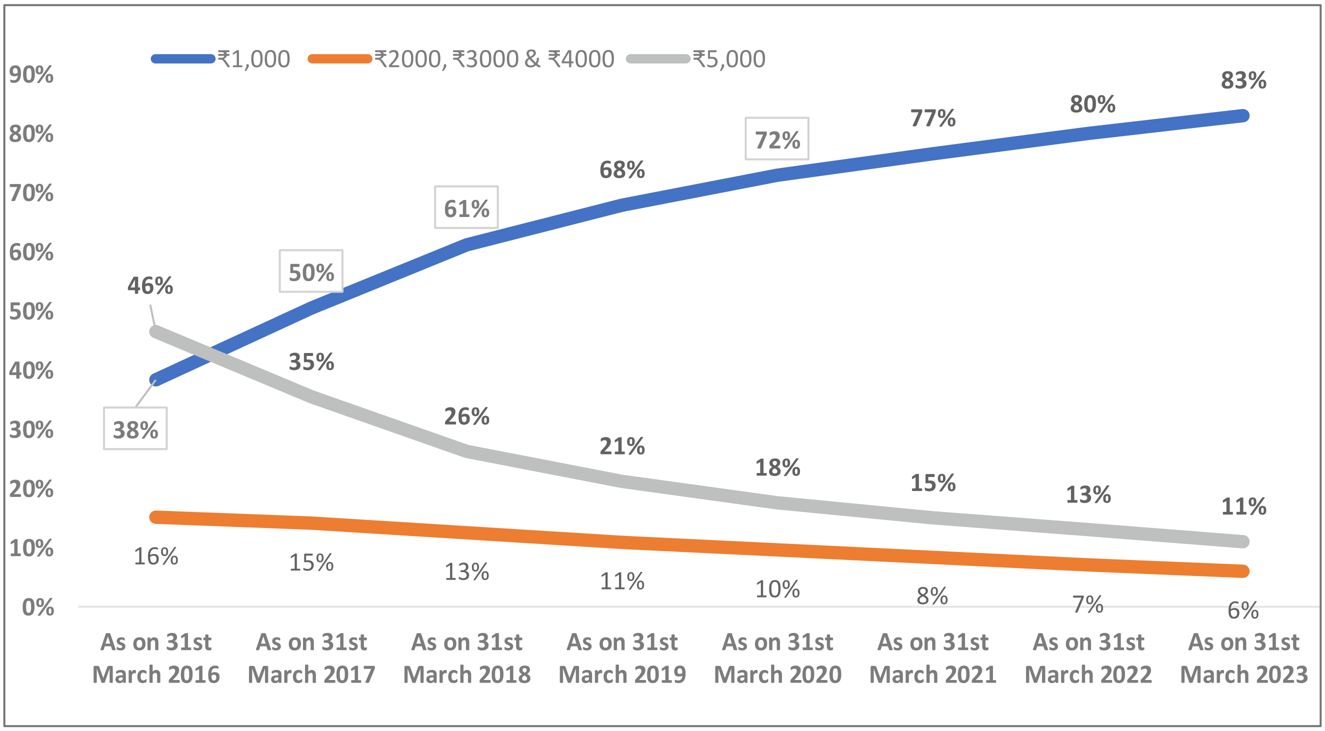

आयु वार

क्रसं.	आयु सीमा	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्ष के बीच	8,925,154	17.14
2	21 से 25 वर्ष के बीच	14,556,751	27.96
3	26 से 30 वर्ष के बीच	12,808,378	24.60
4	31 से 35 वर्ष के बीच	9,982,929	19.18
5	35 वर्ष से अधिक	5,785,452	11.11
	कुल	**52,058,664**	**100.00**

चार्ट 3.7: आयुवार एपीवाई नामांकन का प्रवृत्ति विश्लेषण

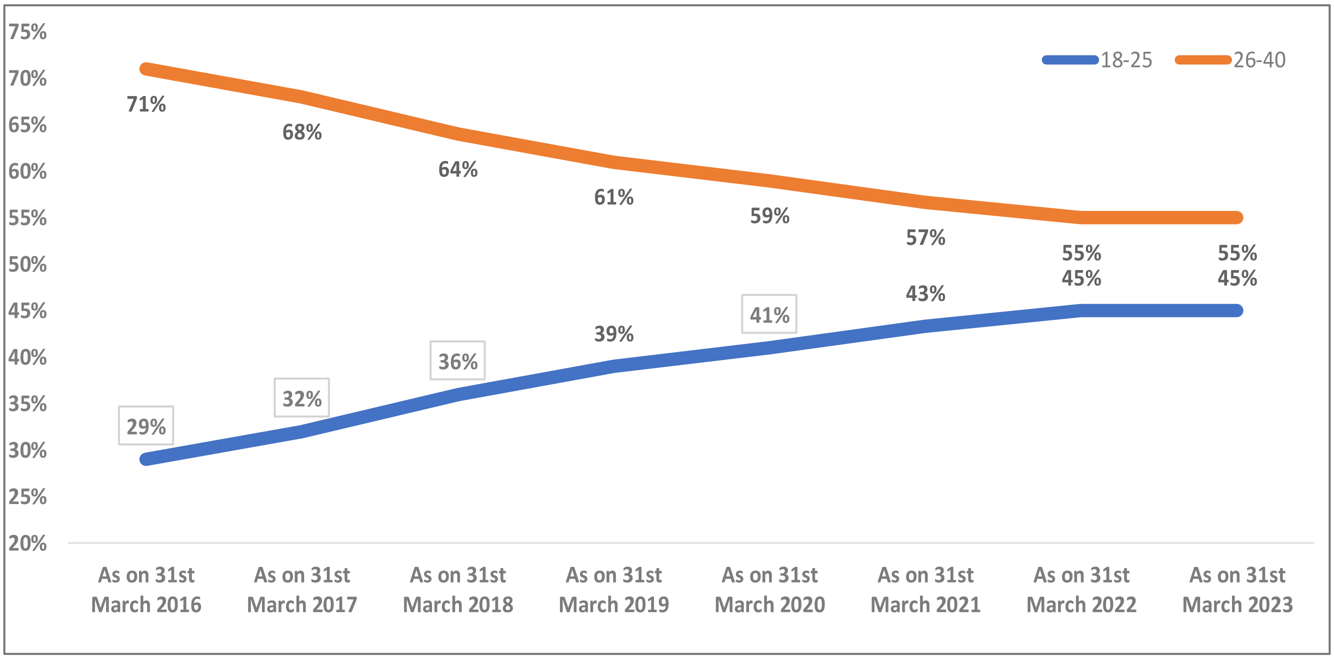

एपीवाई के तहत :–

a- 82.61 प्रतिशत अभिदाताओं ने 1000 रुपये पेंशन राशि का विकल्प चुना है जबकि 10.99 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5,000 रुपये पेंशन राशि का विकल्प चुना है।

b- 27.96 प्रतिशत पेंशन उम्मीदवार 21–25 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।

c- महिला और पुरुष अभिदाताओं का अनुपात 45:55 है।

तालिका संख्या 3.39 : निवेश रिटर्न के संदर्भ में एपीवाई योजना का प्रदर्शन

एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2022–23 तक इस योजना में प्रबंधन के तहत आस्ति निम्नलिखित है :

	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक
एयूएम (करोड़ में)	3,817	6,860	10,526	15,687	20,922	27,223

इस योजना ने शुरुआत से लेकर मार्च 2023 तक लगभग 8.69 प्रतिशत निवेश रिटर्न उत्पन्न किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एपीवाई योजना का प्रचार और आउटरीच :

I- सम्पूर्ण भारत में 35 स्थानों पर एपीवाई आउटरीच और टाउनहाल बैठकों का आयोजन : वित्तीय वर्ष 2022–23 में एसएलबीसी और आरआरबी के समन्वय से 24 एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और 11 टाउनहॉल बैठकें आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में पीएफआरडीए, बैंकों, एसएलबीसी, राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, एसआरएलएम आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इन बैठकों में, पीएफआरडीए के अधिकारियों ने एपीवाई की सुविधाओं और लाभों पर प्रस्तुति दिया, जबकि पीसीआरए अधिकारियों ने नई पहलों पर प्रस्तुति दी। साथ ही, इन सभी कार्यक्रमों के प्रश्नोत्तर सत्र में, शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। एसएचजी सदस्यों तक एपीवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार करने के लिए कार्यक्रम

के बाद एसआरएलएम अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों को स्थानीय मीडिया ने भी बड़े पैमाने पर कवर किया।

II- वार्षिक सम्मान कार्यक्रम और क्षेत्रीय एपीवाई सम्मान और रणनीति समीक्षा बैठकें : एपीवाई वार्षिक पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था तथा इसमें प्रदर्शन करने वाले बैंकों और एसएलबीसी को सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दो–दो बार में कुल मिलाकर आठ क्षेत्रीय रणनीति समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठकों में एपीवाई के प्रचार और आउटरीच के लिए रणनीतियों पर एपीवाई–एसपी और एसएलबीसी संयोजकों के साथ चर्चा की गई। इन आयोजनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एसएलबीसी और एपीवाई–एसपी को भी सम्मानित किया गया। साथ ही, एपीवाई के प्रति आरआरबी के निरंतर समर्थन और प्रयासों को चिह्नित करने के लिए पीएफआरडीए के शीर्ष प्रबंधन के साथ आरआरबी के अध्यक्षों के लिए 2 रात्रिभोज / दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया गया था।

III- प्रदर्शन समीक्षा बैठकें : नोडल अधिकारियों और एसएलबीसी के साथ नियमित आधार पर प्रदर्शन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उनके बैंक / राज्य में एपीवाई नामांकन की प्रगति पर चर्चा की गई। पीएफआरडीए ने एपीवाई एसपी का मार्गदर्शन किया और उनके साथ अन्य बैंकों की नई रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मीडिया सामग्री, प्रशिक्षण, एमआईएस आदि से संबंधित सभी संभव सहायता प्रदान की गयी । वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एपीवाई प्रगति पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख बैंकों, निजी बैंकों और आरआरबी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ पीएफआरडीए के शीर्ष प्रबंधन की बैठकें आयोजित की गईं।

IV- एपीवाई अभिदाताओं के लिए स्थानीय भाषाओं में अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित : पीएफआरडीए ने एपीवाई अभिदाताओं के लिए अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम (एसएपी) आयोजित करके वीसी के माध्यम से एपीवाई पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण एजेंसी को सूचीबद्ध किया है। एपीवाई अभिदाताओं के लिए 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 38 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, जिनमें 10,583 अभिदाताओं ने भाग लिया था।

V- वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम : पीएफआरडीए द्वारा पीएसबी और आरआरबी के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी), निजी बैंकों के फील्ड अधिकारियों, एसआरएलएम और नाबार्ड के फील्ड अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, एक प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 58 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 7389 बैंक अधिकारियों और बीसी ने भाग लिया।

VI- एपीवाई अभिदाताओं के लिए डिजिटल पहल : एपीवाई एसपी और मौजूदा और संभावित एपीवाई अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए पीएफआरडीए के मार्गदर्शन में पीसीआरए द्वारा की गई डिजिटल पहल जैसे अभिदाता केंद्रित एपीवाई ऐप, चौट बॉट–केवाईएनए, हिंदी और अंग्रेजी में 13 पॉडकास्ट जारी करना, क्यूआर कोड, आदि।

VII- पीएफआरडीए वेबसाइट पर एपीवाई सामग्री में संशोधन : पीएफआरडीए वेबसाइट पर एपीवाई सामग्री में संशोधन शुरू किया गया है। मौजूदा और भावी अभिदाताओं के लिए अभिदाता सूचना विवरणिका हिंदी और अंग्रेजी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं।

VIII- प्रिंट विज्ञापन और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से योजना का प्रचार किया गया । पीएफआरडीए ने प्रसार भारती के समन्वय से हिंदी सहित 10 भाषाओं में रेडियो जिंगल्स लॉन्च किए। इसके अलावा, पीएफआरडीए और एपीवाई की लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों फालोवर के साथ उपस्थिति है।

IX- मंत्रालयों और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों को शामिल करना : पीएफआरडीए ने जागरूकता कार्यक्रमों का निर्माण करके योजना की पहुंच के लिए अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एसआरएलएम, आरएसईटीआई, नाबार्ड, आरबीआई, एनसीएफई आदि के साथ जुड़कर प्रयास शुरू किए हैं। पीएफआरडीए ने भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के राज्य कार्यालयों से शहरी सहकारी बैंकों, राज्य और जिला सहकारी बैंकों को पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण करने और एपीवाई के तहत नामांकन शुरू करने के लिए

संवेदनशील बनाने का भी अनुरोध किया है। साथ ही सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जिला और राज्य सहकारी बैंकों को सक्रिय करने के लिए संपर्क किया गया।

X- गिग वर्कर्स तक पहुंचने के लिए वेब–एग्रीगेटर्स से संपर्क : पीएफआरडीए ने अपने डिलीवरी पार्टनर को एपीवाई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्विगी से संपर्क किया। अन्य वेब एग्रीगेटर्स से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके कर्मचारियों और फ्रंट–लाइन वर्कर्स तक एपीवाई को पहुंचाया जा सके।

प्रदर्शन :

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक) ने **80 औसत खाता प्रति शाखा (एएपीबी) का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया है। जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में, केवल 8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 70 (एएपीबी) का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया था।**

32 आरआरबी आर्यावर्त बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चौतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुवई भरथियार ग्राम बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदर्भ ग्रामीण बैंक ने **80 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया। जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में, 31 आरआरबी ने 70 (एएपीबी) का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया था**

निजी बैंकों में, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और धनलक्ष्मी बैंक ने 30 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

भुगतान बैंकों में, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक नामांकन लक्ष्य हासिल किया।

लघु वित्त बैंकों में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 50 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

4 सहकारी बैंकों (श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, दक्षिण केनरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक और साबरकांठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड) ने भी 20 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

3.10 पेंशन निधि का प्रदर्शन

तालिका संख्या 3.40: एनपीएस संवृद्धि में प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) विभाजन– दिनांक 31 मार्च, 2023 तक योजनावार स्थिति

राशि (करोड़ रूपए में)

योजना	मार्च–21	मार्च–22	मार्च–23	एयूएम में वृद्धि			
				मार्च 21 से मार्च 22 तक वर्ष प्रति वर्ष		मार्च 22 से मार्च 23 तक वर्ष प्रति वर्ष	
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर 1	18979.51	30303.86	43261.38	11324.35	59.67	12957.52	42.76
इक्विटी टियर II	850.99	1424.51	1681.16	573.52	67.39	256.65	18.02
इक्विटी कुल	19830.50	31728.37	44942.54	11897.87	60.00	13214.17	41.65
टियर I और II के कुल एयूएम में % भाग	41.59	41.20	40.78	-0.39		-	

राशि (करोड़ रूपए में)

योजना	मार्च–21	मार्च–22	मार्च–23	एयूएम में वृद्धि			
				मार्च 21 से मार्च 22 तक वर्ष प्रति वर्ष		मार्च 22 से मार्च 23 तक वर्ष प्रति वर्ष	
				राशि	%	राशि	%
बांड (सी) टियर 1	9686.51	15509.97	22329.81	5823.46	60.12	6819.84	43.97
बांड (सी) टियर II	482.72	762.55	864.87	279.83	57.97	102.32	13.42
बांड (सी) कुल	10169.23	16272.52	23194.68	6103.29	60.02	6922.16	42.54
टियर I और II के कुल एयूएम में % भाग	21.33	21.13	21.05	-0.20		-	
जी सेक (जी) टियर 1	16766.30	27630.39	40375.85	10864.09	64.80	12745.46	46.13
जी सेक (जी) टियर II	835.48	1214.08	1419.11	378.60	45.32	205.03	16.89
जी.सेक. (जी) कुल	17601.78	28844.47	41794.96	11242.69	63.87	12950.49	44.90
टियर I और II के कुल एयूएम में % भाग	36.92	37.46	37.93	0.54		0.47	
योजना, टियर 1	74.76	162.65	271.69	87.89	117.57	109.04	67.04
योजना, टियर 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना, कुल	74.76	162.65	271.69	87.89	117.57	109.04	67.04
टियर I और II के कुल एयूएम में % भाग	0.16	0.21	0.25	0.05		0.04	
योग टियर I	45507.08	73606.87	106238.73	28099.79	61.75	32631.86	44.33
योग टियर II	2169.19	3401.13	3965.14	1231.94	56.79	564.01	16.58
टियर I, टियर II	47676.27	77008.01	110203.87	29331.74	61.52	33195.86	43.11
एनपीएस लाइट	4354.38	4686.74	4915.00	332.36	7.63	228.26	4.87
एपीवाई	15687.11	20922.60	26700.00	5235.49	33.37	5777.40	27.61
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	36929.68	47343.05	58766.72	10413.37	28.20	11423.67	24.13
योग (निजी क्षेत्र)	104647.44	149960.40	200585.59	45312.96	43.30	50625.19	33.76
कुल एयूएम में % हिस्सेदारी	18.10	20.36	22.32	2.26		1.96	
केंद्र सरकार	181416.26	216883.09	250631.18	35466.83	19.55	33748.09	15.56
कुल एयूएम में % हिस्सेदारी	31.39	29.44	27.88	-		-	
राज्य सरकार	291959.92	369743.33	447114.39	77783.41	26.64	77371.06	20.93
कुल एयूएम में % हिस्सेदारी	50.51	50.20	49.74	-		-	
योग (सरकारी)	473376.18	586626.42	697745.57	113250.24	23.92	111119.15	18.94
कुल एयूएम में % हिस्सेदारी	81.90	79.64	77.63	-	-	-	-
योजना टीटीएस	2.12	6.74	12.53	4.62	0.00	5.79	85.77
कुल एयूएम में % हिस्सेदारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग	**578025.74**	**736593.56**	**898866.04**	**158567.82**	**27.43**	**162272.48**	**22.03**

स्रोतः एनपीएस न्यास वेबसाइट।

तालिका सं. 3.41: पेंशन निधि प्रबंधकों के साथ एयूएम की स्थिति

राशि (करोड़ रूपए में)

क्रम सं	पेंशन निधि का नाम	एयूएम में वृद्धि			
		मार्च–22	मार्च–23	राशि	% वृद्धि
1	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	2,82,475.65	3,39,006.01	56,530.35	20.01
2	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	2,01,918.51	2,40,708.60	38,790.09	19.21
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	2,09,386.28	2,53,248-85	43,862.57	20.95
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	11,614.32	45,397-36	16,983.50	59.77
5	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2,229.93	16,466-18	4,851.87	41.77
6	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	28,413.86	2,855-81	625.88	28.07
7	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	555.01	744-07	189.06	34.06
8	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	–	105-27	105.27	–
9	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	–	142-56	142.56	–
10	एक्सिस पेंशन फंड लिमिटेड	–	191-33	191.33	–
	कुल	**736,593.56**	**8,98,866.04**	**1,62,272.48**	**22.03**

स्रोत: एनपीएस न्यास

तालिका संख्या 3.42 स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2023 तक योजनावार पेंशन निधिवार रिटर्न (: में)

स्थापना के बाद से 31.03.2023 तक विभिन्न योजनाओं के तहत रिटर्न											
		आदित्य बिरला	एक्सिस	एचडीएफसी	आईसी आईसीआई	कोटक	एलआईसी	मैक्स लाइफ	एसबी–आई	टाटा	यूटीआई
केंद्र सरकार							9.29		9.49		9.25
राज्य सरकार							9.24		9.16		9.19
एपीवाई							8.81		8.51		8.76
एनपीएस स्वावलंबन/लाईट						9.39	9.64		9.59		9.56
कॉर्पोरेट–केंद्र सरकार							9.23		9.13		
टियर I	ई	11.23	-	13.86	11.65	11.11	11.92	-	10.18	-	11.53
	सी	8.29	2.66	9.35	9.64	9.33	9.12	2.92	9.68	2.42	8.72
	जी	7.64	3.68	9.04	8.44	8.43	9.86	4.38	9.04	4.28	8.18
	ए	6.01	2.51	8.31	6.69	6.43	7.47	-	8.42	3.67	6.21
टियर II	ई	11.18	-	12.13	10.26	10.55	9.97	-	10.02	-	10.38
	सी	7.66	2.63	8.60	9.46	8.64	8.59	3.19	9.22	3.31	8.76
	जी	6.96	2.95	9.17	8.51	8.19	10.10	3.32	9.02	4.67	8.76
योजना टीटीएस		6.79	2.25	4.97	4.93	6.27	6.08	2.82	3.52	3.72	4.22

तालिका संख्या 3.43: 31 मार्च 2023 तक 1, 3, 5, 7 और 10 वर्षों के लिए योजनावार पेंशन निधि वार रिटर्न (% में)।

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
ई टियर –1	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	1.70%	26.37%	11.39%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2.08%	27.34%	12.36%	13.69%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.51%	27.94%	11.68%	12.77%	12.85%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2.71%	28.11%	11.68%	13.06%	12.93%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	2.82%	29.23%	11.22%	12.28%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	1.81%	25.94%	11.12%	12.47%	12.60%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	2.53%	27.96%	11.30%	12.87%	13.04%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	-0.61%	27.66%	12.02%	13.26%	12.86%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
सी टियर –1	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	3.71%	6.65%	7.93%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3.72%	7.01%	8.12%	8.44%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लि.	3.43%	6.78%	7.70%	8.18%	8.87%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	3.53%	6.02%	6.96%	7.64%	8.37%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	3.60%	6.90%	7.78%	8.04%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	3.41%	6.62%	7.80%	8.18%	8.65%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	3.38%	6.32%	7.34%	7.79%	8.43%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.00%	7.61%	8.37%	8.48%	8.97%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
जी टियर–I	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	5.27%	5.67%	8.17%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	5.17%	5.62%	8.27%	8.29%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.85%	5.38%	7.94%	8.12%	8.52%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	5.01%	5.54%	8.11%	8.25%	8.49%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	5.14%	5.53%	8.71%	9.03%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.	4.58%	5.43%	7.97%	8.19%	8.44%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.	5.17%	5.46%	7.81%	7.83%	8.21%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	5.21%	4.77%	7.53%	7.55%	7.98%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
ए टियर–I	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	2.22%	5.36%	5.89%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	5.07%	8.78%	8.34%	NA	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2.05%	7.92%	6.39%	NA	NA
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	1.12%	5.38%	6.34%	NA	NA
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	5.77%	7.49%	7.81%	NA	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.	1.02%	9.31%	8.35%	NA	NA
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.	4.27%	5.56%	6.09%	NA	NA

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
ई टियर–II	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	1.73%	26.47%	11.38%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2.09%	27.25%	12.29%	13.72%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.82%	28.07%	11.83%	12.88%	12.92%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2.67%	27.75%	11.56%	12.91%	12.83%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	3.13%	29.51%	11.31%	12.26%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.	2.15%	26.28%	11.22%	12.53%	12.64%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.	2.38%	28.05%	11.51%	12.90%	13.12%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	-0.61%	27.66%	12.02%	13.26%	12.86%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
सी टियर–II	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	3.89%	6.61%	7.73%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3.57%	6.61%	7.91%	8.35%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3.38%	6.81%	7.61%	8.09%	8.78%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	3.37%	6.02%	7.29%	7.85%	8.43%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	3.43%	7.52%	8.06%	8.28%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.	3.46%	6.11%	7.37%	7.82%	8.27%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.	3.46%	6.19%	7.37%	7.79%	8.38%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.00%	7.61%	8.37%	8.48%	8.97%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
एनपीएस टियर-II	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	5.32%	5.71%	8.10%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.91%	5.39%	8.03%	8.12%	NA
	आईसीआईसीआई प्रू. पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.91%	5.42%	7.95%	8.12%	8.48%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	5.19%	5.48%	7.81%	8.00%	8.39%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	5.22%	5.42%	9.11%	9.14%	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.	4.54%	5.41%	7.85%	8.07%	8.37%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.	5.09%	5.33%	7.84%	7.91%	8.25%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	5.21%	4.77%	7.53%	7.55%	7.98%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
केन्द्र सरकार	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	4.23%	8.89%	8.37%	8.70%	9.11%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	4.30%	8.16%	8.35%	8.69%	8.99%
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	4.18%	8.56%	8.30%	8.75%	9.05%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.10%	8.93%	8.58%	8.69%	9.03%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
राज्य सरकार	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	4.29%	8.77%	8.29%	8.64%	9.11%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	4.24%	8.04%	8.31%	8.66%	9.01%
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	4.20%	8.51%	8.29%	8.70%	9.01%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.10%	8.93%	8.58%	8.69%	9.03%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	4.47%	8.88%	8.49%	8.80%	9.19%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	4.28%	8.08%	8.35%	8.71%	9.01%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.10%	8.93%	8.58%	8.69%	9.03%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
एनपीएस लाइट	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	4.21%	8.83%	8.08%	8.51%	8.98%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	4.28%	9.18%	8.61%	8.93%	9.31%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	4.33%	8.33%	8.29%	8.69%	9.01%
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	4.06%	8.69%	8.30%	8.75%	9.05%
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.10%	8.93%	8.58%	8.69%	9.03%

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
एपीवाई	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	4.35%	8.72%	8.55%	8.82%	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	3.99%	8.14%	8.52%	8.89%	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	4.20%	8.48%	8.36%	8.79%	NA
	दिनांक 31.03.2023 को बेंचमार्क रिटर्न	4.10%	8.93%	8.58%	8.69%	NA

	पेंशन निधि	रिटर्न 1 साल	रिटर्न 3 साल	रिटर्न 5 साल	रिटर्न 7 साल	रिटर्न 10 साल
टीटीएस	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	6.70%	NA	NA	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6.44%	NA	NA	NA	NA
	आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.08%	NA	NA	NA	NA
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	4.85%	NA	NA	NA	NA
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	6.39%	NA	NA	NA	NA
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	4.05%	NA	NA	NA	NA
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA
	यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	5.56%	NA	NA	NA	NA

तालिका संख्या 3.44: 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि वार और योजना–वार प्रबंधन के तहत आस्ति

करोड़ों में राशि

पेंशन निधि/ योजनाएं	एसबीआई	एलआईसी	यूटीआई	आई सीआई– सीआई	कोटक	एचडी– एफसी	आदित्य बिरला	टाटा	मैक्स लाइफ	एक्सिस	कुल
केंद्र सरकार	87,438.96	81,514.17	81,678.05								2,50,631.18
राज्य सरकार	1,53,441.33	1,48,680.29	1,44,992.77								4,47,114.39
एनपीएस लाइट	1,993.03	1,439.19	1,405.35	76.95							4,914.52
एपीवाई	9,076.54	8,917.03	8,706.56								26,700.12
एपीवाई निधि योजना	177.70	182.97	162.04								522.71
कुल कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	55,830.59	2,936.13									58,766.72
कुल टियर I - ई	10,849.19	3,297.20	1,483.07	6,406.70	1,136.97	19,623.07	308.17	42.02	42.89	72.10	43,261.38
कुल टियर I - सी	6,220.59	2,103.46	751.03	3,475.34	544.87	8,999.46	146.67	20.27	33.38	34.74	22,329.81
कुल टियर I - जी	12,949.83	3,835.15	1,361.98	5,915.92	916.58	14,981.97	231.72	36.45	65.64	80.61	40,375.85
कुल टियर I - ए	54.10	12.70	8.07	31.39	8.27	153.58	2.81	0.42	0.06	0.29	271.69
कुल टियर II - ई	374.67	109.98	69.61	259.05	78.02	762.11	21.95	3.29	0.34	2.13	1,681.16
कुल टियर II- सी	204.96	66.34	31.67	153.71	35.27	358.17	12.74	1.21	0.10	0.71	864.87
कुल टियर II - जी	390.79	152.81	57.56	222.93	58.35	515.01	19.46	1.39	0.14	0.67	1,419.11
कुल टियर II- टीटीएस	3.73	1.43	0.84	1.14	0.53	3.99	0.56	0.22	0.02	0.08	12.53
कुल	**3,39,006.01**	**2,53,248.85**	**2,40,708.60**	**16,543.13**	**2,778.86**	**45,397.36**	**744.07**	**105.27**	**142.56**	**191.33**	**8,98,866.04**

3.11 विनियमित आस्तियां

''विनियमित आस्तियों'' का अर्थ है – सीआरए के संचालन के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाई गई मूर्त और अमूर्त संपत्ति। इस संपत्ति में एप्लिकेशन चलाने के लिए आवश्यक सभी घटकों के साथ बेस्पोक सॉफ्टवेयर, सीआरए एप्लिकेशन सिस्टम के लिए विशिष्ट शेल्फ से कोई भी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर और घटक, सभी प्रासंगिक सीआरए परियोजना डेटा, डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी सेंटर के समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक बुनियादी ढांचे (भवन, एयर कंडीशनर, बिजली आपूर्ति बुनियादी ढांचे, फर्नीचर) को छोड़कर नेटवर्क और अन्य सभी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं ।

पंजीकरण की अवधि की समाप्ति पर या सीआरए द्वारा धारित की गई विनियमित आस्तियों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी अन्य सीआरए को समय अवधि के भीतर और उस तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा, जो पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत आवश्यक हो सकता है या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

3.12 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए या एकत्र किए गए शुल्क और अन्य प्रभार।

अभिदाताओं को सेवा देने वाले मध्यस्थों द्वारा एनपीएस के अभिदाताओं पर विभिन्न चरणों में शुल्क और प्रभार लगाए जाते हैं। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश के समय, एनपीएस यानी पीओपी में अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार मध्यस्थ शुल्क लेते हैं जो अभिदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र किए जाते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के पंजीकरण का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले चरण में, सीआरए, (सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी), खाता खोलने और प्रान सृजन, इकाइयों को रद्द करके खाते के रखरखाव के लिए शुल्क लेती है। इसके बाद, अभिदाताओं के अंशदान से जुड़े प्रत्येक लेनदेन के लिए सीआरए और पीओपी दोनों द्वारा शुल्क लिया जाता है। अभिरक्षकों से उसकी अभिरक्षा के अधीन आस्तियों के लिए प्रतिभूति प्रभार और एनपीएस न्यास व्यय की प्रतिपूर्ति राशि अभिदाताओं से ली जाती है।

तालिका संख्या 3.45: विभिन्न चरणों में अभिदाताओं हेतु शुल्क और प्रभार

<table>
<tr><th rowspan="2">मध्यस्थ</th><th rowspan="2">चार्ज हेड</th><th colspan="5">सेवा शुल्क*</th></tr>
<tr><th colspan="4">निजी/सरकारी।</th><th>लाइट/एपीवाई (रुपये में)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">सीआरए</td><td rowspan="6">पीआरए ओपनिंग शुल्क</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">यदि अभिदाता भौतिक प्रान कार्ड का विकल्प चुनता है तो खाता खोलने के लिए सीआरए का शुल्क (रुपये में)</td><td colspan="2">यदि अभिदाता ई-प्रान कार्ड का विकल्प चुनता है तो खाता खोलने के लिए सीआरए का शुल्क (रुपये में)</td><td rowspan="5">एनसीआरए: 15

केसीआरए: 15

कैम्स: 15</td></tr>
<tr><td>भौतिक रूप से भेजी गई स्वागत किट</td><td>केवल ईमेल द्वारा भेजे गए स्वागत किट</td></tr>
<tr><td>एनसीआरए</td><td>40</td><td>35</td><td>18</td></tr>
<tr><td>केसीआरए</td><td>39.36</td><td>39.36</td><td>4</td></tr>
<tr><td>कैम्स</td><td>40</td><td>-</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="4">नोट: शुल्क में कोई कमी वर्तमान शुल्क संरचना पर लागू होगी तथा इसमें कर/टैक्स को शामिल नहीं किया गया है।

एनपीएस अभिदाताओं की फिजिकल या ईप्रान कार्ड के विकल्प की जानकारी के लिए सीआरए द्वारा कार्यप्रणालियाँ जारी किए जाने के बाद प्रभार लगाए जाएंगे।</td><td></td></tr>
<tr><td>प्रति खाता वार्षिक पीआरए रखरखाव लागत</td><td colspan="4">एनसीआरए : रु. 69

केसीआरए : रु 57.63

कैम्स/सीसीआरए : 65</td><td>एनसीआरए: 20.00

केसीआरए: 14.40
सीएएमएस: 16.25</td></tr>
</table>

	प्रति लेनदेन शुल्क	एनसीआरए: 3.75 रुपये केसीआरए : रु 3.36 कैम्स/सीसीआरए: 3.50		निशुल्क
पीओपी	-	**निजी**	**सरकारी**	-
	प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	न्यूनतम रु. 200 अधिकतम 400 रुपये (स्लैब के भीतर परक्राम्य (निगोशिएबल)	NA	NA
	परवर्ती लेनदेन	अंशदान का 0.5% न्यूनतम रु. 30 अधिकतम रु. 25000 गैर-वित्तीय रु. 30	NA	NA
	सततावृत्ति > 6 महीने और 1000 रुपये का अंशदान	1000 रुपये से 2999 रुपये के वार्षिक अंशदान के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक अंशदान के लिए 75 रुपये प्रति वर्ष 3000 रुपये से 6000 रुपये 6000 रुपये से अधिक वार्षिक अंशदान के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष	NA	NA
	ईएनपीएस (परवर्ती अंशदान के लिए)	0.20% अंशदान न्यूनतम रु. 15 और अधिकतम रु. 10000 (केवल एनपीएस-सर्व नागरिक और टियर -2 खातों के लिए)	NA	NA
	निकासी/प्रत्याहरण की प्रक्रिया	न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये के साथ कॉर्पस का 0.125%		

<table>
<tr><td>न्यासी बैंक</td><td>-</td><td colspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td>अभिरक्षक</td><td>आस्ति सेवा शुल्क</td><td colspan="2">अभिरक्षा के तहत आस्ति (एयूसी) का 0.0000000001770% प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="5">पेंशन निधि शुल्क</td><td rowspan="5">निवेश प्रबंधन शुल्क</td><td>प्रबंधन के तहत आस्ति का स्लैब (एयूएम)</td><td>आईएमएफ (%)</td></tr>
<tr><td>10,000 करोड़ तक</td><td>0.09%[14]</td></tr>
<tr><td>10,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक</td><td>0.06%</td></tr>
<tr><td>50,000 करोड़ रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक</td><td>0.05%</td></tr>
<tr><td>1,50,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक</td><td>0.03%</td></tr>
<tr><td>एनपीएस न्यास</td><td>खर्चों की प्रतिपूर्ति</td><td colspan="2">एयूएम का 0.005% प्रति वर्ष</td></tr>
</table>

*सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सीआरए प्रभारों का भुगतान संबंधित सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न मध्यस्थों से पीएफआरडीए को प्राप्त शुल्क निम्नलिखित तालिका में प्रदान किया गया है :

तालिका सं. 3.46: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त शुल्क :

क्रम सं	मध्यस्थ इकाई	शुल्क प्राप्ति (रु. लाख में)
1	न्यासी बैंक– एक्सिस बैंक	3,556.72
2	पेंशन निधि	11,781.50
3	सीआरए– प्रोटियन ईजीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	1,112.38
4	अभिरक्षक – ड्यूश बैंक	320.96
5	सीआरए– कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	0.81
6	सेवानिवृत्ति सलाहकार / पीओपी / एग्रीगेटर / एएसपी / ईएमडी / आरएफपी प्रसंस्करण शुल्क	67.49
7	सीआरए– कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड	33.15
	कुल	**16,873.01**

विभिन्न मध्यस्थों से प्राप्त शुल्क की गणना वास्तविक आधार पर की गयी है।

[14]यूटीआई पेंशन फंड इस स्लैब में 0.07 फीसदी चार्ज करता है।

3.13 मध्यस्थों और अन्य संस्थाओं या संगठनों की लेखा परीक्षा और पेंशन निधियों से जुड़ी जांच सहित मांगी गई जानकारी, किए गए निरीक्षण, अन्वेषण और जांच।

3.13.1 पूछताछ और जांच

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास सीआरए, न्यासी बैंक और उनके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थ इकाइयों द्वारा सेवा स्तर के समझौतों में परिभाषित नियतकालिक समयसीमा का अनुपालन हो रहा है।

3.13.2 निरीक्षण और लेखा परीक्षा

पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस, एनपीएस–लाइट और एपीवाई और सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) के तहत उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) का पर्यवेक्षण किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा पीओपी का विनियमन और पर्यवेक्षण ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी तंत्र के माध्यम से निम्नानुसार किया जाता है :

(क) ऑफसाइट मॉनीटरिंग :

(I) ऑफसाइट मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण में पीओपी द्वारा पीएफआरडीए को प्रस्तुत की गई निम्नलिखित रिपोर्टों/अनुपालनों की समीक्षा शामिल है –

a- मासिक एमआईएस, एससीएफ अपलोड और अंशदान और अन्य परवर्ती सेवाओं के प्रेषण में देरी पर तिमाही अपवाद रिपोर्ट;

b- तिमाही / अर्ध–वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र;

c- एनपीएस संकलन खातों में अमेल शेष राशि पर खाता शेष प्रमाण पत्र;

d- साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र;

e- लंबित शिकायतें;

f- एपीवाई के तहत अभिदाता के बचत बैंक खातों में सरकारी सह–अंशदान जमा करने के लिए उपयोज्यता प्रमाण पत्र।

(ii) आरोपी पीओपी को निर्दिष्ट प्रचालनात्मक निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करना होगा और विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा।

(iii) पीएफआरडीए द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मौजूदा विनियमों, परिपत्रों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए पीओपी को चेतावनी पत्र जारी किए गए थे।

(iv) उचित समझा जाने पर इस मामले को न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिनिर्णयन विभाग को भेजा जा सकता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ऐसा कोई मामला संबंधित विभाग को नहीं भेजा गया था।

(ख) ऑनसाइट मॉनीटरिंग

(I) पीओपी के अनुपालन की निगरानी करने और विनियमों के अंतर्गत प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रचालनात्मक समयसीमा के अनुपालन की निगरानी करने के लिए पीओपी का ऑनसाइट निरीक्षण किया जाता है। इनके मानकों में पीओपी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और पीओपी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अभिदाताओं के ऑनबोर्डिंग से लेकर निकासी/प्रत्याहरण तक सभी गतिविधियां शामिल हैं। पीओपी को पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम 2018 के प्रावधानों और उसके तहत जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक है। जिन अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों की निगरानी की जाती है, उनमें पीओपी द्वारा अपनाई गई अभिदाता उचित जांच प्रक्रिया (पीएमएलए अधिनियम और नियमों के अनुसार केवाईसी और सीकेवाईसी मानकों के अनुपालन सहित), समाधान के लिए लंबित शिकायतों को बढ़ाना, परिचालन देरी की रिपोर्ट करना, मुआवजे का भुगतान, यदि कोई हो, संकलन खातों में शेष राशि आदि भी शामिल हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीएस, एनपीएस–लाइट और एपीवाई–पीओपी के तहत गतिविधियां करने वाले पीओपी का कुल 22 ऑनसाइट निरीक्षण किया गया था और पीओपी को निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलन में नियमों का अनुपालन करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा, विचलन के अनुपालन और निरीक्षण रिपोर्ट

को बंद करने के लिए पीओपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

(iii) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीएस और एनपीएस–लाइट के तहत पीओपी द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 110 आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) पर कार्रवाई की गई। पीओपी को ऑडिटर द्वारा पाए गए विचलन पर नियमों का पालन करने की सलाह दी गई थी, और बाद में विचलन के अनुपालन और ऑडिट रिपोर्ट को बंद करने के लिए पीओपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

3. एनपीएस, एनपीएस–लाइट, एपीवाई और आरए के तहत पीओपी को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के धारा 14 (2) (ओ) के तहत जारी परामर्श/निर्देश/सूचनाएं ।

एनपीएस के तहत गतिविधियों के अनुपालन और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मामलों पर पीओपी को सलाह और निर्देश जारी किए गए हैं।

4. प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

किसी भी कथित उल्लंघन का पता चलने की स्थिति में, जो प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 28 के तहत शामिल कृताकृत्य के किसी भी कार्य का खुलासा करता है, पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार प्रभारी सदस्य (जांच और निगरानी) को एक औपचारिक प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विभाग द्वारा कोई प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

5. नीतिगत मामले

पीएफआरडीए, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आवश्यकता और सुझावों के आधार पर, मामले की जांच करता है, मसौदा तैयार करता है, और अभिदाताओं और हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए सुधार हेतु नीति की सिफारिश करता है।

एनपीएस के तहत अन्य सभी मध्यस्थ इकाइयों के लिए, ऑफसाइट/ऑनसाइट निरीक्षण की व्यवस्था मौजूद है।

3.13.3 अधिनिर्णयन

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के दिनांक 15.02.2021 के आदेश के अनुपालन में, एक एग्रीगेटर के खिलाफ लगाए गए जुर्माने के मामले में, सदस्य (अर्थदंड प्रभारी) ने दिनांक 02.05.2022 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उस मामले में 'नए सिरे से जांच' करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, उक्त मामले में जांच करने, जुर्माना निर्धारित करने और सिफारिश करने के लिए एक अधिनिर्णयन अधिकारी को नियुक्त किया गया था।

सदस्य (अर्थदंड प्रभारी) ने अपने आदेश दिनांक 04.05.2022 के आदेश में 5,00,000 रुपये का जुर्माना यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड पर लगाया तथा उतनी ही राशि प्राप्त हुई।

3.13.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

पीएफआरडीए ने ऑडिट अवधि यानी वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए वार्षिक ऑडिट योजना के आधार पर वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा अभ्यास आयोजित किया। योजना के अनुसार, पीएफआरडीए के सभी विभागों को कवर करते हुए 20 ऑडिट किए गए थे। ऑडिट दायरे में रिपोर्टिंग के उद्देश्य से मात्रात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी परिचालन गतिविधियों की समीक्षा, रिकॉर्ड रखने और साक्ष्य का संचय और मूल्यांकन शामिल था। इसमें गुणात्मक मापदंडों का मूल्यांकन, गैर–अनुपालन का जोखिम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, यदि कोई हो, तो शामिल है। ऑडिट निष्कर्षों और निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के जोखिमों के लिए संकेतकों के एक व्यापक सेट के आधार पर सभी विभागों के लिए जोखिम–आधारित रैंकिंग शुरू की गई है। यह विभाग द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को गंभीर बनाने और व्यापक जोखिम मूल्यांकन पद्धति में सुधार करने और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विकसित करने का प्रयास है।

3.14 अन्य

3.14.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)

I) वर्ष दर वर्ष एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2022 में 520.21 लाख से बढ़कर मार्च 2023 में 632.55 लाख हो गया। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 21.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनपीएस अभिदाताओं की वर्ष–वार संख्या निम्नलिखित चार्ट में दी गई है।

तालिका संख्या 3.47: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या :

क्षेत्र	मार्च 2022 (लाख में)	मार्च 2023 (लाख में)	एक वर्ष में वृद्धि	
			संपूर्ण वृद्धि (लाख में)	प्रतिशत में
केंद्र सरकार	22.84	23.97	1.13	4.96
कुल का %	4.38	3.79	-	-
राज्य सरकार	55.77	60.96	5.19	9.31
कुल का %	10.70	9.64	-	-
कॉर्पोरेट	14.05	16.82	2.77	19.72
कुल का %	2.70	2.66	-	-
सर्व नागरिक	22.92	29.57	6.65	29.03
कुल का %	4.40	4.67	-	-
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन*	41.87	41.76	-	-
कुल का %	8.03	6.60	-	-
एपीवाई	362.77	459.47	96.7	26.66
कुल का %	69.60	72.64	-	-
कुल	**520.21**	**632.55**	**112.34**	**21.60**

*(01 अप्रैल 2015 के बाद किसी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं है)

चार्ट 3. 8: एनपीएस और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की वर्षवार संख्या

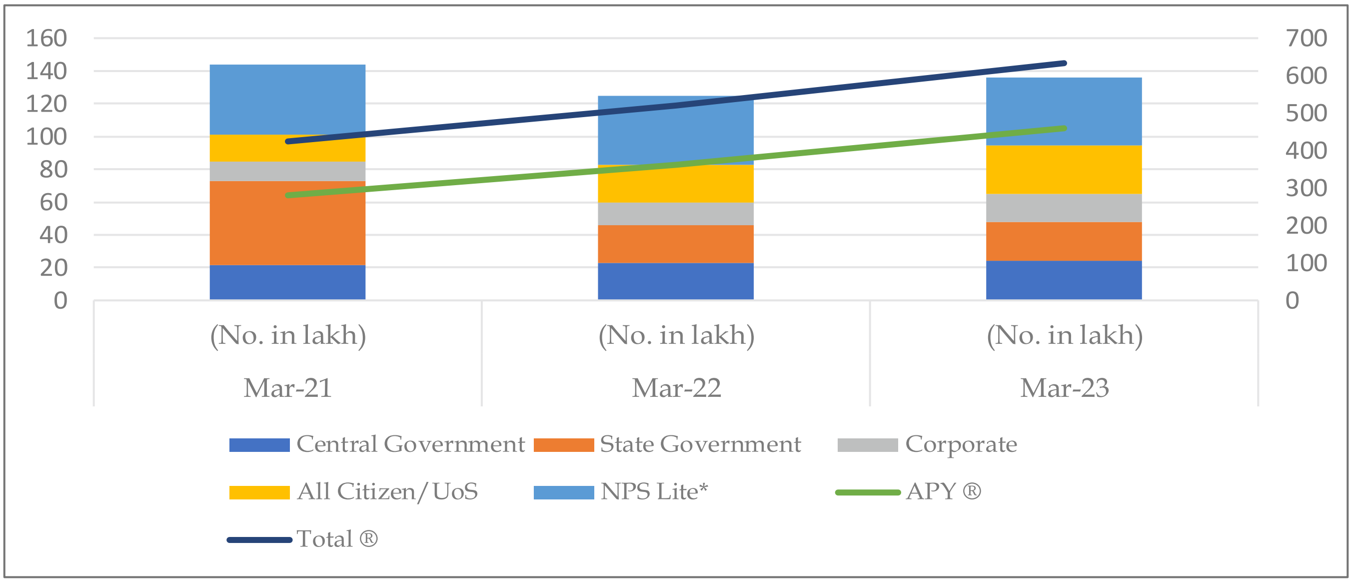

(ii) अभिदाताओं की संख्या – क्षेत्रवार

सरकारी क्षेत्र

तालिका सं. 3.48: 31 मार्च, 2023 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (करोड़ रुपये)	एयूएम (करोड़ रुपये)
केंद्र सरकार	23,97,125	182623.09	257637.7
राज्य सरकार	60,95,989	342509.37	449185.67
कुल	**84,93,114**	**525132.46**	**706823.38**

सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2022 के अंत में 78.61 लाख थी जो मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 84.93 लाख हो गई, अर्थात इसमें 6.32 लाख (8.04 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका सं. 3.49: 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

iii) निजी क्षेत्र

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (करोड़ रुपये)	एयूएम (करोड़ रुपये)
कॉर्पोरेट क्षेत्र	1681865	88467.82	117281.49
सर्व नागरिक/यूओएस '	2957449	46133.03	42622.61
कुल	**4639314**	**134600.85**	**159904.11**

निजी क्षेत्र के तहत, कॉर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या मार्च 2022 में 14.05 लाख से बढ़कर मार्च 2023 में 16.82 लाख हो गई है, अर्थात इसमें 2.77 लाख अभिदाताओं की वृद्धि हुई है जो 19.72 प्रतिशत है। यूओएस/ऑल सिटीजन (सर्व नागरिक) के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2022 के अंत में 22.92 लाख से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 29.58 लाख हो गई है, जिसमें 6.66 लाख अभिदाताओं की वृद्धि हुई है जो 29.06 प्रतिशत है।

iv) असंगठित क्षेत्र

तालिका सं. 3.50: 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनपीएस लाइट और एपीवाई के अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (करोड़ रुपये)	एयूएम (करोड़ रुपये)
एनपीएस लाइट	4175845	3185.41	4914.52
अटल पेंशन योजना	45947302	24438.95	26700.03
एपीवाई निधि योजना'	-	522	522.71
कुल	**50123147**	**28146.36**	**32137.26**

- एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2022 में 404.64 लाख से बढ़कर मार्च 2023 में 501.23 लाख हो गई है, अर्थात इसमें 96.59 लाख अभिदाताओं (23.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- एनपीएस लाइट स्कीम में नई प्रविष्टि 1 अप्रैल, 2015 से बंद कर दी गई थी। और एपीवाई को 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था, और 1 जुलाई 2015 से इसका परिचालन शुरू हो गया। एपीवाई भारत के गरीबों और वंचित नागरिकों पर केंद्रित है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद एक परिभाषित पेंशन प्रदान करेगा।
- एपीवाई के तहत, अभिदाताओं को उनके अंशदान, जो एपीवाई में शामिल होने पर अभिदाता की आयु पर आधारित होगी, के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह, 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक है।
- यह योजना, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ पंजीकृत सभी बैंक शाखाओं/डाकघरों/भुगतान बैंकों/लघु वित्त बैंकों के माध्यम से संचालित होती है।
- एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा किया जाता है। मार्च 2023 में इस योजना के प्रबंधन के तहत आस्ति 26,700 करोड़ रुपये है।

3.14.2 उपस्थिति अस्तित्व

''उपस्थिति अस्तित्व'' पीएफआरडीए अधिनियम,2013 की धारा 27 की उप–धारा (3) के तहत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक मध्यस्थ है और यह निधियां तथा निर्देश प्राप्त करने और उन्हें संचारित करने तथा निधियों के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम है। पीएफआरडीए अधिनियम,2013 की धारा 20 के अनुसार, इसे यह जिम्मेदारी दी गयी है कि, "अंशदानों और निर्देशों के संग्रह तथा संचरण का कार्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण तक उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा किया जाएगा। अतः, पीओपी एनपीएस अभिदाता के रूप में शामिल होने वाले/वाली अभिदाता के साथ सम्पर्क करते हैं और पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन, अभिदाताओं से अंशदान और निर्देश प्राप्त करने इसके प्रसारण से संबंधित कार्य करते हैं और साथ ही, धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 और समय–समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हैं।

एनपीएस की संरचना के तहत, 31.03.2023 तक कुल 331 उपस्थिति अस्तित्व (एनपीएस–नियमित/एग्रीगेटर्स/एपीवाई–एसपी) और 53 पीओपी–एसई प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

नया/संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना (विलय/समामेलन/संगठन और नाम में परिवर्तन के कारण) :

वित्तीय वर्ष के दौरान, 24 संस्थाओं को उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व –उप इकाई की श्रेणी के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इनसे उपयुक्त घोषणाएं, सूचना, प्रमाण पत्र और अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करने के साथ पात्रता से संबंधित सभी मानकों की जांच की गई थी ।

अभिदाताओं/कंपनियों के लिए पीओपी का चयन :

एनपीएस संरचना के तहत अभिदाता/कॉरपोरेट (कर्मचारी–नियोक्ता संबंध रखने वाले) अपने पसंद के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व चुन सकते हैं। उपस्थिति अस्तित्वों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

जारी परिपत्र :

एनपीएस को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और उसे वितरित करने हेतु तथा पीओपी द्वारा द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में बेहतर अभिदाता सेवा प्रदान करने के साथ ही विभिन्न सेवाओं में उचित लागू शुल्क लेने हेतु, पीओपी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा दो परिपत्र जारी किए गए थे –

1. परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2023/04/आरईजी–पीओपी/01 दिनांक 20.01.2023 के माध्यम से एनपीएस के तहत एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट) के अंतर्गत पीओपी के लिए गैर–वित्तीय शुल्कों पर स्पष्टीकरण ।

   तर्क – प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया था कि पीओपी उक्त परिपत्र के तहत निर्धारित किए गए कुछ

गैर–वित्तीय शुल्कों को परक्राम्य/अनिर्धारित मान रहे हैं। इसलिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि गैर–वित्तीय शुल्कों पर कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. परिपत्र सं. 2023/05/आरईजी–पीओपी/02 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से '' अभिदाता को जानेंध्धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) पर दिशानिर्देश'' जारी किए गए थे।

तर्क

a- उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियमन 15 के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनिवार्यताओं का अनुपालन करना जरूरी है।

b- ये दिशानिर्देश पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं।

3. परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2023/10/ आरईजी–पीओपी/03 दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से एनपीएस के तहत सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (विधिविरुद्ध गतिविधियों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 12ए का कार्यान्वयन किया गया ।

तर्क

a- उक्त विषय पर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2023 को जारी आदेश सं फाइल सं. पी–12011/ 14/2022–ईएस सेल–डीओआर । उक्त अधिनियम की धारा 12ए सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों से संबंधित वित्तपोषण की रोकथाम से संबंधित है।

b- बैंक खातों, स्टॉक या बीमा आदि से संबंधित उपर्युक्त आदेश के मुख्य पहलू एनपीएस/एनपीएस लाइट/ एपीवाई सहित पीएफआरडीए द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य योजना पर भी लागू होंगे।

c- अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के संबंध में विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग के प्रमुख, पीएफआरडीए से नोडल अधिकारी होंगे।

4. परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2023/12/ आरईजी–पीओपी/04 दिनांक 20.03.2023 के तहत एनपीएस के अंतर्गत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए पीएफआरडीए के नोडल अधिकारी का नामांकन ।

तर्क

a- भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के आतंकवाद रोधी और कट्टरता विरोधी (सीटीसीआर) प्रभाग द्वारा 'गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51 ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया' के संबंध में को जारी आदेश सं फाइल सं. 14014/01/2019/सीएफटी दिनांक 2 फरवरी, 2021 ।

b- यूएपीए की धारा 51 ए के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, 'विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग के प्रमुख को तत्काल प्रभाव से पीएफआरडीए से यूएपीए नोडल अधिकारी नामित किया गया है ।

3.14.3 योजनावार प्रबंधन के तहत आस्तियां

योजनावार प्रबंधन के तहत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है –

तालिका संख्या 3.51. योजनावार प्रबंधन के तहत आस्ति

करोड़ों में राशि

योजना	मार्च–22	मार्च–23	संपूर्ण वृद्धि	वृद्धि
केंद्र सरकार	2,16,883.09	2,50,631.18	1,11,119.15	18.94
राज्य सरकार	3,69,743.33	4,47,114.39		
योग	5,86,626.42	6,97,745.57		
एनपीएस लाइट	4,686.74	4,914.52	51,153.33	34.11
एपीवाई	20,922.60	26,700.12		
एपीवाई निधि योजना	-	522.71		
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	47,343.05	58,766.72		
– टियर I ई	30,303.85	43,261.38		
– टियर 1 सी	15,509.97	22,329.81		
–टियर I जी	27,630.39	40,375.85		
टियर 1 ए	162.65	271.69		
टियर II ई	1,424.50	1,681.16		
टियर II सी	762.55	864.87		
टियर II जी	1,214.08	1,419.11		
टीटीएस	6.75	12.53		
योग	1,49,967.14	2,01,120.47		
महायोग	**7,36,593.56**	**8,98,866.04**	**1,62,272.48**	**22.03**

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) के लिए प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 18.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हालांकि इन दो योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 34.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल संख्या के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र योजनाओं में कुल 1,11,119.15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में कुल मिलाकर 51,153.33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

3.14.4 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण,

i) परिचय

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत परिभाषित एक आन्तरिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संरचना के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के मानकों का अनुपालन प्रदान करती हो। यह पीएफआरडीए और अन्य एनपीएस मध्यस्थों जैसे पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक,

नोडल कार्यालयों, उपस्थिति अस्तित्वों आदि के बीच एक परिचालन इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है।

वर्तमान में, एनपीएस संरचना के तहत निम्नलिखित तीन संस्थाओं को केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के रूप में पंजीकृत किया गया है :

(क) प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ख) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ग) कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

प्रोटियन को पीएफआरडीए द्वारा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 26 नवंबर, 2007 को समझौते का निष्पादन किया गया था। दिनांक 27 अप्रैल, 2015 से प्रभावी पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 की अधिसूचना के बाद, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिनांक 18 दिसंबर, 2015 से प्रभावी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में काम करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो 01 दिसंबर, 2007 से 10 दिसंबर, 2007 से प्रभावी मूल अनुबंध की शेष अवधि अर्थात 10 साल और उसके बाद के लिए जारी किया गया था। इसे समय–समय पर विस्तार प्रदान किया गया । सीआरए सभी मध्यस्थों के लिए एक परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इस भूमिका में एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए आवश्यक बाहरी एजेंसियों और रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों के लिए संपर्क करना शामिल है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएफआरडीए ने मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड) को दूसरे सीआरए के रूप में पंजीकृत किया था और उन्हें एनपीएस न्यास के ई–एनपीएस मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त खातों की सर्विसिंग के लिए अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें अभिदाता को प्रोटियन और मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए (द्वितीय सीआरए) के बीच चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया था। यह सीआरए और उसके बाद अन्य वितरण चौनल दिनांक 15 फरवरी, 2017 से प्रभावी है। मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक नए खातों की सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, और उसके बाद इसे 01 अप्रैल, 2017 से एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं के लिए सीानांतरित करने का विकल्प प्रदान करने वाली इंटरऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता के साथ एक पूर्ण सीआरए के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई । वित्त वर्ष 2020–21 में, एक अन्य इकाई, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तीसरे सीआरए ने 17 मार्च 2022 से अपने ईएनपीएस प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू कर दिया है।

सीआरए विनियमों के विनियम 3 के उप विनियम 4 के तहत, मौजूदा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और अन्य केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अथवा अभिकरणों, यदि नियुक्त किए जाते हों, के बीच अभिदाताओं का आवंटन, एक पारदर्शी मानक और प्रक्रिया पर आधारित होगा जिसे अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता हो। तदनुसार, अभिदाताओं के आवंटन का मानक निम्नलिखित है–

ऐसे मामलों में, जहां कॉरपोरेट सहित कर्मचारी–नियोक्ता संबंध हैं, यदि सीआरए प्रभार नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, तो सीआरए का चयन करने का निर्णय नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि वे विशेष रूप से व्यक्तिगत कर्मचारियों को विकल्प नहीं सौंपते हैं और अन्य सभी मामलों में, सीआरए के चयन का विकल्प एनपीएस के तहत कर्मचारी/अभिदाता के पास होगा। स्वैच्छिक अभिदाताओं के मामले में (किसी भी कर्मचारी–नियोक्ता संबंध के बिना) सीआरए चुनने का विकल्प सामान्य रूप से अभिदाता के पास रहता है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अभिदाताओं के मामले में, संबंधित सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सीआरए का चयन करेगी। एनपीएस लाइट अभिदाताओं के मामले में पीओपी/एग्रीगेटर के पास सीआरए चुनने का विकल्प था।

1) सीआरए की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

सीआरए की प्रमुख भूमिका और उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं :

i- नई कार्यप्रणालियों की निरंतर वृद्धि और विकास : यह सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह देश भर में सुविधा–केंद्रों का नेटवर्क बनाए और उन्हें स्थापित करे। उन्हें विभिन्न नई कार्यप्रणालियों/उपयोगिताओं को विकसित करना होगा और विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल में लगातार संवर्धन और विकास करना होगा।

ii- सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं को सेवाएं : सीआरए की प्राथमिक भूमिका अभिलेखपालन, प्रशासन, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा कार्य प्रदान करने, अभिदाताओं को विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करने की है। अभिदाताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, इकाइयों का क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्रान में शेष राशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस हितधारकों तक वेब–आधारित पहुंच प्रदान करना शामिल है। सीआरए, अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल–सेंटर सुविधा भी प्रदान करता है। इन सेवाओं के अलावा सभी ग्राहक रखरखाव सेवाएं जैसे योजना में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरण में परिवर्तन, शिकायत निवारण आदि को सीआरए द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

iii- मध्यस्थ इकाइयों के लिए सेवाएं

पेंशन निधि – सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पेंशन निधि को समय पर फंड के स्थिति की सूचना दे, समेकित निवेश वरीयता योजना की जानकारी तैयार करे और प्रेषित करे, न्यासी बैंक से प्राप्त राशि स्थान्तरण रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर पेंशन निधि को नेट फंड ट्रांसफर रिपोर्ट भेजे और पीएफ द्वारा सीआरए को भेजे गए एनएवी का उपयोग करके योजना के प्रदर्शन रिपोर्ट का अभिमाप प्रस्तुत करे।

न्यासी बैंक – न्यासी बैंक खाते से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्टों का पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट के साथ मिलान करना और निधि मिलान के आधार पर त्रुटि/विसंगति रिपोर्ट तैयार करना, न्यासी बैंक को अंशदाताओं के खाते में आहरण निधि प्रेषित करने और वार्षिकी योजना के विरुद्ध शेष राशि वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के खाते में भेजने का अनुदेश भेजना।

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी)– अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र एकत्र करना और उन्हें एएसपी को अग्रेषित करना और अभिदाता की वार्षिकी के लिए धन हस्तांतरण विवरण को एएसपी के साथ साझा करना। अभिदाता विवरण के संबंध में एएसपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्थान्तरित करना और वार्षिकी योजना पर निर्देश भेजना।

iv- अन्य

पीएफआरडीए, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को आवधिक और तदर्थ एमआईएस (शिकायत निवारण सहित) रिपोर्ट प्रदान करना, आवधिक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।

संपर्क विवरण

व्यापक पहुंच और अंशदाताओं सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए सीआरए के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :

नाम	प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए 001	सीआरए 002	सीआरए 003
वैधता	25 जनवरी 2021 – सतत	14 जून 2016–13 जून 2026	30 मार्च 2021– सतत
वेबसाइट	http://npscra.nsdl.co.in/	https://nps.kfintech.com/	www.camsnps.com
पंजीकृत पता	पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – 400 013	सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद दृ 500 032	नंबर 10 (पुराना नंबर 178), एम.जी.आर.सलाई, नुंगमबक्कम, चेन्नई – 600 034
संपर्क व्यक्ति	श्री मंदार कार्लेकर	सुश्री चेतना मुलानी	श्रीवत्सव के.
ई–मेल	cgro@nsdl.co.in	kcra@kfintech.com	cragro@camsonline.com
दूरभाष	022 – 4090 4788	040 – 68309507	044 – 6602 4888
कॉल सेंटर नं.	1800 222 080 (एनपीएस) / 1800 889 1030 (एपीवाई)	1800 208 1516	
हेल्पडेस्क संपर्क	022 – 2499 3499	—	—

v- वार्षिक शुल्क

प्राधिकरण ने परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2020/22/आरईजी–सीआरए/3 दिनांक 15.06.2020 के तहत "केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों ("सीआरए") द्वारा अभिदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाए जाने वाले शुल्कों के लिए मूल्य अन्वेषण तंत्र हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जो पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम 2015 के प्रावधानों के तहत सीआरए के ऑन–टैप पंजीकरण के अनुसार 2020 में शुरू की गई केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के चयन के एक अभिन्न अंग के रूप में है।

एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट अभिदाताओं को केंद्रीय अभिलेखपालन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले वर्तमान शुल्क की संरचना निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.52: एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट/एपीवाई के लिए सीआरए सेवा शुल्क संरचना

क्रम सं	सेवा प्रभार शीर्षक	मेसर्स प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (प्रथम सीआरए)		मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (द्वितीय सीआरए)		मैसर्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (तृतीय सीआरए)	
		एनपीएस नियमित (रु.)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रु.)	एनपीएस नियमित (रु.)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रु.)	एनपीएस नियमित (रु.)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रु.)
1	पीआरए उद्घाटित करने का शुल्क	40.00	15.00	39.36	15	40.00	15.00
	पीआरए वार्षिक रखरखाव शुल्क	69.00*	20.00	57.63	14.4	65.00	16.25
3	लेन–देन शुल्क	3.75	NIL	3.36	NIL	3.50	NIL

नोटः *दिनांक 01.10.2021 से लागू ।

vi- विनियम और संशोधन :

सभी सीआरए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित विनियामक संरचना और प्राधिकरण द्वारा उनमें किए गए संशोधन और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों आदि के तहत व्यापक रूप से परिभाषित की गई गतिविधियों को निष्पादित करना जरूरी है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, मौजूदा नियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं पाई गई।

1. निपटान के लिए समय सीमा को घटाकर टी़2 करना : अभिदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के निकासी अनुरोधों को पिछले टी़ 4 दिनों की तुलना में अब टी़ 2 दिनों के भीतर संसाधित किया जाएगा । सुबह 11 बजे तक प्राप्त अनुरोधों को टी़ 2 दिनों में संसाधित किया जाएगा और 11 बजे के बाद प्राप्त अनुरोधों को टी़ 3 दिनों में संसाधित किया जाएगा।

2. डिजीलॉकरः सीआरए ने अभिदाता केंद्रित सेवाएं ई–प्रान, खाता विवरण और आधार–डिजीलॉकर आधारित खाता खोलने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजीलॉकर के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत किया है। सीआरए ने केवाईसी दस्तावेज के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके डिजीलॉकर के माध्यम से खाता खोलना भी शुरू कर दिया है। अभिदाता एनपीएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। इस प्रकार एनपीएस में शामिल होना अधिक आसान हो गया है।

3. पेनी ड्रॉप के माध्यम से यूपीआई आधारित तत्काल बैंक खाता सत्यापन : पैन और यूपीआई का उपयोग करके बैंक खाता प्रमाणीकरण – अभिदाताओं के लाभ और उचित सावधानी को बढाने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की गयी ।

4. ई–निवेश विकल्प : सरकारी क्षेत्र के अभिदाता अपने निवेश विकल्पों को ऑनलाइन बदल सकते हैं, जिसमें अभिदाता सीधे सीआरए लॉगिन में अनुरोध जमा कर सकते हैं और जिसे नोडल कार्यालय से प्राधिकृत किए बिना ही पंजीकृत मोबाइल /ईमेल–आईडी पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है।

5. सीआरए ने सीईआरएसएआई सी–केवाईसी पहचानकर्ता–आधारित ई–एनपीएस खाता खोलना शुरू कर दिया है।

6. सरकार और कॉर्पोरेट अभिदाताओं के लिए उनकी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र /समाप्ति के बाद सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद मौजूदा निवेश विकल्प /पीएफ (डिफॉल्ट योजना सहित) को जारी रखने का विकल्प शुरू किया गया है ।

7. एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर (एनपीपी) की अवधारणा, अभिदाताओं को एनपीएस में अधिक अंशदान करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रेरित करने के लिए की गई है। पीएफआरडीए का मानना है कि एनपीपी एक महत्वपूर्ण कारक होगा जो अभिदाताओं के निवेश को अनुकूलित करने के लिए शुरुआती सार और कंपाउंडिंग प्रभाव की शक्ति को समझकर उनके अंशदान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।

8. डी–रेमिट के माध्यम से अंशदान के तहत यूपीआई हैंडल को सक्षम करना : अब, एनपीएस अभिदाताओं के लाभ के लिए यूपीआई हैंडल के माध्यम से अंशदान भी स्वीकार किए जाते हैं। इसके साथ, एनपीएस अभिदाताओं द्वारा सीआरए से प्रदान किए गए वर्चुअल अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने प्रान में धन भेजा जा सकता है।

9. एनपीएस के तहत वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी) : अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस अभिदाता अपने प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए लक्षित प्रतिभागी हैं। अब तक, देश भर में 21 एएलपी/ई–एएलपी आयोजित किए जा चुके हैं और लगभग 6500 अभिदाताओं को इससे सीधा लाभ हुआ है।

10. अभिदाता शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम (एसईईपी) पीएफआरडीए ने विभिन्न एनपीएस लाभों और विशेषताओं के बारे में अभिदाताओं को शिक्षित करने के लिए अभिदाता शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम (एसईईपी) शुरू किया है। इससे अभिदाताओं को बेहतर जानकारी वाले निर्णयों/विकल्पों के लिए मदद मिलेगी और उन्हें पीएफआरडीए द्वारा विकसित और प्रस्तावित उन सशक्तिकरण उपकरणों के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा, जो अंशदाताओं के लाभ के लिए सीआरए द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। एसईईपी का उपयोग अभिदाताओं को उनकी आय के अनुसार राशि के अंशदान के साथ सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने, आय में वृद्धि के आधार पर उनके आवधिक अंशदान में वृद्धि करने, एनपीएस के बारे में अभिदाताओं की मानसिकता (जो एनपीएस को सेवानिवृत्ति के लिए केवल कर बचत उपकरण के रूप में मानती है) को बदलने हेतु प्रेरित करने के लिए भी किया जाएगा।

11. पीएफआरडीए द्वारा एनआईसी के ई–संपर्क प्लेटफॉर्म का उपयोग लक्षित आबादी के साथ–साथ एनपीएस/एपीवाई के अभिदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'नागरिक केंद्रित' संदेश भेजने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इससे पीएफआरडीए के लिए एनपीएस अभिदाताओं से सीधे जुड़ने, सूचना के प्रसार, जारी की जा रही नई कार्यक्षमताओं के बारे में अभिदाताओं को सूचित करने, अलर्ट आदि का अवसर भी पैदा होगा।

12. अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क एक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो नागरिकों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ कैप्चर किए गए अपने स्वयं के डेटा को खोजने और लिंक करने और इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा ब्लाइंड तरीके में और विनियमित संस्थानों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने का अधिकार देता है। केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) को वित्तीय सूचना प्रदाताओं के रूप में एए फ्रेमवर्क पर ऑन–बोर्ड किया गया है।

3.14.5 पेंशन निधि

पेंशन निधि से तात्पर्य है, एक मध्यस्थ इकाई, जिसे प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उपधारा (3) के तहत अंशदान प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति से अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां, जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं। पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड के उपयोग और निधि आवंटन के संबंध में निर्देशों द्वारा निधियों के आवंटन की पुष्टि करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षक को नियमित आधार पर भेजती हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और पेंशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था।

पेंशन निधि के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं हैं :

a- पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के उद्देश्यों, अधिनियम के प्रावधानों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर किया जाएगा।

b- पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

c- पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सदैव उच्चतर सेवा मानकों, उपयुक्त सावधानी, विवेकशीलता, व्यावसायिक कौशल, तत्परता, शीघ्रता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। सभी पेंशन निधियाँ सट्टा–निवेश या लेनदेन करने से बचेंगी।

d- पेंशन निधि उच्च–शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि, उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्तियों, जिससे सेवाएं प्राप्त की गयी हैं, के कृताकृत्य के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसे कृताकृत्य का उत्तरदायित्व उसका होगा । यह उत्तरदायित्व तब तक रहेगा जब तक पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन का अधिक्रमण नहीं हो जाता है।

e- पेंशन निधि, अन्य मध्यस्थों और अन्य इकाइयों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी ।

f- पेंशन निधि, पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित खाता–बहियों, अभिलेखों, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रबंधित करेगी, ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके तथा लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके।

g- पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर माँगी गयी आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी।

h- पेंशन निधि, अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति और रीति से करेगी ।

I- पेंशन निधि, निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन, इसकी संरचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X में निर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगी ।

j- पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितसंघर्ष से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी ।

k- पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथकता सुनिश्चित करेगी।

l- पेंशन निधि, अभिदाताओं तथा पेंशन निधियों से जुड़ी सूचना और सम्बन्धित कार्यकलापों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अन्य कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त इसके नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

– पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगी ।

3.14.6 न्यासी बैंक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम 2015 को 23 मार्च, 2015 को अधिसूचित किया गया था।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियमों का उद्देश्य न्यासी बैंक के रूप में चयनित इकाई की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है। ये विनियम निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों का प्रभावी और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेंगे और पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे

I) न्यासी बैंक:

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड को न्यासी बैंक के चयन और उसमें संशोधन के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के जवाब में एनपीएस के तहत न्यासी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनपीएस न्यासी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को 8 जनवरी 2021 से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसे जारी करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए वैध है, जब तक कि पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015 के विनियमन 13 और उसमें संशोधन के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

एनपीएस न्यास द्वारा न्यासी बैंक के साथ 12.10.2020 के आरएफपी और पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 क प्रावधानों के अनुरूप एक सेवा स्तरीय समझौता (एसएलए) निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित आरेख एनपीएस संरचना में न्यासी बैंक की भूमिका को दर्शाता है :

चार्ट 3.9 : एनपीएस संरचना और मध्यस्थ

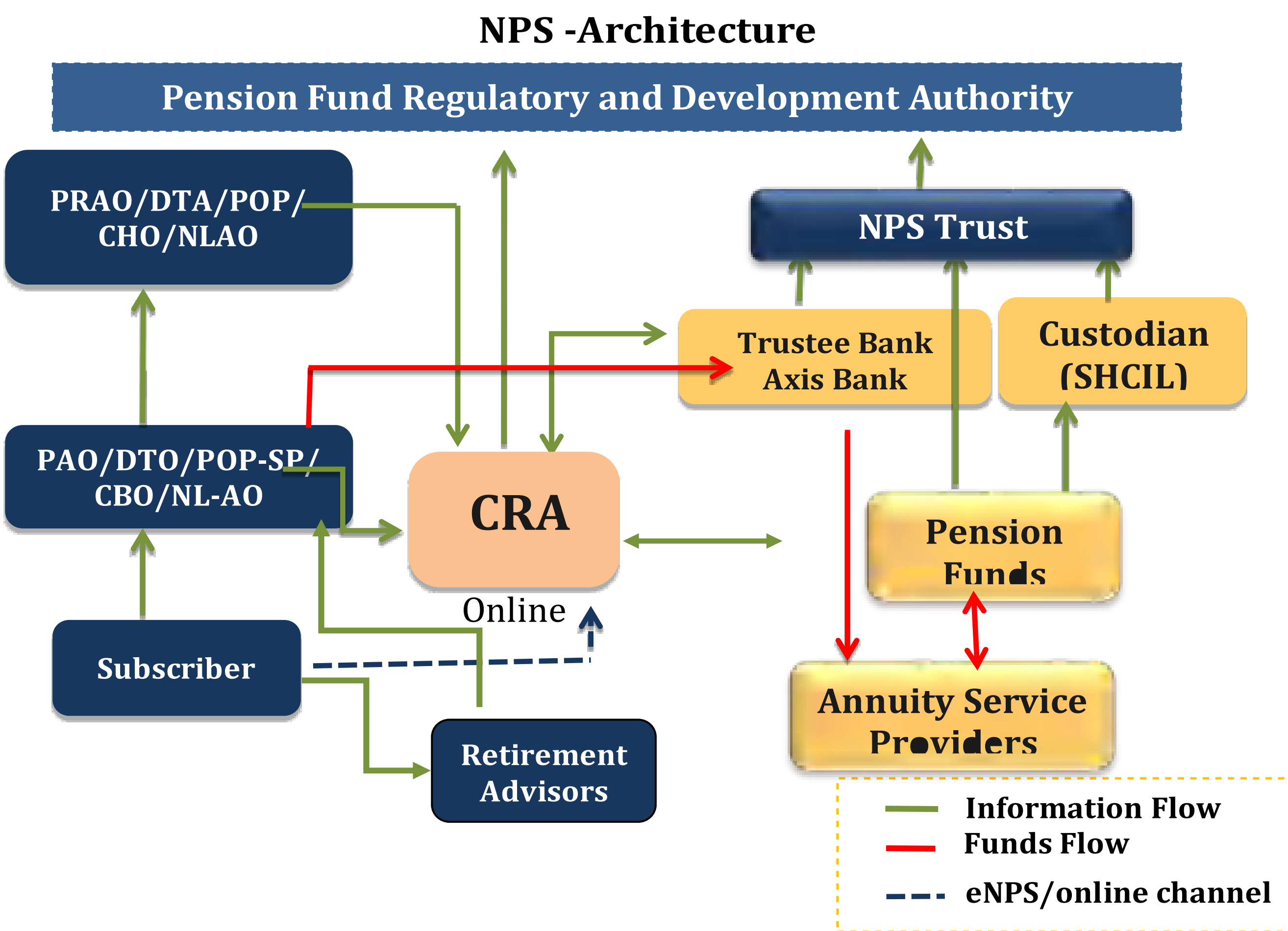

न्यासी बैंक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

1. न्यासी बैंक प्राधिकरण के निर्धारित विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के तहत एनपीएस न्यास द्वारा निर्देशित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

2. न्यासी बैंक प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और अन्य मध्यस्थों के साथ आवश्यक सेवा स्तरीय समझौते और गैर–प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करता है।

3. न्यासी बैंक एक इंटरफेस स्थापित करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त अन्य मध्यस्थों के साथ पूर्ण सहयोग और समन्वय से काम करता है।

4. न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाता है और उचित सावधानी रखता है कि प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाएं पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास के दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के विपरीत न हों और उनके द्वारा अभिदाताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाती हो।

5. न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से हैं, और एनपीएस न्यास के नाम पर खोले गए हैं। एनपीएस न्यास इन निधियों का पंजीकृत स्वामी है। हालांकि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभकारी स्वामी बने रहेंगे। एनपीएस न्यास को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (44) के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

6. न्यासी बैंक पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं/निर्देशों और एनपीएस न्यास के साथ निष्पादित परिचालन सेवा स्तरीय समझौते और पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीएस न्यास द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एनपीएस के तहत निधियों के लिए बैंकिंग कार्य करता है।

7. न्यासी बैंक धन के दैनिक प्रवाह के लिए भी उत्तरदायी है।

8. न्यासी बैंक अपने पास उपलब्ध एनपीएस निधियों से संबंधित जानकारी और निर्देश नियमित आधार पर सीआरए को भेजता है।

9. न्यासी बैंक एनपीएस न्यास, पीएफआरडीए, सीआरए और अन्य सेवा प्रदाताओं को वेब–आधारित पहुंच प्रदान करता है।

10. न्यासी बैंक भविष्य के परिवर्तनों के लिए अनुकूलित है जिसमें प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण परिवर्तन, अभिदाताओं की संख्या, योजनाओं की संख्या, और सेवाओं और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास द्वारा निर्धारित कार्यात्मक दायित्वों सहित सिस्टम विनिर्देशों में परिवर्तन शामिल हैं।

11. न्यासी बैंक, एनपीएस न्यासी बैंक, सीआरए, अभिदाताओं, पेंशन निधि आदि के बीच धन प्रवाह और सूचना प्रवाह के बारे में बहीखाते और रिकॉर्ड को रखता है। इसके अतिरिक्त पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास द्वारा नियमित अंतरालों पर मांगे गए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है ।

12. न्यासी बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं और आचार संहिता का अनुपालन करे। न्यास के खातों से संबंधित बहीखाते और अभिलेख पीएफआरडीए, एनपीएस न्यास, आरबीआई के अधिकृत अधिकारियों या एजेंटों और उनके संबंधित लेखा परीक्षकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

13 a- न्यासी बैंक, पीएफआरडीए, न्यास के साथ निम्नलिखित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है –एनपीएस न्यास खातों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, अनुपालन प्रमाण पत्र और नियमित अंतराल पर अभिदाता शिकायत रिपोर्ट प्राप्त करना।

b- समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत की जाती है।

c- न्यासी बैंक के पास रखे गए सभी एनपीएस खातों की बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाती है।

14. न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों के कृताकृत्य के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी सेवाएं एनपीएस न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त की गई हों।

15. न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं जैसे नोडल कार्यालयों (अपलोडिंग कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधकों, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और अभिदाताओं में धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

16. न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली के लिए विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त धन के विवरण वाली एक फाइल अपलोड करता है। पुनः इन विवरणों का मिलान नोडल कार्यालय (ओं) द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान किए गए अंशदान विवरणों से किया जाता है।

17. न्यासी बैंक विभिन्न संस्थाओं जैसे पीएफएम, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं, निकासी खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए पे–इन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सीआरए प्रणाली से निधि हस्तांतरण निर्देश प्राप्त करता है, और पेंशन निधि प्रबंधक (ओं) से भी धन प्राप्त कर सकता है।

18. अधूरी जानकारी से युक्त या अज्ञात विप्रेषण या विप्रेषणों को संबंधित इकाई को वापस करना।

19. प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक के खाते में जमा धनराशि का सीआरए प्रणाली के साथ मिलान किया जाता है।

ii) न्यासी बैंक के लिए समय सीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियां सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियां निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी हों। नीचे दिया गया चार्ट मुख्य गतिविधियों और समय सीमा का मूल विचार देता है जिसके भीतर बैंक द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता है :

तालिका संख्या 3.53: समय–सीमा के साथ न्यासी बैंक की मुख्य गतिविधियां

क्रम सं.	गतिविधि की प्रकृति	समय–सीमा*	दिवस*
1	न्यासी बैंक में निधि की प्राप्ति	दिन की समाप्ति पर	T
2	अज्ञातनिधि की वापसी	दिन की समाप्ति पर	T+1
3	निधि प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल अपलोड करना	I) सामान्य एफआरसी के लिएः टी. 1 दिन पर सुबह 9.15 बजे तक (दिन टी पर प्राप्त स्वीकृत राशि के लिए) ii) डी–रेमिट एफआरसी के लिएः टी दिन पर सुबह 10.30 बजे तक (टी पर सुबह 09:30:01 बजे और टी. 1 दिन पर सुबह 09:30:00 बजे के बीच प्राप्त राशि के लिए); दैनिक	दैनिक
4	डाउनलोड भुगतान निर्देश फाइलें	सुबह 11:30 बजे तक	दैनिक
5	पीएफ और निकासी खाते में धन के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए समय–सीमा	i) पीएफ लेनदेन प्रसंस्करण : 1.30 बजे ii) डब्ल्यूएसी फाइल प्रसंस्करणः दिन का अंत	दैनिक
6	एम एंड बी निधियों का पीएफ को हस्तांतरण	पे–इन डाउनलोड होने के 25 मिनट के भीतर	T+1
7	विभिन्न खातों के विवरणों और समापन शेष राशि का अपलोड	दिन की समाप्ति पर	दैनिक

*'प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन न करने पर समय–समय पर निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं। समय–सीमा में अनुपालन न करने के लिए दंड प्रावधान की वर्तमान लागू दर **भारतीय रिजर्व बैंक रेपो प्लस मुआवजे के** रूप में देय दो प्रतिशत प्रति वर्ष है।'

यदि क्षतिपूर्ति राशि 50/– रुपये से अधिक है तो यह राशि अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा की जाएगी और यदि यह 50/– रुपये से कम है तो इसे एसईपीएफ खाते में जमा किया जाएगा ।

विनियामक शुल्क : न्यासी बैंक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर सभी एनपीएस न्यास खातों की समेकित शेष राशि पर प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में गणना की गई रेपो दर पर वार्षिक शुल्क जमा करेगा। यह पंजीकरण अवधि की पूरी अवधि के लिए मान्य है और इसके लिए दिया गया कोई भी विस्तार, सीधे प्राधिकरण को त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

(iii) प्रत्यक्ष विप्रेषण (डी–रेमिट) :

अभिदाता को सुविधा प्रदान करने, कम लागत पर नियमित अंशदान करने के लिए पीएफआरडीए ने प्रत्यक्ष विप्रेषण (डी–रेमिट) नामक एक अतिरिक्त विकल्प/अंशदान का तरीका शुरू किया है जिसमें सरकारी/गैर–सरकारी/सभी नागरिक मॉडल के अंतर्गत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) से जुड़ी एक वर्चुअल आईडी बनाकर स्वेच्छा से अंशदान जमा कर सकेंगे। डी–रेमिट ने न केवल स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के तरीके को आसान बनाया है, बल्कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर न्यासी बैंक द्वारा अंशदान से प्राप्त होने वाले निवेश पर उसी दिन एनएवी प्रदान करके निवेश रिटर्न को भी अनुकूलित किया है।

अभिदाता अब अपने नेट – बैंकिंग खाते में एक स्थायी निर्देश डाल सकते हैं जो सीधे उनके प्रान खातों में अंशदान भेज देगा। यह निवेश की समयरेखा को टी. 2 से टी (एक समय–सीमा से पहले किए गए अंशदान के लिए) या टी. 1 तक कम कर देगा। डी रेमिट के तहत अंशदान स्वीकार करने के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा भी लागू की गयी है ।

केवल एनईएफटी और आरटीजीएस को अंशदान के तरीके के रूप में स्वीकार किया गया है। अब, डी–रेमिट के तहत यूपीआई सुविधा भी सक्षम की गई है, इससे अभिदाताओं को यूपीआई के तहत राशि ट्रांसफर करने और उसी दिन एनएवी का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

3.14.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

प्रतिभूतियों के अभिरक्षक '' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार भागीदार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा 3 के तहत पंजीकृत इकाई है।

''अभिरक्षक सेवाओं'' का अर्थ है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य पेंशन योजना के तहत संधृत प्रतिभूतियों या आस्तियों को सुरक्षित रखना और उनमें प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) प्रतिभूतियों या आस्तियों के खातों को संधृत करनाय

(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमति के अनुसार घरेलू निक्षेपागार के रूप में गतिविधियों का संचालन करना।

(iii) प्रतिभूतियों या आस्तियों पर प्राप्त लाभ या हकदारी का संग्रह करना।

(iv) प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में सूचित करना, जो प्रतिभूतियों या आस्तियों पर प्राप्त लाभों या हकदारी को प्रभावित करते हैं; और

(v) उप–खंड (i) से (पअ) में निर्दिष्ट सेवाओं के अभिलेखों को बनाए रखना और उनका संयोजन करना

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, Deutsche Bank AG (DBAG) / ड्यूश बैंक एजी (डीबीएजी) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था।

प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व :

पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 19 के अनुसार, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हर समय उचित सावधानी, विवेक, व्यावसायिक कौशल और तत्परता का प्रयोग करना चाहिए।

2. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक, अन्य मध्यस्थों और संस्थाओं के साथ समन्वय करने हेतु और प्रौद्योगिकी प्रगति, सिस्टम विनिर्देशों और सेवाओं में परिवर्तन लाने हेतु और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यात्मक दायित्वों के कारण परिवर्तन सहित भविष्य के परिवर्तनों के अनुकूल और आवश्यक बुनियादी ढांचा सूचना

प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करेंगे ।

3. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए कि अभिलेख रखने की निरंतरता लुप्त न जाए या नष्ट न हो और रिकॉर्ड का पर्याप्त बैक–अप उपलब्ध हो।

4. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन योजनाओं के खातों में लेनदेन पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार किया जाता है और ऐसे खातों में रखी गई प्रतिभूतियों का उपयोग केवल पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत लेनदेन के लिए ही किया जाता है।

5. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक सदैव यह सुनिश्चित करेंगे कि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से रखी गई प्रतिभूतियां अलग–अलग हैं और स्पष्ट रूप से अपनी होल्डिंग्स, अन्य अभिदाता खातों से अलग हैं और अन्य सभी गतिविधियों से अलग हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट रीति के अनुसार एक अलग अभिरक्षा खाता खोलेंगे।

6. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन योजनाओं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए उसकी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार या पात्रता समय पर और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्दिष्ट रीति से प्राप्त की जाती है।

7. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन योजना खातों में प्रतिभूतियों की व्यक्तिगत धारित राशि का मिलान दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित राशियों और ग्राहक की सामान्य खाताबही के साथ किया जाए।

8. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पेंशन योजना खातों के भीतर और बाहर प्रतिभूतियों के संचलन के लिए लगातार उत्तरदायी होगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा बुलाए जाने पर पूर्ण ऑडिट ट्रेल प्रदान करेगा।

9. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपनी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों के अभिलेखों को इस प्रकार बनाएगा और उनका संरक्षण करेगा कि किसी भी कारण से मूल अभिलेखों के खो जाने की स्थिति में प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति या दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में सुविधा हो।

10. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी भी पेंशन योजना के तहत उसके द्वारा संधृत प्रतिभूतियों का पर्याप्त बीमा किया गया है।

11. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रणालियां होनी चाहिए ताकि इस समझौते के तहत संधृत प्रतिभूतियों से उत्पन्न प्रतिभूतियों और अधिकारों या हकदारियों के लिए लेखा परीक्षा सहित रिकॉर्ड और दस्तावेजों के किसी भी हेरफेर को नियंत्रित किया जा सके। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षित उपाय होना चाहिए कि ऐसी प्रतिभूतियां (संपत्ति या दस्तावेज) चोरी या प्राकृतिक खतरे से सुरक्षित रहें।

12. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजना खातों में रखी गई प्रतिभूतियों को स्थापित करने या अन्यथा प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से लिखित में पूर्व सहमति के बिना पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से आंशिक रूप से या पूरी तरह से बकाया राशि को समाप्त करने के लिए उनके साथ सौदा करने के हकदार नहीं होंगे।

13. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक किसी भी तरीके से प्रतिभूतियों पर ऋण भार नहीं डालेगा, जिसमें उक्त प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने, जालसाजी करने या कोई शुल्क या ग्रहणाधिकार बनाने का कार्य शामिल है। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अनुमोदन के बिना प्रतिभूतियों को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं करेगा।

14. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण या ऐसे अन्य मध्यस्थों को ऐसे आवधिक अंतराल पर प्रेषित करेगा जो समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ या समझौते में निर्दिष्ट किए गए हों।

15. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को खातों, रजिस्टरों, अभिलेख, दस्तावेजों के उचित बहीखातों को बनाए

रखना होगा और अभिरक्षक के पास उसके नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त तंत्र होना चाहिए।

16. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा अपने बही–खातों की लेखा–जोखा की तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की जाएगी और उसे लेखा परीक्षा की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को पेंशन निधियों की आस्तियों या व्यवसाय से संबंधित एक निष्कर्ष प्रस्तुत करना होगा।

17. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को विभिन्न कार्यों या सेवाओं के प्रस्ताव के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समाशोधन निकाय, विनिमय या निक्षेपागार द्वारा तैयार, अनुशंसित, अनिवार्य सभी लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों या दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

अभिरक्षक शुल्क

आस्ति सेवा शुल्क	**वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, Deutsche Bank AG द्वारा प्रभारित आस्ति सेवा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक खंड के लिए अभिरक्षा के तहत संपत्ति का 0-00000000177% प्रति वर्ष था।**

3.14.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनपीएस न्यास की स्थापना केंद्र सरकार के पत्र डी.ओ. सं 5(75)/2006–ईसीबी और पीआर दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के अनुसार की गयी थी। एफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेख को 27 फरवरी, 2008 को पी निष्पादित किया गया था, जिसमें पीएफआरडीए न्यास का संस्थापक (सेटलर) था।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 2 (1) (जे) के अनुसार ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास'' का अर्थ न्यासी बोर्ड से है जो अभिदाताओं के लाभ के लिए उनकी संपत्ति धारित करते हैं। एनपीएस न्यास की स्थापना और गठन लाभार्थियों (अभिदाताओं) के लाभ के लिए एनपीएस के तहत आस्तियों और निधियों को धारित करने के लिए किया गया है, यह एपीवाई की संपत्ति भी धारित करता है। न्यासियों के पास न्यास निधि का कानूनी स्वामित्व होता है, न्यास के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन, और न्यास के उद्देश्य के प्रति उत्तरदायी या आकस्मिक सभी शक्तियां, प्राधिकरण और विवेकाधिकार पूरी तरह से न्यासियों में निहित होते हैं, फिर भी पीएफआरडीए अधिनियम –2013, भारतीय न्यास अधिनियम – 1882, एनपीएस न्यास विलेख के प्रावधान के अधीन और आगे ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों के अधीन होते हैं जो पीएफआरडीए द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं। हालांकि, लाभकारी हित हमेशा एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के पास होगा।

31 मार्च,2023 तक एनपीएस न्यास बोर्ड के न्यासियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका संख्या 3.55: 31 मार्च, 2023 तक एनपीएस न्यास बोर्ड के न्यासियों का विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री सूरजभान	अध्यक्ष और न्यासी
2	श्री वाई वेंकट राव	न्यासी
3	सुश्री चित्रा जयसिम्हा	न्यासी
4	डॉ. पी.सी. जाफर	न्यासी
5	श्री जे. के. शर्मा	न्यासी
6	श्री रुचिर मित्तल	न्यासी
7	श्री मासिल जेय मोहन	न्यासी
8.	डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी	न्यासी
9.	डॉ. संतोष कुमार मोहंती	न्यासी
10.	श्री देबाशीष मलिक	न्यासी

(क) एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस और एपीवाई निधियों का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं के एनपीएस और एपीवाई निधियों का प्रबंधन न्यासी बोर्ड की ओर से पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाता है ताकि अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। पेंशन निधियों के निष्पादन की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और उनकी तिमाही सूचना एनपीएस न्यास बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें अनुदेश/मार्गदर्शन दिए जाते हैं।

(ख) एनपीएस न्यास शुल्क/प्रभार

एनपीएस न्यास को नियमित आधार पर पेंशन निधि, न्यासी बैंक और अभिरक्षक की निगरानी, मूल्यांकन और समन्वय के लिए अधिकार प्राप्त है और यह राजस्व की नियमित धारा के साथ एक स्वतन्त्र इकाई है। एनपीएस न्यास के शुल्क/प्रभारों को पीएफआरडीए के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह दैनिक उपार्जन आधार पर प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) का 0005% प्रति वर्ष है।

(ग) नियुक्ति और कार्यकाल का विस्तार

पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 के तहत न्यासियों की नियुक्ति और उसके तहत संशोधनों के लिए दिनांक 12.01.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार, दो न्यासियों को राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाना है। इसमें ऐसे राज्यों को प्रारंभिक वरीयता दी जाए जिसके एनपीएस के तहत अधिकतम अभिदाता हैं, उसके बाद एनपीएस के तहत प्रबंधन के तहत अधिकतम संपत्ति वाले राज्य को शामिल किया जाना चाहिए। न्यासियों का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है। उसके पश्चात् इसे राज्य सरकारों के बीच रोटेट किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कुछ समय के लिए निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभागोंध्केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में से दो न्यासियों को केन्द्र सरकार द्वारा (एक डीएफएस के माध्यम से और एक डीओपीपीडब्ल्यू के माध्यम से) नामित किया जाना है। वित्तीय वर्ष के दौरान, न्यासी, एनपीएस न्यास के मौजूदा कार्यकाल के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां/विस्तार किए गए थे।

नियुक्ति – श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा को 12.06.2022 से एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

- एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में श्री मासिल जेय मोहन को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है ।
- दिनांक 12.11.2022 से एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री सूरजभान को नामित किया गया।
- पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासियों की नियुक्ति और उसके तहत किए गए संशोधन।

  o श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, डीएफएस

  o डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी,

  o श्री देबाशीष मलिक

  o डॉ. संतोष कुमार मोहंती

3.14.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस पर सलाहकारी गतिविधि में संलग्न होने के लिए नियुक्त किया जाता है जिससे एनपीएस की पहुंच का बढ़ाई जा सके। सेवानिवृत्ति सलाहकार, कोई व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, निकाय कॉर्पोरेट, या कोई भी पंजीकृत न्यास या सोसायटी हो सकते हैं। सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में किसी व्यक्ति/संस्था के पंजीकरण की सुविधा के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित और जारी किया गया है।

पेंशन प्रणालियों के डिजाइन में परिभाषित–लाभ योजनाओं से परिभाषित–अंशदान योजनाओं में हुए परिवर्तन के दौरान, जहां व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय लेने और अधिक वित्तीय जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, उसमें पेंशन योजना प्रतिभागियों द्वारा एक उपयुक्त निवेश पैटर्न का चयन किया जाना महत्वपूर्ण है। भारत, जहाँ वित्तीय साक्षरता तुलनात्मक रूप से कम मानी जाती है, सेवानिवृत्ति के निर्णयों के संबंध में वित्तीय सलाह की एक ठोस आवश्यकता को दर्शाता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार, उपभोक्ताओं को निवेश और भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ रखने के लिए मार्गदर्शन और

मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए सेवानिवृत्ति सलाह में सही कौशल और विशेषज्ञता रखने वाले मानव संसाधनों के एक पूल के विकास और बाजार प्रतिभागियों के लिए सेवानिवृत्ति गुणवत्ता मध्यस्थता के लिए उचित पेंशन/बचत उत्पाद चुनने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और संगठित और असंगठित श्रमिकों की भारतीय प्रणाली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्त होने वाली आबादी के हितों की रक्षा करने और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनपीएस से रिटर्न में विभिन्न विकल्पों की कम समझ से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए, पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा के प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) को मान्यता दी है।

पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क आदि के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से। पेंशन क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारी को परिभाषित करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 अधिसूचित किए गए थे।

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानकों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 14 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और उनके अलावा 3 अन्य एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ऑनलाइन मंच उपलब्ध है, जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3.14.10 प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य

आईटीएसएम पोर्टल : प्राधिकरण ने आईटी से संबंधित सेवाओं के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुरोधों को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन पोर्टल (आईटीएसएम पोर्टल) शुरू किया है। पोर्टल द्वारा उपयोगकर्ता (अधिकारी / कर्मचारी) के तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर उनसे संपर्क की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे मानव संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी कुछ सरल क्लिक द्वारा आईटी संबंधी कोई भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल ने उपयोगकर्ता के साथ–साथ प्राधिकरण को अधिकारियों द्वारा उठाए गए सेवा अनुरोध की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाया है। इसने नियतकालिक समय (टीएटी)/समयसीमा को काफी कम कर दिया है और प्राधिकरण के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व आई है।

सूचना और साइबर सुरक्षा विभाग :

प्राधिकरण ने विभिन्न विषयों पर जनता, विशेष रूप से साइबर स्वच्छता पर कमजोर वर्गों और समूहों, के बीच निरंतर साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने के पहले बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' मनाने के लिए गृह मंत्रालय के जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया । इस संबंध में पीएफआरडीए ने 15 जून 2022 को परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/33/1/1/0002/2022–आईसीएस जारी किया था, जिसमें अपनी विनियमित संस्थाओं को हर महीने साइबर जागरूकता दिवस मनाने और वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था।

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 में पेंशन सलाहकार समिति के गठन की चर्चा की गयी है, जिसमें विनियम निर्माण से सम्बन्धित या अन्य संदर्भित मामलों में प्राधिकरण को सलाह देने के लिए कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं, वाणिज्य और उद्योग, मध्यस्थों और पेंशन अनुसन्धान में संलग्न संगठनों के अभ्यावेदन शामिल होते हैं। प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से पेंशन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसका विवरण अनुलग्नक 1 में प्रदत्त है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 21 सितम्बर 2022 को पेंशन सलाहकार समिति की अठारहवीं (18वीं) बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई –

सं.	चर्चित मद
1.	17वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त
2.	17वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही रिपोर्ट
3.	अभिदाताओं की निकासी के दौरान वार्षिकी लाभ का अनुकूलन
4.	60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों के संबंध में पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के विनियम 4(घ) की समीक्षा और उसमें संशोधन
5.	पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम आश्वासित रिटर्न्स योजना (मार्स) का निर्माण

4.2 विनिर्मित अथवा संशोधित विनियम

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विनियामक संशोधनों की सूचना निम्नानुसार है :
(इनका विवरण *https://www.pfrda.org.in/indexl.cshtml?lsid=72* लिंक पर भी उपलब्ध है)

तालिका सं. 4.1: संशोधन

क्र सं	संशोधन	अधिसूचना की तिथि
1.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022	13 अप्रैल, 2022
2.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2022	24 मई, 2022
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2023	27 मार्च, 2023
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2023	27 मार्च, 2023

4.3 अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग हेतु समिति का गठन

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण गतिविधियों और निधि के उपयोग की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, विनियम 6(2) के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः –

(क) प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक जो समिति के संयोजक होंगे।

(ख) प्राधिकरण के दो अन्य अधिकारी।

(ग) पांच अन्य सदस्य जिनके पास वित्तीय बाजार में विशेषज्ञता हो और अभिदाता शिकायत निवारण या अभिदाता शिक्षा के मामलों में अनुभव हो।

तदनुसार, समिति को 06 अक्टूबर, 2021 को पुनः गठित किया गया था। यह समिति अभिदाताओं की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के लिए धन के उपयोग की अनुशंसा करेगी। इस समिति की संरचना निम्नानुसार है :

सं.	नाम तथा पदनाम	संगठन
	आंतरिक सदस्य	
1.	श्री ए.जी. दास, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	समिति के संयोजक
2.	श्री वेंकटेश्वरलू पेरी, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	सदस्य
3.	श्री आशीष भारती, महाप्रबंधक, पीएफआरडीए	सदस्य
	बाह्य सदस्य	
4.	डा. अरुंधती चंद्रशेखर, आईएएस, कोषायुक्त	कर्नाटक सरकार
5.	श्री सुशील पाल, मुख्य लेखा नियंत्रक	गृह मंत्रालय
6.	प्रो. पार्थ रे, निदेशक	एनआईबीएम
7.	श्री सत्यजीत द्विवेदी, सीईओ	एनसीएफई
8.	श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, केंद्र सरकार	नाबार्ड

5 वीं एसईपीएफ समिति की बैठक 29 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा विचारार्थ विषयों, अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि (एसईपीएफ) खाते की स्थिति और हाल ही में शुरू की गई सेवानिवृत्ति योजना योजना पर चर्चा की गयी।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 के विनियम 5(1) के अनुसार, निधि का उपयोग अभिदाताओं के हितों के संरक्षण और अभिदाताओं की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सेमिनार, संगोष्ठी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन सहित शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाएँगी जिनका उद्देश्य महानगरों, गैर–महानगरों और असंगठित क्षेत्रों, कॉर्पोरेट्स, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सहित विभिन्न भौगोलिक स्थानों और क्षेत्रों में अभिदाताओं को लक्षित प्रशिक्षण देना है।

भाग V
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे

5.1 प्राधिकरण का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 में प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी :

(i) अध्यक्ष

डॉ दीपक महान्ती प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 20 मार्च 2023 को पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप अपना कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. दीपक महान्ती एक अर्थशास्त्री हैं, तथा वे पर्याप्त नीतिगत अनुभव रखते हैं। इससे पूर्व, वे फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और कुछ कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर स्थित थे। उससे पहले, डॉ महान्ती दिनांक 01.09.2020 से 31.05.2022 तक पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) थे। उन्होंने पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) के रूप में शामिल होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सेवाएं दीं हैं, और आर्थिक अनुसंधान में विभिन्न पदों पर काम किया है तथा वे आरबीआई में मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख थे।

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय दिनांक 21 फरवरी, 2020 से 16 जनवरी, 2023 तक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। वे दिनांक 21 फरवरी 2020 को अध्यक्ष के रूप में पीएफआरडीए में शामिल हुए थे। इससे पहले, वे पीएफआरडीए में दिनांक 12.03.2018 से 16.01.2020 तक पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) के तौर पर नियुक्त थे। वे वर्ष 1985 में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए थे। तत्पश्चात, पीएफआरडीए में शामिल होने से पहले, उन्होंने बीमा उद्योग में लगभग साढ़े तीन दशक बिताए ।

(ii) पूर्णकालिक सदस्यगण

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) दिनांक 03.03.2020 से 04.05.2022 तक।
2. डॉ. दीपक महान्ती, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) दिनांक 01.09.2020 से 31.05.2022 तक।
3. डॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) दिनांक 01.10.2020 से अब तक।

(iii) अंशकालिक सदस्यगण

1. श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए–एएस 1988), अतिरिक्त सचिव (व्यक्तिगत), व्यय विभाग, दिनांक 12.12.2014 से अब तक।
2. श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी (आईएएस 1989), अतिरिक्त सचिव (स्थापना प्रभाग की प्रभारी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) दिनांक 16.01.2020 से 30.09.2021 तक।

***नोटः** श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, (आईएएस 1989), अतिरिक्त सचिव, डीओपीटी द्वारा दिनांक 30.09.2021 से डीओपीटी से स्थानांतरित होने पर पीएफआरडीए के अंशकालिक सदस्य के रूप में उनके पदत्याग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा 09.11.2021 को आयोजित अपनी 99 वीं बोर्ड बैठक में स्वीकार कर लिया गया था।

3. श्री राहुल सिंह (आईएएस 1996), संयुक्त सचिव (एस एंड वी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) दिनांक 15.07.2022 से अब तक।
4. श्रीमती वंदिता कौल (आईपीओएस 1989), अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, दिनांक 22.12.2021 से 27.05.2022 तक।
5. श्री पंकज शर्मा (आईसीएएस 2000), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, दिनांक 27.05.2022 से अब तक।

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, प्राधिकरण की आठ (08) बैठकें आयोजित की गईं, जो निम्नानुसार हैं :

क्र सं.	प्राधिकरण की बैठक	बैठक की तिथि
1.	103वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा–19.05.2022 (गुरुवार)
2.	104वीं प्राधिकरणीय बैठक	29.06.2022 (बुधवार)
3.	105वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा–19.07.2022 (मंगलवार)
4.	106वीं प्राधिकरणीय बैठक	30.09.2022 (शुक्रवार)
5.	107घंटे प्राधिकरणीय बैठक	20.12.2022 (मंगलवार)
6.	108वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा–12.01.2023 (गुरुवार)
7.	109वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिचालन द्वारा–09.03.2023 (गुरुवार)
8.	110वीं प्राधिकरणीय बैठक	27.03.2023 (सोमवार)

बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. जिसका लिंक इस प्रकार है –
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=1113

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2023 तक, पीएफआरडीए में नियमित स्टाफ संख्या बहत्तर (72) है, जिनमें से सत्तर (70) अधिकारी संवर्ग में, एक (01) कनिष्ठ सहायक और एक (01) स्टाफ कार चालक हैं।

5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और ओबीसी प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सेवक कर्मचारियों के कल्याण पर सरकारी अनुदेशों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड के अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सेवक/ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, अन्य पिछडे. वर्गों के कल्याण के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। एक महाप्रबंधक ग्रेड के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोष्ठों के सदस्य अपने संबंधित संपर्क अधिकारियों से उनके कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करते हैं ।

तालिका संख्या 5.1: – दिनांक 31.03.2023 तक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का समूह–वार प्रतिनिधित्व

क्र. सं	समूह	अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों का समूहवार प्रतिनिधित्व					दिनांक 31.03.2023 तक कर्मचारियों की कुल संख्या
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग	आर्थिक रूप से कमजोर	
1	कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6
2	मुख्य महाप्रबंधक (ग्रेड 'एफ')	1	शून्य	3	शून्य	शून्य	8
3	महाप्रबंधक (ग्रेड 'ई')	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	7
4	उप महाप्रबंधक (ग्रेड 'डी')	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	6
5	सहायक महाप्रबंधक (ग्रेड 'सी')	1	शून्य	3	1	शून्य	14
6	प्रबंधक (ग्रेड 'बी')	3	1	5	1	शून्य	13
7	सहायक प्रबंधक (ग्रेड 'ए')	2	1	5	1	1	16
8	कनिष्ठ सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
9	स्टाफ कार चालक	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार, शिकायतें प्राप्त करने, जांच करने आदि के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित की गई है। तिमाही आधार पर इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

विभिन्न कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को चिह्नित करने और उनका आयोजन करने के लिए पीएफआरडीए में एक कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी कर्मचारियों के मध्य और कर्मचारियों तथा प्रबंधन के मध्य अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उपायों को विकसित करने में सहायता करेगी। एक मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 कर्मचारियों के कल्याण के लिए पहल

पीएफआरडीए द्वारा अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य करने हेतु सर्वोत्तम परिवेश प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। बेहतर कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों में सकारात्मक अनुभव के निर्माण हेतु कई पहलों की शुरुआत की गई है। इन उद्देश्यों के साथ, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- दिनांक 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी 2022) का आयोजन।
- पीएफआरडीए के कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक 24 जून 2022 को कोविशील्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण शिविर की व्यवस्था।
- पीएफआरडीए के परिसर में दिनांक 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन
- पीएफआरडीए परिसर में दिनांक 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन
- परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा (दिनांक 16 से 31 जनवरी 2023) का आयोजन

ऊपर वर्णित सभी आयोजनों से कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है और उनके बीच टीम भावना का विकास होता है। वे कर्मचारियों के बीच सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाने में भी मदद करते हैं, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है।

5.8 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों को विभिन्न विषय क्षेत्रों पर प्रशिक्षण / कार्यशालाओं के लिए नामित किया गया था जैसे :

1. सार्वजनिक खरीद
2. सॉफ्ट स्किल्स
3. एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
4. गैर–एसएलआर निवेश का प्रबंधन
5. निवारक फोरेंसिक
6. वित्तीय डेरिवेटिव्स
7. नेतृत्व क्षमता का विकास
8. प्रबंधकीय प्रभावशीलता हेतु निर्णयक्षमता
9. वित्तीय अपराध अनुपालन
10. प्रभावी संचार और कार्यकारी उपस्थिति
11. प्रबंधकीय नेतृत्व और टीम निर्माण
12. नेतृत्व के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता
13. गैर–वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त
14. मुखरता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाना
15. नेतृत्व और टीम निर्माण
16. निवेश निर्णय और व्यवहार वित्त
17. डेटा विज्ञान – बीमांकिकी के भविष्य–मूल्य का पुनःपरिभाषण
18. घरेलू पूछताछ और अनुशासनात्मक कार्रवाई
19. प्रभावी संचार कौशल और प्रस्तुति कौशल
20. लोक सूचना अधिकारी हेतु सूचना का अधिकार

उपर्युक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ग्रेड–ए (सहायक प्रबंधक) में भर्ती अधिकारियों के लिए प्रेरक–प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल 55 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5.9 राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार

भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए नियमित रूप से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रयासरत है ।गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी आधिकारिक संचार में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु पीएफआरडीए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा नीति की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए । इनका विवरण निम्नलिखित है –

- पीएफआरडीए में गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों और कार्य योजनाओं का अनुपालन किया जाता है ।
- प्राधिकरण में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी निदेशक के निर्देशन द्वारा महाप्रबन्धक (राजभाषा) की निगरानी में, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) और हिन्दी अनुवादक की सहायता से कार्य किया जाता है।
- प्राधिकरण में जारी सभी प्रपत्रों और दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। द्विभाषी प्रपत्रों में भी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को मान्यता दी गयी है।
- प्राधिकरण के सभी कम्प्यूटरों को हिन्दी टाइपिंग हेतु सुगम बनाया गया है। इसी क्रम में, इनमें यूनिकोड फॉन्ट और गूगल इनपुट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।
- क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त पत्रों के उत्तर द्विभाषी रूप में दिए जा रहे हैं ।
- हिन्दी में प्राप्त आरटीआई, संसदीय प्रश्नों और विधायी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं ।
- रजिस्टरों और फाइलों के नाम, शीर्षक और प्रविष्टियां हिन्दी में भी दर्ज करवाई जा रही हैं। साथ ही, सभी नामपट्ट को भी द्विभाषी बनाया गया है ।
- आज का शब्द' पहल के तहत कर्मचारियों की शब्दावली में संवर्धन हेतु उनके ईमेल पर अर्थसहित प्रतिदिन एक नया शब्द भेजा जाता है ।
- अधिकारियों हेतु हिन्दी सूचनापट और हिन्दी टेबल कैलेण्डर का निर्माण किया गया । साथ ही, योग दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के भाषण हिन्दी में ही तैयार किए गए ।
- भारत सरकार की प्रतिष्ठित पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु उनका हिन्दी में प्रचार–प्रसार किया जा रहा है ।

5.9.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशक महोदया की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं तथा सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) द्वारा सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जाता है । वर्ष 2022–23 के दौरान प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं और कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए हैं । प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की जाती है और अगली तिमाही हेतु कार्य योजनाओं की सूची बनाई जाती है । विभागों में हिन्दी में कामकाज को सँभालने के लिए विभागीय हिन्दी नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है ।

5.9.2 नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

पीएफआरडीए द्वारा उचित प्रयासों के बाद वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 03 की सदस्यता ग्रहण की गयी है । नराकास द्वारा आयोजित छमाही बैठकों में प्राधिकरण ने भाग लिया । प्राधिकरण द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (अमृतसर) में भी सहभागिता सुनिश्चित की गयी । राजभाषा विमर्श (पत्रिका) की सदस्यता भी ली गयी है ।

5.9.3 सूचना प्रबंधन प्रणाली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्राधिकरण द्वारा गृह मंत्रालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है।

वर्ष 2022–23 प्रत्येक तिमाही हेतु प्रगति रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया गया है ।

5.9.4 अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण

- प्राधिकरण में अधिकारियों के हिन्दी ज्ञान सम्बन्धी रोस्टर का निर्माण किया गया है। रोस्टर के आधार पर अधिकारियों हेतु लक्षित (टार्गेटेड) प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। प्राधिकरण में नवनियुक्त सहायक प्रबन्धकों हेतु हिन्दी में कामकाज पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया ।
- 'ग' क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया । (पिछली तिमाही में ख और ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए)
- इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण के सभी अधिकारियों हेतु एक बाहरी हिन्दी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी ।
- राजभाषा प्रोत्साहन के लिए अधिकारियों हेतु प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ और पारंगत परीक्षाओं को लागू किए जाने की योजना है ।

5.9.5 पीएफआरडीए वेबसाइट

पीएफआरडीए द्वारा अपनी वेबसाइट www.pfrda.org.in के हिंदी संस्करण को अपडेट किया जा रहा है।

साथ ही, पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल हेतु शुरू किए गए पेंशन संचय वेबसाइट को भी द्विभाषी बनाए जाने का निर्णय लिया गया ।

5.9.6 हिन्दी दिवस समारोह और हिन्दी पखवाड़ा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया ।इस समारोह का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना था ।कार्यक्रम में निबंध, स्लोगन और वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं, जिनमें अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया । भव्य कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए । हिन्दी पखवाड़ा के दौरान ही पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की खरीद की गयी तथा सभी अधिकारियों को आफिस फाइल और प्रबन्धन से जुड़ी पुस्तकों का वितरण किया गया ।

5.9.7 पत्रिका

पीएफआरडीए की ऑनलाइन ई–पत्रिका "पेंशन बुलेटिन" को भी पूर्णतया द्विभाषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इसके कुछ अंक हिन्दी में भी पीएफआरडीए वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं । साथ ही, दैनिक हिन्दी समाचारपत्र और पत्रिकाओं की व्यवस्था भी की गयी है ।

5.9.8 अन्य संगठनों से संवाद

पीएफआरडीए द्वारा सेबी के अधिकारियो के साथ राजभाषा के कार्यान्वयन और बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित चर्चा की गयी ।

5.10 सूचना का अधिकार

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) को लागू करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों को संसाधित करता है, और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत काम करता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, पीएफआरडीए द्वारा प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) के रूप में एक अधिकारी को नामित किया गया है, जिनके पास सीपीआईओ के आदेश के अनुरूप अपील दायर की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, कोई भी नागरिक www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के लिंक पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी –14/ए, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली 110016 को संबोधित करते हुए निर्धारित शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करके आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है और/या आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई दायर कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान, व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने, एनपीएस, एपीवाई योजना के तहत

हस्तांतरण, निकासी और प्रत्याहरण आदि के बारे में कुल 595 आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन मोड में 551 और ऑफलाइन मोड में 44) और 63 प्रथम अपील अन्य बातों के साथ–साथ प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों और अपीलों का उत्तर आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय के भीतर दिया गया।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कुछ प्रकटीकरण करने हेतु बाध्य किया गया है। पीएफआरडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर इस तरह का प्रकटीकरण किया है। प्रकटीकरण का केंद्र बिंदु पीएफआरडीए के कामकाज और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के स्तर में सुधार करना है। इस संबंध में, पीएफआरडीए के विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों और उसके अधिकारियों आदि के बारे में जानकारी को पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, पीएफआरडीए द्वारा जारी परिपत्र और मैनुअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

5.11 संसदीय प्रश्न

वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संदर्भित 69 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें एनपीएस और एपीवाई सहित वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित प्रश्न शामिल हैं । पीएफआरडीए ने समयबद्ध रीति से उत्तर प्रदान करने के लिए सूचना और सामग्री प्रस्तुत की है ताकि संसद को उत्तर दिया जा सके।

5.12 पीएफआरडीए के खाते

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए ने अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से सभी प्रशासनिक और स्थापना खर्चों को पूरा किया। पीएफआरडीए को अटल पेंशन योजना के तहत अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन कोष और जीएपी निधि अनुदान के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा वित्त वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में की गई थी। यह पेंशन योजना 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 18–40 वर्ष की आयु के बीच एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के तहत सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के योग्य हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएफआरडीए को सेवा प्रदाताओं और अन्य प्रोत्साहन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एपीवाई के तहत 183.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

सरकारी सह–अंशदान हेतु स्वावलंबन योजना के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में 1.31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2020 और 2021 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर एपीवाई के तहत पेंशन देनदारियों और पेंशन आस्तियों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी निधि अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार से 542.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने 542.00 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है जिसे वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त किया गया। प्राप्त निधियों को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और आस्ति आवंटन के अनुसार "एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट एपीवाई फंड स्कीम" में निवेश किया गया।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) संशोधन नियमावली, 2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि तक के लिए आय एवं व्यय विवरण और 01.03.2023 की अवधि के लिए तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान विवरण सहित प्राधिकरण के खातों के वार्षिक विवरण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

भाग VI
अभिदाताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र

6. अभिदाताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

6.1 सक्रिय विनियमन का अभाव, सरकारी नोडल अधिकारियों हेतु बाधा

- केंद्र सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमा एनपीएस सीसीएस नियम 2021 के तहत निर्धारित की गई है, जो राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के मामले में सांकेतिक समय सीमा हो सकती है। उपर्युक्त समय–सीमा के आधार पर और नोडल कार्यालयों द्वारा लिए गए समय के आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि प्रान सृजन, ऋण विस्तार और अंशदान के समयानुसार प्रेषण में होने वाले विलंब चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि यह एनपीएस कोष संचयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी–अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- प्राधिकरण द्वारा समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के दौरान, संबंधित सरकारी नोडल कार्यालयों को लगातार चिह्नित किया जा रहा है और उनसे कर्मचारी–अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन में अनुशासन लाने के लिए कुछ नीतिगत और परिचालन उपाय करने का आग्रह किया जा रहा है।
- यह उल्लेख करने योग्य है कि सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021, जिसे डीओपीपीडब्ल्यू ने दिनांक 30.03.2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया है, एनपीएस के कार्यान्वयन की सामान्य शर्तों को निर्धारित करता है, जो केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है। इस संबंध में, राज्य सरकारें (त्रिपुरा को छोड़कर, जिसने पहले ही एनपीएस नियमों को अधिसूचित कर दिया है) भी एनपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में नियमों को परिभाषित कर सकती हैं।

6.2 एपीवाई से जुड़ने के लिए 40 वर्ष तक की आयु सीमा

एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना, जो असंगठित क्षेत्र के वंचित श्रमिकों के लिए शुरू की गयी थी, अप्रैल 2015 से समाप्त कर दी गयी है। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के स्थान पर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी जो अंतर्निहित अभिदाताओं को गारंटीकृत लाभ प्रदान करती है। एनपीएस लाइट योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में माइग्रेट करने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, एपीवाई योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के अभिदाताओं को जुड़ने की अनुमति दी गयी है। तदनुसार, 40 वर्ष से अधिक आयु के संभावित अभिदाता जो वर्तमान में आय अर्जन कर रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना में शामिल होने में असमर्थ हैं। इसलिए ऐसे लोगों तक योजना उपलब्ध कराने के लिए पात्रता की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 50 वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है।

6.3 वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है :– न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा 2 (डी) (बी) के तहत, न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न चाहने वाले अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने वाली योजनाओं में अपने धन को निवेश करने का विकल्प होगा। हालांकि, धारा 20 की उप–धारा 2 (जी) में कहा गया है कि अभिदाता द्वारा खरीदे जाने वाले बाजार–आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई अंतर्निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा। पीएफआरडीए अधिनियम के तहत परिकल्पित एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना (मार्स) के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, नियुक्त परामर्शदाता द्वारा एक विशेषज्ञ समिति और पेंशन निधियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श में प्रस्तावित संरचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पेंशन निधियों द्वारा MARS /मार्स को प्रस्तुत किया जाएगा।

6.4 कर्मचारी के वेतन के 10% से ऊपर नियोक्ता के अंशदान पर कराधान

- केंद्र सरकार ने नियोक्ता एनपीएस अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। इसके पश्चात् विभिन्न राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी केन्द्र सरकार के समान अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता एनपीएस अंशदान में वृद्धि की है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए नियोक्ता एनपीएस अंशदान को 80सीसीडी (2) के तहत छूट प्रदान की गई थी। केंद्रीय बजट 2022–2023 में, यह छूट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाई गई थी। तथापि, केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन के 10% से अधिक नियोक्ता अंशदान कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य है जो वर्तमान में 7 लाख से अधिक एनपीएस अभिदाताओं वाले पीएसबी/पीएसयू के कर्मचारियों को प्रभावित करता है।
- इसके अलावा, कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को कर्मचारी के वेतन (मूल. डीए) के 10% तक आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) (iva) के तहत नियोक्ता को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जाती है। अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में एनपीएस को अपनाने वाले नियोक्ता, अपने कर्मचारी/अभिदाता के लिए एक बड़ा पेंशन कोष बनाने हेतु एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% से अधिक अंशदान नहीं करना चाहते हैं।

6.5 कर योग्य परिलब्धियों की गणना के लिए नियोक्ता अंशदान पर सीमा

- 1 अप्रैल 2020 से पहले, एनपीएस के लिए नियोक्ता अंशदान (वेतन का 10% तक) को बिना किसी मौद्रिक सीमा के कर से छूट दी गई थी। 1 अप्रैल 2020 से मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि और एनपीएस के लिए नियोक्ता अंशदान पर कुल कटौती को 7.50 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया है और 7.50 लाख रुपये से अधिक की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) (vii) के तहत कर्मचारी के पास कर योग्य अनुलाभ माना जाता है। इसके अलावा, ऐसे अतिरिक्त अंशदान पर वार्षिक अभिवृद्धि (यदि कोई हो) को भी आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) (vii a) के तहत एक कर्मचारी के पास कर योग्य अनुलाभ के रूप में माना जाता है।
- चूंकि एनपीएस निवेश बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी के व्यक्तिगत पेंशन खाते (एनपीएस) में दर्शाए गए लाभ/हानि वास्तविक होने तक अनुमानित माने जाते हैं और इसीलिए अनुमानित लाभ पर कराधान एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है।

6.6 80सी के तहत कर लाभ के साथ टियर–2 कर बचत योजना, केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु

सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर II- टैक्स सेवर स्कीम (एनपीएस टीटीएस स्कीम) को अधिसूचित किया है जिसमें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत अंशदान पर कर लाभ प्राप्त होता है(3 साल की लॉक–इन अवधि के अधीन)। अभी तक, यह योजना अन्य एनपीएस अभिदाताओं द्वारा सदस्यता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6.7 टियर–2 निवेश के लाभों पर कराधान

एनपीएस टियर –2 खाते में, जो एनपीएस के तहत वैकल्पिक खाता है (इसे जीपीएफ के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया) कोई विशेष कर उपचार निर्धारित नहीं है और इसलिए निकासी पर उत्पन्न होने वाले लाभ लागू सीमांत दरों पर कर के अधीन हैं' इस वजह से टियर –2 अभिदाताओं के लिए कम आकर्षक हो जाता है।

इसी तरह, राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर 2– टैक्स सेवर स्कीम, 2020 (एनपीएस टीटीएस योजना) में निवेश से होने वाले लाभ भी केंद्र सरकार के कर्मचारी/अभिदाता के पास लागू दरों पर कर योग्य हैं।

भाग VII*

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए कोई अन्य उपाय।

7.1 पिछले भाग में उल्लिखित कदमों के अतिरिक्त, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं–

- पीएफआरडीए द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों को परिपत्रों के रूप में जारी किया गया और साथ ही अनेक नए कदम उठाए गए, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है । इसके अलावा, हितधारकों से प्राप्त आवश्यकताओं और प्रतिपुष्टियों के आधार पर विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए ।

- पैन को आधार से जोड़ना–सभी मौजूदा अभिदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ जोड़ना सुनिश्चित करें तथा उक्त सीबीडीटी परिपत्र का अनुपालन न करने के परिणामों से बचें, क्योंकि ऐसे एनपीएस खातों को गैर–केवाईसी अनुपालन माना जाएगा, और जब तक पैन और आधार लिंक नहीं हो जाते, तब तक एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।

- एनपीएस संरचना के तहत केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (''सीआरए'') द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी मंच/प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा पालन की जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर परामर्श – नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में इस तरह के कार्य/भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए अलग–अलग मेकर–चेकर लॉगिन आईडी प्रदान किए गए हैं ताकि कोई भी एकल उपयोगकर्ता लेनदेन को एकतरफा निष्पादित करने में सक्षम न हो। यह कदम प्राधिकरण के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल खतरों और धोखाधड़ी के खिलाफ एनपीएस अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा और संरक्षा के साथ–साथ महामारी के बाद के डिजिटल/तकनीकी उपकरणों/वृद्धि के माध्यम से लेनदेन में आसानी प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शेष राशि के लिए वित्तीय सूचना (एफआई) प्रकार – विभिन्न आईटी प्रणालियों के तहत वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों में डेटा के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तथा एए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों हेतु मुख्य तकनीकी विनिर्देशों का एक सेट रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए पीएफआरडीए ने एए ढांचे के तहत रेबिट वेबसाइट पर प्रकाशित एनपीएस के तहत शेष राशि के लिए एफआई प्रकार जारी किए हैं। इसका लिंक https://api-rebit-org-in/schema पर उपलब्ध है । ये एफआई प्रकार एनपीएस के तहत शेष राशि के बारे में सूचना के आदान–प्रदान का आधार होंगे। इनके लिए रेबिट द्वारा परिभाषित एपीआई विनिर्देशों के अनुसार सीआरए से एए के माध्यम से एफआईयू द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।

- एनपीएस अभिदाताओं के लाभ के लिए निकासी और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए निकासी/केवाईसी दस्तावेजों को अनिवार्यतः अपलोड करना – पीएफआरडीए ने आईआरडीएआई के साथ विनियामक सहयोग से वार्षिकी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया था । इसमें वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) द्वारा वार्षिकी जारी करने के लिए नोडल अधिकारियों/पीओपी में अभिदाताओं द्वारा निकासी के समय प्रस्तुत किए जाने वाले एनपीएस निकासी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अभिदाताओं के हित में तथा उन्हें वार्षिकी आय के समय पर भुगतान से लाभान्वित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों का अपलोड अनिवार्य होगा। अभिदाताओं और संबद्ध नोडल अधिकारियों/पीओपी/कॉरपोरेट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए जाएं।

- लौटाई गई तथा असफल लेन–देन राशि को उसी प्रान में पुनः निवेश करना और एमडब्ल्यूएम के माध्यम से अभिदाता द्वारा राशि को पुनः प्राप्त करने में आसानी–

ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें गलत बैंक खाता–विवरण के कारण अभिदाताओं के संचित–कोष को उनके बचत बैंक खाते में जमा नहीं किया जा सका। इन राशियों को 'आहरित किन्तु बिना दावे की राशि' के रूप में चिन्हित किया जाता है । ऐसी राशियाँ अभिदाताओं के लाभ के लिए कोई निवेश रिटर्न अर्जित नहीं करती हैं। अभिदाता ऐसी राशियों को पुनः प्राप्त करने हेतु मामले के अनुसार नोडल अधिकारियों, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), एपीवाई सेवा प्रदाताओं, सीआरए और एनपीएस न्यास (एनपीएसटी) को अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । एमडब्ल्यूएम के निर्माण के बाद, जो राशि लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित हुए बिना एक महीने से अधिक समय तक पड़ी रहती हो, उसे उसी प्रान में पुनःनिवेश किया जाएगा। यह निकासी के समय प्रचलित निवेश/पीएफ के विकल्प के अनुसार होगा ताकि अभिदाता को मार्केट लिंक्ड रिटर्न से लाभान्वित किया जा सके ।

- नियतकालिक समय में कमी – अभिदाताओं के अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम समय सीमा – विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए टर्न अराउंड टाइम को घटाकर टी. 4 से टी. 2 किया जाना।

- केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश जारी – पीएफआरडीए द्वारा पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 15 के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की आवश्यकताओं के अनुरूप केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- एनपीसीआई फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए प्रान–पैन–वीपीए (यूपीआई) के इस्तेमाल से समुचित तत्परता हेतु स्वतंत्र बैंक खाता सत्यापन और नाम/पैन मिलान – पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के बैंक खाता सत्यापन (पैन–प्रान– वीपीए (यूपीआई) के लिए महत्त्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त एक उन्नत तरीका लॉन्च किया है, जहां संयुक्त खाता–धारक विवरण, पैन और यूपीआई आईडी को एनपीसीआई के माध्यम से सत्यापित किया जाता है और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) के साथ इसका मिलान किया जाता है।

- आधार सीडिंग में आसानी के साथ एपीवाई अभिदाताओं को सशक्त बनाना – सीआरए पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीडिंग सुविधा का शुभारंभ – अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सीआरए पोर्टल और एनपीएस मोबाइल ऐप ''एपीवाई और एनपीएस लाइट'' के माध्यम से आधार सीडिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, एपीवाई–एसपी अपने संबद्ध अभिदाताओं से उचित सहमति बनाते हुए आधार विवरण भी एकत्र कर सकते हैं । इन विवरणों को बाद में सीडिंग के लिए सीआरए के साथ साझा किया जाएगा।

- प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मध्यस्थों द्वारा ऑनलाइन दावा प्रसंस्करण – आधार और वीसीआईपी – मध्यस्थों को वीसीआईपी का उपयोग करके तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ये एनपीएस अभिदाताओं की मृत्यु के मामले में निकासी दावों को संसाधित करते समय नामित व्यक्ति / दावेदार/ कानूनी उत्तराधिकारी के सत्यापन के लिए एक अतिरिक्त तंत्र के रूप में विकसित किया गया है। वीसीआईपी नामित व्यक्ति/दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी के सत्यापन के संबंध में प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाकर मध्यस्थों द्वारा किए गए मौजूदा प्रयासों में वृद्धि करता है। साथ ही यह भी सत्यापित करता है कि दावे को संसाधित करने के लिए दस्तावेज जमा करने वाला व्यक्ति और उसका वीडियो रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति एक ही है। नामिती के क्रेडेंशियल को आधार ई–केवाईसी या डिजीलॉकर का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है।

- सेवानिवृत्ति आय योजना में पर्याप्तता के लिए एनपीएस समृद्धि योजनाकार (एनपीपी) – अभिदाताओं को इसकी अनुमति देकर, एनपीएस के तहत उनके मौजूदा अंशदान के आधार पर वार्षिकी विकल्पों के अनुसार उनकी अनुमानित सेवानिवृत्ति आय (वार्षिकी) का आकलन किया जा सकेगा। एनपीपी, मुद्रास्फीति और जीवन यापन व्यय की अनुमानित लागत पर गंभीरता से विचार करते हुए सेवानिवृत्ति तक की अवशिष्ट अवधि में त्वरित अंशदान योजना के माध्यम से उच्च सेवानिवृत्ति आय के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह उनके पिछले अंशदान, भविष्य में अपेक्षित आय वृद्धि और उनके जीवन यापन की लागत के आधार पर व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करता है। इस प्रकार, यह अभिदाता को पर्याप्त और स्थिर वृद्धावस्था आय सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुमान प्रदान कर सकता है।

- ई–एनपीएस (सरकार), अभिदाताओं का खाता खोलने में आसानी और सुविधा प्रदान करती है – ई–एनपीएस (सरकार) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान करती है तथा उन्हें कागजरहित मोड में आसानी और अत्यंत सुविधा के साथ एनपीएस खाते खोलने का अधिकार देती है। ई–एनपीएस (सरकार) के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं – तेजी से खाता खोलना, उच्च दक्षता और कागजरहित प्रक्रिया के कारण नोडल कार्यालयों में परिचालन में बेहतरी लाना और सीआरए एफसी में भौतिक खाता खोलने के फॉर्म को जमा नहीं किए जाने के कारण उनके समय को अनुकूलित करना है। खाता खोलने के अन्य तरीकों में फॉर्म को सीआरए एफसी में जमा करना होता है। चूंकि ई एनपीएस (सरकार), खाता खोलने की समयावधि/ नियतकालिक समय को काफी कम कर देती है, इसलिए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के मासिक अंशदान का समयानुसार निवेश किया जा सकता है। इससे अभिदाता उच्च निवेश रिटर्न से लाभान्वित होते हैं।

- सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस डिजिटल ऑनबोर्डिंग – केंद्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी), भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके अंतर्गत एनपीएस अभिदाताओं /वित्तीय निवेशकों को विभिन्न विनियामक प्रबंधन सेवा सीआरए (सीसीआरए) के दायरे में वित्तीय क्षेत्र में अनेक सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद करने हेतु केवल एक बार अपना केवाईसी पूरा करने की जरूरत होती है।

- राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर 2 के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में बदलाव – कर बचत योजना, 2020 (एनपीएस – टीटीएस) – मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश के लिए निवेश सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% (योजना कोष का) कर दिया गया है।

- एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार और राज्य सरकार), कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अतिरिक्त} के लिए निवेश दिशानिर्देश–2021 में परिवर्तन और एनपीएस योजनाओं (एनपीएस की योजना केंद्र सरकार, योजना राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार और एनपीएस लाइट योजनाओं तथा अटल पेंशन योजना पर लागू) के लिए निवेश दिशानिर्देश–2021 में परिवर्तन – इन्विट्स/रिट्स द्वारा जारी किए गए ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, सीमा को एकल इनविट/रिट जारीकर्ता द्वारा जारी कुल बकाया ऋण उपकरणों के 10: से बढ़ाकर 15: कर दिया गया है। । (सभी क्षेत्रों के लिए) य एक्सपोजर मानकों में बदलाव – एक्सपोजर मानक निजी क्षेत्र (योजना ई/सी/जी) के तहत किसी भी योजना पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि योजना का कुल एयूएम 5 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच जाता है और योजना ए पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक योजना का एयूएम 15 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच जाता है।

- एनपीएस अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए निकास और वार्षिकी घटकों का समानांतर प्रसंस्करण –इस प्रक्रिया द्वारा वार्षिकी में सरलता और इसे जारी करने की गति तथा एकमुश्त भुगतान और वार्षिकी जारीकरण के समानांतर प्रसंस्करण को सुनिश्चित किया गया है।साथ ही, किसी की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद वार्षिकी के माध्यम से सेवानिवृत्ति आय के भुगतान और तदुपरांत सेवानिवृत्त लोगों को निर्बाध आय प्रवाह को भी आसान बनाया गया है। यह प्रक्रिया वृद्धावस्था आय सहायता और संबंधित हितधारकों के व्यवसाय करने में सरलता को भी सुनिश्चित करती है।

- डिजीलॉकर के माध्यम से एक पेंशनयुक्त समाज का निर्माण – डिजीलॉकर प्रणाली में जुड़ने के लिए सीआरए की कार्यक्षमता को अपडेट किया गया । डिजीलॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करते हुए खाता खोलने और पते का अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की गयी है ।

- ऐसे मृत्यु दावों को संसाधित करना जिनमें अभिदाताओं की मृत्यु के बाद नामिती बदल दिया गया हो– अभिदाताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उनकी मृत्यु के पश्चात् किए गए नामांकन पर स्पष्टीकरण।

- टियर I में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में अभिदाता के अंशदान का 75% और टियर II में 100% आवंटित करने के विकल्प की अनुमति – आस्ति वर्ग में 75% की सीमा प्रत्येक वर्ष 2.5% की दर से संकुचित होती जाती है और अभिदाताओं की आयु 51 वर्ष हो जाने पर इसे फिर से सरकारी प्रतिभूतियों में आवंटित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि टियर –1 में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में अभिदाताओं के अंशदान के 75% को 51 वर्ष की आयु से संकुचन की किसी भी शर्त के बिना सक्रिय चयन के तहत आवंटित

करने का विकल्प दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि टियर–II में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में अभिदाता के अंशदान का 100% बिना किसी शर्त के सक्रिय चयन के तहत अनुमति देना उसे संकुचित करना है।

- वार्षिकी क्रय करने के लिए मृत अभिदाताओं के एनपीएस संचित–कोष का प्रबन्धन – एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और उसमें हुए संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है।

  o सरकारी क्षेत्र के अभिदाता – वार्षिकी अनिवार्य रूप से पति या पत्नी (यदि कोई हो) द्वारा खरीदी जाएगी, जिसमे खरीद मूल्य (आरओपी) की वापसी के साथ ही पति या पत्नी को जीवनभर के लिए वार्षिकी प्रदान करने का प्रावधान होगा। पति या पत्नी की मृत्यु पर, मृतक अभिदाताओं की जीवित आश्रित मां या मृत अभिदाताओं के जीवित आश्रित पिता हेतु वार्षिकी पुनः जारी की जाएगी।

  o सर्व–नागरिक और कॉर्पोरेट अभिदाता – सम्पूर्ण संचित पेंशन संपत्ति नामित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान की गई । हालांकि, कानूनी उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति यदि विकल्प चुनते हैं तो वे वार्षिकी खरीद सकते हैं। एनपीएस न्यास (एनपीएसटी), पीओपी, कॉर्पोरेट और नोडल अधिकारी, मृत अभिदाताओं के उन सभी दावेदारों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्होंने एकमुश्त लाभ तो उठाया हो लेकिन उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार वार्षिकी नहीं खरीदी हो।

- सरकार और कॉर्पोरेट अभिदाताओं द्वारा उनके मौजूदा योजना विकल्प को जारी रखने में सक्षम बनाना – कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों के तहत ऐसे अभिदाता जिन्होंने इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस) का उपयोग नहीं किया है। वे अभिदाता अभी भी एनपीएस संरचना में अपने पूर्ववर्ती नियोक्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि अब वे उनके साथ काम नहीं करते हैं। ऐसे अभिदाता सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में, उनकी नौकरी के दौरान उनको उपलब्ध कराई गई योजना/निवेश विकल्प उनके सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद उपलब्ध नहीं होते हैं। वर्तमान में, इस तरह के इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस) से पीएफ/निवेश में बदलाव हो सकता है। यह निर्णय लिया गया है कि सरकार/कॉरपोरेट क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं को अपने मौजूदा निवेश प्रारूप और पेंशन निधि (पीएफ) चयन को एक विकल्प के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि वे सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकें। ऐसे अभिदाताओं के लिए, उनके भावी और पूर्ववर्ती अंशदान का निवेश उसी निवेश प्रारूप/पीएफ के अनुसार किया जाता रहेगा जो उनकी नौकरी के दौरान प्रचलित था। ऐसे अभिदाता अंतर–क्षेत्र स्थानांतरण के बाद उसी निवेश प्रारूप को जारी रखने के बजाय किसी अन्य निवेश प्रारूप और पीएफ को चुनने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, अब तक, सरकारी अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने एनपीएस खाते में अंशदान नहीं कर सकते थे, जब तक कि वे अपना खाता जारी रखने का विकल्प नहीं चुन लेते थे। यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के तहत ऐसे अभिदाता इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत किए बिना अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने एनपीएस खाते में निर्बाध रूप से अंशदान करना जारी रख सकते हैं।

- अभिदाताओं के लाभ के लिए निकासी की समय–सीमा टी4 से घटाकर टी2 करना – पीएफआरडीए के मध्यस्थों अर्थात केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए), पेंशन निधि (पीएफ) और अभिरक्षक ने सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है। साथ ही एनपीएस के तहत विभिन्न लेनदेन की समय–सीमा को कम करने के लिए अपनी आईटी क्षमताओं को बढ़ाया है ताकि अभिदाताओं के उभरती हुई जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके। अब तक निकासी के समय अभिदाताओं के निकासी अनुरोधों को टी4 कार्य/निपटान दिवसों (जिसमें टी अर्थात नोडल कार्यालय/पीओपी/अभिदाता द्वारा निकासी अनुरोध को प्राधिकृत करने का दिवस है) पर निष्पादित किया जाता था। अब उस समय–सीमा को घटाकर टी 2 कर दिया गया है। एनपीएस से अंतिम निकास की समयसीमा कम होने से संबंधित सीआरए से जुड़े अभिदाताओं लाभान्वित होंगे। प्रोटियन सीआरए से जुड़े अभिदाताः सुबह 10:30 बजे तक

प्राधिकृत किए गए अनुरोधों को टी. 2 आधार पर निपटाया जाएगा। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और कैम्स सीआरए से जुड़े अभिदाता : सुबह 11 बजे तक प्राधिकृत किए गए अनुरोधों को टी. 2 आधार पर निपटाया जाएगा।

- कॉरपोरेट क्षेत्र अभिदाताओं के लाभ के लिए ई–नामितिकरण की प्रक्रिया प्रवाह में बदलाव – पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लाभ के लिए ई–नामितिकरण सुविधा शुरू की थी। एनपीएस में मौजूदा ऐसे अभिदाता जो अपने प्रान में अपना नामिती बदलना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से 'ई नॉमिनेशन' का उपयोग कर सकते हैं। सरकार/अभिनिर्धारित कारपोरेट से संबद्ध अभिदाताओं के ई–नामितिकरण के मामले में ई–नामितिकरण अनुरोधों को संबंधित सीआरए द्वारा सम्बन्धित अभिदाताओं के प्रान में नामांकन में परिवर्तन के लिए संबद्ध नोडल कार्यालय/अभिनिर्धारित कारपोरेट द्वारा प्राधिकृत किया जाना जरूरी है। बड़ी मात्रा में अभिदाताओं के ई–नामितिकरण अनुरोध लंबित हैं । ऐसे लंबित मामलों के पीछे एकमात्र कारण, संबद्ध नोडल कार्यालय/कॉरपोरेट द्वारा प्राधिकृत न किया जाना है।

- यूपीआई के माध्यम से सक्षम किए गए डी रेमिट के तहत स्वैच्छिक अंशदान – पीएफआरडीए ने अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए डी–रेमिट के माध्यम से अंशदान जमा करने हेतु यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है। वर्तमान में, अभिदाता आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करके अपने बैंक खाते से नेट बैंकिंग माध्यम से डी–रेमिट के अंतर्गत टियर I/II में अपना स्वैच्छिक अंशदान जमा करते हैं। अब, अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए यूपीआई के माध्यम से भी अंशदान जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है ।

- सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए ई–निवेश विकल्प–केंद्र सरकार के एनपीएस अभिदाता निम्नलिखित में से उपलब्ध पीएफ और निवेश विकल्पों में से अपनी पसंद के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं : क. एक्टिव चॉइस – सरकारी प्रतिभूतियों में 100% आवंटन ख. कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस – इक्विटी आस्ति वर्ग में 25% आवंटन ग. मोडरेट ऑटो चॉइस – इक्विटी आस्ति वर्ग में 50% आवंटन। आस्ति आवंटन को साल में दो बार और पीएफ को साल में एक बार बदला जा सकता है। निवेश चयन को ऑनलाइन रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अभिदाता सीधे सीआरए लॉगिन में अनुरोध जमा कर सकता है । इस प्रक्रिया को पंजीकृत मोबाइल/ईमेल–आईडी पर प्राप्त ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से प्रमाणित किया जाना जरूरी है।

- विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से उत्तरदायी नवाचार – विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय/पेंशन/सेवानिवृत्ति योजना सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को बढ़ावा देता है। यह नवाचार अंततः निवेशकों, अभिदाताओं, उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करता है। हितधारकों/बाजार प्रतिभागियों के लिए यह एक औपचारिक विनियामक कार्यक्रम है। यह एक वातावरण में कुछ सुरक्षा उपायों, उचित सावधानी और पर्याप्त निरीक्षण के अधीन, उपयोगकर्ताओं के साथ नए उत्पादों/संशोधित वेरिएंट, सेवाओं या रचनात्मक व्यापार मॉडल का परीक्षण करता है। आरएस के तहत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सेवा में हमेशा नई या उभरती हुई तकनीक या मौजूदा तकनीक का अभिनव तरीके से उपयोग शामिल होना चाहिए और उसे अंततः किसी समस्या का समाधान करना चाहिए, एक शून्य को भरना चाहिए, और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना चाहिए। आरएस एक ऐसी संरचना है जो फिन–टेक नवाचारियों को पीएफआरडीए या संबंधित क्षेत्र विनियामक की देखरेख में एक नियंत्रित वातावरण में लाइव प्रयोग करने की अनुमति देता है।

- डिजीलॉकर के माध्यम से अभिदाता केंद्रित सेवाएं – पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) ने अभिदाता केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रणाली को डिजीलॉकर के साथ एकीकृत किया है। डिजीलॉकर द्वारा एनपीएस हितधारकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :

i- मौजूदा अभिदाताओं के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से ई–प्रान कार्ड तक पहुँच।

ii- मौजूदा अभिदाताओं के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से खाता विवरण तक पहुँच।

iii- संभावित अभिदाताओं हेतु एनपीएस खाता खोलने के लिए केवाईसी का उत्तरदायित्व

iv- वर्तमान में, संबंधित सीआरए द्वारा डिजीलॉकर खाते के माध्यम से तीन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं : प्रोटियन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज सीआरए (पीसीआरए), केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए (केसीआरए), और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज सीआरए (सीसीआरए)।

- सीईआरटी–इन द्वारा जारी साइबर सुरक्षा निदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – सीईआरटी–इन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर घटनाओं की सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्टिंग से संबंधित साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणाली क्लॉक के तादात्म्य, साइबर घटनाओं की सीईआरटी–इन में रिपोर्टिंग के साथ ही आईसीटी प्रणाली के सूची को प्रबंधित करने हेतु रिपोर्ट किए गए साइबर घटनाओं के प्रकार को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में, सीईआरटी–इन ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) से जुड़े दस्तावेज भी जारी किए हैं।

- एनपीएस के तहत पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं की जोखिम रूपरेखा – पेंशन निधियों की योजनाओं में विभिन्न आस्ति वर्गों के तहत निवेश में अभिदाताओं के लिए जोखिम का एक अलग स्तर शामिल होता है। अतः यह जरूरी है कि अभिदाताओं को जागरूक करने के लिए एनपीएस की विभिन्न योजनाओं में शामिल जोखिमों का पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाए। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आस्ति वर्ग इक्विटी (ई), कॉर्पोरेट ऋण (सी), सरकारी प्रतिभूतियों (जी) और योजना ए की टियर 1 और टियर 2 योजनाओं का प्रबंधन करने वाली पेंशन निधियां योजनाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग को बनाए रखेंगी और उनका प्रकटीकरण करेंगी। जोखिम प्रोफाइलिंग में योजनाओं में जोखिम के छह स्तर होंगे – कम जोखिम, कम से मध्यम जोखिम, मध्यम जोखिम, मध्यम उच्च जोखिम, उच्च जोखिम और अत्यधिक जोखिम। योजना की विशेषता के आधार पर, पेंशन निधियां ई–टियर 1, ई–टियर 2, सी–टियर 1, सी–टियर –2, जी–टियर –1, जी–टियर –2 और ए योजनाओं के लिए जोखिम स्तर का निर्धारण करेंगी। जोखिम प्रोफाइलिंग को वेबसाइट पर प्रकट किया जाना चाहिए और तिमाही आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- एनपीएस योजनाओं (एनपीएस की योजना केंद्र सरकार, योजना राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार और एनपीएस लाइट योजनाओं तथा अटल पेंशन योजना पर लागू) के लिए निवेश दिशानिर्देश–2021 में बदलाव – निवेश दिशानिर्देशों के आंशिक संशोधन के क्रम में, प्राधिकरण द्वारा अल्पकालिक ऋण लिखतों और संबंधित निवेशों के बारे में निम्नलिखित बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड की ऋण योजना की इकाइयों में निवेश जिनमें निवेश 1 वर्ष से कम की मैकाले अवधि वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियों में होता है। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन फंड में इस शर्त के साथ कि हाल के छह महीने की अवधि के लिए एएमसी के प्रबंधन के तहत औसत कुल संपत्ति कम से कम 5,000/– करोड़ रुपये होनी चाहिए। पेंशन निधियों को आरबीआई द्वारा प्रदान की गई त्रिपक्षीय रेपो प्रणाली पर आयोजित त्रिपक्षीय रेपो में ऋणदाता के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गयी है। शेयरों की एकल समेकित सूची तैयार करते समय, स्टॉक के पिछले छह महीनों के औसत पूर्ण बाजार पूंजीकरण पर विचार किया जाएगा।

- एनपीएस योजनाओं {सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार और राज्य सरकार), कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा)} के लिए निवेश दिशानिर्देश – 2021 में परिवर्तन – पेंशन निधियों को ऐसे त्रिपक्षीय रेपो प्रणाली पर आयोजित त्रिपक्षीय रेपो में ऋणदाता के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गयी है जो आरबीआई द्वारा प्रदान की गई हो तथा जिसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड निपटान गारंटर के रूप में शामिल हो । शेयरों की एकल समेकित सूची तैयार करते समय, स्टॉक के पिछले छह महीनों के औसत पूर्ण बाजार पूंजीकरण पर विचार किया जाएगा। सूची में किसी भी अपडेशन के बाद, पेंशन निधियों को छह महीने की अवधि के भीतर अपडेट की गई सूची के अनुरूप अपने पोर्टफोलियो को पुनःसंतुलित करना होगा।

- ई–एपीवाई – आधार के माध्यम से ऑनबोर्डिंग में आसानी – सभी एपीवाई–सेवा प्रदाता बैंकों को अपने ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट में ई–एपीवाई लिंक प्रदान करने और पात्र अभिदाताओं को ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन

अनुलग्नक II

सक्रिय पीओपी–एसपी की राज्यवार कुल संख्या

अनुलग्नक III

वार्षिक लेखा और अनुसूचियां

*अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर जा सकते हैं । https://www-pfrda-org-in/index1-cshtml?lsid=366.

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति का गठन

1. उप सचिव (स्थापना द्वितीय), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2. लेखा उप महानियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. निदेशक (ए / सी), डाक विभाग, नई दिल्ली
4. निदेशक (वित्त / बजट), रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में रक्षा वित्त
5. श्री गौरव शर्मा, कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
6. श्री रमेश चंद्र पांडे, अनुभाग अधिकारी, वित्त स्थापना (एफई) निदेशालय, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
7. मुख्य कार्यकारी– इन्डियन बैंक एसोसिएशन
8. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक पेंशन फंड लिमिटेड
12. प्रबंध निदेशक और सीईओ, प्रोटियन ई–गोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) प्रबंधन, पुणे
13. निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे
14. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया
15. डॉ. के.पी. कृष्णन, मानद अनुसंधान प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)
16. श्री धीरेंद्र कुमार, संस्थापक और सीईओ, वैल्यू रिसर्च
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
18. अध्यक्ष–सीआईआई – बीमा और पेंशन पर राष्ट्रीय समिति, निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।

अनुलग्नक II

सक्रिय पीओपी–एसपी की राज्यवार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	128
2	आंध्र प्रदेश	14,728
3	अरुणाचल प्रदेश	393
4	असम	3,157
5	बिहार	9,571
6	चंडीगढ़	460
7	छत्तीसगढ़	4,867
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	108
9	गोवा	821
10	गुजरात	13,475
11	हरियाणा	6,092
12	हिमाचल प्रदेश	3,131
13	जम्मू और कश्मीर	2,118
14	झारखंड	4,189
15	कर्नाटक	14,240
16	केरल	10,367
17	लक्षद्वीप	11
18	लद्दाख	15
19	मध्य प्रदेश	13,214
20	महाराष्ट्र	21,168
21	मणिपुर	263
22	मेघालय	532
23	मिजोरम	248
24	नागालैंड	241
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नई दिल्ली)	4,028
26	ओडिशा	6,742
27	पुदुचेरी	303
28	पंजाब	9,384
29	राजस्थान	10,853
30	सिक्किम	138
31	तमिलनाडु	15,104
32	तेलंगाना	5,519
33	त्रिपुरा	659
34	उत्तर प्रदेश	23,929
35	उत्तराखंड	2,890
36	पश्चिम बंगाल	10,185
	कुल योग (अखिल भारतीय)	**2,13,271**

नोट : सूची में सीआरए–एनएसडीएल के आंकड़े तथा केफिनटेक–सीआरए और सीएएमएस सीआरए के तहत पंजीकृत विशेष पीओपी–एसपी भी शामिल हैं.

अनुलग्नक III

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के बहीखातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2023 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) **अधिनियम 1971 की धारा 19** (2) और उसके साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पीएफआरडीए प्रबन्धन पर है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं, जो कि सर्वोत्तम लेखाप्रथाओं के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ लेखांकन उपचार पर है। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो वे निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से वर्णित किए जाएंगे।

3. हमने, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा सम्पन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संपन्न करें ताकि वित्तीय विवरणों के त्रुटिमुक्त होने का उचित आश्वासन दिया जा सके । लेखापरीक्षा में, राशियों और वित्तीय वक्तव्यों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारे दृष्टिकोण से उचित है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है कि :

(i) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय बहीखाते तथा रसीदों एवं भुगतान खाते को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा एवं अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारे विचार से, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के उचित खाताबहियों को प्रबंधित किया गया है।

(iv) हम आगे विवरण देते हैं कि :

क. वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची – 7) : ₹ 14.62 करोड़

उपर्युक्त में मार्च 2023 के लिए मैसर्स सॉवरेन एंटरप्राइजेज, मेसर्स एस.एन. एंटरप्राइजेज, मेसर्स आगामी इंडो प्राइवेट लिमिटेड और साइबेक्स सपोर्ट सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति सेवाओं के लिए 14.63 लाख रुपये का भुगतान शामिल नहीं है। यद्यपि चालान की तिथि 11.04.2023 थी, लेकिन यह भुगतान वेतन से संबंधित था और प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से इसका भुगतान किया गया। इसके अलावा, राशि को दिनांक 03.05.2023 को

सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित किए जाने पर भी बहीखाते लंबित थे। अतः बही–खातों में 14.63 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त का प्रावधान न किए जाने के फलस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में न्यूनोक्ति तथा अधिशेष में 14.63 लाख रुपये की अतिशयोक्ति हुई है।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2022–2023 के दौरान भारत सरकार द्वारा पीएफआरडीए को 726.31 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसका प्रारंभिक शेष 51.46 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान, सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज 0.89 करोड़ रुपये था और स्वावलंबन खाते के तहत प्राप्त राशि 0.15 करोड़ रुपये और एपीवाई खाते के तहत प्राप्त राशि 15.03 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2022–2023 के दौरान उपलब्ध 793.84 करोड़ रुपये की कुल शेषराशि में से पीएफआरडीए ने 780.28 करोड़ रुपये (जिसमें 15.16 करोड़ रुपये के अनुदान की वापसी और सरकारी अनुदान पर अर्जित 0.78 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है) का उपयोग किया है तथा 13.56 करोड़ रुपये शेष हैं।

ग. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

घ. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय खाते/रसीद और भुगतान खाते, खाताबहियों के अनुरूप हैं।

च. हमारे विचार और हमारी संपूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में वर्णित अन्य मामलों के अधीन और अन्य मामलों के अधीन, यह भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं :

a- यहाँ तक यह दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पीएफआरडीए के तुलन–पत्र से संबंधित है य और

b- यहाँ तक यह 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय बहीखाते में व्यय की तुलना में आय की अधिकता (सकारात्मक) से संबंधित है।

भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक
हेतु और उनके द्वारा

(एस.आह्लादिनी पंडा)
प्रधान लेख निदेशक
(उद्योग एवं कोर्पोरेट मामले)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2023

अनुलग्नक–I

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2021–22 के लिए पीएफआरडीए के सभी विभागों की लेखापरीक्षा पूर्ण की है। वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है। आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ किए जाने और पीएफआरडीए की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022–23 के लिए पीएफआरडीए के बहीखातों की लेखापरीक्षा, पीएफआरडीए द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा संपूर्ण की गई थी। इसके निष्कर्षों की सूचना पीएफआरडीए प्रबंधन को रिपोर्ट कर दी गई थी और सीए फर्म की टिप्पणियों पर पीएफआरडीए द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है ।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदानों की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वाउचर का रखरखाव, विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर, सहायता अनुदान और स्वीकृति से संबंधित अभिलेख और व्यय अनुमोदन में नियमितता संतोषजनक थी।

ग. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। अचल संपत्ति रजिस्टर में कर्मचारियों से संबंधित अचल आस्तियों जैसे घरेलू औपचारिक कंप्यूटर और मोबाइल हैंडसेट की आस्ति पहचान संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। आसान सत्यापन के लिए इनका उल्लेख करना जरूरी है। इसके अलावा, स्क्रैप के रूप में घोषित की गई आस्ति को निपटाने की आवश्यकता है।

घ. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वस्तुसूची को 'शून्य' दर्शाया गया था।

ङ. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

R. Gowtham

उप. निदेशक (एमजी–II)

अनुलग्नक–ग

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर पीएफआरडीए की टिप्पणियां (वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए) पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु 'क' और उसके अनुलग्नक के बिंदु 'क' और 'ग' हेतु :

विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान व्यवस्थित रूप में नहीं थे और संशोधित चालान, वित्त वर्ष 2022–23 हेतु प्राधिकरण के बहीखातों को अंतिम रूप देने के लिए बिल जमा करने की नियत तिथि के बाद प्राप्त हुए। अतः, पर्याप्त जानकारी के अभाव में, प्रावधान राशि की जाँच नहीं की जा सकी। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली के संबंध में, यह उल्लिखित है कि, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का सत्यापन किया जाता है और गैर–पहचान से सम्बन्धित ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया है। हालांकि, बेहतर ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक आस्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपी जाएगी।

प्राधिकरण के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को अधिक सुदृढ़ करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक III
तुलनपत्र

प्रपत्र क
(नियम 3 (क) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र के रूप में

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कोष/पूंजी भंडार	1	2,97,43,84,095	1,87,10,18,798	1. अचल संपत्तियां	8		
				सकल ब्लॉक		1,40,71,55,918	1,00,15,22,291
2. आरक्षित अधिशेष	2	-	-	कम मूल्यह्रास		2,86,09,928	2,36,41,478
				कुल ब्लॉक		**1,37,85,45,990**	**97,78,80,813**
3. निर्धारित / धर्मादा निधि	3	16,94,58,907	53,95,98,993				
				2.निर्धारित/बंदोबस्ती कोष से निवेश	9	2,91,51,498	2,43,88,564
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-				
				3 निवेश–अन्य	10	1,23,49,98,001	77,44,56,001
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-				
				4.मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	64,73,52,483	74,06,17,402
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	-	-				
				5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)		-	-
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	14,62,04,970	10,67,24,989				
कुल		**3,29,00,47,972**	**2,51,73,42,780**	कुल		**3,29,00,47,972**	**2,51,73,42,780**

नोट :-
तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

प्रपत्र ख
(नियम 3 (ख) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए आय और व्यय का लेखा–जोखा

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.स्थापना व्यय	20	35,08,86,790	35,03,34,730	1. बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	30,05,27,315	39,44,89,233	2. अनुदान/अनवृत्ति	13	-	-
3.अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	10,044	-	3.शुल्क/सदस्यता	14	1,68,73,00,953	1,33,58,93,795
4. ब्याज	23	10,044	5,993	4.निवेशों से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय	15	-	-
5. मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल–अनुसूची 8 के तदनुसार)		55,54,677	59,63,505	5.रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
				6.अर्जित ब्याज	17	6,83,42,542	3,86,10,168
				7.अन्य आय	18	47,00,630	22,92,607
				8.तैयार माल और काम में प्रगति के शेयर में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल		**65,69,78,827**	**75,07,93,461**	कुल		**1,76,03,44,124**	**1,37,67,96,570**
आय का शेष व्यय से अधिक		1,10,33,65,297	62,60,03,109				
विशेष आरक्षित को स्थानांतरित प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		-	-				
सामान्य आरक्षित को/से स्थानांतरित		-	-				
शेष को अधिशेष/घाटा के रूप में कोष /पूंजी निधि में रखा गया		1,10,33,65,297	62,60,03,109				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

नोट :-
आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	डॉ. मनोज आनन्द	डॉ.दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्रपत्र ग
(नियम 3 (ग) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

(इकाई–भारतीय रुपया)

क्र. सं	आवती	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	क्र. सं	भुगतान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष राशि			1.	खर्च		
क.	नकदी	12,291	20,000	(क)	स्थापना पर खर्च	32,87,76,113	32,27,78,542
ख.	बैंक बैलेंस			(ख)	प्रशासनिक व्यय	33,19,35,828	29,16,93,067
	(i) चालू खातों में	-	-	2.	उपयोग किए गए अनुदान		
	(ii) आवधिक जमा खातों में	-	-	(क)	स्वावलंबन योगदान	(15,49,343)	(6,420)
	(iii) बैंक जमा खातों मे	59,31,07,928	40,01,42,196	(ख)	स्वावलंबन प्रचार	90,52,700	1,13,82,300
2.	प्राप्त अनुदान			(ग)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	-	-
(i)	भारत सरकार से			(घ)	एपीवाई अंशदान	(15,03,14,665)	(1,39,10,719)
	(क) अनुदान सहायता वेतन	-	-	(ङ)	एपीवाई संवर्धन एवं विकास	2,21,43,11,676	1,70,20,29,612
	(ख) अनुदान–सहायता–सामान्य	-	-	(च)	अनुदान की वापसी	15,16,00,000	15,84,00,000
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	- 1,31,00,000	-	(छ)	ब्याज की वापसी	78,26,865	72,53,252
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-	-	(ज)	अन्य (एपीवाई गैप कोष)	5,42,00,00,000	-
	(ङ) अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	-	-	3.	निवेश और जमा राशि		
	(च) अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	1,83,00,00,000	2,03,00,00,000	(क)	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	36,00,000	4,00,000
	(छ) अन्य	5,42,00,00,000	-	(ख)	स्वयं के धन से बाहर (निवेश – अन्य)	46,05,42,000	25,73,24,780
(ii)	राज्य सरकार से			4.	अचल संपत्तियों और चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय		
				(क)	अचल संपत्तियों की खरीद	11,92,062	12,27,422
	(क) अनुदान सहायता वेतन	-	-	(ख)	चालू काम पर लगी पूंजी पर व्यय	32,01,29,640	48,01,94,460
	(ख) अनुदान–सहायता–सामान्य	-	-	5.	अधिशेष पैसे / ऋणों की वापसी		
	(ग) अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	-	-	(क)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	-	-
				(ख)	राज्य सरकार को	-	-
	(घ) अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	-	-	(ग)	धन के अन्य प्रदाताओं को	-	-
	(ङ) अन्य		-				
(iii)	अन्य स्रोतो से एसपीसीपीए	35,47,818	-	6.	वित्त शुल्क (ब्याज)		
3.	निवेश पर आय			(क)	बैंक शुल्क	9,540	5,993
(क)	निर्धारित/बंदोबस्ती धन	5,592	4,616	(ख)	अन्य	-	-
(ख)	स्वनिवेश (अन्य निवेश)	-	-	7.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
4.	प्राप्त ब्याज			(क)	प्रीपेड	38,54,019	49,45,765
(क)	बैंक जमाराशियों पर	7,00,28,129	5,25,43,693	(ख)	ऋण / उधार कर्मचारियों के लिए	7,87,000	1,42,591
(ख)	ऋण, उधार आदि	-	-	(ग)	खर्चों के लिएअग्रिम राशि	47,21,304	3,90,10,557
(ग)	अन्य (ऋण पर ब्याज)	-	-	(घ)	सुरक्षा जमा	-	9,82,000

5.	अन्य आय (निर्दिष्ट)			8.	अंतिम शेष		
(क)	वार्षिक शुल्क	1,59,95,83,336	1,30,56,29,042	(क)	नकद	40,000	12,291
(ख)	विविध सेवाओं से प्राप्त आय	67,14,002	1,54,91,724	(ख)	बैंक अतिशेष		
(ग)	विविध आय	55,20,592	18,77,272		(i) चालू खातों में	27,00,00,000	
6	उधार ली गई राशि	-	-		(ii) समय जमा खातों में		
7	कोई भी अन्य रसीद				(iii) बचत बैंक जमा खातों में	17,69,03,444	59,31,07,928
(क)	सुरक्षा /ईएमडी रसीद	30,500	50,000				
(ख)	उधार की वसूली	75,20,196	1,61,51,168				
(ग)	संपत्ति के हस्तांतरण	-	-				
(घ)	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	37,83,167	3,63,711				
(ङ)	अन्य	4,64,632	3,47,00,000				
	कुल	**9,55,34,18,184**	**3,85,69,73,421**		**कुल**	**9,55,34,18,184**	**3,85,69,73,421**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	डॉ. मनोज आनन्द	डॉ.दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 1

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु

कोष/पूंजी भंडार

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष राशि वर्ष के आरंभ में	1,87,10,18,798	1,24,50,15,689
जोड़ेः अप्रयुक्त कोष निधि की शुरुआती शेष राशि	-	-
कमः अप्रयुक्त कोष निधि की समापन शेष राशि	-	-
जोड़े/ घटाएंः शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	1,10,33,65,297	62,60,03,109
जोड़ेः सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि के रूप में	**2,97,43,84,095**	**1,87,10,18,798**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 2
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
भंडार और अधिशेष

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.पूंजी कोष		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	-	-
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	-
ग. कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 3
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
धर्मादा/निर्धारित निधि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि						
	अटल पेंशन योजना	अभिदाता शिक्षा एवं संरक्षण निधि	स्वावलंबन कोश	अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाता	अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. धन की प्रारंभिक शेष राशि	50,33,86,587	2,50,13,267	1,11,99,139			53,95,98,993	36,75,08,115
2. धन में जोड़							
(क) दान/अनुदान						-	-
(ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय	1,83,00,00,000		1,31,00,000		5,42,00,00,000	7,26,31,00,000	2,03,00,00,000
(ग) वर्ष के दौरान आवती						-	
(घ) अन्य जोड़ (प्रकृति का उल्लेख करें)		14,04,662				14,04,662	11,47,136
	15,86,63,569	37,88,759	17,18,965	35,61,598	4,24,600	16,81,57,492	2,00,52,655
कुल **(1+2)**	**2,49,20,50,156**	**3,02,06,688**	**2,60,18,105**	**35,61,598**	**5,42,04,24,600**	**7,97,22,61,147**	**2,41,87,07,907**
3. निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय							
(क) पूंजीगत व्यय							
i- अचल संपत्तियाँ						-	-
ii- अन्य संपत्तियाँ						-	-
कुल							
ख. राजस्व व्यय							
i- वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि							
ii- किराया	-	-	-	-	-	-	-
iii- अन्य प्रशासनिक खर्च							
iv- अन्य							

कुल	2,37,35,29,502 2,37,35,29,502	 -	92,72,739 92,72,739	 -	5,42,00,00,000 5,42,00,00,000	7,80,28,02,241 7,80,28,02,241	1,87,91,08,914 1,87,91,08,914
कुल **(3)**	**2,37,35,29,502**	**-**	**92,72,739**	**-**	**5,42,00,00,000**	**7,80,28,02,241**	**1,87,91,08,914**
साल के अंत मे शुद्ध बैलेंस **(1+2-3)**	**11,85,20,655**	**3,02,06,688**	**1,67,45,366**	**35,61,598**	**4,24,600**	**16,94,58,907**	**53,95,98,993**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	डॉ. मनोज आनन्द	डॉ.दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 4
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
सुरक्षित ऋण तथा उधारी

इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
i- सावधि ऋण		
ii- अर्जित ब्याज और देय	-	-
4. बैंक	-	-
i- सावधि ऋण		
- अर्जित ब्याज और देय		
ii- अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
- अर्जित ब्याज और देय		
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	डॉ. मनोज आनन्द	डॉ.दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 5
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई भारतीय रूपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
i- सावधि ऋण	-	-
ii- अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	-	-
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8.अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर **सदस्य**	**डॉ. मनोज आनन्द** **सदस्य**	**डॉ.दीपक महान्ती** **अध्यक्ष**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 6
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु

आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
2. अन्य	-	-
कुल	-	-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	डॉ. मनोज आनन्द	डॉ.दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 7
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
मौजूदा देयताएं और प्रावधान

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
मौजूदा देयताएं		
1.स्वीकृतियां	-	-
2.फुटकर लेनदार और देनदारियां	12,63,34,783	2,18,45,986
3.उधार प्राप्त	23,200	3,47,00,000
4.अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:		
क. सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
ख. असुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	-	-
ख. अन्य	14,41,073	29,74,117
जीएसटी के तहत टीडीएस	14, 254	
वस्तु और सेवाकर	39,023	
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. सुरक्षा जमा	56,47,500	56,17,000
ख. एमएएफ कोष	63,10,763	
कुल	**13,98,10,595**	**6,51,37,103**
प्रावधान		
1.कराधान के लिए	-	-
2.ऐच्छिक दान	(48,43,223)	58,19,474
3.व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
4.संचित छुट्टी नकदीकरण	1,04,99,118	3,46,63,549
5.पेंशन अंशदान देय	-	6,12,543
6.छुट्टी नकदीकरण देय	-	-
7. अन्य– कैग लेखा परीक्षा शुल्क	7,38,480	4,92,320
कुल	63,94,375	4,15,87,886
कुल योग	**14,62,04,970**	**10,67,24,989**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 8
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
अचल संपत्ति

(इकाई भारतीय रुपया)

विवरण	कुल संपत्तियां				**मूल्यह्रास**				कुल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	कुल वर्ष के अंत तक	चालू वर्ष के रुप में	पूर्व वर्ष के रुप में
अचल संपत्तियां										
1. भूमि										
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंग								-		
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ.सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.वाहन	22,56,883	8,86,753	-	31,43,636	9,77,858	2,58,360	-	12,36,218	19,07,418	12,79,025
5.फर्नीचर तथा अलमारियां	52,59,462	82,449	-	53,41,911	26,22,781	2,67,791	-	28,90,571	24,51,340	26,36,681
6. कार्यालय उपकरण	1,08,35,866	12,02,383	6,15,975	1,14,22,274	47,86,909	9,93,934	1,46,679	56,34,164	57,88,109	60,48,957
7.कंप्यूटर/सहायक उपकरण	2,23,73,199	35,51,403	8,26,323	2,50,98,278	1,48,95,914	37,23,344	4,39,549	1,81,79,709	69,18,569	74,77,285
8.विद्युत प्रतिष्ठान	1,63,960	9,000	-	1,63,960	1,37,671	2,737	-	1,40,409	23,551	26,289
9. लाइब्रेरी की किताबें	2,43,942		-	2,52,942	2,20,345	13,039	-	2,33,384	19,558	23,597
10. अन्य अचल संपत्तियां	-	11,81,888	-	11,81,888	-	2,95,472	-	2,95,472	8,86,416	-
चालू वर्ष का कुल योग	**4,11,33,312**	**69,13,876**	**14,42,298**	**4,66,04,889**	**2,36,41,478**	**55,54,677**	**5,86,227**	**2,86,09,928**	**1,79,94,961**	**1,74,91,834**
पिछला वर्ष	**3,05,53,260**	**1,15,56,150**	**9,76,098**	**4,11,33,312**	**1,79,49,562**	**60,43,755**	**3,51,840**	**2,36,41,478**	**1,74,91,834**	**1,26,03,697**
पूजीकार्य में प्रगति	96,03,88,979	40,01,62,050	-	1,36,05,51,029	-				1,36,05,51,029	96,03,88,979
कुल									**1,37,85,45,990**	**97,78,80,813**

उपयुक्त में खरीद के आधार पर आस्ति का मूल्य शामिल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	**डॉ. मनोज आनन्द**	**डॉ.दीपक महान्ती**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 9
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु
निर्धारित/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा		
7.अन्य	2,91,51,498	2,43,88,564
	-	-
कुल	**2,91,51,498**	**2,43,88,564**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 10

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु

निवेश–अन्य

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर (गैर – कथित)		
नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के शेयर : 10,00,00,000 / –		
कम : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश : 9,99,99,999 / –	1.00	1.00
4. डिबेंचर और बांड		
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		
6. सावधि जमा	1,23,49,98,000	77,44,56,000
7.अन्य	-	-
कुल	**1,23,49,98,001**	**77,44,56,001**

अनुसूची 25 के बिंदु संख्या 7 को देखें

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 25/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 11
31.03.2023 को तुलन पत्र के भाग के रुप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई–भारतीय रुपये)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(क).वर्तमान संपत्तियां		
1.माल		
• संचित और अतिरिक्त	-	-
• शिथिल उपकरण	-	-
• बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदारः		
• 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
• अन्य	-	-
3. नकदी	40,000	12,291
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
• चालू खातों पर	-	-
• समय जमा खातों पर	27,00,00,000	-
• बचत बैंक जमा खातों पर	17,69,03,444	59,31,07,928
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
• चालू खातों पर	-	-
• समय जमा खातों पर	-	-
• बचत बैंक जमा खातों पर	-	-
5.डाकघर–बचत खाते	-	-
6. अन्य	-	-
कुल (क)	**44,69,43,444**	**59,31,20,219**
(ख).ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियांः		
1.ऋणः		
• स्टॉफ	10,25,000	2,38,000
• अन्य संस्था, जो संस्था की तरह के गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न हैः	-	-
• अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रुप में या वसूली जाने वाली कीमत के रुप में प्राप्त होः		
• पूंजी खाते पर	-	-
• पूर्वभुगतान (पूर्वदत्त खर्च)	38,79,210	49,45,765
• सुरक्षा जमा	39,64,480	39,64,480
• अन्य	1,72,62,661	1,79,37,477
3. आय अर्जित		
• उदिष्ट और धर्मादा निधि से निवेश पर	7,26,030	4,84,302
• अन्य–पर निवेश	3,23,70,882	2,50,39,998
• ऋणों तथा उधारों पर	-	-
• अन्य (इसमें अचेतन देय राशि रु...........भी शामिल है।)		
4.प्राप्ति योग्य दावे	14,11,80,776	9,48,87,162
	-	-
कुल (ख)	**20,04,09,039**	**14,74,97,184**
कुल योग (क)+(ख)	**64,73,52,483**	**74,06,17,402**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु

बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. **बिक्री से आय**		
(क)तैयार माल की बिक्री	-	-
(ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
(ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2. **सेवाओं से आय**	-	-
(क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
(ख) व्यवसायिक/परामर्श सेवाएं	-	-
(ग) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
(ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

अनुदान/अनवृत्ति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थिर अनुदान/अनवृत्ति		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी अभिकरण	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6.अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

शुल्क/सदस्यता

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	1,68,05,51,951	1,32,04,02,071
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. सलाहकारी शुल्क	-	-
5. लाइसेंस शुल्क	-	-
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	67,49,002	1,54,91,724
7.अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
कुल	**1,68,73,00,953**	**1,33,58,93,795**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

निवेश से आय

(उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश–अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.ब्याज				
क.सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बांड/डिबेंचर्स	-	-	-	-
ग.अन्य	14,04,662	11,47,136	-	-
2.लाभांश	-	-	-	-
क.शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
ग.अन्य	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल	**14,04,662**	**11,47,136**	-	-
उद्दिष्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित	**14,04,662**	**11,47,136**	-	-
कुल शेष	-	-	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वतमान वषे	पूर्व वर्ष
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने के लिए

अर्जित ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधि जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	6,24,22,290 -	3,32,69,079
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. संस्थानों के साथ	-	-
घ. अन्य		-
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	59,20,252	53,41,089
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. डाकघर बचत खाता	-	-
घ. अन्य		
3. ऋण परः		
क. कर्मचारी/स्टॉफ		
ख. अन्य	-	-
	-	-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**6,83,42,542**	**3,86,10,168**
स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

अन्य आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	47,00,630	22,92,607
कुल	**47,00,630**	**22,92,607**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और काम में प्रगति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) समापन स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
(ख) कम– शुरुआती स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 20
01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु
स्थापना व्यय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.वेतन और मजदूरी	30,54,52,257	28,82,46,416
2.भत्ता और बोनस	-	-
3.भविष्य निधि अंशदान	-	-
4.पेंशन के लिए अंशदान	2,48,92,466	2,37,73,295
5.कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	-	-
7. अवकाश वेतन	1,33,28,660	2,94,56,283
8.ट्यूशन शुल्क अदायगी	-	-
9. चिकित्सा अदायगी	57,44,737	38,05,100
10.ग्रेच्युटी योगदान	14,68,670	50,53,636
11. अन्य (विशिष्ट)	-	-
कुल	**35,08,86,790**	**35,03,34,730**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 21
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु
अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. खरीदारियां	-	-
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	-	-
3.ढुलाई और आंतरिक परिवहन	-	-
4. बिजली और पावर	19,27,091	17,72,164
5. जल शुल्क	9,39,873	6,86,823
6. बीमा	48,75,244	17,99,867
7. मरम्मत और रखरखाव	61,41,763	56,36,902
8. उत्पाद शुल्क	-	-
9.किराया, दरें और कर	8,15,57,285	8,14,43,062
10. चलते वाहन और उनका रखरखाव	2,66,21,491	2,35,48,764
11.डाक, टेलीफोन और संचार के शुल्क	67,61,172	69,75,702
12. मुद्रण और स्टेशनरी	24,17,035	16,38,459
13. यात्रा और वाहन खर्चे	2,47,86,339	72,05,131
14. सेमिनार/कार्यशालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	2,22,73,031	81,13,200
15. सदस्यता खर्च	42,09,104	-
16. फीस और व्यय	-	-
17.लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	2,46,160	3,49,702
18.आतिथ्य खर्च	-	-
19. पेशेवर शुल्क	3,50,59,125	6,45,81,121
20.पुस्तकें और पत्रिकाएं	5,15,408	3,03,304
21.भर्ती खर्च	2,08,20,403	1,05,24,747
22.आशोध्य और संदिग्ध ऋण/ उधार के लिए प्रावधान	-	-
23. उपस्थिति अस्तित्व को प्रोत्साहन राशि	-	-
24.अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	-	-
25 पैकिंग खर्च	-	-
26. फ्रेट और अग्रेषण खर्च	-	-
27.वितरण खर्च	-	-
28. विज्ञापन और प्रचार खर्च	2,44,74,471	11,85,02,678
29. अन्य : a.सदस्यता शुल्क	9,02,328	5,87,305
b. कर्मचारी कल्याण	17,65,164	14,83,833
c. कंसल्टेंसी खर्च	62,16,099	34,90,294
d. .एपीवाई प्रचार	66,50,122	5,18,24,736
e. .अनुसूची (3) के तहत पुनः वर्गीकृत	-	(6,98,402)
f. अन्य (वेबसाइट शुल्क खर्च, निधि प्रबंधन शुल्क,कम्प्यूटर सामग्री + एनसीएफई खर्च)	2,13,68,608	47,19,842
कुल	**30,05,27,315**	**39,44,89,233**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 22

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु

(इकाई–भारतीय रुपया)

अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	-	-
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
3. अन्य	-	-
क. अनुदान की वापसी	-	-
ख. ब्याज़ की वापसी	-	-
कुल	-	-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने हेतु ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.निर्धारित ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर	-	-
3. बैंक के शुल्क	10,044	5,993
4. अन्य (विशिष्ट)	-	-
कुल	**10,044**	**5,993**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनन्द
सदस्य

डॉ.दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24

01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के लिए खातों से जुड़ने और उसका भाग बनने हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

प्राधिकरण के वित्तीय विवरण को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया जाता है । वार्षिक खातों के प्रपत्र और अनुसूचियां उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं, जिनमें स्वावलंबन योजना के अंतर्गत व्यय को अनुसूची 21 अर्थात अन्य प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, प्राप्त अनुदान/राजकीय सहायता को अनुसूची 13 (अनुदान/राजकीय सहायता) के अंतर्गत दर्शाया गया है, जो आय एवं व्यय खाते का भाग है। तदनुसार, स्वावलंबन और एपीवाई योजना के तहत अनुदान और व्यय को पीएफआरडीए के बही-खातों में आय और व्यय के रूप में माना जाता है। प्राप्त सरकारी अनुदान के इस उपचार ने पीएफआरडीए के आय और व्यय खाते को प्रभावित किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट में इस उपचार की सूचना दी है।

लेखा पद्धति / प्रस्तुति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 05 जुलाई, 2022 को पीएफआरडीए (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकारी अनुदानों से परिवर्धन और व्यय को पीएफआरडीए के आय और व्यय खाते को प्रभावित किए बिना ही अनुसूची 3 के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफआरडीए के वित्तीय विवरण संशोधित नियमों के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के खातों की पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 से तुलना करने की सुविधा के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफआरडीए के खातों को समग्र बैलेंस शीट पर किसी भी सामग्री के बिना पारस्परिक रूप से पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

पीएफआरडीए के पास अनुदानों की प्राप्ति हेतु नकद आधार पर और व्यय के लिए व्यापारिक आधार पर बहीखाते रखने की एक प्रथा और नीति थी और अप्रयुक्त अनुदानों से संबंधित निवल राशि को नकद आधार पर अन्य चालू देयताओं में सूचित किया जाता था। अब नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुदान प्राप्ति और उपयोग नकद आधार पर दिखाया जाता है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित किया गया है और तदनुसार, 19.96 करोड़ रुपये आय और व्यय से अनुसूची 3 (निर्धारित/धर्मादा निधि) में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और 0.07 करोड़ रुपये को अनुसूची 21 में अलग मद के रूप में प्रकट किया गया है। वर्त्तमान वर्ष में उक्त संशोधन का प्रभाव शून्य है।

भारत सरकार की अटल पेंशन योजना योजना, स्वावलंबन योजना और एपीवाई के अंतर्गत गैप निधि अनुदान जैसी योजनाओं के खातों को छोड़कर, जो नकद आधार पर रखे जाते हैं, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं। इन निर्धारित/धर्मादा निधियों के आंकड़े वार्षिक खातों की अनुसूची 3 के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

2. राजस्व मान्यता

(i) हमारे सभी मध्यस्थों से वार्षिक/त्रैमासिक शुल्क को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

(ii) पजीकरण या नवीकरण अवधि की वधैता पर ध्यान दिए बिना, पजीकरण/नवीकरण के प्रथम वर्ष में हमारे मध्यस्थों से पंजीकरण या नवीकरण शुल्क की गणना की जाती है।

(iii) ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां प्राधिकरण सरकारी अनुदानों को प्राप्त करता है, ऐसे अनुदानों पर प्राप्त ब्याज आय, नकद आधार पर है।

(iv) अन्य आय, व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय को दर्शाती है और आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मानित होती है।
(v) एसईपीएफ निधि (निर्धारित निधि) से किए गए निवेशों पर ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है और इसे अनुसूची 11 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3. सरकारी अनुदान

(i) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन और गैप निधि अनुदान के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं। इन अनुदानों और इससे जुड़े खर्चों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।
(ii) विशिष्ट आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित आस्तियों के बही-खाते के मूल्य पर पहुंचने में उनके सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाया गया है और संबंधित आस्तियों को तुलन-पत्रों में नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. निवेश

निवेश अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

5. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें कर शामिल हैं, जिसके लिए लाभ और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च का दावा कहीं और नहीं किया जा सकता है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

प्राधिकरण ने भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान योजना और समूह अवकाश नकदीकरण योजना में क्रमशः योगदान करके अपने कर्मचारियों के संबंध में उपदान और अवकाश नकदीकरण देनदारियों का वित्तपोषण किया है और इसका उपचार एएस-15 के अनुसार किया जाता है : –

तालिका 1 - दायित्व का वर्तमान मूल्य (रुपये में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,64,48,117.00	3,03,78,457.00	7,62,38,060.00	5,08,00,041.00
ब्याज लागत	25,52,183.00	21,26,492.00	55,27,259.00	36,83,003.33
वर्तमान सेवा लागत	11,06,069.00	15,34,262.00	18,05,278.00	18,05,278.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,66,436.00)	(10,28,960.00)	(48,93,317.00)	(46,87,363.00)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर	41,209.00	34,37,866.00	84,95,158.00	2,46,36,831.03
हानि				
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,99,81,142.00	3,64,48,117.00	8,71,72,438.00	7,62,37,790.00

तालिका 2 - आस्तियों का उचित मूल्य (रुपये में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
वर्ष की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,06,28,642.42	2,06,27,738.93	4,15,74,239.60	2,69,53,003.07
योजना आस्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	29,39,922.10	20,44,983.80	51,33,735.20	27,59,629.69
योगदान	1,14,22,235.55	89,84,880.09	3,48,58,662.16	1,65,48,970.84
भुगतान किए गए लाभ	(1,66,436.00)	(10,28,960.00)	(48,93,317.00)	(46,87,363.00)
बीमांकिक (लाभ)/योजना आस्तियों पर हानि।	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,48,24,365.13	3,06,28,642.82	7,66,73,320.04	4,15,74,241.00

यह मूल्यांकन विधि 'अनुमानित इकाई लागत विधि' है

	प्रमुख बीमांकिक धारणाएं				
	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		नीति 1	नीति 2	नीति 1	नीति 2
31.03.2023 के अनुसार	छूट दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
31.03.2022 के अनुसार	छूट दर	7.25%	7.00%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

7. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास निम्नलिखित डाउन वैल्यू विधि पर "आयकर अधिनियम 1961" में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) 5,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली मदों को राजस्व व्यय माना जाता है।

(iii) यदि कोई संपत्ति 30 सितंबर को या उससे पहले अधिग्रहित की जाती है तो मूल्यहास निर्धारित दर के 100% पर लगाया जाता है और 30 सितंबर के बाद संपत्ति अर्जित करने पर निर्धारित दर का 50% शुल्क लगाया जाता है।

8. नकद और नकद समकक्ष

रसीद और भुगतान खाते में नकद और नकद समतुल्य में बैंक में नकदी, हस्तगत नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक निवेश शामिल हैं।

9. देनदारियां

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी ज्ञात और निर्धारित देनदारियों और सभी आय और खर्चों को खाताबहियों में विधिवत रूप से प्रदर्शित किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22/05/2023

पी. अरूमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 25
01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के लिए खातों से जुड़ने और उनका हिस्सा बनने हेतु खातों में आकस्मिक देनदारियां और टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

अनुसूची 11 के तहत वर्तमान आस्तियों, ऋणों और उधारियों का कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य है।

(i) 1,72,62,661/- रुपये की 'अन्य' में दर्शाई गई वसूली योग्य उधार और अन्य राशियों में डीएवीपी, प्रसार भारती, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित, पीबीबीसीआई, आकाशवाणी की बिक्री इकाई ऑल इंडिया रेडियो और जीएसटी इनपुट को भुगतान किए गए उधार शामिल हैं।

(ii) 14.12 करोड़ रुपये की राशि, जिसे "अन्य" से अर्जित आय के रूप में दर्शाया गया है,जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही 4 के लिए न्यासी बैंक से प्राप्त होने वाला 11.03 करोड़ रुपये का शुल्क और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से प्राप्त होने वाला 3.09 करोड़ रुपये का शुल्क भी शामिल है।

3. कराधान

(i) धारा 34 को ध्यान में रखते हुए *पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत*, प्राधिकरण अपने धन, आय, लाभ या प्राप्त लाभ के ंसबध मंे सपत्ति-कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, बही-खातों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर इनपुट क्रेडिट को उसी अवधि में बहीखातों में मान्यता दी गई है जिसमें प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति मानित है।

4. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त सरकारी अनुदानों को अनुसूची 3 में निर्धारित/धर्मादा निधियों के तहत दर्शाया गया है। निर्धारित/धर्मादा निधियों को अनुसूची 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसमें अटल पेंशन योजना (एपीवाई), अभिदाता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (एसईपीएफ), स्वावलंबन कोष, अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाता (एसपीसीपीए) और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंतराल निधि अनुदान शामिल हैं।

5. आवश्यकतानुसार, पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत किया गया है।

6. 31-03-2023 की स्थिति के अनुसार, **अनुसूची 1 से 25 को** तुलन पत्र के एक अभिन्न अंग और दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा संलग्न किया गया है।

7. **पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से** '*नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई)*' की शेयर कैपिटल के लिए 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसलिए, इस निवेश को अनुसूची 10 के तहत 1 रुपये के अनुमानित मूल्य पर दिखाया गया है।

8. अचल संपत्ति

(i) सकल ब्लॉक आंकड़ा (140.72 करोड़ रुपये), बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार अचल आस्तियों के अंतर्गत अनुसूची 8 में "वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन" कॉलम के तहत "चालू वर्ष के लिए कुल" (4.66 करोड़ रुपये) और "प्रगति पर पूंजीगत कार्य" (136.06 करोड़ रुपये) के आंकड़ों को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2023 तक शुद्ध ब्लॉक का आंकड़ा (137.86 करोड़ रुपये) उपर्युक्त सकल ब्लॉक से चालू वर्ष के अंत तक कुल मूल्यहास (2.86 करोड़ रुपये) को घटाकर निकाला जाता है।

(ii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर - पीएफआरडीए के बोर्ड ने अपनी 88वीं बैठक में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में अपनी आगामी परियोजना में पीएफआरडीए के लिए अपने परिसर की खरीद को मंजूरी दे दी है। खरीदे गए भवन की लागत, आवंटन पत्र के अनुसार, 164.78 करोड़ रुपये है।

तदनुसार, पीएफआरडीए ने उक्त परिसर की खरीद के लिए 2022-23 के दौरान एनबीसीसी को 32.01 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक कुल 128.05 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। उक्त भवन अभी भी निर्माणाधीन है। इसे अनुसूची-8 में 'कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस' के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान किए गए कार्य के लिए अनुसूची 7 (वर्तमान देयताओं) के तहत 8.01 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(i) पूंजीगत प्रतिबद्धता - प्रगति में पूंजीगत कार्य में एनबीसीसी को कार्यालय परिसर का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान की गई किस्तें शामिल हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है। पूंजीगत खाते (उधारियों का निवल) पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रदान नहीं किए जाने वाले "पूंजीगत कार्य प्रगति" के संबंध में अनुबंधों की अनुमानित राशि लगभग 43.22 करोड़ रुपये है।

9. वार्षिक खातों की अनुसूची 9 में दर्शाए गए निर्धारित/धर्मादा निधियों (रु. 2.91 करोड़) से निवेश का मूल्य, अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि (एसईपीएफ) खाते में प्राप्त निधियों से की गई सावधि जमाराशियों से मेल खाता है।

10. अनुसूची 10 के तहत दिखाए गए अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2023 तक निवेश - अन्य (1,23,49,98,000 रुपये) का विवरण निम्नानुसार है –

क्रम सं.	बैंक का नाम	निवेश की राशि (रुपये में)
1	भारतीय स्टेट बैंक	51,00,00,000
2	केनरा बैंक	30,00,00,000
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	28,00,00,000
4	एक्सिस बैंक	13,99,98,000
5	चिकित्सा सहायता निधि (इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ निर्मित)	50,00,000
6	कुल	1,23,49,98,000

11. चिकित्सा सहायता निधि योजना

प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चिकित्सा सहायता निधि योजना लागू की है ताकि पीएफआरडीए के कर्मचारियों को

उनके द्वारा किए गए किसी भी चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अनुसूची 7 के तहत एमएएफ निधि के तहत दिखाई गई शेष राशि प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रारंभिक योगदान, कर्मचारियों से प्राप्त बाद के योगदान के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा किए गए समान योगदान और उस पर अर्जित ब्याज से मेल खाती है। एमएएफ के तहत प्राप्त किसी भी दावे का भुगतान निधि से किया जाता है।

12. अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान

31.03.2020 और 31.03.2021 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर एपीवाई के तहत अनुमानित पेंशन देनदारियों और पेंशन आस्तियों के बीच अंतर को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान "अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान" के अंतर्गत भारत सरकार से 542 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस मद में प्राप्त राशि को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और परिसंपत्ति आवंटन के अनुसार "एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट एपीवाई फंड स्कीम" में निवेश किया गया था। उससे सम्बन्धित आंकड़े वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-3 के अंतर्गत दिए गए हैं।

13. प्राप्तियों और भुगतानों के अंतर्गत स्वावलंबन अंशदान और एपीवाई अंशदान के आंकड़े (उपयोग किए गए अनुदानों के तहत) संबंधित सरकारी योजनाओं से अभिदाताओं द्वारा खातों को समय पूर्व बंद किए जाने के कारण सरकारी सह-अंशदान की वापसी के कारण नकारात्मक शेष राशि दर्शा रहे हैं।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22/05/2023

पी. अरुमुगारंगाराजन
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर	**डॉ मनोज आनंद**	**डॉ दीपक महान्ती**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016